परिणाम बजट

2015-2016

वित्त मंत्रालय

अर्थमूलं कार्यम्

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सारांश	(iii)-(xiv)
मांग सं. 34- आर्थिक कार्य विभाग	1-30
मांग सं. 35- वित्तीय सेवाएं विभाग	31-64
मांग सं. 40- व्यय विभाग	65-81
मांग सं. 43- राजस्व विभाग	83-109
मांग सं. 44- प्रत्यक्ष कर	111-131
मांग सं. 45- अप्रत्यक्ष कर	133-177
मांग सं. 46- विनिवेश विभाग	179-187

प्राक्कथन

''परिणाम बजट'' व्यय की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य सुनिश्चित कर, प्रत्येक योजना की निहित क्षमता का आकलन करके **''परिव्यय'' को ''परिणाम''** में बदलने की सरकार के प्रयास की अभिव्यक्ति है। **''परिणाम बजट''** लोगों के प्रति सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह होने की एक कोशिश है।

कार्यकारी सारांश के अतिरिक्त, परिणाम बजट 2015-16 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सात मांगों से संबंधित सात अलग-अलग खण्ड हैं, जिनके लिए परिणाम बजट तैयार किया जाना है। ये इस प्रकार हैः आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय, राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश। प्रत्येक खण्ड में परिव्यय और परिणाम; सुधारात्मक उपाय; नीतिगत पहल और आरंभ किए गए कार्यक्रम; पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा; पिछले तीन वर्षों की वित्तीय समीक्षा तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा संबंधी विवरणों पर परिचर्चा की गई है।

कार्यकारी सारांश

वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार के वित्त-साधनों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध ऐसे आर्थिक और वित्तीय विषयों से है जिनका समग्र रूप से देश पर प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केंद्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधनों के अंतरण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के कार्यनीतिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित तेरह मांगों को प्रबंधित करता है:-

मांग संख्या	विभाग
34	आर्थिक कार्य विभाग
35	वित्तीय सेवाएं विभाग
36	विनियोग- ब्याज अदायगियां
37	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण
38	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि
39	विनियोग - ऋण की अदायगी
40	व्यय विभाग
41	पेंशन
42	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
43	राजस्व विभाग
44	प्रत्यक्ष कर
45	अप्रत्यक्ष कर
46	विनिवेश विभाग

छः मांगें अर्थात्; 36- ब्याज अदायगियां, 37- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, 38- सरकारी कर्मचारियों को ऋण, आदि 39- ऋण की अदायगी, 41-पेंशन, और 42- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, विशेष रूप से परिणाम बजट के क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंत्रालय के अधीन सभी 13 मांगों के लिए बजटीय प्रावधानों का सारांश इस कार्यकारी सारांश के अनुबंध में दिया गया है।

मंत्रालय के परिणाम बजट 2015-16 का संक्षिप्त सार इस प्रकार है:-

मांग संख्या 34 – आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय सरकार का नोडल विभाग है। यह देश की आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम बनाता है जिनका आर्थिक प्रबंधन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभाग वार्षिक केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। कुछ मुख्य कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार है:

- मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों (1645.60 करोड़ रुपए) के लिए अंशदान (आयोजना) - 2015-16 के दौरान इस योजना के अंतर्गत, रेल मंत्रालय ने 520 रोड अंडर ब्रिजों/सबवे और 130 रोड ओवरब्रिजों का निर्माण करने का प्रस्ताव करते हुए व्यस्त लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने का लक्ष्य बनाया है।

- अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की वित्तीय सहायता योजना में परियोजना की कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की व्यवस्था का उल्लेख है। अब तक, ₹94,888.57 करोड़ की कुल परियोजना लागत तथा ₹16,731.55 करोड़ के व्यवहार्यता अंतर निधियन से 182 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रखे गए ₹670.00 करोड़ के बजट प्रावधान में से दिसंबर, 2014 तक ₹274.33 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है।
  - प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर, ब.अनु. 2015-16 में ₹412.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- भारत अवंसरचना परियोजना विकास निधि योजना में, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के कुल परियोजना विकास व्यय के 75 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त सहायता से 03 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। चालू वित्त वर्ष 2014-15 में किए गए ₹4.00 करोड़ के प्रावधान में से, केवल ₹4.28 लाख की राशि संवितरित की गयी क्योंकि और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2015-16 के लिए ₹2.00 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

- आर्थिक कार्य विभाग काफी पहले से विकासशील देशों के लिए रियायती ऋण श्रृंखला का संचालन करता रहा है। पहले इसे सरकार से सरकार को ऋण श्रृंखला के नाम से जाना जाता था। इस कार्यकलाप के अंतर्गत व्यय ''मुख्य शीर्ष 7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम'' के अधीन व्यय किया गया। बाद में, 2003-04 से इन ऋण श्रृंखलाओं को भारत के निर्यात आयात बैंक के माध्यम से विदेशों के लिए दिया जा रहा है। इस समय, भारत सरकार भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता ''मुख्य शीर्ष - 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, लघु शीर्ष 00.101 - अन्य देशों के साथ सहयोग, उप-शीर्ष - 37 - भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता, मद-शीर्ष - 37.00.33 - राजसहायता''

के अधीन प्रदान कर रही है। यदि प्राप्तकर्ता देश द्वारा अदायगी में कोई चूक हो जाती है, तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की प्रतिगारण्टी ऋण श्रृंखला के लिए एक्जिम बैंक को दी गई है। सरकार से सरकार के लिए ऋण श्रृंखला को अधिक व्यापक बनाने के लिए, वित्त वर्ष 2003-04 के केंद्रीय बजट में ''इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव'' नामक एक योजना शुरू की गई थी। यह योजना अब ''भारत विकास और आर्थिक सहायता (आईडीएएस)'' में परिवर्तित हो गई है। इस योजना में दूसरे देशों के लिए लैंडिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण श्रृंखलाएं प्रदान करके विदेश में भारत के स्ट्रेटजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की कोशिश है। 2015-16 के दौरान भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए ₹582.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)** - भारत सरकार ने आईडीए में दाता बनने का निर्णय किया है। भारत आईडीए 2017 के लिए अनुदान के रूप में 200.00 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करेगा। यह भुगतान सिर्फ प्रॉमिसरी नोट के सृजन के माध्यम से वित्त वर्ष 2014-15 से शुरू करके तीन वर्षों में किया जाएगा। पहले वर्ष के लिए 66.66 मिलियन अमरीकी डालर की राशि, दूसरे वर्ष 66.67 मिलियन अमरीकी डालर की राशि और अंतिम यानी वर्ष 2016-17 में 66.67 मिलियन अमरीकी डालर की राशि दी जाएगी। इसकी व्यवस्था संगत शीर्ष के अंतर्गत मांग संख्या 34 में की जाएगी। प्रॉमिसरी नोट्स को अगले 9 वर्षों में मानक नकदीकरण अनुसूची के अनुसार 9 किस्तों में आईडीए द्वारा भुनाया जाएगा।

- **आईडीए में भारत के अंशदान का निष्कर्ष:** अत्यधिक गरीबी उन्मूलन, तस्करी कम करने और एक देश से दूसरे देशों के बीच विकास बढ़ाने के सामूहिक उद्देश्यों की प्रतिबद्धता के रूप में, भारत ने स्वैच्छिक रूप से आईडीए को 2017 तक अनुदान अंशदान के रूप में 200 मिलियन अमरीकी डालर देने का निर्णय किया है। इस कदम से विश्व बैंक समूह के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

- वायदा बाजार आयोग वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। यह आयोग वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता रहा है। वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन वायदा बाजार आयोग के कृत्यों में एक्स्चेंजों को मान्यता प्रदान करने/वापस लेने में सरकार को सलाह देना, पण्य बाजारों को मानीटर एवं विनियमित करना, और वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में यथासमनुदेशित आवश्यक कार्रवाई करना, बाजार सूचना एकत्रित एवं प्रकाशित करना, बाजार के उन्नत कामकाज तथा पण्य एक्स्चेंजों के निरीक्षण और एक्स्चेंजों के सदस्यों के बारे में सरकार को सलाह देना शामिल है।

- लोक प्रबंध कार्यालय की स्थापना वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में की गई है। 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि कुल ऋण के बेहतर प्रबंध के लिए तथा केंद्रीय सरकार की आकस्मिक देयताओं और केंद्रीय सरकार की नकदी प्रबंधन के लिए व्यावसायिक सेवाओं को बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना एवं कार्यपद्धतियों और प्रणालियों को चरणों में तैयार करने के लिए अन्य खर्चों की पूर्ति की जा सके।

- 2015-16 के दौरान, नई पहल के रूप में, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के लिए कुल पूंजी हेतु 1000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या 35 – वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कृषि ऋण, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा पेंशन सुधार से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी और 28 अगस्त, 2014 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता सहित बैंकिंग सुविधा की सार्वभौमिक उपलब्धता की परिकल्पना की गयी है। लाभार्थी को 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा अंतर्निहित रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त होगा। इसके अलावा, 15 अगस्त, 2015 तथा 26 जनवरी, 2015 के बीच पहली बार अपना खाता खोलने वाले लोगों को 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत दिनांक 03.02.2015 की स्थिति के अनुसार 12.65 करोड़ खाते (5.09 करोड़ शहरी क्षेत्रों में तथा 7.56 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में) खोले गए। इन 12.65 करोड़ खातों में से 8.50 करोड़ खाते शून्य शेष वाले हैं तथा 11.16 करोड़ पात्र खातों पर रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

  10 राज्यों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 100% कवरेज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत उपलब्धियों की पहचान की है तथा यह उल्लेख करते हुए प्रमाण-पत्र दिया है कि वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में एक सप्ताह में खोले गए अधिकतम बैंक खाते 18,096,130 है और इसे वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा 23 से 29 अगस्त, 2014 के बीच प्राप्त किया गया था।

  संशोधित अनुमान 2014-15 में भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए कार्यान्वित किए जाने हेतु पीएमजेडीवाई के अंतर्गत रूपे डेबिट कार्ड धारक को दुर्घटना कवर, अर्थात् किसी भी कारण से मृत्यु के कवर पर होने वाले दावे तथा इसके प्रशासनिक व्यय को कवर करने के लिए 100 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि उपलब्ध करायी गयी थी।

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने जोखिम भारित आस्ति अनुपात की तुलना में अपनी पूंजी (सीआरएआर) को सहज स्तर तक

बनाए रखने के लिए सक्षम बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के अनुरूप बने रहें, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए बजट अनुमान 2014-15 में 11200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। आवश्यकता पर विचार करते हुए इस प्रावधान को संशोधित अनुमान 2014-15 में कम करके 6,990 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसे सरकारी क्षेत्र के 9 बैंकों में निवेश किया जाना था। वर्ष 2015-16 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 7,940 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- सरकार भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक और भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता प्रदान करती है ताकि उनकी प्राधिकृत पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014-15 के दौरान एक्जिम बैंक के लिए 1300 करोड़ रुपए तथा आईआईएफसीएल के लिए 600 करोड़ रुपए के पूरे प्रावधान को जारी कर दिया गया था। वर्ष 2015-16 में एक्जिम बैंक के लिए 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- वर्ष 2014-15 के दौरान नाबार्ड को पूंजी सहायता के रूप में ₹300 करोड़ जारी किए गए थे। वर्ष 2015-16 में ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत बजट अनुमान 2014-15 में ₹6000 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे संशोधित अनुमान 2014-15 में बढ़ाकर ₹9,476.71 करोड़ कर दिया गया था। इसमें दिसंबर, 2014 तक ₹5000 करोड़ की राशि जारी की गयी थी। वर्ष 2015-16 में ₹13000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- असंगठित क्षेत्र के लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु बढ़ावा देने के लिए उन्हें नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत नामांकन करवाने के लिए बढ़ावा देने हेतु अभिदाता के एनपीएस खाते में 1000 रुपए के प्रावधान के साथ 'स्वावलंबन योजना' को वर्ष 2010-11 के दौरान आरंभ किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान 23 लाख अभिदाताओं को सरकारी अंशदान प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रयोजन हेतु बजट अनुमान 2014-15 में ₹195 करोड़ उपलब्ध कराए गए थे जिनमें से दिसंबर, 2014 तक ₹58.38 करोड़ की राशि प्रयोग में लायी गयी थी। वर्ष 2015-16 में ₹581.90 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- 55 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) को दिनांक 14.07.2003 को आरंभ किया गया था और इसे दिनांक 09.07.2004 को वापस ले लिया गया। अपने बजट भाषण 2014-15 में वित्त मंत्री ने 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए इस योजना को सीमित अवधि अर्थात् 15 अगस्त, 2014 से 15 अगस्त, 2015 तक के लिए पुनः आरंभ करने की घोषणा की थी। इस योजना को संशोधित - वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) - 2014 के रूप में पुनः आरंभ किया गया है। बजट अनुमान 2014-15 में इस योजना के अंतर्गत ₹111.49 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे संशोधित अनुमान 2014-15 में मामूली रूप से कम करके ₹111.24 करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 में ₹101.79 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत बजट अनुमान 2014-15 में ₹150 करोड़ उपलब्ध कराए गए थे जिसे संशोधित अनुमान 2014-15 में बढ़ाकर ₹175 करोड़ किया गया है। इसमें से लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए सृजित एएबीवाई छात्रवृत्ति निधि के प्रति दिसंबर, 2014 तक ₹149.99 करोड़ की राशि जारी की गयी थी। वर्ष 2015-16 में ₹437.51 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- अपने बजट भाषण 2013-14 में वित्त मंत्री ने आढ़त विनियमन अधिनियम, 2011 को पारित किए जाने के अनुसरण में भारत में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के प्राप्य फैक्टरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी में ₹500 करोड़ के कॉर्पस के साथ फैक्टरिंग ऋण गारंटी कोष स्थापित करने की घोषणा की थी। वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के बजट अनुमान में ₹50 करोड़ उपलब्ध कराए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान 2014-15 में बढ़ाकर ₹250 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में ₹250 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

मांग संख्या 40 - व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की समग्र सार्वजनिक व्यय-प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रमुख स्कीमों और परियोजनाओं (योजना एवं गैर-योजना दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को केन्द्रीय बजट संसाधनों का पर्याप्त अंतरण तथा वित्त एवं केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। व्यय विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित परिणाम बजट का संकलन करता है। विभाग के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- योजना पक्ष की स्कीमों के लिए निधियां, योजना आयोग अब नीति आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती हैं। व्यय विभाग की मांग संख्या 36 में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु बजट प्राक्कलन 2014-15 में ₹72322.00 करोड़ के परिव्यय में से दिनांक 31.01.2015 तक ₹50305.82 करोड़ जारी किए जा चुके थे। विभिन्न कार्यक्रम लागू करने के लिए मांग सं. 37 (पहले मांग सं. 36) से सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता और विशेष केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 में राजस्व खंड के तहत 4.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस प्रावधान में से 3.00 करोड़ रुपए, केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के 120 अधिकारियों को स्नात्कोत्तर व्यावसायिक प्रबंधन डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)-वित्त के आधारभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए हैं। वर्ष 2014-15 में विभिन्न केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा 83 उम्मीदवार प्रायोजित किए गए थे। राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से स्नात्कोत्तर वित्तीय विपणन कार्यक्रम में केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 20 अधिकारियों को एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए है।

मांग सं0 43 - राजस्व विभाग

- मांग सं0 43 - राजस्व विभाग के अंतर्गत मुख्य व्यय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को क्षतिपूर्ति के लिए है जिसके लिए ₹15028 करोड़ का बजट रखा गया है । मूल्य वर्धित कर(वैट) संबंधी व्यय हेतु 2014-15 में 9.40 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है । सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य संबंधी व्यय के लिए ₹350.17 करोड़ का बजट रखा गया है । परिणामी बजट में शामिल किया गया अन्य गैर योजना व्यय कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीन) हेतु विशेष प्रायोजन वाहक के संबंध में है।
- सरकार ने माल एवं सेवा कर नेटवर्क को सुचारू रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहक (एसपीवी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह केन्द्र और राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करेगा। एसपीवी को एक धारा 25 कंपनी के रूप में स्थापित किया जा चुका है । जीएसटीएनः एसपीवी हेतु वर्ष 2015-16 में ₹292 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।
- गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य निर्यात के लिए कच्ची अफीम का प्रसंस्करण, अफीम क्षारोद का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य करते हैं । उन्होंने 2013-14 में 316.47 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹347.55 करोड़ के राजस्व की वसूली की है । 2014-15 में ₹287.82 करोड़ के संशोधित अनुमान की तुलना में उन्होंने ₹208.80 करोड़ (अनंतिम) के राजस्व की वसूली की है ।
- सरकार ने नई दिल्ली में ₹485.16 करोड़ की अनुमानित लागत से राजस्व भवन के निर्माण हेतु अनुमोदन दे दिया है । इस उद्देश्य के लिए 2015-16 में ₹100 करोड़ का एक प्रावधान रखा गया है।
- प्रशासनिक एवं समन्वय यूनिटों द्वारा परिणामी बजट से संबंधित अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की एक प्रणाली प्रारंभ की गई है । परिणामी बजट के तहत व्यय की प्रवृत्ति एवं प्रगति की मासिक एवं त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना मदों के संबंध में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मानिटरिंग/कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विशाल कम्प्यूटरीकरण उद्यम हेतु समन्वित प्रयासों तथा तेजी से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

मांग संख्या 44 – प्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । सीबीडीटी की सहायता 17 निदेशालयों द्वारा की जाती है जो इसके संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करते हैं । विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पूरे देश में कर दाता सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन पर रोक लगाने एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से जांच मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं । अपीली मशीनरी भी हैं जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) शामिल होते हैं जो सहायता करने वाले अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निर्धारण करने संबंधी अर्द्ध न्यायिक कार्य करते हैं। मुख्य गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बजट अनुमान-2015-16 में 525.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसे अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं पर खर्च किया जाना है :
  - आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के चरण-III के लिए संदर्शी योजना
    - प्रणाली एकीकरण
    - अखिल भारतीय कर नेटवर्क
    - डाटा केंद्र हायर करना
    - 2003 से 2009 की अवधि के बकाया पैन फार्म का भौतिक भंडारण
    - 2003 से 2009 की अवधि के बकाया पैन फार्म की स्कैनिंग
    - कर सूचना नेटवर्क (टिन)
    - करदाता सेवाएं
    - आयकर संपर्क केन्द्र
    - आईटीआर की ई-फाइलिंग
    - करों का ई-पेमेंट
    - प्रतिदायों की ऑनलाइन ट्रैकिंग
    - प्रतिदाय बैंकर
    - केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस (कागज आधारित एवं ई-फाइल्ड दोनों)
    - केन्द्रीकृत प्रौसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर
    - डाटा वेयरहाउस एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बी) समाधान
    - अनुपालना प्रबंधन (सीपीसी)
    - नया आईटीडी एप्लीकेशन (सीपीसी)

- विभिन्न स्थानों पर कार्यालय आवास की खरीद/निर्माण के लिए बजट अनुमान 2015-16 में पूंजी खंड के अर्न्तगत ₹323.72 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें आय कर भवन, बशीरबाग, हैदराबाद का उन्नयन करना, बंगलौर में कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण और तकशीला होस्टल और एन ए डी टी, नागपुर में नए लॉन टेनिस कोर्ट का नवीकरण शामिल है।

- चंडीगढ़ में 6 टाइप-VI क्वार्टरों के निर्माण, हडपसर पुणे में कम्युनिटी हाल के साथ आवासीय परिसर, अतिथि गृह आदि का निर्माण, कृष्णा नगर, पुणे में स्टाफ क्वार्टर का नवीकरण चेन्नई में आवासीय क्वार्टरों और तेलीबन्दाह में टाइप-V और VI क्वार्टरों के निर्माण के लिए बजट-अनुमान 2015-16 में पूंजी खंड के अर्न्तगत ₹250.48 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया है।

- विभाग द्वारा शुरू की गई पहलें तथा किए गए उपाय कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण, करदाताओं को बेहतर सुविधा तथा करदाताओं एवं अधिकारियों के बीच ह्यूमन इंटरफेस न्यूनतम करने पर केन्द्रित हैं । अन्य बातों के साथ इनमें आयकर विवरणियां ऑनलाइन तैयार करने एवं दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा, विवरणियों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग, प्रतिदाय बैंकर योजना जिसमें ईसीएस के माध्यम से करदाता के खाते में प्रतिदाय का सीधे क्रेडिट शामिल है, करों का ई-भुगतान, प्रतिदाय की ऑनलाइन ट्रैकिंग, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस), एकल खिड़की करदाता सेवा के लिए, 272 आयकर सेवा केन्द्रों की स्थापना, आयकर संपर्क केन्द्र (एक राष्ट्रीय काल सेंटर और चार क्षेत्रीय काल सेंटर) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, हाल ही में नए सिरे से लिखे नागरिक चार्टर के आधार पर सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता के लिए सेवोत्तम योजना भी शुरू की गई है ।

- इस अनुदान के अर्न्तगत 2013-14 में वास्तविक व्यय ₹4179.54 करोड़ के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹4081.28 करोड़ था जोकि 98.99 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2014-15 में 31 दिसम्बर, 2014 (अनन्तिम) तक वास्तविक व्यय ₹4326.97 करोड़ के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹3195.65 करोड़ था जो 73.85 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है।

मांग संख्या 45 – अप्रत्यक्ष कर

यह मांग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सेवा कर के उदग्रहण और संग्रहण, तस्करी तथा कर अपवंचन रोकने से संबंधित है। मुख्य क्रियाकलापों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

- सी.बी.ई.सी. की, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना समेकन परियोजना की ₹598.97 करोड़ की संशोधित लागत को 2007 में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें सात घटक शामिल हैं जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो सभी कार्यालयों, बन्दरगाहों, हवाईअड्डों, कन्टेनर डिपो इत्यादि को जोड़ता है, डेटा वेयर हाऊस का गठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का आटोमेशन, प्रणाली एकीकरण, आयात को सुलभ निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली। परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के ठेके, खुली संविदा के माध्यम से चुनिंदा वेन्डर को दिए गए। आई.टी. समेकन के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा रख-रखाव के चरण में हैं। लगभग ₹170 करोड़ की कुल लागत की संवर्धित आईटी अवसंरचना और तकनीकी सहयोग के साथ परियोजना को 2016 तक बढ़ा दिया गया है।

- सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/हवाई अड्डों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रचालनरत है जो भारत के 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। आर एम एस का नया उन्नत रुपांतरण 89 अवस्थानों पर कार्यरत है। आर.एम.एस. निर्यात माड्यूल 89 स्थानों पर प्रचलन में है।

- कार्गो क्लीयरेंस हेतु 7 और कंटेनर स्कैनर (3 मोबाईल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनर) प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। मोबाईल और फिक्स्ड स्कैनरों को वर्ष 2014-15 में लगा दिए जाने की संभावना है। जल क्षेत्र में तस्करी रोधी संचालनों को सुदृढ़ करने के लिए 109 समुद्री जलयान भी प्राप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 के लिए कुल 263.61 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः ₹27.42 करोड़, ₹99.88 करोड़, 78.64 करोड़, ₹33.20 करोड़, ₹46.52 करोड़, ₹5.45 करोड़ तथा ₹14.80 करोड़ खर्च किए गए हैं। 2014-15 के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक ₹6.04 करोड़ खर्च किए गए हैं।।

- उत्पाद शुल्क, आय कर/कारपोरेट कर और सेवा कर का भुगतान करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए बंगलौर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में सिंगल विंडो सेवा की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी जो पिछले किसी भी वर्ष के दौरान ₹10 करोड़ से अधिक आय कर/ कारपोरेट कर अथवा ₹5 करोड़ उत्पाद शुल्क अथवा ₹5 करोड़ सेवा कर का भुगतान कर चुका है, संबंधित बड़ी करदाता यूनिट को सहमति प्रदान करते हुए बड़े करदाता के रूप में कार्य करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

- राजस्व का संग्रह करने, संगठनात्मक दक्षता, आधारभूत संरचना तथा साधन में वृद्धि करने हेतु बेहतर प्रयासों में प्रोत्साहन के लिए संवृद्धकारी राजस्व का 1% उपयोग करने के लिए योजना बनाने हेतु राजस्व उत्पादन करने वाले विभागों को अनुमति देते हुए व्यय प्रबंधन पर व्यय विभाग के दिशा निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न उद्देश्यों जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क रेजों, में आधारभूत संरचना के क्षमता निर्माण/सुधार, संगठनात्मक क्षमता तथा बाहरी निवारक क्रियाविधियों आदि में वृद्धि के लिए वाहनों को किराए पर देने के लिए ₹191.42 करोड़ की मंजूरी दी /आबंटन किया है।

मांग संख्या 46 – विनिवेश विभाग

अधिदेश

विनिवेश विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के जरिए केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

कार्यपद्धति

विनिवेश संबंधी मौजूदा नीति में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन-स्वामित्व को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है, ताकि जनता उनकी संपत्ति और समृद्धि में भागीदारी कर सके और इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी इक्विटी 51% से कम न होने पाए तथा प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास बना रहे।

विनिवेश नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विनिवेश के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनायी गयी हैः-

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यमों (जो 25% सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते) को सरकार द्वारा 'बिक्री की पेशकश' के जरिए या सीपीएसईस द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जायेगा।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ अर्जित किया है, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

(iii) अपनी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध और लाभ अर्जित करने वाले उद्यम, मामला-दर-मामला आधार पर, अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकते हैं और सरकार भी उसके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से अपनी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है।

(iv) प्रत्येक सीपीएसई की इक्विटी संरचना, वित्तीय शक्ति, निधियों की आवश्यकता, संचालन का क्षेत्र आदि भिन्न होते हैं, जो ऐसे घटक होते हैं, जो विनिवेश के एकसमान प्रतिमान की अनुमति नहीं देते। अतः विनिवेश पर गुणों तथा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(v) सीपीएसईस को अपने स्वयं के शेयरों की वापस खरीद करने के लिए अपनी सरप्लस निधियों का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है और इसके साथ-साथ कोई सीपीएसई सरकार से अन्य सीपीएसईस के शेयर भी खरीद सकता है।

(vi) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार को कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखना होगा।

(vii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले उद्यमों में, जब उनके पुनर्रूद्धार के प्रयास विफल हो जाएं, मामला-दर-मामला आधार पर सामरिक बिक्री पर विचार किया जाता है।

विनिवेश और सूचीकरण के लाभ

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभप्रद उद्यमों के शेयरों के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण में अंतर्निहित लाभ होते हैं क्योंकि इससे बहुस्तरीय निगरानी तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे निगमित नियंत्रण में वृद्धि होने के साथ-साथ सीपीएसईस को पूंजी बाजार के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच बनाने में निजी कंपनियों के समान मंच उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया से सूचीबद्ध सीपीएसईस में शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होती है।

(क) सूचीबद्ध कंपनियां प्रकटीकरण के उच्च स्तर का अनुपालन करने के लिए कंपनी कानून/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अधिदेशित होती हैं। इससे बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी।

(ख) स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने से प्रबंधकीय जिम्मेवारी, सक्षमताओं और कार्यनिष्पादन में वृद्धि होती है।

(ग) निवेशक केन्द्रित अनुसंधान से जोखिमों के नियमित आधार पर तृतीय पक्ष पेशेवर मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन के लिए भावी संभावनाएं उपलब्ध होती हैं जिससे उसे उद्योग के साथ अपना व्यावसायिक मॉडल निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

(घ) दैनिक खरीद-फरोख्त की मात्रा और मूल्य प्रबंधन के लिए एक बैरोमीटर का काम करते हैं और ये प्रबंधकीय निर्णयों के साथ-साथ बिक्री स्थल की घटनाओं के प्रभाव के संबंध में जानकारी के एक समवर्ती स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक संवीक्षा के उच्चतर स्तरों से व्यवसाय के नैतिक आचरण को बढ़ावा मिलता है और निगमित संस्कृति में सुधार होता है।

(ड.) निवेशकों (शेयरधारकों) की प्रत्याशाओं से प्रबंधन पर फलदायी प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रबंधन उद्यम के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करने के लिए और दक्षतापूर्वक कार्य करेगा।

(च) यह पाया गया है कि अनिवार्य न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईस का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण करने से उद्यम और सरकार की अवशिष्ट शेयरधारिता के साथ-साथ सूचीकरण के पश्चात जनता द्वारा धारित शेयरधारिता के मूल्य में सार्थक रूप से वृद्धि होती है।

(छ) सूचीकरण से सीपीएसईस के जन-स्वामित्व को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे सीपीएसईस की समृद्धि में भागीदारी और हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिलता है।

(ज) स्टॉक एक्सचेंजों में सीपीएसईस के सूचीकरण की प्रक्रिया से पूंजी बाजार के विकास और गहनता तथा इक्विटी संस्कृति के विस्तार में सुविधा होती है।

(झ) सरकार के लिए बजटीय संसाधन जुटाना।

विनिवेश से प्राप्त निधियों का उपयोग

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 01 अप्रैल, 2013 से विनिवेश से प्राप्त समस्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ)

का हिस्सा होगी और निम्नलिखित अनुमोदित उद्देश्यों से संबंधित व्यय के लिए उपलब्ध होगीः

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राइट्स बेसिस पर जारी किए जा रहे शेयरों का पूर्वक्रय करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के 51% स्वामित्व में कोई कमी न आए।
- सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसार प्रवर्तकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का अधिमानी आबंटन ताकि उन सभी मामलों में, जहां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नई इक्विटी जुटाने का इच्छुक हो, वहां सरकारी शेयरधारिता 51% से कम न होने पाए।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का पुनः पूंजीकरण।
- सरकार द्वारा आरआरबी/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में निवेश।
- विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी लगाना।
- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि0 और यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 में निवेश।
- भारतीय रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए निवेश।

वित्त वर्ष 2013-14 में विनिवेश से प्राप्त समस्त धनराशि रेल मंत्रालय के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए लगाई गई थी।

बजटीय लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष 2013-14 के लिए विनिवेश के ₹40,000 करोड़ (गैर-सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के माध्यम से ₹14,000 करोड़ को छोड़ कर) के बजटीय लक्ष्य को संशोधित अनुमान चरण पर संशोधित करके ₹16,027 करोड़ कर दिया गया था। सरकार को वर्ष 2013-14 के दौरान विनिवेश प्राप्ति के रूप में 15,819.45 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2014-15 के लिए विनिवेश का लक्ष्य ₹51,925 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के जरिए ₹36,925 करोड़ और गैर-सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के माध्यम से ₹15,000 करोड़ शामिल हैं। यह अब तक का उच्चतम विनिवेश लक्ष्य है और अब तक उच्चतम विनिवेश प्राप्तिओं का 2.4 गुणा है और पिछले 4 वर्षों में औसत विनिवेश प्राप्तिओं का 2.7 गुणा है। वर्ष 2014-15 में सरकार ने सेल की 5% प्रदत्त इक्विटी का विनिवेश किया है और उसे विनिवेश प्राप्ति के रूप में ₹1,719.54 करोड़ प्राप्त हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की यह पेशकश (ओएफएस), उच्च औसत प्राप्त शेयर मूल्य, सब्सक्रिप्शन के उच्च प्रतिशत और बाजार मूल्य पर दी गई कम छूट जैसे विभिन्न पैरामटरों के संदर्भ में अब तक की सर्वोत्तम पेशकश थी।

अनुबंध

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2013-14			बजट अनुमान 2014-15			संशोधित अनुमान 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 34 आर्थिक कार्य विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**5054.90**	**5047.61**	**10102.51**	**9784.00**	**5935.27**	**15719.27**	**9266.76**	**6113.19**	**15379.95**	**9598.20**	**8176.68**	**17774.88**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	5054.90	5047.61	10102.51	9784.00	5935.27	15719.27	9266.76	6113.19	15379.95	9598.20	8176.68	*17774.88*
जोड़ - पूंजी भाग	**1450.00**	**4518.93**	**5968.93**	**1643.00**	**4628.15**	**6271.15**	**573.00**	**10282.47**	**10855.47**	**512.50**	**5089.19**	**5601.69**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	1450.00	4518.93	**5968.93**	1643.00	4628.15	**6271.15**	573.00	10282.47	**10855.47**	512.50	5089.19	*5601.69*
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***6504.90***	***9566.54***	**16071.44**	***11427.00***	***10563.42***	**21990.42**	***9839.76***	***16395.66***	**26235.42**	***10110.70***	***13265.87***	**23376.57**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	6504.90	9566.54	16071.44	11427.00	10563.42	21990.42	9839.76	16395.66	26235.42	10110.70	13265.87	23376.57
मांग संख्या 35 वित्तीय सेवाएं विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**784.18**	**9938.27**	**10722.45**	**650.00**	**7536.09**	**8186.09**	**350.00**	**11395.22**	**11745.22**	**250.00**	**15061.80**	**15311.80**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	784.18	9938.27	10722.45	650.00	7536.09	8186.09	350.00	11395.22	11745.22	250.00	15061.80	15311.80
जोड़ - पूंजी भाग	**16882.78**	**0.22**	**16883.00**	**24650.00**	**0.01**	**24650.01**	**10553.30**	**818.29**	**11371.59**	**10555.00**	**...**	**10555.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	16882.78	0.22	16883.00	24650.00	0.01	24650.01	10553.30	818.29	11371.59	10555.00	...	10555.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***17666.96***	***9938.49***	***27605.45***	***25300.00***	***7536.10***	***32836.10***	***10903.30***	***12213.51***	***23116.81***	***10805.00***	***15061.80***	***25866.80***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	17666.96	9938.49	27605.45	25300.00	7536.10	32836.10	10903.30	12213.51	23116.81	10805.00	15061.80	25866.80
विनियोग संख्या 36 ब्याज संदाय												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**395199.59**	**395199.59**	**...**	**449882.66**	**449882.66**	**...**	**430778.53**	**430778.53**	**...**	**476089.17**	**476089.17**
भारित	...	395199.59	395199.59	...	*449882.66*	449882.66	...	*430778.53*	430778.53	...	*476089.17*	476089.17
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***395199.59***	***395199.59***	**...**	***449882.66***	***449882.66***	**...**	***430778.53***	***430778.53***	**...**	***476089.17***	***476089.17***
भारित	...	*395199.59*	*395199.59*	...	*449882.66*	*449882.66*	...	*430778.53*	*430778.53*	...	*476089.17*	*476089.17*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2013-14			बजट अनुमान 2014-15			संशोधित अनुमान 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 37												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण												
जोड़ - राजस्व भाग	**74558.77**	**63593.10**	**138151.87**	**60332.00**	**75100.00**	**135432.00**	**56121.00**	**75240.00**	**131361.00**	**23500.00**	**100569.52**	**124069.52**
भारित	...	*53904.54*	*53904.54*	...	*64675.00*	*64675.00*	...	*64675.00*	*64675.00*	...	*88864.52*	*88864.52*
स्वीकृत	74558.77	9688.56	84247.33	60332.00	10425.00	70757.00	56121.00	10565.00	66686.00	23500.00	11705.00	35205.00
जोड़ - पूंजी भाग	**10999.75**	**...**	**10999.75**	**12000.00**	**1000.00**	**13000.00**	**11900.00**	**100.00**	**12000.00**	**12500.00**	**100.00**	**12600.00**
भारित	*10999.75*	...	*10999.75*	*12000.00*	*1000.00*	*13000.00*	*11900.00*	*100.00*	*12000.00*	*12500.00*	*100.00*	*12600.00*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***85558.52***	***63593.10***	***149151.62***	***72332.00***	***76100.00***	***148432.00***	***68021.00***	***75340.00***	***143361.00***	***36000.00***	***100669.52***	***136669.52***
भारित	*10999.75*	*53904.54*	*64904.29*	*12000.00*	*65675.00*	*77675.00*	*11900.00*	*64775.00*	*76675.00*	*12500.00*	*88964.52*	*101464.52*
स्वीकृत	74558.77	9688.56	84247.33	60332.00	10425.00	70757.00	56121.00	10565.00	66686.00	23500.00	11705.00	35205.00
मांग संख्या 38												
सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**164.81**	**164.81**	**...**	**200.00**	**200.00**	**...**	**200.00**	**200.00**	**...**	**200.00**	**200.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	164.81	164.81	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***164.81***	**164.81**	**...**	***200.00***	**200.00**	**...**	***200.00***	**200.00**	**...**	***200.00***	**200.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	164.81	164.81	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
विनियोग संख्या 39												
ऋण की वापसी अदायगी												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**3511291.32**	**3511291.32**	**...**	**4064025.03**	**4064025.03**	**...**	**3812084.31**	**3812084.31**	**...**	**4233227.78**	**4233227.78**
भारित	...	*3511291.32*	*3511291.32*	...	*4064025.03*	*4064025.03*	...	*3812084.31*	*3812084.31*	...	*4233227.78*	*4233227.78*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3511291.32***	**3511291.32**	**...**	***4064025.03***	**4064025.03**	**...**	***3812084.31***	**3812084.31**	**...**	***4233227.78***	**4233227.78**
भारित	...	*3511291.32*	*3511291.32*	...	*4064025.03*	*4064025.03*	...	*3812084.31*	*3812084.31*	...	*4233227.78*	*4233227.78*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2013-14			बजट अनुमान 2014-15			संशोधित अनुमान 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 40												
व्यय विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**3.00**	**121.63**	**124.63**	**4.00**	**151.90**	**155.90**	**3.50**	**141.01**	**144.51**	**4.00**	**152.84**	**156.84**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	3.00	121.63	124.63	4.00	151.90	155.90	3.50	141.01	144.51	4.00	152.84	156.84
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***3.00***	***121.63***	**124.63**	***4.00***	***151.90***	**155.90**	***3.50***	***141.01***	**144.51**	***4.00***	***152.84***	**156.84**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	3.00	121.63	124.63	4.00	151.90	155.90	3.50	141.01	144.51	4.00	152.84	156.84
मांग संख्या 41												
पेंशन												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**22790.27**	**22790.27**	**...**	**24778.00**	**24778.00**	**...**	**25500.00**	**25500.00**	**...**	**27285.00**	**27285.00**
भारित	...	*93.94*	*93.94*	...	*95.00*	*95.00*	...	*130.00*	*130.00*	...	*140.00*	*140.00*
स्वीकृत	...	22696.33	22696.33	...	24683.00	24683.00	...	25370.00	25370.00	...	27145.00	27145.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***22790.27***	***22790.27***	***...***	***24778.00***	***24778.00***	***...***	***25500.00***	***25500.00***	***...***	***27285.00***	***27285.00***
भारित	...	*93.94*	*93.94*	...	*95.00*	*95.00*	...	*130.00*	*130.00*	...	*140.00*	*140.00*
स्वीकृत	...	22696.33	22696.33	...	24683.00	24683.00	...	25370.00	25370.00	...	27145.00	27145.00
मांग संख्या 42												
भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2916.43**	**2916.43**	**...**	**3322.08**	**3322.08**	**...**	**3300.48**	**3300.48**	**...**	**3662.39**	**3662.39**
भारित	...	*96.92*	*96.92*	...	*101.03*	*101.03*	...	*106.86*	*106.86*	...	*117.05*	*117.05*
स्वीकृत	...	2819.51	2819.51	...	3221.05	3221.05	...	3193.62	3193.62	...	3545.34	3545.34
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**6.95**	**6.95**	**...**	**15.00**	**15.00**	**...**	**11.00**	**11.00**	**...**	**15.00**	**15.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	6.95	6.95	...	15.00	15.00	...	11.00	11.00	...	15.00	15.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***2923.38***	**2923.38**	***...***	***3337.08***	**3337.08**	***...***	***3311.48***	**3311.48**	***...***	***3677.39***	**3677.39**
भारित	...	*96.92*	*96.92*	...	*101.03*	*101.03*	...	*106.86*	*106.86*	...	*117.05*	*117.05*
स्वीकृत	...	2826.46	2826.46	...	3236.05	3236.05	...	3204.62	3204.62	...	3560.34	3560.34

विवरण	वास्तविक 2013-14			बजट अनुमान 2014-15			संशोधित अनुमान 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 43 राजस्व विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2607.11**	**2607.11**	**...**	**726.90**	**726.90**	**...**	**11759.92**	**11759.92**	**...**	**16081.69**	**16081.69**
भारित	...	*26.45*	*26.45*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*
स्वीकृत	...	2580.66	2580.66	...	726.88	726.88	...	11759.90	11759.90	...	16081.67	16081.67
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**13.01**	**13.01**	**...**	**106.01**	**106.01**	**...**	**50.87**	**50.87**	**...**	**106.00**	**106.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	13.01	13.01	...	106.01	106.01	...	50.87	50.87	...	106.00	106.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***2620.12***	**2620.12**	**...**	***832.91***	**832.91**	**...**	***11810.79***	**11810.79**	**...**	***16187.69***	**16187.69**
भारित	...	*26.45*	*26.45*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*
स्वीकृत	...	2593.67	2593.67	...	832.89	832.89	...	11810.77	11810.77	...	16187.67	16187.67
मांग संख्या 44 प्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**3635.28**	**3635.28**	**...**	**4342.89**	**4342.89**	**...**	**4178.97**	**4178.97**	**...**	**4832.36**	**4832.36**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	3635.28	3635.28	...	4342.89	4342.89	...	4178.97	4178.97	...	4832.36	4832.36
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**446.00**	**446.00**	**...**	**752.00**	**752.00**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**576.20**	**576.20**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	446.00	446.00	...	752.00	752.00	...	150.00	150.00	...	576.20	576.20
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***4081.28***	**4081.28**	**...**	***5094.89***	**5094.89**	**...**	***4328.97***	**4328.97**	**...**	***5408.56***	**5408.56**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...		**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	4081.28	4081.28	...	5094.89	5094.89	...	4328.97	4328.97	...	5408.56	5408.56
मांग संख्या 45 अप्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**3731.57**	**3731.57**	**...**	**4884.52**	**4884.52**	**...**	**4321.00**	**4321.00**	**...**	**5001.49**	**5001.49**
भारित	...	*0.19*	*0.19*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*
स्वीकृत	...	3731.38	3731.38	...	4884.02	4884.02	...	4320.50	4320.50	...	5000.99	5000.99
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**22.30**	**22.30**	**...**	**271.31**	**271.31**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**663.61**	**663.61**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	22.30	22.30	...	271.31	271.31	...	150.00	150.00	...	663.61	663.61
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3753.87***	**3753.87**	**...**	***5155.83***	**5155.83**	**...**	***4471.00***	**4471.00**	**...**	***5665.10***	**5665.10**
भारित	...	*0.19*	*0.19*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*
स्वीकृत	...	3753.68	3753.68	...	5155.33	5155.33	...	4470.50	4470.50	...	5664.60	5664.60

विवरण	वास्तविक 2013-14			बजट अनुमान 2014-15			संशोधित अनुमान 2014-15			बजट अनुमान 2015-16		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
					मांग संख्या 46 विनिवेश विभाग							
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**26.90**	**26.90**	**...**	**50.00**	**50.00**	**...**	**35.00**	**35.00**	**...**	**44.00**	**44.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	26.90	26.90	...	50.00	50.00	...	35.00	35.00	...	44.00	44.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***26.90***	**26.90**	**...**	***50.00***	**50.00**	**...**	***35.00***	**35.00**	**...**	***44.00***	**44.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	26.90	26.90	...	50.00	50.00	...	35.00	35.00	...	44.00	44.00

आर्थिक कार्य विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार और मॉनीटर करता है। इनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- बृहत आर्थिक नीतियों को तैयार और मॉनीटर करना जिनके अंतर्गत शामिल हैं - राजकोषीय नीति और लोक वित्त, मुद्रास्फीति, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से संबंधित विषय; तथा बाजार उधारों और लघु बचतों के जरिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए अर्थोपाय;
- बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता और सार्वभौम विदेशी उधारों, विदेशी निवेशों के जरिए विदेशी संसाधनों की मॉनीटरिंग एवं उन्हें जुटाना तथा भुगतान संतुलन सहित विदेशी मुद्रा संसाधनों की मॉनीटरिंग करना;
- विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों एवं सिक्कों, डाक-लेखन सामग्री, डाक टिकटों आदि का उत्पादन करना; और
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का संवर्ग प्रबन्धन, कैरियर प्लानिंग और प्रशिक्षण।

इस मांग में, बजट का अधिकांश हिस्सा लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अभिदान, भारत सरकार के लिए एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता, अन्य विकासशील देशों को रियायती ऋण श्रृंखलाएं, एनसीईएफ और भारतीय रिजर्व बैंक को की गई सिक्कों की आपूर्ति की लागत देने के लिए है। इसके अलावा, किए जाने वाले व्यय में इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई); प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी); वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान विषयक व्यय सम्मिलित है। अतः बहुत कम ऐसे क्रियाकलाप और परिव्यय हैं, जिन्हें मूर्त, निर्धारित करने योग्य/मापीय शब्दों में वर्णित किया जा सके। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ''परिव्यय'' और ''परिणाम'' के रूप में दर्शित करते हुए आयोजना और आयोजना-भिन्न कार्यकलापों का वर्णन निम्नलिखित विवरणों में दिया गया है:

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2015-16

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियां	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) ब.बाह्य संसा.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्प्रिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान। (आयोजना)**	यातायात के लिए निर्बाध और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि सेतुओं/ अधोसेतुओं के निर्माण के वित्तपोषण हेतु किया जाता है।	...	1645.60	...	- 600 स्थानों पर पहरेदारों की तैनाती। - 175 स्थानों पर अन्तःपाशन। - सभी मानवयुक्त फाटकों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। - 520 सड़क अधोसेतुओं/सबवे का निर्माण। - 130 सड़क उपरिसेतुओं का निर्माण।	मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क यातायात एवं रेल कार्यों के लिए निर्बाध रास्ता प्रदान करना। जहां उपरि सेतु/अधोसेतु बनाए जाते हैं वहां ईंधन में बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।	- मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मानव युक्त बनाने के लिए, फाटकों/उत्थापक अवरोधों का निर्माण किया जाता है और चौकीदारों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों और लॉजों का निर्माण किया जाना है। - स्टेशन से लेवल क्रॉसिंग स्थान तक केबल बिछाना, सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ना। - लागत विभाजन आधार पर व्यस्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिसेतुओं/सड़क अधोसेतुओं की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख से अधिक की क्षमता की ट्रेन व्हीकल यूनिटों वाले आरओबी/आरयूबी का प्रस्ताव उपक्रमों अर्थात आरओबी पूर्ण करने, समान लागत विभाजन करने विलंगम मुक्त भूमि की व्यवस्था आदि के पश्चात लेबल क्रॉसिंग के समापन जैसी सहमति के साथ राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा 50:50 के लागत विभाजन आधार पर प्रायोजित किया जाता है।	- उपरिसेतुओं/अधो सेतुओं का निर्माण करना रेलवे और राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। - संविदा संबंधी समस्या/भूमि की अनुपलब्धता, सड़क यातायात को मोड़ने, लेवल क्रॉसिंग गेटों के स्थानांतरण में विलंब, राज्य सरकार के पास निधि के संकट, दो एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे रोड ओवर ब्रिज के ब्रिज भाग और अप्रोच भाग के कारण, रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हो जाता है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) ब.बाह्य संसा.				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना स्कीम)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	...	412.50	...	कुल ₹88696.67 करोड़ की परियोजना लागत से और ₹16893.67 करोड़ के व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान से 178 प्रस्तावों को सिद्धांततया/अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है। एक बार बोली प्रक्रिया पूरी होने पर, इन प्रस्तावों की वीजीएफ की वास्तविक राशि का पता चलेगा।	सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना का विकास।	सिद्धान्ततः अनुमोदन और अंतिम संवितरण के अनुमोदन के बीच समयान्तर होता है। यह किसी प्रस्ताव को सिंद्धांतया अनुमोदन दिए जाने के बाद वित्तीय समापन की प्रक्रिया से सामान्यतया 12 से 18 माह का समय लगता है।	संवितरण तभी हो सकता है जब परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो तथा निजी पक्षकार का चयन प्रति-स्पर्धात्मक बोली लगाने के जरिए हो गया हो और उसने अपना इक्विटी शेयर निवेश कर दिया हो।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीएएस)। इसका उद्देश्य भारत के नीतिगत आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावधि आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करना है।	582.00	...	...	भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से अन्य विकासशील देशों को क्रेडिट श्रृंखलाएं प्रदान करना।	भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात निर्यात बैंक ऋण सहायता के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर जिबूती, गिनी बिसाऊ, गुयाना, आदि जैसे विकासशील देशों के साथ भारतीय निर्यात को बढ़ाने, नीतिगत तथा आर्थिक संबंधों के विकास हेतु ऋण श्रृंखला प्रदान की जाती है।	इस प्रावधान का उपयोग 31 मार्च, 2016 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश अदायगी नहीं करता है, भारत सरकार एग्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की प्रति-गारंटी एग्जिम बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में दी गई है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

आधारभूत ढांचा विकास हेतु सहायता (आयोजना)

यह योजना व्यवहार्यता अंतर के वित्तपोषण के माध्यम से आधारभूत-ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी के एक नवीन वित्तपोषण तंत्र को लागू करने के लिए है। सरकार देश में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और स्तर में काफी अधिक सुधार करने की जरूरत को स्वीकारती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और इसे उच्च वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अधिक निवेश करके भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढावा देने का निर्णय लिया गया है। आधारभूत ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़कों, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों, रेलवे, सम्मेलन केन्द्रों, विद्युत, जल पूर्ति, शहरी क्षेत्रों में मल-जल निपटान और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान इत्यादि में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए एक आनलाइन टूलकिट्स, जोखिम एवं आकस्मिक देयता ढांचा तथा सरकारी निजी भागीदारी के लिए सम्प्रेषण कार्यनीति बनायी गयी है। ये पीपीपीज पर आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट www.pppinindia.com. पर उपलब्ध हैं। सरकारी निजी भागीदारी टूलकिट एक वेब आधारित साधन है जिसे भारत में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे के लिए निर्णय लेने तथा भारत में क्रियान्वित की जा रही सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता के लिए बनाया गया है।

अवसंरचना सेक्टर में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना (आयोजना)

अवसंरचना परियोजनाओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि परियोजनाओं से उत्पन्न सकारात्मक बाहरी सुविधाओं से केवल राजस्व प्राप्त करना नहीं हो सकता है। इस प्रकार कोई परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से क्षम न होकर आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो सकती है। जो परियोजनाएं मामूली रूप से क्षम अथवा अक्षम होती हैं, उन्हें अनुदान के माध्यम से वित्तीय दृष्टि से आकर्षक बनाया जा सकता है। सरकार ने अवसंरचना सेक्टर में ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (निधियन) की व्यवस्था की है। अब तक, 94,888.57 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत तथा 16731.55 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधियन सहायता से 182 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत 2014-15 में दिसंबर, 2014 तक, 274.33 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर, बजट अनु. 2015-16 में 412.50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (आयोजना-भिन्न)

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में, परियोजना तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 100 करोड़ रुपए की समग्र राशि से आवर्ती निधि की स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को स्तरीय परियोजना विकास क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रारंभ करने हेतु भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि हेतु योजना एवं दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इसका उद्देश्य परामर्शदाता तथा लेनदेन सलाहकार को नियोजित करने की लागत सहित संभावित सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्ययों का वित्तपोषण करना है ताकि सफल सरकारी निजी भागीदारी की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि हो सके तथा अच्छी व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सरकार विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि उन परियोजनाओं में सहायता करेगी जो सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का चयन करने तथा उसे तैयार करने में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को आधार बनाए। वित्त वर्ष 2014-15 में अब तक, आईआईपीडीएफ सहायता से 03 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। वर्ष 2014-15 में किए गए 4.00 करोड़ के रुपए प्रावधान में से दिसंबर, 2014 तक 4.28 लाख रुपए की राशि संवितरित की गयी है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 2.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2014-15 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 500.00 करोड़ रुपए की कारपस से ''3पी इंडिया'' संस्था की स्थापना की जाएगी। वित्त वर्ष 2015-16 में इसके लिए 80.00 करोड़ की राशि रखी गयी है।

अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग - भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता

''भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीएएस) के अंतर्गत, भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से विदेशी देशों को किफायती ऋण श्रृंखला प्रदान करने संबंधी भाग का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (अर्थात भारत के निर्यात-आयात बैंक की ब्याज-दर और उस रियायती ब्याज दर जिस पर ऋण-श्रृंखला दी जाती है, के बीच अंतर की राशि), प्रदान करती है। अधिकांश मामलों में, मूल राशि की अदायगी और ब्याज-अदायगी की भारत सरकार की प्रतिगारंटी भी एक्जिम बैंक को दी जाती है। चालू वित्त वर्ष 2014-15 में 1 अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 तक एक्जिम बैंक को 199,99,55,392 रुपए की ब्याज समकरण सहायता प्रदान की गयी है। वित्त वर्ष 2013-14 की 01.4.2013 से 02.02.2014 की अवधि के दौरान, भारत सरकार की सहायता से भारत के एक्जिम बैंक को निम्नलिखित ऋण श्रृंखलाएं इस विभाग द्वारा अनुमोदित की गईः

क्र. सं.	उधार लेने वाला	ऋण श्रृंखला की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	ऋण का उद्देश्य
1	गांबिया सरकार	22.50	ग्रेटर बांजुल एरिया के लिए विद्युतीकरण विस्तार परियोजना
2	गांबिया सरकार	22.50	ग्रेटर बांजुल एरिया में एस्बेस्टॉज वाटर पाइपों के स्थान पर यूपीवीसी पाइप लगाना।
3	घाना सरकार	24.54	गन्ना विकास और सिंचाई परियोजना के लिए।
4	निकारागुआ सरकार	26.24	कारलोस फोन्सेका सब-सेटेशन के निर्माण के लिए; 95 किमी. ट्रांसमिशन लाइन और तीन सब-स्टेशनों का विस्तार।
5	सेनेगल सरकार	62.95	चावल आत्म-निर्भरता कार्यक्रम के लिए।

6	फिजी सरकार	70.00	रारावई चीनी मिल में को-जनरेशन प्लांट के लिए।
7	मॉरिटानिया सरकार	65.68	एक सोलर-डीजल हाइब्रिड इनर्जी प्रोडक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करके ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए।
8	म्यांमार सरकार	6.20	म्यांमार पोस्ट एंड टेलीकम्यूनिकेशन के रही-मिंडेट रूट पर एक माइक्रोवेव रेडियो लिंक के वित्तपोषण के लिए।
9	कोट डि'आइवर सरकार	24.00	कोट डि'आइवर और माली के बीच विद्युत इंटरकनेक्शन परियोजना के लिए।
10	वियतनाम सरकार	100.00	रक्षा उपस्कर की खरीद/आपूर्ति के लिए (सिद्धांततया अनुमोदन)।
11	म्यांमार सरकार	140.00	म्यांमार में सड़क परियोजनाओं के लिए (सिद्धांततया अनुमोदन)।
12	मारीशस सरकार	200.00	लाइट रैपिड ट्रांजिट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सृजित की जा रही एसपीवी में इक्विटी भागीदारी के लिए (सिद्धांततया अनुमोदन)।

भारत का निर्यात-आयात बैंक उक्त सभी ऋण श्रृंखलाओं के कार्यान्वयन के लिए और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और अभिनव परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि सृजित की गयी है। भारत में उत्पादित कोयले पर, और आयातित कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जा रहा है। शर्त के अनुसार, इस प्रकार संग्रहित किए गए उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरित कर दिया जाता है। अभिज्ञात योजनाओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान अनेक मंत्रालयों/विभागों की अनुदान-मांगों में किया जा रहा है। तथापि, मांग संख्या 34 - आ.का.वि. के अंतर्गत, इस योजना के लिए 4700.00 करोड़ रुपए का आयोजनागत प्रावधान रखा गया है।

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी)

- आयोग ने कम लाभ (मार्जिन)/लाभ की सूचना न देने के बारे में परिपत्र जारी किया है जहां कम लाभ/लाभ का संग्रहण न करने के बारे में जुर्माने की व्यवस्था सहित लाभ संग्रहण के लिए टाइम विंडो निर्दिष्ट की गयी है। इससे आयोग को सदस्यों द्वारा लाभ के संग्रहण की नियमित मानीटरी करने में मदद मिली है तथा सदस्यों को अपने ग्राहकों से लाभ के संग्रहण के लिए पर्याप्त समय भी मिला है।
- आयोग ने बाजरा जैसी नई जिंसों में व्यापार करने की अनुमति दी है तथा एक्स्चेंजों को भी चावल, तूर और उड़द तीन जिंसों में संविदा शुरू करने की अनुमति दी है। इन तीन जिंसों को वर्ष 2007 में सूची से निकाल दिया गया था। इससे बाजार विकास के लिए और जिंस उपलब्ध होंगी तथा संबंधित वेल्यू चेन भागीदारों के पास कीमत का पता लगाने एवं कीमत जोखिम प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्लेटफार्म होगा।
- आयोग ने 10 कृषि जिंस संविदाओं में, जिनके अंतरराष्ट्रीय आयाम हैं, इवनिंग ट्रेड की अनुमति दी। इससे वास्तविक बाजार व्यापारियों को शाम के वक्त अपनी जिंसों के वायदा खरीद/बिक्री के कीमत जोखिम को बेहतर रूप से समझने में मदद मिली है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमत घट-बढ़ का घरेलू बाजार कीमतों के साथ मजबूत आपसी संबंध होता है।
- आयोग ने शनिवार को व्यापार बंद रखने का भी निर्णय लिया है ताकि बाजार भागीदारों को अपना वापस आफिस काम करने में पर्याप्त समय मिले।
- आयोग ने एक्स्चेंजों के लिए सतत आधार पर 82 संविदाएं भी अनुमोदित की जबकि पहले हर साल अनुमोदन देने की प्रथा थी। इससे बाजार भागीदरों में अधिक स्थायित्व, विश्वास और पुनर्भरोसा आएगा।
- आयोग ने एक्स्चेंज प्लेटफार्म पर सुपुर्दगी आधारित वायदा खरीद-फरोख्त संविदाओं में व्यापार करने की अनुमति दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ऐसे व्यापारों को राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंजों में अनुमति दी जा रही है। इससे वास्तविक बाजार व्यापारियों की भागीदारी में सहूलियत होगी तथा मध्यवर्ती लागत घटाकर और सप्लाई चेन की क्षमता सुधारकर वायदा बाजार में जिंसों के उचित दाम का पता लगाया जा सकेगा।
- आयोग ने सभी राष्ट्रीय एक्स्चेंजों को यह अनुमति देने का निर्णय किया है कि वे टिकट सिंबल, बेसिस, अधिकतम आर्डर साइज, व्यापार यूनिट, सुपुर्दगी यूनिट, कोटेशन बेस वेल्यू, टिक साइज, सुपुर्दगी केंद्र, अतिरिक्त सुपुर्दगी केंद्र, प्रीमियम/डिस्काउंट संबंधी मुद्दा, क्वालिटी पैरामीटर और इससे संबंधित पहलू जैसे मात्रा अंतर और वायदा संविदा विनिर्देशनों में टोलरेंस सीमा संबंधी वायदा संविदा विनिर्देशन संशोधित करें। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि एक्स्चेंज बाजार अपेक्षाओं के प्रति शीघ्र ध्यान दे सके तथा ऐसे निर्णय स्वयं ले सके।
- आयोग ने राष्ट्रीय जिंस एक्स्चेंजों के लिए 6 मई, 2014 को संशोधित शेयरहोल्डिंग मानक जारी किए हैं। इन मानकों की मुख्य विशेषता यह है कि एक्स्चेंज के कार्यों में एक शेयरहोल्डर की असमानुपाती भूमिका के पूर्वक्रय अधिकार के लिए, एंकर निवेशक की धारणा समाप्त कर दी गयी है। ये, स्टॉक एक्स्चेंजों के बारे में सेबी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप हैं। यह एक्स्चेंज की वित्तीय बाजार अवसंरचना की सुव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
- आयोग ने इस संबंध में 11 जून, 2014 को संशोधित मानक जारी करके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को मजबूत करके निदेशक मंडल के कारपोरेट गवर्नेंस मार्गनिर्देशों को भी सुदृढ़ किया है। ये, प्रतिभूति बाजारों के लिए बनाए गए उपबंधों के अनुरूप भी हैं।
- अधिक क्रय-विक्रय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा है जिसमें उनसे बैंकों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है कि उनके उधारकर्ता जिंस खरीद-फरोख्त वायदा बाजार प्लेटफार्म का प्रयोग करके अपनी जिंस के क्रय-विक्रय कीमत जोखिम का बचाव करे। आयोग ने अपनी पण्य जोखिम प्रकटन की सभी सचीबद्ध

कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण और उनकी जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों के संबंध में यह मामला सेबी के साथ लिया है। आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी लिखा है कि विदेशी संस्थानों को जिंस खरीद-फरोख्त बाजारों में हेजर्स के रूप में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाए। इन विषयों पर एफएसडीसी उप-समिति के बैठक में भी चर्चा की गयी थी।

- आयोग ने राष्ट्रीय बहु जिंस खरीद-फरोख्त एक्स्चेंजों के साथ मान्यता के लिए वेयरहाउस सेवा प्रदाताओं के लिए निवल मूल्य, कारपोरेट अभिशासन, आदि के विषय में मानक नियत किए हैं। इस उपाय से यह सुनिश्चित होगा कि केवल सुपूंजीकृत वेयरहाउस सेवा प्रदाता एक्स्चेंजों को सेवा प्रदान करेंगे।
- आयोग ने क्रय-विक्रय सीमाओं के संबंध में नीति संशोधित की है। क्रय-विक्रय सीमाएं अनुमानित उत्पादन और आयातों से संबद्ध की जाएगी। सदस्य स्तरीय क्रय-विक्रय सीमा, क्लाइंट लेवल क्रय-विक्रय सीमा की 10 गुना होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एक्स्चेंजों को निदेश दिया गया है कि वे अपने खुले बाजार हित में सबसे बड़े दस क्लाइटों के नाम बताएं। इस उपाय से भागीदारी बढ़ेगी और परिणामस्वरूप बाजार में जिंस के खरीद-फरोख्त के दाम का पता लगाने का स्तर सुधरेगा। क्लाइंट स्तर पर, अंकीय क्रय-विक्रय सीमाएं 18 जिसों के लिए संशोधित की गई हैं। ये अंकीय क्रय-विक्रय सीमाएं छः महीने के पश्चात उत्पादन के अग्रिम अनुमानों के आधार पर संशोधित की जाएंगी।

परिव्यय 2013-14 के अनुसार परिणाम की प्राप्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 (₹ करोड़)		प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2014 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण के लिए अंशदान। (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव-तैनात व्यस्त रेलवे क्रासिंग्स पर ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण तथा मानव-रहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेल सुरक्षा कार्यों में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा ताकि सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित किया जा सके।	1102.45	1102.45	- 1102 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1352) पर व्यक्तियों की तैनाती। - 232 स्थानों पर आधारभूत अव-संरचना। - 360 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊंचाई वाले 905 सबवे का निर्माण। (संशोधित लक्ष्य 976) - सड़क के उपर के/नीचे के 210 पुलों का निर्माण। (संशोधित लक्ष्य 282)	- मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मानव युक्त बनाने के लिए, फाटकों/ उत्थापक अवरोधों का निर्माण किया जाता है और चौकीदारों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों और लॉजों का निर्माण किया जाना है। - स्टेशन से लेवल क्रॉसिंग स्थान तक केबल बिछाना, सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ना। - लागत विभाजन आधार पर व्यस्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिसेतुओं/सड़क अधोसेतुओं की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख से अधिक की क्षमता की ट्रेन व्हीकल यूनिटों वाले आरओबी/ आरयूबी का प्रस्ताव उपक्रमों अर्थात आरओबी पूर्ण करने, समान लागत विभाजन करने विलंगम मुक्त भूमि की व्यवस्था आदि के पश्चात लेबल क्रॉसिंग के समापन जैसी सहमति के साथ राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा 50:50 के लागत विभाजन आधार पर प्रायोजित किया जाता है।	सड़क के ऊपर/नीचे पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा, संविदात्मक समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है। सड़क यातायात को जोड़ने में, लेबल क्रासिंग गेट की शिफ्टिंग, राज्य सरकार के पास निधियों की कमी, दो एजेंसियों द्वारा किए जा रहे आरओवी निर्माण कार्य एवं पुल हिस्से के निर्माण कार्य में विलम्ब।	₹1102.45 करोड़ के संपूर्ण परिव्यय की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उप-लब्धियां हासिल हुई हैं: - 1102 स्थानों पर व्यक्तियों की तैनाती। - 360 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 232 स्थानों पर टेलीफोन। - 905 सबवेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे 210 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण का प्रावधान करके अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	678.00 (आयोजना)	678.00 (आयोजना)	इस स्कीम के अंतर्गत ₹80,894.57 करोड़ की परियोजना लागत और ₹16,005.37 करोड़ की वीजीएफ सहायता से आज की तारीख तक 159 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। तथापि, इन प्रस्तावों की वीजीएफ की वास्तविक राशि नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी।	'सिद्धांततः' अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है। सामान्यतः किसी प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया और वित्तीय समापन में 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, निधि का संवितरण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी पक्षकार अपने इक्विटी शेयर का निवेश करता है।	प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा मांगी गयी आवश्यकता तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संवितरित की जाने वाली वीजीएफ की शेष राशि के आधार पर, ब.अनु. 2013-14 में ₹678.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसे संशो. अनु. 2013-14 में इतना ही बनाए रखा गया। मार्च, 2014 तक 21 सड़क परियोजनाओं के लिए ₹450.00 करोड़ की राशि संवितरित की गयी।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावाधिक स्थायी आर्थिक संबंध विकसित करना है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था है।	416.50	416.50	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जीबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत एवं आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्जिम बैंक क्रेडिट श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2014 तक किया जाना था।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को इस राशि की वापसी करेगी क्योंकि ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रतिगारंटी दी हुई है।	वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज समकरण सहायता के तौर पर ₹ 407.66 करोड़ की राशि भारतीय निर्यात आयात बैंक को दे दी गई है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान**	कोलंबो प्लान के अंतर्गत, भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	0.50	0.50	कोलंबो प्लान देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास।	कोलम्बो प्लान देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय में अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से प्रशिक्षण के संबंध में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए, वर्ष 2013-14 के दौरान मार्च, 2014 तक ₹0.77 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा
परिव्यय 2014-15 के अनुसार परिणाम की प्राप्तिथिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	जोखिम कारक	31 दिसंबर, 2014 तक की स्थिति
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानवरहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि-सेतुओं/अधोसेतुओं के निर्माण के वित्त पोषण हेतु किया जाता है ताकि यातायात के लिए सहज और सुरक्षित मार्ग मुहैया कराया जा सके।	1496.00	1496.00	...	- 931 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 730) पर व्यक्तियों की तैनाती। - तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके मुकाबले प्रगति 198 - 225 स्थानों के इंटरलॉकिंग लक्ष्य के मुकाबले 213 स्थानों पर इंटरलाकिंग। - 650 सबवे के निर्माण कार्य के लक्ष्य के मुकाबले 650 सबवे का निर्माण। - सड़क के ऊपर/नीचे के 177 पुलों के निर्माण कार्य के लक्ष्य के मुकाबले 128 का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए फाटकों/उठाए जाने वाले अवरोधों का, और गेटकीपरों के लिए ड्यूटी कुटीरों/फाटकों लॉजों का निर्माण किया जाना है। योग्य/उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन करके उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोन को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन/ लेवल क्रॉसिंग स्थल के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी संविदागत समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, तथा वित्तीय तंगी/अनधिकृत कब्जों इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के समय पर कार्य न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	दिसंबर, 2014 तक ₹1122.00 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। जनवरी, 2015 तक निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं: - 931 स्थानों पर तैनाती की गई। - 213 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 198 स्थानों पर टेलीफोन लगाए गए। - जनवरी, 2015 तक 650 सबवे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे के 128 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण का प्रावधान (वीजीएफ) का प्रावधान करके, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	670.00 (आयोजना)	520.00 (आयोजना)	...	₹94,888.57 करोड़ की परियोजना लागत और ₹16731.55 करोड़ की वीजीएफ सहायता से आज की तारीख तक, 182 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। तथापि, इन प्रस्तावों की वीजीएफ की वास्तविक राशि, नीलाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, ज्ञात हो पाएगी।	सिद्धांततः अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है और सामान्यतः किसी प्रस्ताव में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया से/वित्तीय समापन तक 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाने, तथा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित निजी पक्षकार के अपने इक्विटी शेयर का निवेश कर दिए जाने के बाद, संवितरण होता है।	ब.अनु. 2014-15 में ₹670.00 करोड़ का प्रावधान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग के आधार पर, किया गया था और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए शेष वीजीएफ अभी संवितरित किया जाना है। इस प्रावधान को संशो. अनु. 2014-15 स्तर पर घटाकर ₹520.00 करोड़ कर दिया गया है। दिसंबर, 2014 तक, 08 सड़क परियोजनाओं और 01 विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लिए ₹274.33 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक सम्बन्ध विकसित करना है। यह स्कीम, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	450.00	450.00	...	परियोजनाएं बाहरी देशों को भारतीय सामान का निर्यात एवं सेवाएं	अंगोला, बुर्किना फासो, फिजी, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट-डी-आइवर, जिबूती, इथोपिया, इक्वेटोरियल गिनी, गांबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, गुयाना, होंडुरास, जमाइका, लाओ पीडीआर, लेसोथो, मालदीव, माली, मलावी, मोजांबिक, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम, तंजानिया, वियतनाम और जांबिया, आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत और आर्थिक संबंध विकसित करने आदि के लिए दी गई भारत सरकार समर्थित भारतीय निर्यात-आयात बैंक ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जानी है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2015 तक किया जाना है।	वर्ष 2014-15 के दौरान 31 दिसंबर, 2014 तक, ब्याज समकरण सहायता के तौर पर ₹ 221.19 करोड़ की राशि का भुगतान भारत के एक्जिम बैंक को किया गया है।
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता, अंशदान**	भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास को सहायता प्रदान करके, कोलंबो योजना के अंतर्गत देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।	0.50	0.50	...	कोलंबो योजना देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देकर मानव संसाधन विकास।	अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, मलेशिया, लाओस, नेपाल, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्विष्ट नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में उल्लिखित उद्देश्य हेतु किया जा रहा है ।	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों से आए विद्यार्थियों के संबंध में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान दिसम्बर 2014 तक कोई व्यय नहीं किया गया।

अनुदान सं.34 - आर्थिक कार्य विभाग के तहत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना	2013-14			2014-2015			2015-16
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (अनंतिम)	ब.अनु.
1.	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) (मु.शीर्ष 5475) - आयोजना	678.00	678.00	450.00	670.00	520.00	274.33	412.50
2.	मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (मु.शीर्ष 3054) - आयोजना	1102.45	1102.45	1102.45	1496.00	1496.00	1122.00	1645.60
3.	भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (मु.शीर्ष 3475) - आयोजना-भिन्न	416.50	416.50	407.66	450.00	450.00	221.19	582.00
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग - कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता (मु.शीर्ष 3605) - आयोजना-भिन्न	0.50	0.50	0.77	0.50	0.01	0.00	0.01
	जोड़	**2197.45**	**2197.45**	**1960.88**	**2616.50**	**2466.01**	**1617.52**	**2640.11**

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की स्थिति की तुलना में हुआ वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

मांग सं. 34 - आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसंबर, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भाग-क आयोजना-भिन्न मद										
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	**2052**	**81.03**	**88.23**	**80.14**	**98.26**	**120.65**	**105.24**	**140.22**	**126.74**	**79.59**
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**2046**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	12.94	12.41	11.90	13.40	12.12	10.76	14.55	18.73	6.92
अनिवार्य जमा (आयकर दाता योजना, 1974) के अन्तर्गत जमाराशियों पर ब्याज	2047	0.05	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.05	0.05	0.01
अन्य व्यय	2047	0.21	0.20	0.20	0.23	0.25	0.24	0.35	0.34	0.08
जोड़	**2047**	**13.20**	**12.64**	**12.12**	**13.68**	**12.40**	**11.02**	**14.95**	**19.12**	**7.01**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
14वां वित्त आयोग	2070	3.00	6.34	4.41	15.24	13.61	13.30	15.55	13.38	10.49
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)	2070	5.10	4.86	4.65	0.12	0.10	0.19	0.00	0.00	0.00
अन्य व्यय (प्रति.अपील अधि.और एनएसडीए)	2070	4.05	5.57	4.76	4.78	4.26	4.50	24.12	23.61	7.98
जोड़	**2070**	**12.15**	**16.77**	**13.82**	**20.14**	**17.97**	**17.99**	**39.67**	**36.99**	**18.47**
विविध सामान्य सेवाएं										
गारंटी मोचन निधि	2075	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00
अन्य कार्यक्रम	2075	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
जोड़	**2075**	**300.01**	**300.01**	**300.00**	**300.01**	**300.00**	**300.00**	**300.01**	**100.01**	**100.00**
सामान्य शिक्षा										
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
संरक्षित बचत स्कीम (अन्य प्रभार)	2235	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
जोड़	**2235**	**0.10**	**0.05**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.02**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफडी)	**2416**	**50.00**	**54.00**	**54.66**	**55.00**	**62.00**	**61.90**	**62.00**	**62.00**	**63.35**
जोड़	**2416**	**50.00**	**54.00**	**54.66**	**55.00**	**62.00**	**61.90**	**62.00**	**62.00**	**63.35**
अन्य परिवहन सेवाएं										
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को सब्सिडी	3075	3003.89	2384.23	2286.14	2746.00	3530.00	3370.56	4059.30	4002.13	2706.20
स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियां	3075	600.00	637.00	637.00	660.00	640.00	640.00	640.00	656.90	420.00
जोड़	**3075**	**3603.89**	**3021.23**	**2923.14**	**3406.00**	**4170.00**	**4010.56**	**4699.30**	**4659.03**	**3126.20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत कार्यक्रम के संबंध में अंशदान की अदायगी	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	2.43	2.43	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय निर्धारण प्रभार	3466	0.42	0.38	0.38	0.39	0.18	0.18	0.39	0.25	0.25
विश्व बैंक पीपीए	3466	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
साउथ एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि(एसईईटीफ)	3466	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00
एशियाई विकास निधि में अंशदान	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	91.42	91.42
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में अंशदान	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.29	0.00
जोड़	**3466**	**0.43**	**0.38**	**0.38**	**3.12**	**4.19**	**4.19**	**97.32**	**527.39**	**91.67**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
वायदा बाजार आयोग	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	7.96	5.75
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3475	20.55	21.23	20.63	11.23	37.23	36.73	45.18	45.03	33.48
अन्य प्रभार/आई ई एस/टोक्यो, बीजिंग और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	3475	19.80	18.69	18.26	20.99	19.09	18.13	26.40	25.55	15.39
अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	3475	3.23	28.22	27.89	2.35	16.78	14.84	6.42	6.53	4.46
यूएन एजेंसियों में गैर भारतीय कार्मिकों पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क	3475	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00
अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	3475	225.00	290.00	290.00	416.50	416.50	407.66	450.00	0.00	221.19
यमन सरकार को दी गयी ऋण श्रृंखला के तहत बकाया ऋण और उन पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज की माफी	3475	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुर्कमेनिस्तान सरकार को 1995 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के तहत बकाया ऋणों और उन पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेशेल्स गणराज्य को दिए गए बकाया ऋणों और उन पर ब्याज को माफ करना	3475	3.53	3.56	1.79	1.52	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
कज़ाकस्तान सरकार को 1993 में वितरित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत बकाया ऋणों और उन पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उजबेकिस्तान सरकार को 1994 में वितरित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत दिए गए बकाया ऋणों और उन पर ब्याज/ दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**3475**	**272.64**	**363.79**	**360.66**	**452.62**	**490.80**	**478.54**	**538.26**	**85.09**	**280.27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग										
यूएनडीपी को अंशदान	3605	22.55	24.72	24.71	23.73	28.67	28.72	28.68	28.38	0.00
अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	1.07	1.68	1.67	0.56	0.58	0.83	0.60	450.10	0.09
वैश्विक पर्यारण सुविधा(जीईएफ)	3605	11.00	12.54	12.54	12.50	14.18	14.09	14.20	18.28	0.00
एशियाई विकास बैंक की 46वीं वार्षिक आम बैठक	3605	8.38	16.00	3.95	15.00	14.17	14.04	0.04	0.04	0.00
जोड़	**3605**	**43.00**	**54.94**	**42.87**	**51.79**	**57.60**	**57.68**	**43.52**	**496.80**	**0.09**
मुद्रा, सिक्का एवं टकसालों का पूंजी परिव्यय										
एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	1645.35	1000.00	1000.00	1645.00	2000.00	1934.17	2000.00	2000.00	638.96
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद	4058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.90	5.51
बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद	4075	3.00	3.91	0.00	6.00	6.00	4.63	0.00	0.00	0.00
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश										
नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	5465	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निमार्ण निगम लिमिटेड(एसपीएमसीआईएल)	5465	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी)	5465	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.05	0.05	0.00
राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (एनआईईपी)	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जोड़	**5465**	**400.00**	**1.00**	**1.00**	**500.00**	**250.00**	**250.00**	**0.06**	**0.05**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466									
आईबीआरडी को अभिदान	5466	183.65	205.04	205.04	203.20	231.15	231.23	231.10	231.10	0.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	205.53	234.95	234.95	245.00	350.00	279.23	283.96	262.70	262.69
अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान	5466	22.21	22.11	22.11	0.01	1.32	1.34	1.32	69.56	2.62
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	2.13	2.11	2.11	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	5.35	5.85	5.88	6.20	7.12	6.82	7.12	6.89	6.71
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)	5466	42000.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान(नकद)	5466	14000.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व(एमओवी)	5466	0.01	4005.44	4005.44	0.01	192.79	192.79	500.00	4618.79	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	50.00	2.16	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
चुनिंदा पूंजी वृद्धि(एससीआई) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के लिए अदायगी	5466	0.00	0.00	0.00	118.00	139.83	132.65	0.01	0.59	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) में नए विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
जोड़	**5466**	**56468.88**	**4477.66**	**4475.53**	**56574.58**	**922.21**	**844.06**	**1123.53**	**5289.64**	**272.02**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि में अंतरण	5475	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	577.91	8.80	0.00
पीपीपी के मुख्य क्रियाकलाप	5475	1.30	1.17	0.33	1.30	0.32	0.02	1.65	0.00	0.00
भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि(आईआईपीडीएफ)	5475	5.00	4.50	1.76	4.00	0.50	0.00	4.00	2.00	0.04
जोड़	**5475**	**6.30**	**5.67**	**2.09**	**7005.30**	**0.82**	**0.02**	**583.56**	**10.80**	**0.04**
नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अन्य आर्थिक सेवा ऋणों के लिए ऋण	**7475**	**0.00**	**11294.60**	**914.63**	**0.01**	**1830.00**	**1486.05**	**915.00**	**2972.08**	**1383.53**
जोड़	**7475**	**0.00**	**11294.60**	**914.63**	**0.01**	**1830.00**	**1486.05**	**915.00**	**2972.08**	**1383.53**
जोड़ आयोजना-भिन्न		**62899.98**	**20694.88**	**10181.03**	**70131.56**	**10244.64**	**9566.54**	**10563.42**	**16395.66**	**6066.71**
				भाग ख - योजना मद						
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा निधि	2235	1000.00	120.00	120.00	609.55	200.00	200.00	607.00	107.00	0.00
महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निधि	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2810	1500.00	1500.00	1500.00	1650.00	1650.00	1650.00	4700.00	4700.00	3150.00
सड़क एवं पुल	3054	2204.90	2204.90	2204.90	2204.90	2204.90	2204.90	2992.00	2992.00	2244.00
राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना	3465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
वायदा बाजार आयोग	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	32.76	6.16
राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
एसआईडीएफ के लिए पहल	5475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	3.00	0.00
3पी इंडिया (पीपीपीपी क्रियान्वयन)	5475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00
अवसंरचना विकास के लिए सहायता-वीजीएफ	5475	437.55	437.55	457.55	678.00	678.00	450.00	670.00	520.00	274.33
कुल आयोजना		**5142.45**	**4262.45**	**4282.45**	**5142.45**	**6732.90**	**6504.90**	**11427.00**	**9839.76**	**6674.49**
कुल जोड़		***68042.43***	***24957.33***	***14463.48***	***75274.01***	***16977.54***	***16071.44***	***21990.42***	***26235.42***	***12741.20***

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में हुआ मद शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(सकल) (करोड़ रुपए)

विवरण		2012-13			2013-14			2014-15		वास्तविक (दिसंबर, 2014 तक)
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व भाग										
01	वेतन	59.50	66.23	62.08	71.53	71.53	67.81	86.27	86.27	67.79
02	मजदूरी	0.31	0.44	0.42	0.45	0.46	0.41	0.26	0.13	0.07
03	समयोपरि भत्ता	0.22	0.16	0.06	0.18	0.08	0.07	0.22	0.12	0.05
06	चिकित्सा उपचार	1.43	1.22	1.27	1.38	1.24	1.23	2.10	1.71	0.61
11	घरेलू यात्रा व्यय	2.54	2.29	1.99	2.54	2.32	2.47	4.50	4.13	2.52
12	विदेशी यात्रा व्यय	6.95	6.04	5.56	6.95	6.10	6.38	12.46	9.75	3.24
13	कार्यालय व्यय	9.00	8.14	8.59	10.49	10.74	18.93	24.28	18.85	11.60
14	किराया, दर एवं कर	4.80	8.99	6.85	11.79	8.05	7.90	19.64	13.54	5.08
16	प्रकाशन	5.27	5.19	5.43	5.27	4.97	4.39	5.85	5.34	1.24
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	11.00	20.71	7.45	19.44	17.82	17.04	5.58	4.75	1.93
21	पूर्ति एवं सामग्री	0.85	0.77	0.69	0.85	0.70	0.85	1.05	1.02	0.12
26	विज्ञापन एवं प्रचार	0.65	0.50	0.25	0.55	0.41	0.38	4.82	10.72	2.82
27	लघु निर्माण कार्य	2.95	2.54	1.69	1.76	1.91	1.57	2.17	1.87	0.19
28	प्रोफेशनल सेवाएं	5.80	8.45	5.26	7.81	33.60	20.87	39.42	29.59	10.66
31	सामान्य सहायता-अनुदान	3.25	28.23	26.55	0.85	15.14	13.34	21.67	21.58	7.68
32	अंशदान	105.34	114.37	114.42	105.95	146.92	146.51	683.16	1116.49	188.41
33	सब्सिडी	3828.89	3311.23	3213.14	3822.50	4586.50	4418.22	5149.30	5109.03	3347.39
35	पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.00	0.48	1.46	0.46
36	सहायता - अनुदान ''वेतन''	0.00	0.00	1.35	1.51	1.51	1.51	3.30	2.38	1.55
41	गुप्त सुरक्षा व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	एकमुश्त	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
44	मुद्रा घट-बढ़	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	ब्याज	0.09	0.04	0.02	0.09	0.02	0.02	0.08	0.09	0.00
50	अन्य प्रभार	20.27	17.90	17.47	19.46	17.29	11.03	1522.49	1521.50	1137.70
51	मोटर वाहन	0.12	0.11	0.15	0.12	0.09	0.08	0.20	0.10	0.06
52	मशीनरी एवं उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	बृहद कार्य	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	0.00	0.00	0.00
63	अंतर-खाता अंतरण	3902.45	3022.45	3022.45	3662.00	4252.45	4252.45	8103.00	7403.00	5372.00
64	बट्टे खाते डालना/हानियां	3.53	5.63	3.86	1.52	1.18	1.18	0.05	0.01	0.00
50	सूचना प्रौद्योगिकी-अन्य प्रभार	3.18	2.85	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	7.68	6.90	5.43	26.85	16.45	3.64
28	सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
	जोड़ राजस्व भाग	**9081.35**	**7736.94**	**7612.69**	**8865.12**	**10290.51**	**10102.52**	**15719.27**	**15379.95**	**10166.81**
पूंजी भाग										
32	अंशदान	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	1250.00	0.05	0.05	0.00
42	एकमुश्त प्रावधान	437.55	437.55	457.55	678.00	678.00	450.00	670.00	520.00	274.33
50	अन्य प्रभार	6.30	5.67	2.09	5.30	0.82	0.02	505.65	2.00	0.04
52	मशीनरी और उपकरण	3.00	3.91	0.00	6.00	6.00	4.63	6.00	9.90	5.51
54	निवेश	56818.88	4474.66	4476.53	56574.57	1922.21	844.06	1123.53	5289.64	272.02
55	ऋण एवं अग्रिम	0.00	11294.60	914.63	0.01	1830.00	1486.04	915.00	2972.08	1383.53
60	अन्य पूंजी व्यय	1695.35	1004.00	1000.00	1645.01	2000.00	1934.17	2000.01	2050.00	638.96
63	अंतर-खाता अंतरण	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	1050.91	11.80	0.00
	जोड़-पूंजी भाग	**58961.08**	**17220.39**	**6850.79**	**66408.89**	**6687.03**	**5968.92**	**6271.15**	**10855.47**	**2574.39**
	कुल जोड़	***68042.43***	***24957.33***	***14463.48***	***75274.01***	***16977.54***	***16071.44***	***21990.42***	***26235.42***	***12741.20***

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान किए गए व्यय का विश्लेषण

आयोजना-भिन्न

मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय, एवं जी-20 सचिवालय के व्यय के लिए रखा गया है। वेतनों, दिल्ली आर्थिक समागम सहित विभिन्न सम्मेलन आयोजित करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय और प्रोफेशनल सेवाओं के भुगतान की भी व्यवस्था के लिए, वर्धित आवश्यकता के कारण सं.अनु. 2012-13 और 2013-14 में प्रावधान बढ़ाया गया है। वर्ष 2012-13 में वास्तविक व्यय 80.14 करोड़ रु. तथा 2013-14 में में यह 105.24 करोड़ रुपए किया गया 140.22 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संशो. अनु. अवस्था पर घटाकर 126.74 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस लेखा-शीर्ष के अंतर्गत दिसंबर, 2014 तक 79.59 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान और इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के व्यय के लिए है। इसमें अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1974 के अधीन जमाराशियों पर ब्याज, आईएमएफ रेजीडेंट आफिस की किराया लागत और अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थाओं में भारत के अंशदान के संबंध में प्रावधान भी शामिल है। 2014-15 के लिए किया गया 14.95 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, मुख्यतया वेतनों तथा किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने के कारण, संशो. अनु. अवस्था पर बढ़ाकर 19.12 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिसंबर, 2014 तक 7.01 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान निवेश आयोग, 14वें वित्त आयोग, प्रतिभूति अपील अधिकरण के व्यय के लिए है। 14वें वित्त आयोग के गठन के कारण उसके लिए किराया प्रभार आदि की व्यवस्था तथा प्रतिभूति अपील अधिकरण के किराए और बकायों का भी भुगतान करने के लिए ब.अनु. 2012-13 में किया गया प्रावधान सं.अनु. अवस्था पर बढ़ा दिया गया है। 2012-13 में 13.82 करोड़ रुपए तथा 2013-14 में 17.99 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। आर्थिक कार्य विभाग में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की स्थापना हो जाने के कारण, ब.अनु. 2013-14 एवं ब.अनु. 2012-13 की अपेक्षा, ब.अनु. 2014-15 में प्रावधान काफी बढ़ाया गया था। 2014-15 में किया गया 39.67 करोड़ रुपए का प्रावधान, संशो. अनु. स्तर पर घटाकर 36.99 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह मितव्ययता अनुदेशों को देखते हुए किया गया। दिसंबर, 2014 तक 18.47 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 2075 - विविध सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष में प्रावधान कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज अदायगियों तथा सरकारी लेखाओं में जमा की गई दावा न की गयी प्रतिभूतियों के बारे में भुगतान के लिए है। 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान गारंटी मोचन निधि के अंतरण के लिए रखा जा रहा है। 2012-13 व 2013-14 के दौरान रखे गए 300.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का पूरा उपयोग कर लिया गया है। 2014-15 में किया गया 300.00 करोड़ रुपए का बजट अनु. संशो. अनु. स्तर पर घटाकर 100.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिसंबर, 2014 तक 100.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य-शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

यह प्रावधान संरक्षित बचत योजनाओं के लिए किया गया है। तथापि, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 दिसंबर, 2014 तक के लिए क्रमशः रखे गए 0.10 करोड़ रुपए, 0.05 करोड़ रुपए और 0.02 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

मुख्य-शीर्ष 2416 - कृषि वित्तीय संस्थाएं (आईएफडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी): अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशेषज्ञताप्राप्त एजेंसी के रूप में 1977 में की गयी थी। इस अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि के 172 सदस्य हैं और इन्हें तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। ये हैं द्व सूची-कः विकसित देश, सूची-खः तेल उत्पादक देश और सूची-गः विकासशील देश। भारत इस निधि के संस्थापक देशों में है और सूची-ग में आता है।

भारत ने इस निधि के संसाधनों में अब तक 124.00 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान दिया है। भारत ने 9वें आपूरण के लिए सूची-ग के अंतर्गत आने वाले देशों में सबसे बड़ा दाता होने के कारण 30 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान देने की प्रतिबद्धता दर्शायी है। 9वें आपूरण-चक्र के लिए तीसरी व अंतिम किस्त के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान दिसंबर, 2014 में कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि के 10वें आपूरण (2016-18) के लिए विचार-विमर्श दिसंबर, 2014 में पूरा हो गया है। इन तीन वर्षों की अवधि में 37 मिलियन अमरीकी डालर के अंशदान से, भारत ने सूची-ग में वर्णित देशों के समूह में अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखा है।

2014 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की सहायता से चलायी जाने वाली परियोजना, मेघालय आजीविका और मार्किट प्रोजेक्ट (मेघा-एलएएमपी) सुगमता के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की राशि के करार पर, 09.12.2014 को हस्ताक्षर किए गए। 1979 से, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि ने लगभग 875.71 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता सहित कृषि, ग्रामीण विकास, जन जातीय विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और वित्तीय सेक्टर में 27 परियोजनाओं में सहातया दी है। इनमें से, 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इस समय, 431 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से दस परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि से प्राप्त होने वाले ऋण 40 वर्षों की अवधि में अदा किए जाने होते हैं जिनमें तीन वर्ष का ग्रेस पीरियड भी होता है तथा कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है। तथापि, बकाया ऋणों पर एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (0.75 प्रतिशत) की सालाना दर पर सेवा प्रभार उदग्रहीत किया जाता है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की शासी परिषद द्वारा 2013 में (36वीं बैठक में) एक नई मिश्रित अवधि अनुमोदित की गयी। इस मिश्रित अवधि में, ऋण सालाना 1.25 की नियत ब्याज दर और 0.75 प्रतिशत के सेवा प्रभार पर, प्रदान किए जाते हैं। ऋण चुकता करने की अवधि, 5 वर्ष के ग्रेस पीरियड सहित, 25 वर्ष होती है।

मुद्रा दर में घट-बढ़ हो जाने के कारण, 2012-13 में किया गया 50.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रावधान बढ़ाकर 54.00 करोड़ रुपए तथा 2013-14 में किया गया 55.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान बढ़ाकर 62.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। 2014-15 के लिए बजट अनुमान 62.00 करोड़ रुपए रखा गया था। तथापि, मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ जाने के कारण वास्तविक व्यय 63.35 करोड़ रुपए हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं (रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी)

लाभांश राहत और अन्य रियायत के लिए रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेशित संपूर्ण पूंजी (लाभांश रहित पूंजी को छोड़कर) पर, रेल मंत्रालय द्वारा सामान्य राजस्वों में अदा किए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में प्रदत्त सब्सिडी चल रहे पूंजीगत कार्य पर भी निर्भर करती है। इसी

प्रकार, महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की भरपाई ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील व्ययों पर निर्भर करती है। इस प्रकार, हुए वास्तविक व्यय और किए गए प्रावधान के बीच अंतर होता है। लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के संबंध में तथा महत्वपूर्ण रेल लाइनों के संचालन पर हुई हानियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में रेलवे को सब्सिडी के लिए, 2013-14 के दौरान रखा गया 3406.00 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक अनुदान-मागों के जरिए बढ़ाकर 4170.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि, 2013-14 के दौरान, 4010.56 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय वार्षिक निर्धारण प्रभारों, अफगान पुनर्निर्माण न्यास निधि, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण और दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए है। दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए, 2013-14 में बजट अनु. स्तर पर 2.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तथापि, मार्च, 2014 तक 2.73 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 2014-15 के दौरान, 97.32 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यतया एशियाई विकास बैंक को अंशदान के कारण किया गया था। इसे अंतरराष्ट्रीय विकास संघ अंशदान के कारण संशो. अनु. स्तर पर बढ़ाकर 527.39 करोड़ रुपए कर दिया गया था। दिसंबर, 2014 तक 91.67 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस शीर्ष के अधीन, इस प्रावधान में तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रमंडल निधि, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वाशिंगटन, टोकियो और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि, मुद्रा दर अंतर और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान और एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता का प्रावधान आता है। 2012-13 के लिए प्रावधान 225.00 करोड़ रुपए किया गया था। 225 करोड़ रुपए का प्रावधान, लिबोर दर 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 0.64 प्रतिशत हो जाने, विनिमय दर बढ़ जाने के कारण और नई ऋण श्रृखला के अनुमोदन के कारण भी, बढ़ाकर सं.अनु. 2012-13 स्तर पर 290.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यमन सरकार को 1981 में दी गयी ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देयों (2.07 करोड़ रुपए) की माफी; राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (15.00 करोड़ रुपए) और राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर (10.00 करोड़ रुपए) का सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 2012-13 में किया गया बजट प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए रखा गया 452.62 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशोधित अनु. स्तर दर बढ़ाकर 490.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि, मार्च, 2014 तक 478.54 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 2014-15 के दौरान, 538.26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता की व्यवस्था मुख्य शीर्ष 3475 से मुख्य शीर्ष 3605 द्व अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता में अंतरित हो जाने से, संशो. अनु. स्तर पर घटाकर 85.09 करोड़ रुपए कर दिया गया।

मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), कोलम्बो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता और विकास सहायता के लिए अंशदान शामिल है। प्रारंभिक तैयारी संबंधी खर्चों के लिए, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की मई, 2013 में दिल्ली में होने वाली 46वीं वार्षिक आम सभा के लिए बजट अनु. 2011-12 में प्रावधान (0.15 करोड़ रुपए) किया गया था। 46वीं वार्षिक आम बैठक के लिए प्रावधानों को ब.अनु. और सं.अनु. 2012-13 स्तर पर बढ़ा दिया गया है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता संबंधी यह योजना, अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है। तथापि, विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से वर्ष 2009-10 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित लम्बित बिलों का भुगतान करने हेतु 2012-13 और 2013-14 में प्रावधान किए गए। यूएनडीपी और जीईएफ में अंशदान के लिए ब.अनु. 2012-13 में किए गए प्रावधान को, विनिमय दर बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त मांग की वजह से, सं.अनु. स्तर पर बढ़ा दिया गया है। 2013-14 के दौरान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए रखा गया 51.79 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशो. अनु. स्तर पर बढ़ाकर 57.60 करोड़ रुपए तथा पूरक अनुदान-मांग द्वारा और बढ़ाकर 58.43 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2013-14 में 57.68 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया 43.52 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संशो.अनु. स्तर पर बढ़ाकर 496.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए लेखा शीर्ष के मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं से मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता में अंतरित होने जाने के कारण किया गया है ताकि गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल का पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। 2012-13 के दौरान किए गए बजट प्रावधान, सिक्कों की लागत कम हो जाने के कारण सं.अनु. अवस्था पर घटा दिए गए हैं। 2013-14 के दौरान बजट अनु. स्तर पर रखा गया 1645.00 करोड़ रुपए का प्रावधान संशो. स्तर पर बढाकर 2000.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय 1934.17 करोड़ रुपए हुआ। 2014-15 के दौरान, 2000.00 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले, दिसंबर, 2014 तक 638.96 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है। इस पर कोई नकद खर्च नहीं होता है क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन से भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाती है।

मुख्य शीर्ष 4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

परफेक्ट बाइंडिंग मशीन की खरीद के लिए ब.अनु. 2012-13 में 3.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 3.91 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2013-14 के दौरान, बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद हेतु बजट अनु. स्तर पर 6.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। परन्तु यह सारा प्रावधान, बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद के संबंध में व्यय करने के लिए मुख्य शीर्ष 4075 से मुख्य शीर्ष 4058 में आबंटन अंतरित करने के कारण, अप्रयुक्त रहा। तथापि, मुख्य शीर्ष 4058 - स्टेशनरी व मुद्रण पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत मार्च, 2014 तक 4.63 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 4058 - स्टेशनरी व प्रिंटिंग पर पूंजी परिव्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान, बजट प्रेस मशीनों की खरीद के लिए बजट अनुमान स्तर पर 6.00 करोड़ रुपए इस शीर्ष के अंतर्गत रखे गए थे। इसे नई खरीदी गई प्रिंटिंग मशीन के अंतिम भुगतान के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 9.90 करोड़ रुपए कर दिया गया था। दिसंबर, 2014 तक 5.51 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

टकसालों और मुद्रणालयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए ब.अनु. 2012-13 में 400.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। आशा थी कि कार्यविधि अपेक्षाओं/औपचारिकताओं को वित्त वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। बाद में इस मामले की पुनः जांच की गयी और यह निर्णय लिया गया कि इस अवस्था पर भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम

को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा ब.अनु. 2012-13 में किए गए प्रावधान को सं.अनु. 2012-13 में अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 2013-14 के प्रावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तकनीकी सहायता की संग्रह-राशि में अतिरिक्त अंशदान प्रदान करने के लिए 500.00 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। तथापि, 2013-14 के दौरान 250.00 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। वर्ष 2014-15 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत 0.05 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई थी परंतु दिसंबर, 2014 तक, कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि एनएसडीसी/ एनएसडीए से संबंधित कार्य नए बने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। इसलिए 2014-15 के लिए इस प्रयोजनार्थ कोई आवश्यकता नहीं रही।

मुख्य शीर्ष 5466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश

इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अंशदान, वैल्यू बाध्यता पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों की बाबत भारत के अंशदान के लिए प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) में निवेश के लिए ब.अनु. 2012-13 में 183.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विनिमय दर बढ़ जाने के कारण, ब.अनु. वाला प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 205.04 करोड़ कर दिया गया। 2012-13 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेशों के अंतर्गत, अनुमान स्तर पर, 56000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसे भारत के आईएमएफ कोटे की आवश्यकता न रहने के कारण संशो. अनु. स्तर पर घटाकर शून्य कर दिया गया था तथा 2013-14 के दौरान भी इसी प्रयोजन के वास्ते अनुमान स्तर पर 56000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जिसे उसी वजह से घटाकर शून्य कर दिया गया। 2014-15 के दौरान अनुमान स्तर पर रखा गया 500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान निधियों की आवश्यकता के कारण बढ़ाकर 4618.79 करोड़ रुपए किया गया तथा इस प्रयोजन के लिए 4118.80 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त हो गया है। इस मुख्य शीर्ष - 5466 के अंतर्गत किए गए 1123.53 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर, 2014 तक 272.02 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

विवरण इस प्रकार हैः

विवरण	मुख्यशीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक 12/2014 तक*
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466									
आईबीआरडी को अभिदान	5466	183.65	205.04	205.04	203.20	231.15	231.23	231.10	231.10	0.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	205.53	234.95	234.95	245.00	350.00	279.23	283.96	262.70	262.69
अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान	5466	22.21	22.11	22.11	0.01	1.32	1.34	1.32	69.56	2.62
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	2.13	2.11	2.11	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	5.35	5.85	5.88	6.20	7.12	6.82	7.12	6.89	6.71
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)	5466	42000.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (नकद)	5466	14000.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व (एमओवी)	5466	0.01	4005.44	4005.44	0.01	192.79	192.79	500.00	4618.79	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	50.00	2.16	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
चुनिंदा पूंजी वृद्धि(एससीआई) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के लिए अदायगी	5466	0.00	0.00	0.00	118.00	139.83	132.65	0.01	0.59	0.00
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) में नए विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
जोड़	**5466**	**56468.88**	**4477.66**	**4475.53**	**56574.58**	**922.21**	**844.06**	**1123.53**	**5289.64**	**272.02**

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास निधि के लिए तथा सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों के लिए है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 5.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था और 1.76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में 4.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। चूंकि संवितरण के लिए कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए इसमें से 4.28 लाख रुपए की राशि दिसंबर, 2014 तक संवितरित की गई है। आईआईपीडीएफ सहायता के लिए अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, 2015-16 के लिए बजट अनुमान स्तर पर 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यकलापों के तहत 32.38 लाख रुपए की राशि संवितरित की गयी है। चूंकि वित्त वर्ष 2013-14 में कोई भुगतान नहीं किया गया, इसलिए इस वर्ष 1.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट से 98,11,945/- रुपए की राशि अभ्यर्पित की गयी है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यकलापों के अंतर्गत, 1.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है। तथापि, इस शीर्ष के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गयी क्योंकि निधियां बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त की गईं। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस प्रयोजनार्थ किसी प्रावधान का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

2013-14 के दौरान, अनेक नए और अभिनव विचारों को श्रम परियोजनाओं/स्कीमों में बदलने के लिए 7000.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था की गयी थी। तथापि, प्रक्रियात्मक विलंब और सहायता की कमी के कारण, अभिनव विचारों को पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय पर, श्रम स्कीमों/परियोजनाओं में नहीं बदला जा सका, इसलिए सारी राशि अभ्यर्पित कर दी गयी।

मुख्य शीर्ष 7475 - अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण

वर्ष 2012-13 के दौरान, इस नई व्यवस्था के लिए पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 11,294.60 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक लेन-देन 914.63 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान, इस नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान के लिए पूरक अनुदान-मागों के माध्यम से संशो. अनुमान 2013-14 में 1830.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 1486.05 करोड़ की राशि के संव्यवहार किए गए। 2014-15 के दौरान, 915.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संशो. अनु. स्तर पर पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से बढ़ाकर 2972.08 करोड़ रुपए कर दिया गया। तथापि, दिसंबर, 2014 तक 1383.53 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

आयोजना

मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसरण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ब.अनु. 2010-11 में 1000.00 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की गई। वर्ष 2012-13 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान में से इस निधि को 120.00 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गयी थी। वर्ष 2013-14 के दौरान, 609.55 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले केवल 200.00 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गयी है। वर्ष 2014-15 के दौरान, अनुमान स्तर पर किया गया 607.00 करोड़ रुपए का प्रावधान संशोधित स्तर पर घटाकर 107.00 करोड़ रुपए कर दिया। तथापि, दिसंबर, 2014 तक इस निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है।

मुख्य शीर्ष 2810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान संबंधी विभिन्न नई परियोजनाओं, जो अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी, में वित्तपोषण के लिए व्यय की पूर्ति के लिए भारत के लोक लेखा में बनाए रखी जाने वाली 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में प्रारंभिक अंतरण के लिए 2011-12 की पहली अनुपूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 1066.46 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के लिए 1,500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा 2013-14 के लिए 1650.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और यह संपूर्ण प्रावधान ''राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि'' में अंतरित कर दिया गया। 2014-15 के दौरान अनुमान स्तर पर इस प्रयोजनार्थ 4700.00 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। दिसंबर, 2014 तक 3150.00 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3054 - सड़क और पुल

यह प्रावधान रेल सुरक्षा कार्यों के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर उद्ग्रहीत किया जा रहा उपकर, रेलवे ओवर/अंडर ब्रिजों एवं अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार आवंटित किया जाता है। यह प्रावधान, कड़ाई से, रेलवे से प्राप्त मांगों तथा उपकर संग्रहणों के उनके हिस्से के अनुसार ही किया जाता है। अंतरखाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। ब.अनु. 2012-13 के लिए सकल प्रावधान 2204.90 करोड़ रुपए था और उसका पूर्णतया उपयोग कर लिया गया। 2013-14 के दौरान रखे गए 2204.90 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पूरा उपयोग मार्च, 2014 तक कर लिया गया है। 2014-15 के दौरान 2992.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दिसंबर, 2014 तक 2244.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3465 - सामान्य आर्थिक एवं व्यावसायिक संस्थाएं

स्टार स्कीम

एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना (मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पुरस्कार) के क्रियान्वयन का संचालन भी कर रहा है। स्टार योजना में एक मौद्रिक पुरस्कार की परिकल्पना है जिससे उन व्यक्तियों की आवश्यक रूप से वित्तीय मदद होगी जो नया कौशल या उच्चतर स्तर पर अपना कौशल उन्नत करना चाहते हैं। स्टार योजना, 1000.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से, 16 अगस्त, 2013 को शुरू की गई थी तथा इस योजना के क्रियान्वयन के पहले वर्ष एक मिलियन युवाओं को व्यावसायिक कौशल मिलने की आशा था। एनएसडीसी इस योजना की निर्दिष्ट क्रियान्वयन एजेंसी है और यह अनेक सेक्टर स्किल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और आकलन एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रही है। 1000.00 करोड़ रुपए की राशि एनएसडीसी को अंतरित कर दी गयी है। वर्ष 2014-15 के दौरान, इस प्रयोजनार्थ 435.00 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। तथापि, दिसंबर, 2014 तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान अवंसरचना विकास - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) की सहायता के लिए है। 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर, 2012) के दौरान, 492 किमी. लम्बी 12 सड़क परिवहन परियोजनाओं और 110 किमी. लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लिए 378.04 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत, 678.00 करोड़ की अनुमोदित राशि में से, 2013-14 के दौरान (अप्रैल-दिसंबर, 2013) 21 सड़क परियोजनाओं के लिए 257.34 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। 2014-15 के दौरान 08 सड़क परियोजनाओं और एक विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लिए दिसंबर, 2014 तक 274.33 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है।

2014-15 में आर्थिक कार्य विभाग के मद शीर्षवार मुख्य संघटक

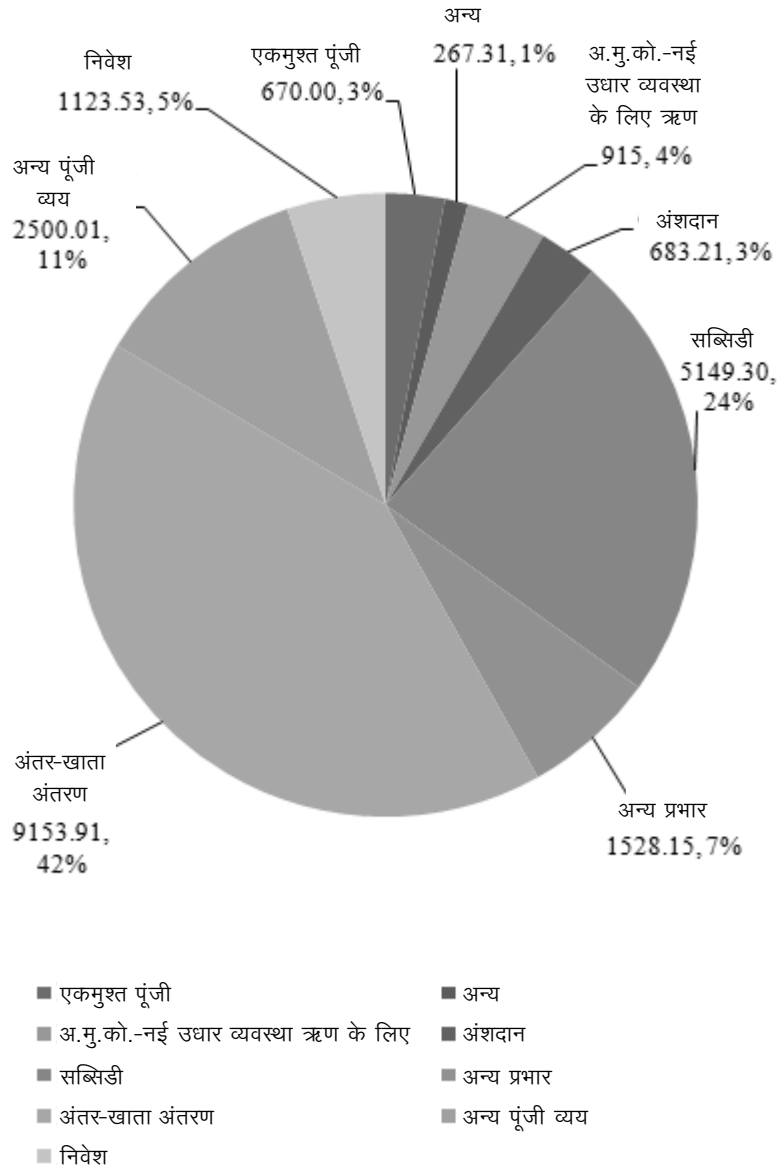

- निवेश - यह अंश, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं - एशियाई विकास बैंक को अंशदान (₹ 283.96 करोड़) आईबीआरडी को अभिदान - सामान्य/चयनात्मक पूंजीगत वृद्धि (₹ 231.10 करोड़) के भुगतान, अफ्रीकी विकास निधि एवं बैंक के एमडीआरआई का भुगतान (₹ 8.44 करोड़) के भुगतान; आईएमएफ - एमओवी बाध्यता (₹500.00 करोड़) ब्रिक्स - एनडीबी के लिए अभिदान (₹100.00 करोड़) (कुल ₹ 1123.53 करोड़) है।

- सब्सिडी - सब्सिडी का मुख्य अंश, लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के लिए रेलवे को तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (₹ 450.00 करोड़) के लिए जाता है (कुल ₹ 5149.30 करोड़)।

- मुख्य कार्यों के लिए प्रावधान - यह रेलवे उपरि/अधोसेतुओं और अन्य रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण के लिए है (₹ 1496.00 करोड़) (कुल ₹1528.15 करोड़)।

- अंतर-खाता अंतरण - यह केन्द्रीय सड़क निधि, असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि और गारंटी मोचन निधि में निधियों के अंतरण के लिए है (कुल ₹ 9153.91 करोड़)।

- अन्य पूंजी व्यय - यह एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद और पीपीपीपी क्रियान्वयन के लिए है (कुल ₹2500.01 करोड़)।

- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों को अंशदान (कुल ₹ 683.21 करोड़)।

- अन्य- इसमें वेतन एवं अन्य स्थापन व्यय (कुल ₹267.31 करोड़) और नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अं.मु.को. को दिए जाने वाले ऋण ₹ 915.00 करोड़ (कुल 1182.31 करोड़)।

- एकमुश्त पूंजी, व्यवहार्यता अंतराल निधियन के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है (कुल ₹ 670.00 करोड़)।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अभ्यर्पण और बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, मूल अनुदान 75,274.01 करोड़ रुपए था। इसे, 4448.82 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त करके, बढ़ाकर 79,722.83 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसमें से, वास्तविक व्यय 16,071.44 करोड़ रुपए हुआ, फलस्वरूप निवल बचत 63,651.39 करोड़ रुपए की हुई।

63,651.39 करोड़ रुपए की बचत, 64,289.87 करोड़ रुपए की कुल बचतों का निवल प्रभाव था और विभिन्न अनुदान उप-मदों के अंतर्गत 638.48 करोड़ रुपए का कुल आधिक्य हुआ।

मुख्य बचतों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

(i) संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचत

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	उप-मद/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्ति/कारण
1.	आर्थिक कार्य विभाग (सचिवालय)	13.39	मैसर्स टेनाक हॉल्डिंग लिमिटेड के साथ विवाद के कारण भारत-रूस और भारत-साइप्रस द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार वार्ताओं के बिल प्राप्त न होने के कारण, बचत हुई।
2.	जी-20 सचिवालय	0.94	खाली पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों की वजह से बचत हुई।
3.	राष्ट्रीय बचत संस्थान	1.22	सामग्री को मुद्रित न किए जाने, आचार संहिता लागू हो जाने और किफायती उपायों की वजह से बचत हुई।
4.	रेलवे को लाभांश राहत के लिए सब्सिडी	159.44	लाभांश राहत के लिए रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेश की गई पूंजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। लाभांश राहत के लिए रेलवे को कम सब्सिडी की आवश्यकता के कारण बचत हुई।
5.	भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.62	प्रोबेशनरों की संख्या घट जाने के कारण प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के चलते बचत हुई।
6.	प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद	65.83	मार्च, 2014 माह के अंतिम सप्ताह के बिल न भेजे जाने के कारण बचत हुई।

(ii) परियोजनाओं/योजनाओं का क्रियान्वयन न किया जाने/क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण बचत

1.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	250.00	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तकनीकी सहायता योजना में अंशदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण बचत हुई।
2.	भारत अवसंरचना विकास परियोजना निधि	4.00	अवसंरचना परियोजनाओं को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण सारी राशि बिना खर्च किए ही पड़ी रही।
3.	अवसंरचना के लिए सहायता-व्यवहार्यता अंतराल निधियन	228.00	विभिन्न परियोजनाओं के बारे में प्रायोजक प्राधिकारियों से कम दावे मिलने की वजह से बचत हुई।
4.	भारत का कोटा बढ़ जाने की वजह से आईएमएफ में अंशदान	56000.00	आईएमएफ को अंशदान (प्रतिभूतियों में और नकद) के लिए आवश्यकता न होने के कारण सारी राशि, बिना खर्च किए ही पड़ी रही।
5.	सामाजिक एवं अवसंरचना विकास के लिए वित्त-पोषण कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	7,000.00	अनेक नए एवं अभिनव विचारों को क्षम परियोजनाओं/स्कीमों में बदलने के क्रियान्वयन में सहूलियत के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया था। तथापि, प्रक्रियात्मक विलंबों एवं सहायता की कमी के चलते, पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय में, अभिनव विचारों का क्षम स्कीमों/परियोजनाओं में परिवर्तित नहीं किया जा सका।
6.	नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए ऋण	443.92	लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरबीआई द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग और अनुमानों के आधार पर थे। तथापि, भारत में इस निधि द्वारा वास्तविक मांग और आहरण अपेक्षाकृत कम रहे जिसके कारण बचत हुई।

(iii) पुरानी/समाप्त परियोजना/योजना के कारण अथवा परियोजना/योजना के पूर्ण होने के कारण अभ्यर्पण/बचत - शून्य

नोट: *वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचतों, निधियों के कम प्रयोग/उपयोग न करने, और अभ्यर्पण के कारण अलग-अलग हुई बचतों के संबंध में, बजट प्रभाग के तारीख 23 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 7(1)-बी(एसी)/2011 के अनुपालन में, यह अनुबंध शामिल किया जाता है।*

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

अनुबंध-क

1.1 भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

- भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड 13 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था। इसका मुख्यालय 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इसे 10 फरवरी, 2006 से काम करने की स्वीकृति दी गई थी।
- एसपीएमसीआईएल बदले कारोबार माहौल के साथ चल रहा है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के बाद, सभी अनिवार्य बातों, शर्तों आदि और नए अधिनियम के बनने से कंपनी पर अधिरोपित विधिक बाध्यताओं का अनुपालन करने का प्रयास कर रहा है तथा नए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के अपने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दे रहा है। ये उपबंध प्रकटीकरण एवं अनुपालन शर्तों के बारे में ज्यादा कड़े और कठोर हैं।
- इसने वित्त वर्ष 2006-07 से 2013-14 की अवधि के लेखा संकलन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा भारत सनदी लेखाकार संस्थान दवारा समय-समय पर नियत किए गए लेखा मानकों एवं लागू विधियों के अनुसार किया गया है। वाणिज्यिक तर्जों पर तैयार किए गए इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गयी है और कंपनी की सालाना आम बैठकों में इनको विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, निगम का 7332 करोड़ रुपए का आस्ति आधार है और उसे 2013-14 में कर पश्चात लाभ 215 करोड़ रुपए हुआ है। इसने भारत सरकार को वित्त वर्ष 2013-14 में 43.00 करोड़ रुपए का लाभांश तथा 7.00 करोड़ रुपए का लाभांश वितरण कर दिया है। उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न एजेंसियों के साथ पंजीकरण संबंधी अन्य सांविधिक आवश्यकताएं भी पूरी की गयी हैं। देय कर, देय होने पर, समय पर चुकाए गए हैं।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, एसपीएमसीआईएल बैंक नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति उत्पादों (पासपोर्ट, नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर, डाक उत्पाद और अन्य प्रतिभूति उत्पाद) के उत्पादन और कच्ची सामग्री (प्रतिभूति इंक, प्रतिभूति कागज) के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करते समय कंपनी ने प्रतिव्यक्ति उत्पादकता भी काफी बढ़ायी है।
- एसपीएमसीआईएल ने 2013-14 के दौरान 8018 मिलियन बैंक नोट नगों का उत्पादन किया तथा भारतीय रिजर्व बैंक को 7941 मिलियन बैंक नोट नगों की आपूर्ति की। यह पिछले वर्ष उत्पादित 7421 मिलियन बैंक नोट नगों से 8.05 प्रतिशत अधिक है। प्रति व्यक्ति बैंक नोटों का उत्पादन बढ़कर 2.01 मिलियन नग हो गया है जबकि पिछले वर्ष यह 1.84 मिलियन नग था।
- निगम ने 2013-14 के दौरान 7650 मिलियन नग परिचालन सिक्कों का उत्पादन किया तथा भारतीय रिजर्व बैंक को 7676 मिलियन नगों की आपूर्ति की। यह पिछले वर्ष उत्पादित किए गए 6708 मिलियन नग परिचालन सिक्कों से 14.04 प्रतिशत अधिक है। प्रति व्यक्ति परिचालन सिक्कों का उत्पादन भी बढ़कर 2.26 मिलियन नग हो गया है जबकि पिछले वर्ष यह 1.88 मिलियन नग था।
- एसपीएमसीआईएल ने 2013-14 में देवास स्थित अपनी इंक फैक्ट्री में 604 मीट्रिक टन प्रतिभूति इंक का उत्पादन किया। इससे पहले वर्ष 484 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 24.79 प्रतिशत अधिक है। होशंगाबाद स्थित प्रतिभूति कागज कारखाने ने 3240 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज का उत्पादन किया तथा मुद्रणालयों को 31.06 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज की आपूर्ति की। यह पिछले वर्ष उत्पादित किए गए 2925 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज से, 10.76 प्रतिशत अधिक है। प्रति व्यक्ति प्रतिभूति कागज का उत्पादन बढ़कर 3.07 मीट्रिक टन हो गया है जबकि पिछले वर्ष 1.98 मीट्रिक टन अंकित किया गया था।
- इस निगम की नौ यूनिटें प्रतिभूति कागज के उत्पादन, करेंसी एवं प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण और सिक्कों, मेडलों आदि का निर्माण कार्य करती हैं। मौजूदा वर्ष में निर्मित मुख्य उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है:

01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पादन (मिलियन नग) (असंपरीक्षित)
1	बैंक नोट	6136
2	सिक्के	5521
3	पोस्ट कार्ड	63
4	लिफाफे	26
5	अंतरदेशीय पत्र कार्ड	10
6	डाक टिकट और भारतीय पोस्टल आर्डर	21
7	चिपकने वाले स्टाम्प	8
8	नॉन जुडिशियल एवं संबद्ध स्टाम्प	305
9	बचत लिखत	39
10	एमआईसीआर चेक	48
11	विविध प्रतिभूति फॉर्म व न्यायालय शुल्क स्टाम्प्स	69
12	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं	7
13	स्टीकर्स/लेबल/पहचान-पत्र/मोहरें	24

01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद	बिक्री (करोड़ रुपए) (असंपरीक्षित)
1.	बैंक नोट	1047
2.	सिक्के	1121
3.	अन्य प्रतिभूति उत्पाद	618
4.	विविध	58
	जोड़	**2844**

कंपनी प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में स्टाक प्रिपेरेशन प्लांट सहित एक नई बैंक नोट पेपर लाइन की भी स्थापना कर रही है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है।

कंपनी ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएम आईपीएल), मैसूर के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का करार करके भारत में करेंसी पेपर के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य की शुरुआत भी की है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1490 करोड़ रुपए है और इसे अक्तूबर, 2015 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के क्रियान्वित हो जाने पर, कंपनी करेंसी पेपर की अपनी अधिकांश जरूरतों को स्वदेश में ही पूरा करेगी तथा करेंसी पेपर के आयात पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

इस वर्ष कंपनी ने प्रतिभूति कागज, प्रतिभूति मुद्रण, बैंक नोट मुद्रण, और सिक्का धातु-कर्म के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास, वर्षा जल को काम में लेने, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़कों, जल-पूर्ति तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कार्मिकों के कौशल विकास के क्षेत्र में शुरू की गई अभिनव सीएसआर परियोजनाएं भी पूर्ण की हैं।

सिक्कों के लिए मांगपत्र आरबीआई द्वारा दिया जाता है तथा लागत निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। बैंक नोटों के लिए मांग-पत्र आरबीआई देता है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल के बीच सामान्यतया 60:40 के अनुपात में उत्पादन प्लानिंग बैठक में बांट दिया जाता है। डाक सामग्री के लिए मांग-पत्र डाक विभाग उपलब्ध कराता है।

सितंबर, 2014 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014-15 से 2018-19 तक सिक्कों के मांगपत्र की पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके मुताबिक, 2014-15 में लगभग 13.45 बिलियन नगों से बढ़कर 2018-19 में ये 16.10 बिलियन नग से अधिक हो जाएंगे। यह, पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए लगभग 6.8 बिलियन नगों के औसत उत्पादन के दुगुने से भी अधिक है। एसपीएमसीआईएल ने विद्यमान भूमि और भवनों का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा टकसालों में क्षमता बढ़ाने की व्यवहार्यता स्थापित करने का अध्ययन कराया था जिसके द्वारा परियोजना क्रियान्वयन में आने वाली लागत और लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। बोर्ड ने टकसालों का 6000 मिलियन नगों तक क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया था। अतिरिक्त 3000 मिलियन नगों के लिए टकसालों का और क्षमता विस्तार करने का प्रस्ताव बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसी प्रकार, सितंबर, 2014 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए बैंक नोटों का मांग-पत्र दिया है। यह 40 से 50 प्रतिशत अधिक है। इससे, देवास स्थित बैंक नोट प्रेस और नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस में पुरानी प्रिंटिंग मशीनों को बदलने और अतिरिक्त क्षमता के सृजन दोनों में निवेश की आवश्यकता होगी। बोर्ड ने मार्च, 2012 में दो प्रिंटिंग लाइनों को बदलने की स्वीकृति पहले ही दे दी थी तथा बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2014 में पी.क्यू.बी. अनुमोदित कर दिया है।

यात्रा दस्तावेजों के मामले में, विदेश मंत्रालय ने अगले पाँच वर्षों की अवधि का मांगपत्र भी सितंबर, 2014 में पहले ही दे दिया है। इससे मांगपत्रों की संख्या, पिछले वर्ष के मांगपत्रों के मुकाबले बढ़कर तीन गुने से भी अधिक हो जाएगी। एसपीएमसीआईएल की क्षमता लगभग 1.50 करोड़ पासपोर्ट प्रतिवर्ष मुद्रित करने की है। यह निगम आगामी महीनों में अतिरिक्त क्षमता के विस्तार प्रस्ताव को निश्चित करेगा। इसी प्रकार, डाक विभाग ने भी अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए मांगपत्र सितंबर, 2014 में दे दिया है। यह पिछले वर्ष के मांगपत्र से काफी अधिक है। एसपीएमसीआईएल डाक मशीनरी के लिए भी निवेश निश्चित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपरों के मांगपत्रों में काफी वृद्धि रही है। कुछेक राज्यों में ई स्टांपिंग लागू हो जाने के बावजूद यह प्रवृत्ति जारी है। एसपीएमसीआईएल ने राज्यों से नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपरों के अभिवृद्धित मांगपत्रों को पूरा करने की तैयारी कर ली है।

सिक्कों, बैंक नोटों और डाक उत्पादों पर आने वाली लागत का निर्धारण

विभिन्न ग्राहकों द्वारा भुगतान करने में विलंब और मनमानी एवं एकपक्षीय लागत निर्धारण करने से, एसपीएमसीआईएल की लाभप्रदता प्रभावित हो रही है। यह कंपनी के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट होता है। इनके मुताबिक, कंपनी की लाभप्रदता कम होती दिखायी दी है। इस मामले को विभाग के साथ लिया गया है, जो मामले पर अंतिम निर्णय ले रहा है।

आधुनिकीकरण/स्वदेशीकरण

आपकी कंपनी ने आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर लागतार कार्य करते हुए विभिन्न पूंजी कार्य शुरू किए हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार हैः

वन कंप्यूटर टू ऑफसेट प्लेट मेकिंग मशीन नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस में स्थित की गयी है तथा दूसरी मशीन को देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में लगाने की प्रक्रिया चल रही है। दो बैंक नोट प्रोसेसिंग सिस्टम (बीपीएस-2000) - एक को नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस में और दूसरी को देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में संस्थापित किया गया है। बैंक नोट प्रोसेसिंग के लिए दो मिनी फिनिशिंग मशीन करेंसी नोट प्रेस नासिक में संस्थापित की गयी हैं।

देवास स्थित इंक फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के चरण-II का कार्य शुरू किया गया है। एसपीएमसीआईएल, इस समय, ऑफसेट, इंटेगलियो इंक और नंबरिंग इंक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। होशंगाबाद में नई पेपर लाइन के संस्थापन और इसे चालू किए जाने का कार्य पूरा हो गया है। वाणिज्यिक उत्पादन होना शुरू हो गया है।

चेरलापल्ली, मुंबई और कोलकाता स्थित भारत सरकार टकसाल में एक-एक मल्टि-स्ट्रोक मेडल प्रेस यानि तीन प्रेस चालू हो गई हैं। भारत सरकार टकसाल, मुंबई में एक गोल्ड रिफाइनिंग प्लांट और भारत सरकार टकसाल चेरलापल्ली में एक सिल्वर रिफाइनिंग प्लांट शुरू हो गया है। सिक्का निर्माण डाइयों के लिए एक पीवीडी कोटिंग मशीन भारत सरकार टकसाल, नोएडा में चालू हो गयी है। टकसालों में ब्लेंक सॉर्टिंग मशीनें चालू हो गई हैं। इन ब्लैक सॉर्टिंग मशीनों से कॉइन ब्लेंकों की क्वालिटी में सुधार होगा जिससे कि सिक्कों की क्वालिटी सुधरेगी।

आज की तारीख तक क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** '**ख**' में दी गई है।

वर्ष 2015-16 में क्रियान्वित की जा रही/की जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा

(₹करोड़)

क्र. सं.	परियोजना का स्वीकृत लागत	स्वीकृत लागत	पूरा होने की नियत तारीख	वर्ष के शुरु होने तक कुल संचयी व्यय	2015-16 के दौरान आयोजनागत कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	उत्पादन/ परिणाम	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5	6	7	8
(क) कागज कारखाना/मुद्रणालय								
1	नई इंक फैक्ट्री भवन का निर्माण	35	31.03.2017	0	15	31.03.2017		इंक उत्पादन के लिए
2	कंप्यूटर टू इंटेगलियो प्लेट (सीटीआईपी) सिस्टम (सीएनपी)	48	31.03.2017	0	25	31.03.2017		इंटेगलियो प्रिंटिंग के लिए फोटो बनाने हेतु
3	करेंसी नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस में दो पुरानी मुद्रण और फिनिशिंग लाइन को बदलना (प्रत्येक में एक-एक)	400	31.03.2018		-	31.03.2018	1500 मिलियन नग प्रति वर्ष	सीएनपी, नासिक और बीएनपी, देवास में एक-एक पुरानी (कुल दो) मौजूदा लाइन को बदलने के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8
4 अन्य पूंजी व्यय (सीएनपी एवं बीएनपी)	35	31.03.2016	0	35	31.03.2016		अन्य विविध पूंजी
5 प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में पेपर मिल की एक लाइन (नई पेपर लाइन)	497	30.11.2014	481	10	30.06.2015	6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष	मशीन चालू हो गई है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है।
6 दो नंबरिंग टावर के साथ सिक्स कलर रील फेड वेरियेबल साइज वेट ऑफसेट एंड ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन - (एसपीपी)	20	31.12.2017	0	10	31.12.2017		नॉन जुडिशियल स्टांप पेपर की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए।
7 शीट फेड सिक्स कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन - एपीपी व आईएसपी में एक-एक	45	31.12.2017	0	-	31.12.2017		प्रतिरूप निवारण के लिए प्रतिभूति विशेषताओं को सुधारने, एवं प्रतिभूति उत्पादों की मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु दो मशीनों को बदलना
8 लेबल प्रिंटिंग मशीन (आईएसपी)	15	31.12.2017	0	5	31.12.2017		विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एक्साइज चिपकने वाले लेबलों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए
9 ऑफ लाइन जांच एवं नंबरिंग मशीन (आईएसपी)	10	31.12.2017	0	5	31.12.2017		प्रिंटिंग शीटों की हाथ से की जाने वाली जांच को कम करना तथा क्वालिटी और प्रिंटिंग शीटों की जांच प्रक्रिया की जांच करने में सुधार
10 रॉ मेटेरियल जांच प्रयोगशाला (आईएसपी)	5	31.03.2017	0	2	31.03.2017		रॉ मेटेरियल जैसे एचएयूवी फिल्म, बकरम, आदि जेसे की इन हाउस जांच के बारे में मंत्रालय के निदेश के अनुसार
11 श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग मशीन (आईएसपी)	5	31.03.2016	0	5	31.03.2016		प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बेकार मुद्रित सामग्री को जलाना मना है, अतः बेकार प्रतिभूति सामग्री का, निपटान से पूर्व श्रेडिड और ब्रिकेडिड करना आवश्यक है।
12 लेजर माइक्रो-परफोरेशन मशीन-4 नग (आईएसपी)	30	31.03.2017	0	15	31.03.2017		मंत्रालय के निदेश के अनुसार, विभिन्न मूल्यवर्गों के नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपर में वर्णित प्रतिभूति विशेषताओं में एक विशेषता के रूप में माइक्रोपरफोरेशन शामिल करना।
13 रेंडम नंबरिंग मशीन (आईएसपी)	5	31.03.2016	0	5	31.03.2016		नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपर, वीजा स्टीकर राष्ट्रीय बचत पत्र, आदि की ऑफलाइन नंबरिंग करने के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8
मुद्रणालयों और कागज कारखाना का कुल पूंजी व्यय (क)	**1,150**		**481**	**132**			
ख) टकसाल							
14 सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य संबद्ध कार्यों सहित, 4 टकसालों का क्षमता विस्तार	350	31.03.2018	0	40	31.03.2018	5600 मिलियन नग प्रति वर्ष	टकसालों का क्षमता विस्तार, इससे क्षमता 6 बिलियन से बढ़कर 13 बिलियन प्रति वर्ष हो जाएगी।
15 मेडलों का क्षमता निर्माण	52	31.03.2017		25	31.03.2017		वाणिज्यिक सिक्के, मेडलों और मेडेलियनों का क्षमता विस्तार
16 सहायक मशीन एवं उपस्कर	64	31.03.2017		25	31.03.2017		सुविधा का प्रतिस्थापन और उन्नयन
17 सिविल कार्य (टकसाल)	11	30.06.2016		6	30.06.2016		सिविल अनुरक्षण व विशेष कार्य
टकसालों का कुल पूंजी व्यय (ख)	**477**			**96**			
कुल जोड़ (क+ख)	**1,627**		**481**	**228**			

अनुबंध - ग

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का और टकसाल पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। 2012-13 के दौरान किए गए बजट प्रावधान, सिक्कों की लागत कम हो जाने के कारण सं.अनु. अवस्था पर घटा दिए गए हैं। 2013-14 के दौरान बजट अनु. स्तर पर रखा गया 1645.00 करोड़ रुपए का प्रावधान संशो. स्तर पर बढाकर 2000.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय 1934,17,16,000/- रुपए हुआ। 2014-15 के दौरान, 2000.00 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले, अगस्त, 2014 तक 638,95,71,980/- रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है। सितम्बर से दिसम्बर, 2014 की अवधि के 529,82,33,875 रुपए की राशि के बिल निगम से प्राप्त हो गए हैं ताकि सिक्कों की खरीद के लिए भुगतान जारी किया जा सके। इस पर कोई नकद खर्च नहीं होता है क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन से भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाती है।

वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रस्तावना

वित्तीय सेवाएं विभाग मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यों सहित उनसे संबंधित नीतिगत मामलों, चिट फंड/निधि कंपनियों के संबंध में मुख्य परामर्शदात्री समूहों के गठन सहित बैंकिंग क्षेत्र सुधार, चिटफंड/निधि कंपनियों पर मुख्य परामर्शी ग्रुप के गठन, केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की स्थापना, खाता खोलने के फार्मों के मानकीकरण, वित्तीय समावेशन, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं केवाईसी दिशानिर्देशों, राज्य सरकार के राजकोषों के स्वचलन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कार्यपालक निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति, विधायी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण/कृषि ऋण, बीमा क्षेत्र से संबंधित मामले और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन, विभिन्न बीमा अधिनियमों का संचालन, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन सुधार से संबंधित नीतिगत मामलों, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी प्रस्ताव और प्रशासनिक मामलों आदि के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

(i) **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग** सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता, प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खोलने, वित्तीय साक्षरता, ऋण उपलब्धता, बीमा एवं पेंशन जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी जिसका दिनांक 28 अगस्त, 2014 को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की विविध योजनाओं का लाभ सीधे ही हिताधिकारियों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया जाएगा। हिताधिकारियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा एवं इस योजना में ही 1.00 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर स्वतः शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन लोगों को 30,000/- रुपए का जीवन बीमा कवर भी उपलब्ध करावाया जाएगा जिन्होंने दिनांक 15/8/2014 से 26/01/2015 की अवधि के बीच अपना खाता खुलवाया हो तथा इस योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा किया हो। 6 माह की अवधि के दौरान खाते का संतोषप्रद परिचालन होने के बाद आधार से जुड़े खातों में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाएगी। बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे आवंटित उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) एवं वार्डों में सर्वेक्षण कार्य करवायें तथा दिनांक 26/1/2015 तक उन सभी परिवारों के खाते खोले जाए जिनके खाते अभी तक नहीं खोले गये हैं। दिनांक 07/01/2015 तक 21.7 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें से 20.98 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोले गये हैं अर्थात् 99.60% परिवारों के खाते खोले गये हैं। शेष 0.09 करोड़ परिवारों के खाते दिनांक 26/1/2015 तक खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन-धन योजना को बैंकों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। दिनांक 10/1/2015 तक 11.07 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 9.26 करोड़ रुपे कार्ड पात्र खाता धारकों को जारी किए जा चुके हैं। इन खातों में जमा की गयी कुल राशि 8698.01 करोड़ रूपए है। वर्ष 2014-15 के लिए रूपे डेबिट कार्ड धारकों के दावों को कवर करने हेतु गैर-योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि उपलब्ध करवायी गयी है। इसके अलावा, 2015-16 के लिए गैर-योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ii) **किसानों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता** - सरकार ब्याज सहायता योजना के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋणों के ब्याज दर में सब्सिडी देती है ताकि किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकें। यह योजना वर्ष 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है और इसे वर्ष-दर-वर्ष जारी रखा जा रहा है। सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है तथा वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के अलावा 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता ऐसे किसानों को उपलब्ध करवायी जाएगी जो अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं एवं किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को फसल की कटाई के पश्चात् छः अतिरिक्त महीनों के लिए कम दर पर किसानों को माल गोदामों में अपनी उपज रखने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों की एवज में अल्पावधि फसल ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 से पुनर्गठित राशि पर प्रथम वर्ष के लिए बैंकों को 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी गयी है और इन पुनर्गठित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः 5400 करोड़ रुपए एवं 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बजट अनुमान के 6,000 करोड़ रूपये एवं संशोधित अनुमान के 9476.71 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी थी। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में 13,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(iii) **सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पूंजीकरण**- चूंकि ऋण आस्ति सृजित करने के लिए बैंक की क्षमता का मुख्य साधन पूंजी है और तुलन-पत्र विस्तार के लिए भी यह आवश्यक है, इसलिए भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विकास में सहायता देने तथा उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ रखने के लिए उनमें अतिरिक्त पूंजी का नियमित रूप से निवेश करती रही है ताकि अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी टीयर-I पूंजी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के न्यूनतम 8% पर बनाए रखने में सक्षम बनाने हेतु तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़ाने हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 13 बैंकों में 12,517 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों में 14,000 करोड़ रूपये पूंजी के रुप में निवेश किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए भी सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 9 बैंकों की टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने हेतु उनमें 6990 करोड़ रूपये के निवेश को अनुमोदित कर दिया है ताकि टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के अनुरूप बने रहें तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी अनुषंगियों तथा सहयोगियों के जरिए उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन में सहायता दी जा सके।

(iv) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण**- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को कम से कम 9% पर लाने के लिए डॉ. के. सी. चक्रवर्ती समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 21 राज्यों में 40 आरआरबी को 2,200 करोड़ रुपए तक की पुनर्पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की थी, जिसका वहन भागीदारों द्वारा आरआरबी में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में किया जाना है, अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा संबंधित प्रायोजक बैंकों द्वारा 35% का वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार का भाग 1,100 करोड़ रुपए बैठता है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई थी जिसे वर्ष 2011-12 तक पूरा किया जाना था। संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा अपना भाग जारी किए जाने पर भारत सरकार को अपना भाग जारी करने के लिए मंत्रिमण्डल का निर्णय अपेक्षित है।

वर्ष 2011-12 तक 21 आरआरबी को केवल 468.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी (वर्ष 2010-11 में 66.49 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011-12 में 402.43 करोड़ रूपये)। पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को वर्ष 2011-12 के दौरान पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का अपना भाग जारी नहीं किया। अतः मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से पुनर्पूंजीकरण योजना को मार्च 2014 तक बढ़ाया गया था।

दिनांक 31.03.2014 तक सेण्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक सहित (नाबार्ड की संस्तुतियों के आधार पर 9% सीआरएआर की अपक्षाओं को पूरा करने के लिए) 39 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्र सरकार के 1100 करोड़ रुपए के हिस्से की तुलना में 1086.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में शेष बचे 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजीगत सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार का हिस्सा जारी न होने के कारण इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजीगत सहायता अभी उपलब्ध करवायी जानी है। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के बजट में 15 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। दिनांक 31.03.2014 के बाद भी 2 वर्ष की आगे की अवधि के लिए इस योजना के विस्तार हेतु केबिनेट का अनुमोदन मांगा गया है।

(v) **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)**- 55 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निमित्त वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना दिनांक 14.07.2003 को शुरु की गई थी और दिनांक 09.07.2004 को यह योजना वापस ले ली गई थी। योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी अपने निवेश पर 9% प्रति वर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं। पेंशनभोगी को प्रदत्त 9% के प्रभावी लाभ और एलआईसी द्वारा अर्जित लाभ के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को सब्सिडी के रूप में की जाती है। वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस योजना को 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक दोबारा चालू करने की घोषणा की थी ताकि 60 वर्ष एवं इसके अधिक की आयु वाले नागरिकों को इसका फायदा मिले। तदनुसार, इस योजना को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)) – 2014 के रूप में पुनः लागू किया गया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 182.04 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 99.55 करोड़ रूपये और वर्ष 2013-14 के दौरान 115.81 करोड़ रुपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को जारी की गई थी। बजट अनुमान 2014-15 में 111.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2014-15 में कुछ घट कर 111.24 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2015-16 में 101.79 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।

(vi) **आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)**- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) सामाजिक क्षेत्र की एक ऐसी बीमा योजना है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा लागू किया जा रहा है। आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग वाले उन लोगों को जीवन तथा विकलांगता का कवर उपलब्ध करवाया जाता है, जो 47 पहचान किए गए व्यवसाय/पेशा समूहों के तहत गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से मामूली रूप से उपर रहने वाले हों। पात्र समूहों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति परिवार का मुखिया हो अथवा परिवार का अर्जक सदस्य हो। इसके अलावा, एएबीवाई योजना का लाभ सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के हिताधिकारियों को भी उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वे एएबीवाई योजना के अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

इस योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 75,000 रुपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 37,500 रुपए तथा दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलांगता (दोनों आंख या दोनों हाथ/पैर या एक आंख और एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 75,000 रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के लाभ इस प्रयोजन हेतु सृजित भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित "एएबीवाई छात्रवृत्ति कोष" से प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी वार्षिक प्रीमियम 200 रुपए है, जिसमें से 50% का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मामले में शेष 50% प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अन्य समूहों के मामले में यह अंशदान राज्य सरकार/ नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की श्रेणी के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र नोडल एजेंसी होंगे।

दिनांक 31.03.2014 को एएबीवाई के तहत कुल 4.54 करोड़ लोगों का बीमा कर दिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 4.50 करोड़ रूपये एवं 2014-15 में (दिसंबर, 2014 तक) 149.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में 437.51 करोड़ रुपए थे और प्रावधान का प्रस्ताव है।

(vii) **राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)**- भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2014 से समस्त नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर) के लिए अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की गयी थी तथा 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए इस सुविधा को उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक 27 राज्यों ने अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अधिसूचित किया है। इनमें से 26 राज्यों द्वारा सीआरए एवं एनपीएस ट्रस्ट के बीच समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गये हैं। दो राज्य सरकारों द्वारा केवल एआईएस अधिकारियों के लिए ही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं विविध राज्य सरकारों के लगभग 38.01 लाख कर्मचारी पहले से ही एनपीएस योजना में शामिल हैं। एनपीएस में 31.12.2014 तक प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियां (एयूएम) लगभग 65,939.75 करोड़ रुपए थी।

(viii) **स्वावलंबन योजना**- राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ समाज के कमजोर एवं आर्थिक रूप से वंचित निवेश की सीमित संभावनाओं वाले वर्गों तक भी पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के माध्यम से सितंबर, 2010 को एनपीएस - स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना, विशेष रूप से, असंगठित क्षेत्र एवं सक्रिय जीवन के दौरान छोटी बचत को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य पर्याप्त राशि का संग्रह करना है ताकि वृद्धावस्था के दौरान सेवानिवृत्ति के समय वार्षिकी के अतिरिक्त एकमुश्त राशि की अदायगी हो।

इस योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा इस योजना के तहत खुले प्रत्येक एनपीएस खाते में 1000/- रुपए की राशि का अंशदान किया जाता है जबकि अंशदानकर्ता वित्तीय वर्ष के दौरान 1000 रुपए से 12000 रुपए तक की राशि जमाकर सकता है लेकिन यह अवधि वर्ष 2016-17 तक 5 वर्ष से अधिक न हो। यह योजना भारत के उन नागरिकों के लिए भी है जो किसी संगठित पेंशन/भविष्य निधि योजना में शामिल नहीं है। स्वावलंबन योजना के हिताधिकारियों में असंगठित/ अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार, आंगनबाड़ी के कर्मचारी, विनिर्माण एवं अन्य भवन निर्माण कामगार, बुनकर, मछुआरे, किसान, दुग्ध कर्मचारी और पेशेवर वर्ग इत्यादि शामिल हैं।

स्वावलंबन योजना वस्तुतः 76 एग्रीगेटरों एवं 64 कार्यनिष्पादक की मदों के तहत चलायी जा रही हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 23 लाख अंशधारकों को स्वावलंबन योजना के तहत सरकारी अंशदान प्राप्त होने की अपेक्षा है। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान 104.41 करोड़ रुपए वर्ष 2013-14 के दौरान 152.90 एवं 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) 58.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है। इसके अलावा, योजना वर्ष 2015-16 के लिए 581.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ix) **फैक्टरिंग के संबंध में ऋण गारंटी निधि**- बजट 2013-14 में वित्त मंत्री ने सिडबी में 500 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 को पारित किए जाने के परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग को बढ़ावा देना है। आम चुनाव, 2014 तथा आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण इस योजना को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया अतः सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो वर्ष 2014-15 में 250 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2015-16

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रूपए करोड़ में)			मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	मुख्य शीर्ष 2235- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए आर्थिक सहायता देना	101.79	-	-	स्कीम के अंतर्गत पेंशनभोगी 9% प्रति वर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं।	स्कीम की प्रवर्तनावधि के दौरान लगभग 3.05 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने पंजीकरण करवाया था। उन्हें स्कीम के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं।	यह योजना 14.07.2003 से 09.07.2004 तक 55 वर्ष एवं इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिचालन में थी। तथापि, अभिदाताओं को अभी लाभ हो रहे हैं। वर्ष 2014-15 के बजट अभिभाषण के अनुसार इस योजना को 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक की सीमित अवधि के लिए 60 वर्ष एवं इससे अधिक की आयु वाले नागरिकों के लिए पुनः लागू किया गया है।	कोई जोखिम शामिल नहीं है।
2.	मुख्य शीर्ष 2235- स्वावलंबन योजना।	असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करना।	581.90	-	-	स्कीम का उद्देश्य है - असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 50 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करना।	मार्च, 2016	परिकल्पित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और उपस्थिति केन्द्र (पीओपी) के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।

* सीईबीआर - अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत अर्थात उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा प्रतिबद्ध व्यय।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
3.	मुख्य शीर्ष 2235-आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में सरकार का योगदान।	इस स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान किया जाता है।	437.51	-	-	इस स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम 200/- रु. प्रति लाभार्थी है, जिसमें 50% का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा देख-रेख की जा रही सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। "ग्रामीण भूमिहीन परिवारों" के मामले में शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अन्य समूहों के मामले में यह अंशदान राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग /राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन नोडल एजेंसी की रूप में कार्य कर सकते हैं।	इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थियों सहित 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है जो पहचान किए गए 47 पेशागत/ व्यवसायिक समूहों के सदस्य हैं। लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) तक पढ़ने वाले दो बच्चों को प्रति छात्र प्रति माह 100 रूपये की दर से छमाही आधार पर छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।	2016-17 तक	
4.	मुख्य शीर्ष 2235-प्रीमियम प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत सहायता (पीएमजेडीवाई)	पीएमजेडीवाई के तहत रूपे कार्ड धारकों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराना	100.00	-	-	इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है जो स्वयं कोई बीमा नहीं ले सकते अर्थात् ऐसे शहरी गरीब एवं ग्रामीण निर्धन जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।	पीएमजेडीवाई के तहत दिनांक 28.08.2014 से 26.01.2015 तक के बीच पहली बार अपना बैंक खाता खोलने वाले व्यक्तियों को 30000/- रुपए की राशि का जीवन बीमा संरक्षण (कवर) उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें किसी भी कारण से खाताधारी की मृत्यु पर मृतक के परिवार को राशि दी जाएगी।	यह योजना दिनांक 15.08.2014 से 26.01.2015 के बीच लागू थी। हालांकि, एलआईसी द्वारा रखी गयी इस निधि को सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः पूर्ति किए जाने की अपेक्षा है।	कोई जोखिम नहीं।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
5.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	13000.00	-	-	किसानों को 3.00 लाख रुपए तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% के ब्याज दर पर उपलब्ध कराना। 3% की अतिरिक्त राहत उन किसानों को प्रदान की जाएगी जो समय पर अपना फसल ऋण चुकाते हैं। वर्ष 2014-15 से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी, जो पुनर्गठित खातों के लिए पहले वर्ष के लिए ही होगी और फिर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर ही लगेगी।	किसान अल्पावधि ऋणों पर अत्यंत जरूरी ब्याज राहत का लाभ उठाएंगे।	वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कार्यान्वयन की अवधि का विस्तार किया जाता है।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।
6.	मुख्य शीर्ष- 3465 फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु सिडबी को वित्तीय सहायता।	भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग को बढ़ावा देना।	-	250.00	-	आगामी पांच वर्षों के दौरान सकल वार्षिक क्षेत्र-वार ऋणों को 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का अनुमान है। एमएसएमई क्षेत्र में ऋणों को 27% से अधिक स्तर तक बढ़ाया जाएगा। 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के दौरान 5% से 25% तक बिना किसी की मदद के वृद्धि करना।	-	-	-
7.	मुख्य शीर्ष 3465- भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर, 2008 के अधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) में अंशदान के लिए जारी की गई विपणन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	-	-	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित निधि में अंतरण करने के लिए है।	इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित निधि में सरकार द्वारा 625 करोड़ रु. का अंशदान किया जाना है।	2024 तक	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
8.	मुख्य शीर्ष 4416- नाबार्ड की शेयर पूंजी में अभिदान करना।	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	-	300.00	-	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना तथा तदनुसार इसके विकासात्मक कार्यात्मक आदेश को पूरा करने के लिए उधार क्षमता को बढ़ाना।	इससे नाबार्ड की उधार लेने तथा कृषि ऋण देने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्य करने वाले बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होगी।	-	यह नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार का अंशदान है। इसमें कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।
9.	मुख्य शीर्ष 4416- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध चरण में कम से कम इसके आगे 7% एवं 9% करना।	-	15.00	-	अपना सीआरएआर 9% तक लाने के लिए 40 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना ताकि क्षति को कम किया जा सके और उनकी उधार क्षमता में वृद्धि की जा सके।	मार्च, 2016	यह सरकारी निवेश है। कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।
10.	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान करना।	एक्जिम बैंक का ईक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना।	-	1300.00	-	वर्ष 2015-16 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ाकर 660 मिलियन यूएस डालर करना। (वर्ष 2014-15 के दौरान 600 मिलियन यूएस डॉलर के अनुमानित संवितरण से 10 प्रतिशत अधिक)	इससे अन्य देशों को भारत के निर्यातों के संवर्द्धन में मदद मिलेगी।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।
11.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने हेतु पूंजी सहायता प्रदान करना ताकि उनके टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाये रखा जा सके।	-	7940.00	-	अपने टीयर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सक्षम बनाने और बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों के अनुपालन में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने अनुषंगियों तथा सहयोगियों के जरिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन आरंभ करने में सहायता करना।	सीआरएआर का सहज स्तर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं के लिए सहायता करने में सक्षम बनाएगा ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में रोजगार के अवसरों एवं समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सके।	एक वर्ष	यह अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा करने तथा सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाये रखने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

1. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की अब तक असेवित बड़ी आबादी को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर के लोगों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं।

(क) **बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तारः** सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2014-15 के दौरान (दिनांक 30.11.2014 तक) 3456 शाखाएं खोली।

(ख) **एटीएम नेटवर्क का विस्तारः** सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2014-15 के दौरान (दिनांक 30.11.2014 तक) 12980 स्वचलित टेलर मशीनें (एटीएम) खोली हैं तथा एटीएम की संख्या, जो दिनांक 31.03.2014 को 1,10,424 थी, दिनांक 30.11.2014 को बढ़कर 1,23,404 हो गई।

(ग) **प्रधानमंत्री जन-धन योजनाः** प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना की घोषणा की थी और 28 अगस्त, 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन के साथ बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थी को एक रूपे डेबिट कार्ड प्राप्त होंगे, जिनमें 1.00 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा अंतर्निहित है। इसके अलावा, दिनांक 15.08.2014 से 26.01.2015 के बीच पहली बार अपना खाता खोलने वाले तथा योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लोगों के लिए 30,000/- रुपए का जीवन बीमा कवर है।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सभी बैंकों को कवर न किए गए सभी परिवारों का खाता दिनांक 26.01.2015 तक खोलने के लिए आवंटित उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) तथा वार्डों में सर्वेक्षण करने का लक्ष्य दिया गया था। दिनांक 07.01.2015 की स्थिति के अनुसार 21.07 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से 20.98 करोड़ परिवारों ने अपना खाता खोला है, अर्थात् कवरेज 99.06% है। शेष 0.09 करोड़ परिवारों के खाते दिनांक 26.01.2015 से पूर्व खोले जाएंगे।

बैंकों द्वारा पीएमजेडीवाई का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिनांक 10.01.2015 की स्थिति के अनुसार 11.07 करोड़ खाते खोले गए हैं और पात्र खाताधारकों को 9.26 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में जमा कुल राशि 8698.01 करोड़ रुपए हैं।

2. पेंशन सुधार

इस पृष्ठभूमि की तुलना में कि कुल श्रमिकों का सिर्फ 12-13% ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया गया था, देश में सुदृढ़ तथा धारणीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र में सुधार आरंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 01 जनवरी, 2004 से आरंभ की गई है। इसे निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर सरकारी सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। सुदृढ़ विनियमन समर्थित व्यक्तिगत विकल्प पर आधारित किफायती तथा कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। पूर्णतः "निर्धारित अंशदान" उत्पाद के रूप में बिना किसी निर्धारित लाभ घटक के प्रतिलाभ पूर्णतः बाजार से संबद्ध होंगे। कुछेक विनियामकीय प्रतिबंधों के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लोगों को विभिन्न निवेश विकल्पों तथा एक निवेश से दूसरे निवेश या एक निधि प्रबंधक से दूसरे प्रबंधक में परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्षेत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), जिसे सरकारी संकल्प के माध्यम से गठित किया गया था, ने सितंबर, 2013 में संसद द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ सांविधिक स्थान प्राप्त कर लिया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 को 01 फरवरी, 2014 से लागू किया गया था। सांविधिक पीएफआरडीए का गठन लोगों, विशेष रूप से अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्र के लोगों को उनकी वृद्धावस्था में सुरक्षा तथा सामाजिक रक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

एनपीएस को 01 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति स्थान (पीओपी) के रूप में 61 संस्थागत कंपनियों सहित एनपीएस मध्यवर्तियों, जो पेंशन खाता खोलने तथा संग्रह केंद्रों, जो एक केंद्रीयकृत रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी (सीआरए) के रूप में कार्य करेंगी, तथा निवेशकों के पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए 8 पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति शामिल है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप एनपीएस मध्यवर्तियों के चयन की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी, भेदभाव रहित, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनायी गयी है, जिससे इष्टतम लागत पर एनपीएस के अंशदाताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है।

संगठित कंपनियों को अपने मौजूदा तथा नए कर्मचारियों को एनपीएस संरचना में ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर एनपीएस के विशेष रूप से तैयार किए गए मॉडल, जिसे "एनपीएस-कॉर्पोरेट" क्षेत्र मॉडल के रूप में जाना जाता है, को दिसंबर, 2011 से आरंभ किया गया है। 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, 1526 कॉर्पोरेट्स तथा 3.35 लाख कर्मचारियों को इस मॉडल के अंतर्गत नामांकित किया गया है। एनपीएस कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) 4837.60 करोड़ रुपए है।

एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में इसमें कई परिवर्तन किए गए हैः

i. एनपीएस खाते की परिपक्वता पर अंशदाताओं को वार्षिकी योजना का प्रस्ताव देने के लिए सात वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया हैः

   1. भारतीय जीवन बीमा निगम
   2. भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी लि.
   3. आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
   4. बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
   5. स्टार यूनियन दा-इची इंश्योरेंस कंपनी लि.

6. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

7. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

ii. निवेश प्रबंधन शुल्क (आईएमएफ), जिसका अभिदाताओं के टर्मिनल पेंशन धन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए 16 जनवरी, 2014 को निजी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन निधि के चयन संबंधी प्रस्ताव का अनुरोध जारी किया गया था।

iii. **केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में ई-केवाईसी की स्वीकार्यता**- अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परामर्श से केवाईसी सत्यापन की वैध प्रक्रिया के रुप में यूआईडीएआई द्वारा शुरू की गई ई-केवाईसी सेवा को अब स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जनसांख्यिकी ब्यौरे और फोटोग्राफ वाले यूआईडीएआई द्वारा अधिप्रमाणित और हस्तांतरित सूचना को ग्राहक की पहचान एवं पते का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा।

iv. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास मार्गनिर्देश-अभिदाता द्वारा संचित पेंशन धन के संपूर्ण आहरण का विकल्प**- एनपीएस लाइट-स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं को छोड़कर अभिदाताओं को समस्त संचित पेंशन निधि आहरित करने का विकल्प देने का निर्णय इस शर्त के अध्यधीन लिया गया है कि अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन सरकारी कर्मचारी अभिदाताओं के लिए अधिवर्षिता के समय या सर्व नागरिक मॉडल (ऑल सिटीजन मॉडल) और कॉर्पोरेट मॉडल के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के लिए 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर 2,00,000/- रुपए के बराबर या उससे कम है।

v. **60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पंजीकरण-**

पीएफआरडीए ने प्रवेश के समय आयु पर ध्यान दिए बिना सरकार के उपस्थिति रजिस्टर में विद्यमान सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों (केंद्र और राज्य) को इस शर्त के अध्यधीन एनपीएस में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है कि एनपीएस खाते में अंशदान की कुल अवधि 42 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभिदाताओं के एनपीएस आवेदनों को 60 वर्ष से नीचे की आयु के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सरकारी विभाग के उपयुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का दायित्व अभिदाता पंजीकरण फॉर्म जमा करने वाले विभाग का होगा कि कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के योग्य है और कि ऐसे कर्मचारी के लिए समस्त सेवा अवधि के दौरान 42 वर्ष से अधिक का एनपीएस अभिदान का भुगतान नहीं किया गया है।

vi. **पीआरएएन की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)- एनपीएस लाइट/एनपीएस स्वावलंबन- सर्व नागरिक मॉडल और अन्य क्षेत्र**- सर्व नागरिक मॉडल में शामिल होने के इच्छुक एनपीएस लाइट/स्वावलंबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अभिदाता सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत अब एनपीएस नियमित प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। ऐसा एनपीएस लाइट/ स्वावलंबन के उन अभिदाताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है, जो एनपीएस लाइट प्लेटफॉर्म में शामिल हुए लेकिन विभिन्न कारणों से एनपीएस नियमित मॉडल से अलग होकर अंतर प्लेटफॉर्म स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से एनपीएस लाइट/स्वावलंबन से एनपीएस के सर्व नागरिक मॉडल में अपने पीआरएएन को स्थानांतरित करना चाहा।

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की गई थी और 01 जनवरी, 2004 से सरकार में भर्ती किए गए सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। 28 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है और इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें से 26 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने एनपीएस न्यास के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इन 26 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए सीआरए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस को शुरू करने की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 38.01 लाख कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में शामिल हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधित की जा रही आधारभूत निधि (कार्पस) 65,939.75 करोड़ रु. है। असंगठित क्षेत्र के लोगों तक एनपीएस का लाभ पहुंचाने के लिए बजट भाषण 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। यह योजना 76 एग्रीगेटरों (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार) के माध्यम से परिचालित होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,922 अभिदाताओं, 2011-12 के दौरान 6,43,979 अभिदाताओं को नामांकित किया गया है, वर्ष 2012-13 में स्वावलंबन के लिए पात्र 11,01,079 अभिदाता और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 15,90,610 अभिदाता पात्र हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के लिए 64 उपस्थिति केंद्रों के लगभग 37873 सेवा प्रदाता शाखाओं के माध्यम से एनपीएस उपलब्ध था।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों के त्वरित न्याय निर्णयन एवं त्वरित वसूली और उससे जुड़े मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार ने देश भर में 33 ऋण वसूली अधिकरणों और 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों की स्थापना की है।

डीआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक की अवधि के दौरान कुल 5390 मामले (मूल आवेदन), जिनमें 11013.55 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं, का निपटान किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में मौजूदा डीआरटी में लंबित मामलों को कम करने के लिए बेंगलुरू, चंडीगढ़, देहरादून, एर्नाकुलम, हैदराबाद और सिलीगुड़ी में 6 नए डीआरटी स्थापित करने की घोषणा की गयी थी। सरकार ने इन नए डीआरटी को स्थापित किए जाने को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

परिव्यय तथा परिणाम का विवरण 2013-14

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2013-2014 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समय-सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2202- मेधावी तथा जरूरतमंद छात्रों को केनरा बैंक के जरिए शिक्षा ऋण के संबंध में ब्याज सहायता	उन छात्रों को ब्याज सहायता प्रदान की गयी जिन्हें दिनांक 31.03.2009 तक शिक्षा ऋण स्वीकृत/संवितरित किए गए तथा जो दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया थे।	-	2600.00	इससे दिनांक 31.03.2009 तक स्वीकृत/प्राप्त किए गए तथा दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया सभी शिक्षा ऋण के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज संघटक के संबंध में राहत प्रदान होगी।	एक वर्ष	यह दिनांक 31.03.2009 तक स्वीकृत/प्राप्त किए गए तथा दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया शिक्षा ऋणों के संबंध में छात्रों को ब्याज राहत प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान है।इस प्रकार, इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	इस योजना से लगभग 9 लाख छात्रों को लाभ होगा।
2.	मुख्य शीर्ष 2235- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन को आर्थिक सहायता देना।	134.23	115.81	योजना के अंतर्गत पेंशनरों को 9% प्रति वर्ष की प्रभावी आय प्राप्त होती है।	योजना 14.07.2003 तथा 09.07.2004 के बीच प्रचालनरत थी। तथापि, अभिदाताओं को लाभ अभी भी दिए जा रहे हैं।	कोई जोखिम निहित नहीं।	कुल 3,05,632 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान अपना नामांकन कराया था।
3.	मुख्य शीर्ष 2235 - स्वावलंबन योजना।	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कवरेज को 30 लाख अभिदाताओं तक बढ़ाना।	170.00	155.00	स्कीम के अंतर्गत 15 लाख अभिदाताओं को नामांकित करवाना।	मार्च, 2014	संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, रुक-रुककर होने वाली अल्प आय और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।	योजना के अंतर्गत कुल 15,90,610 अभिदाता पात्र थे।
4.	मुख्य शीर्ष 2235- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में सरकार का योगदान	यह योजना गरीबी रेखा से नीचे तथा मामूली रूप से ऊपर के लोगों के जीवन तथा अपंगता को कवर करती है।	5.01	4.51	इस स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थियों सहित 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह	-	इस योजना के अंतर्गत सरकार को समय-समय पर 'सामाजिक सुरक्षा निधि' तथा 'छात्रवृत्ति निधि' में प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है।	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एएबीवाई के अंतर्गत कुल 4,54,15,082

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है, जो पहचान किए गए 47 पेशागत/व्यवसायिक समूहों के सदस्य हैं। लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति छात्र प्रति माह 100 रूपये की दर से छमाही आधार पर छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।			जीवन को कवर किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान एएबीवाई के अंतर्गत 281.80 करोड़ रुपए की कुल 45,07,719 छात्रवृत्ति संवितरित की गयी।
5.	मुख्य शीर्ष 2416-किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	6,000.00	6,000.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रदान करना। समय पर फसल ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।	कार्यान्वयन की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाता है।	यह किसानों को एक सब्सिडी है। कोई जोखिम कारक निहित नहीं है।	6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए।
6.	मुख्य शीर्ष 2416-महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	महिलाओं को सशक्त करना और उनके एसएचजी को बढ़ावा देना।	100.00	100.00	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला एसएचजी के गठन / वित्तपोषण को बढ़ावा देगा।	वर्ष 2013_14 तक	यह बैंकों को पिछड़े क्षेत्रो में गरीब महिलाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। यह महिला स्व-सहायता समूहों को जीविका संबंधी कार्यकलाप आरंभ करने के लिए सक्षम बनाएगा।	इस अवधि के दौरान 84.183 करोड़ रुपए जारी किए गए। 1,96,433 एसएचजी का गठन किया गया तथा 1,49,820 एसएचजी को बचत से जोड़ा गया, इनमें से 50,875 एसएचजी को ऋण संबद्ध किया गया।
7.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसियां, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसियां, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक, के माध्यम से 15 00 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान।	200.00	80.00	यह सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाती है।	एक वर्ष	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	80.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
8.	मुख्य शीर्ष 3465- भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के लिए जारी की गई विक्रय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में अभिदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का देय तिथि पर मोचन करने के लिए सृजित निधि में अंतरण करने के लिए है।	वर्ष 2024 तक	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।	समस्त निधियां समय से जारी की गई थी
9.	मुख्य शीर्ष 3465- कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता।	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कौशल विकास ऋणों को गारंटी देने हेतु।	-	500.00	यह अनुदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए दिया जाना है। यह निधि योजना के अन्य उपबंधों की शर्त पर किसी ऋणदात्री संस्था, जिसने इस उद्देश्य हेतु निधि से आवश्यक करार किया हो, द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए कौशल विकास ऋणों के संबंध में ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ऋणों के पुनर्भुगतान में हुई चूक के बदले गारंटी प्रदान करने का वचन देता है।	दो वर्ष	यह अनुदान सहायता है और परिणाम आधारित है। अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
10.	मुख्य शीर्ष 4416 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% तथा आगे 9% करना।	88.00	88.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को कम से कम 9% तक लाने के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण करना ताकि उनकी हानि को कम करने तथा उनकी उधार क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके।	वर्ष 2013_14 तक	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	4 आरआरबी को 82.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इस प्रकार, (नाबार्ड की सिफारिश पर सीआरएआर की 9% की आवश्यकता को पूरा करने के लिए) सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक सहित 39 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण पूरा किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपना

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
								भाग जारी न करने के कारण उत्तर प्रदेश में 2 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण नहीं किया गया था।
11.	मुख्य शीर्ष 4416 -नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	3000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	700.00	700.00	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना तथा इसके द्वारा उसके विकासात्मक अधिदेश को पूरा करने के लिए उसकी उधार क्षमता को बढ़ाना तथा साथ कृषि ऋण प्रदान करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक कार्यकलाप कर रहे बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकता को पूरा करना।	कार्यान्वयन अवधि दो वर्ष थी।	इस पूंजी निवेश से नाबार्ड को अपनी उधार क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	700 करोड़ रुपए जारी किए गए।
12.	मुख्य शीर्ष 4885 - भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अभिदान।	वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम अवसंरचना परियोजना के लिए दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए सहायता।	400.00	400.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, जो कि बैंक और अन्य संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं।	एक वर्ष	आईआईएफसीएल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त उपलब्ध करा रही है। वित्तीय संगठन के रूप में कंपनी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	400.00 करोड़ रुपए का समस्त प्रावधान जारी किया गया। आईआईएफसीएल ने संचयी रूप से कुल 94,728 करोड़ रुपए राशि की 350 परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की।
13.	मुख्य शीर्ष 4885 - भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) की शेयर पूंजी में अभिदान करना।	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना।	700.00	700.00	वर्ष 2013-14 के दौरान ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक के संवितरणों को 8506 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।	700 करोड़ रुपए का समग्र प्रावधान जारी कर दिया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की प्रदत्त पूंजी 3,759 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
14.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण।	अपनी टीयर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुपालनरत रहे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय पीएसबी द्वारा उनकी अनुषंगियों एवं सहयोगियों के माध्यम से किए जा रहे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को मदद करने हेतु उनके टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने के लिए पीएसबी को पूंजी सहायता प्रदान करना।	14,000.00	14000.00	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार टीयर-1 सीआरएआर का सहज स्तर बनाए रखने एवं बासेल-III मानदण्डों के अनुपालन में पूंजी पर्याप्तता विनियामकीय मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम बनाना।	एक वर्ष	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे देश की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सके।	सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों को 14,000.00 करोड़ रुपए का पूरा प्रावधान जारी किया गया। इसने बैंकों को हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के साथ-साथ सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में मदद की।
15.	मुख्य शीर्ष- 5465 - भारतीय महिला बैंक लिमिटेड में आरंभिक इंक्विटी पूंजी का निवेश।	स्त्री-पुरूष समानता तथा महिलाओं के अर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के सभी वर्गों तक वित्तीय पहुंच, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन की स्त्री-पुरूष भेद-भाव संबंधी समस्याओं को दूर करना।	-	1000.00	आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं तथा आस्ति स्वामित्व की समान सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। चूंकि दोनों संघटक एक-दूसरे से अंतः संबद्ध हैं, इसलिए वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए आस्ति पर अधिकार होना तथा आस्ति पर अधिकार के लिए वित्तीय सुविधा प्राप्त होना अनिवार्य है। अतः आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पहला कदम संपार्श्विक की कमी की समस्याओं का समाधान करते समय महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की समान सुविधा उपलबध कराना है। इससे महिलाओं द्वारा आस्ति स्वामित्व (संसाधनों पर अधिकार) तथा उद्यमशीलता दोनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष	यह बैंक की स्थापना के लिए सरकार द्वारा एक निवेश है। कोई जोखिम कारक निहित नहीं है।	1000.00 करोड़ रुपए का समग्र परिव्यय जारी किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में भारतीय महिला बैंक 19.11.2013 से कार्यशील हो गया है। तदुपरांत, बैंक ने देशभर में 9 केंद्रों से प्रचालन प्रारंभ किए।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2014-2015 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समय-सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2235-वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त पेंशन योजना।	114.49	111.24	योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को 9% प्रति वर्ष की प्रभावी आय प्राप्त होती है।	योजना 14.07.2003 तथा 09.07.2004 के बीच प्रचालनरत थी। तथापि, अभिदाताओं को लाभ अभी भी दिए जा रहे हैं।	कोई जोखिम शामिल नहीं है।	कुल 3,05,632 (अनंतिम) लाभार्थी थे जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान इसमें अपना नामांकन करवाया था, जिन्हें 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान किया जा रहा है।
2.	मुख्य शीर्ष 2235-स्वावलंबन योजना।	असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को पंजीकृत करने के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) को बढ़ाना।	195.00	195.00	योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत करवाकर अपनी सेवानिवृत्ति हेतु स्वैच्छिक बचत करने के लिए प्रेरित करना है।	वर्ष 2016-17 तक	अनुमानित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन के अध्यधीन है।	इस योजना के तहत दिनांक 31.12.2014 तक 6,22,745 अभिदाता पात्र हैं।
3.	मुख्य शीर्ष 2235-आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में सरकार का योगदान।	यह योजना गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रहने वाले लोगों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान करती है।	150.00	175.00	इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी प्रीमियम 200/- रुपए है जिसमें से 50% अंशदान केंद्र सरकार द्वारा गठित एवं एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। शेष 50% प्रीमियम का अंशदान 'ग्रामीण भूमिहीन परिवारों' के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा और अन्य समूहों के लिए राज्य सरकार/ नोडल एजेंसी/व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/ राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/कोई	-	-	दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एएबीवाई के तहत कुल 5,67,36,516 जीवन कवर किए गए हैं। दिनांक 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार एएबीवाई के तहत 272.18 करोड़ रुपए की राशि के 27,18,495 छात्रवृत्तियां संवितरित की गई।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					अन्य संस्थागत व्यवस्था/ पंजीकृत एनजीओ इस योजना के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।			
4.	मुख्य शीर्ष 2235- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत प्रीमियम अभिदान	पीएमजेडीवाई के तहत रूपे कार्ड धारकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना।	-	100.00	इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है जो प्रत्यक्ष बीमा वहन नहीं कर पाते, यथा शहरी गरीब एवं ग्रामीण गरीब जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं होते। यह 30,000/- रूपये का जीवन बीमा कवर उन लोगों को देगा जिन्होंने दिनांक 28.08.2014 एवं 26.01.2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोला है, यह मृतक के परिवार के लिए किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर कतिपय अपात्र श्रेणी के आधार पर होगा।	यह योजना दिनांक 15.08.2014 एवं 26.01.2015 के बीच परिचालित थी। तथापि सरकार को चाहिए कि वे समय-समय पर एलआईसी द्वारा अनुरक्षित निधि की पुनः पूर्ति करें।	इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	-
5.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	6000.00	9476.71	किसानों को 3.00 लाख रुपए तक की राशि के अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रति वर्ष की दर पर प्रदान करना। अपना फसल ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कार्यान्वयन की अवधि का विस्तार किया जाता है।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं हे।	दिनांक 31.12. 2014 तक 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए।
6.	मुख्य शीर्ष 2416- महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा उनके स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए।	50.00	50.00	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के वित्त पोषण को बढ़ावा देगा।	2014-15 तक	यह अनुदान सहायता और परिणाम पर आधारित है। इसलिए इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	दिनांक 31.03. 2014 तक नाबार्ड को जारी की गई 184.183 करोड़ रुपए की राशि में से नाबार्ड द्वारा दिनांक 30.09.2014 तक एनजीओ एवं अन्य एजेंसियों को 41.14 करोड़ रुपए की

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
								सहायता राशि जारी कर दी गई है।
7.	मुख्य शीर्ष 2416- उत्पादक संघ विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	दो वर्ष की अवधि में किसानों के 2000 उत्पादक संघों का संवर्द्धन एवं परिपोषण करना।	200.00	200.00	आगामी दो वर्षों में देश भर में 2000 उत्पादक संघों का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा।	दो वर्ष	यह निधि देश भर में उत्पादक संघ का निर्माण करने के लिए है और इसलिए इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	-
8.	मुख्य शीर्ष 2885- नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान।	50.00	50.00	यह सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी।	एक वर्ष	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	-
9.	मुख्य शीर्ष 3465- भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के प्रति प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक, के ईक्विटी शेयर 2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गई एसएलआर विपणन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित निधि में अंतरण करने के लिए है।	2024 तक	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन हेतु पहले से सृजित प्रतिभूति मोचन निधि में केवल अंतरण है।	-
10.	मुख्य शीर्ष 3465- कौशल विकास के संबंध में ऋण गारंटी निधि स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता।	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कौशल विकास ऋणों को गारंटी देने हेतु।	500.00	0.00	यह अनुदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए दिया जाना है।	दो वर्ष	यह अनुदान सहायता है और परिणाम आधारित है। अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	इस योजना को कौशल विकास और उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।
11.	मुख्य शीर्ष 3465- फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि गठित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को वित्तीय सहायता।	भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्राप्य राशियों के फैक्टरिंग का समर्थन करना।	50.00	250.00	अगले पांच वर्षों में सकल वार्षिक आढ़त ऋण 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। एमएसएमई निवेश सूची के आढ़त ऋणों के शेयर में 27% से उच्च स्तर तक की वृद्धि। 'बिना अवलंब' के फैक्टरिंग के शेयर को प्रथम वर्ष	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					के 5% से पांचवे वर्ष में 25% तक बढ़ाना।			
12.	मुख्य शीर्ष 4416- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी को उनके जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) का 9% करना।	50.00	50.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को 9% तक लाने के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण।	वर्ष 2013-14 तक।	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक शामिल नहीं है।	सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सहित 39 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (नाबार्ड के अनुरोध पर 9% न्यूनतम सीआरएआर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए) पूर्ण हो गया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अपना शेयर जारी न किए जाने के कारण 2 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण नहीं किया गया था।
13.	मुख्य शीर्ष 4416_ नाबार्ड की शेयर पूंजी में अभिदान करना।	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	300.00	300.00	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना तथा इसके द्वारा उसके विकासात्मक अधिदेश को पूरा करने के लिए उसकी उधार क्षमता को बढ़ाना।	कार्यान्वयन अवधि दो वर्ष थी।	इस पूंजी निवेश से नाबार्ड को अपनी उधार क्षमता में वृद्धि करने, ऋण प्रदान करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक कार्यकलाप कर रहे बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	300 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया।
14.	मुख्य शीर्ष 4885- भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अभिदान।	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधिक वित्त में सहायता करने के लिए आईआईएफसीएल की इक्विटी आधार को सुदृढ़ बनाना।	600.00	600.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में उस कमी को पूरा करेगी जिसे बैंक और अन्य संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं।	एक वर्ष	आईआईएफसीएल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराती है। वित्तीय संस्था के रूप में कंपनी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	600 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
15.	मुख्य शीर्ष 4885- एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान।	एक्जिम बैंक के ईक्विटी आधार को सुदृढ़ बनाना।	1300.00	1300.00	वर्ष 2014-15 के दौरान निर्यात हेतु ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक के संवितरणों को 880 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना (वर्ष 2013-14 के दौरान 802 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित संवितरण में 10% वृद्धि।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम।	1300 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया। बैंक की चुकता पूंजी 5059 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी।
16.	मुख्य शीर्ष 4885-भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लि.) की शेयर पूंजी में अभिदान।	आईएफसीआई लि. को सरकारी कंपनी बनाने के लिए।	-	60.00	मौजूदा शेयर घटकों के अधिमान्य शेयरों का अर्जन करके आईएफसीआई लि. को सरकारी कंपनी बनाना तथा सरकार की शेयरधारिता को 51% तक बढ़ाना।	एक वर्ष	-	-
17.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण।	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपना टीयर-I सीआरएआर बढ़ाने हेतु पूंजी सहायता प्रदान करना ताकि उनके टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाये रखा जा सके।	11200.00	6990.00	बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों के अनुपालन में टीयर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सक्षम बनाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी अनुषंगियों और सहयोगियों के जरिए उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन में सहायता दी जा सके।	एक वर्ष	यह अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा करने में बैंकों को सक्षम बनाने और सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने के लिए पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है।	वर्ष 2014-15 के दौरान 9 पीएसबी में 6990 करोड़ रुपए लगाने का निर्णय लिया गया है।
18.	मुख्य शीर्ष 6416- लाइसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरूज्जीवन के लिए नाबार्ड को ऋण।	चार राज्यों में लाइसेंस रहित 23 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, यथा उत्तर प्रदेश में 16, जम्मू और कश्मीर में 3, महाराष्ट्र में 3 और पश्चिम बंगाल में 1 का पुनरूज्जीवन।	-	673.29	इन सहकारी बैंकों के पुनरूज्जीवन से इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिचालन को जारी रखने हेतु आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने में डीसीसीबी को समर्थ बनाने हेतु योग्य बनाएंगे।	पूरी राशि एक साथ जारी की जाएगी।	-	-

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ तथा अदा किए गए लाभांश का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक/बीमा कंपनी का नाम	31.03.2014 के अनुसार कुल चुकता पूंजी	31.03.2014 के अनुसार चुकता पूंजी में सरकार का अंश	2013-14 में करोपरान्त लाभ	2013-14 में अदा किया गया लाभांश	2014-15 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2014-15 में लाभांश की अदायगी हेतु संशोधित अनुमान	2015-16 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान
1.	इलाहाबाद बैंक	544.61	320.80	1172.03	80.20	220.58	80.20	183.00
2.	आन्ध्रा बैंक	589.61	354.61	435.58	39.01	237.61	39.01	140.00
3.	बैंक आफ बड़ौदा	429.42	241.57	4541.08	519.38	505.22	519.38	437.00
4.	बैंक आफ इंडिया	642.26	428.37	2729.27	214.18	335.30	214.18	498.00
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	839.10	715.01	385.97	136.83	210.66	136.83	155.00
6.	केनरा बैंक	461.26	318.26	2438.19	350.08	439.23	350.08	463.00
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1350.44	1196.89	...	...	326.26	...	349.00
8.	कार्पोरेशन बैंक	167.54	106.10	561.72	71.62	236.54	71.62	175.00
9.	देना बैंक	537.82	311.97	551.66	68.63	77.22	68.63	99.00
10.	इंडियन बैंक	464.85	378.90	1158.94	193.76	396.45	193.76	192.00
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1235.35	911.71	601.74	109.41	332.33	109.41	295.00
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	299.85	177.30	1139.41	134.75	177.93	134.75	188.00
13.	पंजाब नैशनल बैंक	362.07	213.17	3342.57	213.17	557.17	213.17	472.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	275.28	224.13	300.63	49.31	48.73	67.31	94.00
15.	सिंडिकेट बैंक	624.58	420.92	1711.46	231.51	201.44	231.51	184.00
16.	यूको बैंक	1014.71	783.33	1510.54	182.58	363.07	161.58	194.00
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	630.31	378.97	1696.61	161.58	332.64	182.58	297.00
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	554.75	488.17	...	...	195.21	...	116.00
19.	विजया बैंक	859.12	636.25	415.91	96.78	242.47	96.78	108.00
20.	भारतीय स्टेट बैंक	746.57	437.46	10891.17	1312.38	1925.13	1,312.38	1,847.00
21.	आईडीबीआई बैंक लि.	1603.94	1227.02	1121.40	122.70	350.70	122.70	444.00
22.	भारतीय महिला बैंक	1000.00	1000.00	12.26	...	...	...	...
23.	एक्जिम बैंक	3759.37	3759.37	709.78	339.00	339.00	207.50	160.00
24.	आईआईएफसीएल	3300.00	3300.00	521.42	...	...	...	...
25.	भारतीय जीवन बीमा निगम	100.00	100.00	32685.21	1634.27	1751.44	1818.35	2021.74
26.	भारतीय साधारण बीमा निगम	430.00	430.00	2253.17	449.35	550.00	550.00	580.00
27.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100.00	100.00	822.89	164.66	120.00	180.00	150.00
28.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	200.00	1088.98	220.00	185.00	185.00	190.00
29.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	150.00	527.60	106.00	120.00	120.00	130.00
30.	ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	150.00	460.29	108.00	110.00	115.00	115.00
	कुल	**23422.81**	**19460.28**	**75787.48**	**7309.14**	**10887.33**	**7481.71**	**10276.74**

वित्तीय सेवाएं विभाग मांग संख्या 34 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2013-14			2014-15			2015-16
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)	बजट अनुमान
	गैर-योजना							
1	केनरा बैंक के जरिए मेधावी और जरुरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों के संबंध में ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष-2202)	...	2600.00	2600.00	...	...	...	...
2	कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 - किसान ऋण राहत निधि का अंतरण (मुख्य शीर्ष-2235)	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष-2235)	134.23	115.81	115.81	111.49	111.24	...	101.79
4	**असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबन योजना**							
4.1	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष-2235)	150.00	135.00	135.00	175.00	175.00	58.38	500.00
4.2	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता (मुख्य शीर्ष-2235)	20.00	20.00	17.90	20.00	20.00	...	81.90
5	प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत रूपे डेबिट कार्डधारकों के प्रीमियम अभिदान के रूप में एलआईसी को सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष- 2235)	...	...	...	...	100.00	...	100.00
6	आम आदमी बीमा योजना के प्रति सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष-2235)	5.01	4.51	4.50	150.00	175.00	149.99	437.51
7	उत्पादक संगठन विकास निधि के लिए नाबार्ड को अनुदान (मुख्य शीर्ष-2416)	...	...	...	200.00	200.00	...	...
8	किसानों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष-2416)	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	9476.71	5000.00	13000.00
9	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन (मुख्य शीर्ष-2416)	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10	आवास ऋण के लिए नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक को 1% सब्सिडी का भुगतान (मुख्य शीर्ष-2885)	200.00	80.00	80.00	50.00	50.00	...	0.01
11	विदेशी सहायता संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान (मुख्य शीर्ष - 2885)	0.01	0.01	...	46.02	46.02	...	...
12	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के लिए जारी प्रतिभूति का प्रतिदान (मुख्य शीर्ष-2885)	...	300.00	250.00	...	250.00	...	...
13	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान (मुख्य शीर्ष- 3465)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	...	625.00
14	लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन हेतु नाबार्ड को ऋण (मुख्य शीर्ष-6416)	...	...	...	...	673.29	...	...

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2013-14 बजट अनुमान	2013-14 संशोधित अनुमान	2013-14 वास्तविक	2014-15 बजट अनुमान	2014-15 संशोधित अनुमान	2014-15 वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)	2015-16 बजट अनुमान
15	विश्व बैंक समर्थित सूक्ष्म वित्तीय परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त सुविधा में सुधार लाने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक की सहायता (मुख्य शीर्ष- 6885)	12.40	0.22	0.22	0.01	60.00	...	...
16	विश्व बैंक सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत भारत में कम आय आवास वित्तपोषण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक सहायता (मुख्य शीर्ष- 6885)	...	...	...	...	85.00	...	....
	कुल गैर-योजना	**7146.67**	**9880.57**	**9828.43**	**7377.54**	**12047.28**	**5208.37**	**14846.23**
	योजना							
17	महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के गठन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष-2416)	100.00	100.00	84.18	50.00	50.00	...	...
18	भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि का सृजन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष-3465)	100.00	200.00	200.00	50.00	50.00	...	...
19	फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु सिडबी को वित्तीय सहायता (मुख्यशीर्ष-3465)	...	500.00	...	50.00	250.00	...	250.00
20	कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	...	...
21	नाबार्ड की शेयर पूंजी में अभिदान (मुख्य शीर्ष-4416)	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	300.00	300.00
22	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के प्रति अंशदान (मुख्य शीर्ष-4416)	88.00	88.00	82.78	50.00	50.00	...	15.00
23	भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान (मुख्य शीर्ष-4885)	700.00	700.00	700.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
24	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष-4885)	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	...
25	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई लि.) की शेयर पूंजी में अभिदान (मुख्य शीर्ष-4885)	...	...	...	...	60.00	...	...
26	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (मुख्य शीर्ष - 5465)	14000.00	14000.00	14000.00	11200.00	6990.00	...	7940.00
27	भारतीय महिला बैंक लि. के संबंध में इक्विटी पूंजी (मुख्य शीर्ष - 5465)	...	1000.00	1000.00	...	...	...	...
	कुल योजना	**16088.00**	**18188.00**	**17666.96**	**14100.00**	**9650.00**	**2200.00**	**9805.00**
	सकल योग	**23234.67**	**28068.57**	**27495.39**	**21477.54**	**21697.28**	**7408.37**	**16846.23**

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)
	भाग क गैर-योजना मदें										
1	**सचिवालय - सामान्य सेवाएं**	**2052**	**15.07**	**21.62**	**18.65**	**19.81**	**18.58**	**18.45**	**27.59**	**29.60**	**15.68**
	अन्य राजकोषीय सेवाएं										
2	अन्य व्यय (विशेष न्यायालय और अभिरक्षक का कार्यालय)	**2047**	**8.23**	**6.50**	**6.05**	**7.32**	**7.72**	**7.19**	**9.71**	**10.11**	**6.38**
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
3	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)	**2070**	2.53	2.32	2.20	2.50	2.66	2.28	2.85	3.34	1.81
4	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)	**2070**	12.34	9.97	9.86	11.82	11.34	11.26	14.78	14.71	10.57
5	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	**2070**	44.25	51.50	48.09	67.50	52.18	52.25	77.00	75.55	49.20
6	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	**2070**	22.00	20.95	15.22	25.30	18.25	18.25	25.50	32.50	17.33
	कुल - अन्य प्रशासनिक सेवाएं		**81.12**	**84.74**	**75.37**	**107.12**	**84.43**	**84.04**	**120.13**	**126.10**	**78.91**
	सामान्य शिक्षा										
7	**मेधावी और जरुरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों के संबंध में ब्याज सहायता**	**2202**	...	...	...	**...**	2600.00	2600.00	...	...	...
	कुल सामान्य शिक्षा		...	...	...	...	**2600.00**	**2600.00**	...	...	...
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
8	अन्य व्यय (न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता)	**3475**	0.52	0.52	0.61	0.47	0.40	0.38	1.13	0.42	0.14
9	विनिमय भिन्नता हेतु आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान	**3475**	69.09	69.09	69.09	...	...	...	...	...	...
	कुल - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**69.61**	**6.61**	**69.70**	**0.47**	**0.40**	**0.38**	**1.13**	**0.42**	**0.14**
	लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय										
10	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)										
10.01	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि की खरीद	**4059**	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		0.01	...	...	...	...	...	...	...	...
	औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
11	नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	**2885**	400.00	500.00	400.00	200.00	80.00	80.00	50.00	50.00	...

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)
12	एसएएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का प्रतिदान	2885	...	300.00	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00	...
13	विदेशी सहायता संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	2885	8.90	8.90	8.88	0.01	0.01	...	46.02	46.02	...
	कुल औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		**408.90**	**808.90**	**708.88**	**200.01**	**380.01**	**330.00**	**96.02**	**346.02**	...
	कृषि वित्त संस्थाएं										
14	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए अनुदान	2416	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...
15	किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	2416	6000.00	5400.00	5400.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	9476.71	5000.00
16	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन	2416	500.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
17	उत्पादक संगठन विकास निधि के लिए नाबार्ड को अनुदान	2416	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00	...
18	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के लिए अंशदान (एफआईटीएफ)	2416	20.00	...	...	...	...	...	...	...	...
19	लाइसेंसरहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरुज्जीवन हेतु नाबार्ड को ऋण	6416	...	...	...	...	...	...	...	673.29	...
	कुल - कृषि वित्त संस्थाएं		**6550.01**	**5400.02**	**5400.00**	**6000.01**	**6000.01**	**6000.00**	**6200.01**	**10350.01**	**5000.00**
	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
20	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम अंशदान के प्रति प्रतिभूतियों के प्रतिदान के लिए प्रतिभूति मोचन निधि का अंतरण	3465	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	...
21	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता में सुधार करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	6885	14.00	1.00	0.66	12.40	0.22	0.22	0.01	60.00	...
22	विश्व बैंक सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत भारत में कम आय आवास वित्तपोषण की पहुंच को सुधारने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक सहायता	6885	...	...	...	...	...	...	...	85.00	...
	कुल - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं		**639.00**	**626.00**	**625.66**	**637.40**	**625.22**	**625.22**	**625.01**	**770.00**	**...**

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
23	किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना										
23.01	किसान ऋण राहत निधि में अंतरण	**2235**	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
23.02	किसानों को ऋण माफी एवं ऋण राहत के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान	**2235**	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...
23.03	ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	**2235**	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...
	कुल- किसानों के लिए ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना		**0.03**	**0.02**	**...**	**0.01**	**0.01**	**...**	**0.01**	**0.01**	...
24	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी	**2235**	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...
25	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी	**2235**	182.25	140.00	99.55	134.23	115.81	115.81	111.49	111.24	...
26	असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना										
26.01	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान	**2235**	200.00	110.00	90.00	150.00	135.00	135.00	175.00	175.00	58.38
26.02	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता	**2235**	20.00	18.00	14.41	20.00	20.00	17.90	20.00	20.00	...
27	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन हेतु सरकार का अंशदान	**2235**	175.00	175.00	157.50	...	...	...	...	...	...
28	आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा छात्रवृत्ति के लिए सरकार का अंशदान	**2235**	...	...	...	5.01	4.51	4.50	150.00	175.00	149.99
29	प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत रूपे डेबिट कार्डधारकों के प्रीमियम अभिदान के रूप में एलआईसी को सरकार का अंशदान	**2235**	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...
	कुल - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**577.29**	**443.03**	**361.46**	**309.24**	**275.33**	**273.21**	**456.50**	**581.25**	**208.37**
	कुल गैर-योजना		**8349.27**	**7460.42**	**7265.77**	**7281.39**	**9991.71**	**9938.49**	**7536.10**	**12213.51**	**5309.48**

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)
	भाग ख – योजनागत मदें										
1	भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	**4885**	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00	700.00	1300.00	1300.00	1300.00
2	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)	**4885**	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00
3	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई लि.) की शेयर पूंजी में अभिदान	**4885**	...	....	...	...	...	..	...	60.00	...
4	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान	**2416**	200.00	...	...	100.00	100.00	84.18	50.00	50.00	...
5	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी के लिए अभिदान	**4416**	500.00	1000.00	1000.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	300.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	**4416**	200.00	535.00	535.00	88.00	88.00	82.78	50.00	50.00	...
7	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	**5465**	14588.00	12517.00	12517.00	14000.00	14000.00	14000.00	11200.00	6990.00	...
8	भारतीय महिला बैंक के संबंध में इक्विटी पूंजी	**5465**	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	...	...
9	इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड के निर्माण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	**3465**	...	...	...	100.00	200.00	200.00	50.00	50.00	...
10	फैक्टरिंग के संबंध में ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	**3465**	...	...	...	...	500.00	...	50.00	250.00	...
11	कौशल विकास हेतु ऋण गारंटी कोष स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता	**3465**	...	...	...	...	500.00	500.00	500.00	0.00	...
	कुल योजना		**16088.00**	**14652.00**	**14652.00**	**16088.00**	**18188.00**	**17666.96**	**14100.00**	**9650.00**	**2200.00**
	कुल योग		**24437.24**	**22112.44**	**21917.77**	**23369.39**	**28179.71**	**27605.45**	**21636.10**	**21863.51**	**7509.48**
	संशोधित अनुमान के सन्दर्भ में प्रतिशतता			**99.11%**			**97.96%**			**34.35%**	

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में प्रयोजन शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2012-13			2013-14			2014-15		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2014 तक)
	राजस्व खंड									
1	वेतन	49.75	53.41	53.90	57.95	59.77	59.91	69.78	74.55	55.91
2	मजदूरी	0.51	0.51	0.47	0.63	0.63	0.58	0.53	0.35	0.20
3	समयोपरि भत्ता	0.15	0.06	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.03
4	चिकित्सा उपचार	0.99	0.94	0.88	1.00	0.86	0.84	1.19	1.46	0.64
5	देशीय यात्रा व्यय	1.38	1.28	1.26	1.43	1.16	1.13	1.37	1.22	0.70
6	विदेश यात्रा व्यय	0.50	0.15	0.12	0.40	0.20	0.15	0.30	0.27	0.13
7	कार्यालय व्यय	8.38	14.47	11.35	27.52	12.55	12.33	28.51	19.28	10.50
8	किराया, दरें एवं कर	13.29	14.03	12.78	17.21	15.33	14.73	26.65	30.10	13.20
9	प्रकाशन	0.35	0.23	0.20	0.29	0.24	0.21	0.27	0.27	0.08
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.25	0.25	0.24	0.28	0.21	0.24	0.30	0.27	0.16
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.38	0.21	0.43	0.36	0.20	0.10	0.35	0.22	0.01
12	गौण कार्य	0.31	0.30	0.37	0.52	0.10	0.09	1.03	1.74	0.82
13	वृत्तिक सेवाए	1.32	1.01	1.06	1.27	1.16	1.07	1.56	3.51	1.26
14	सहायता अनुदान (सामान्य)	244.41	40.86	31.52	238.01	1331.26	813.33	933.52	639.02	11.20
15	अंशदान	425.00	285.00	247.50	155.01	139.51	139.50	325.00	450.00	208.37
16	सब्सिडी	7082.26	6040.02	5899.55	6334.24	8795.82	8795.81	6161.50	9637.96	5000.00
17	सहायता अनुदान (वेतन)	6.50	7.00	6.99	7.30	7.00	7.00	8.00	9.50	6.13
18	एकमुश्त	0.52	0.52	0.61	0.47	0.40	0.38	1.13	0.42	0.14
19	विनिमय विभिन्नता	69.09	69.09	69.09	...	...	...	...	...	...
20	ब्याज	0.01	0.01	0.00	...	...	...	...	...	...
21	अन्य प्रभार	4.87	305.06	301.73	...	300.00	250.00	...	250.00	...
22	अंतर खाता अंतरण	625.01	625.01	625.00	625.01	625.01	625.00	625.01	625.01	...
	जोड़ राजस्व भाग	**8535.23**	**7459.42**	**7265.10**	**7468.99**	**11291.48**	**10722.45**	**8186.09**	**11745.22**	**5309.48**
	पूंजी खण्ड									
23	निवेश	15888.01	14652.00	14652.00	15888.00	16888.00	16882.78	13450.00	9300.00	2200.00
24	ऋण	14.00	1.00	0.66	12.40	0.22	0.22	0.01	818.29	...
25	अंतर खाता अंतरण	...	...	...	14000.00	...	...	11200.00	1253.30	...
	कुल पूंजी भाग	**15902.01**	**14653.00**	**14652.66**	**29900.40**	**16888.22**	**16883.00**	**24650.01**	**11371.59**	**2200.00**
	कुल योग (सकल)	**24437.24**	**22112.42**	**21917.76**	**37369.39**	**28179.70**	**27605.45**	**32836.10**	**23116.81**	**7509.48**

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2012-13 के दौरान बजट अनुमान में 24,437.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 8,535.23 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 15,902.01 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान 2012-13 में कम करके 22,112.42 (राजस्व खंड के अतंर्गत प्रावधान को कम करके 7459.42 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाकर 14,653.00 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 21917.76 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 7265.10 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 14652.66 करोड़ रुपए)। वर्ष 2012-13 में 99% निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति अवंटित की गई थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमान में 37369.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 7468.99 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 29900.40 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान में कम करके 28179.70 (राजस्व खंड 11,291.48 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था तथा पूंजी खंड को घटाकर 16,888.22 करोड़ रुपए कर दिया गया था) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 27605.45 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 10722.45 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 16,883.00 करोड़ रुपए)। वर्ष 2013-14 में भी 99% निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति अवंटित की गई थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमान में 32836.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 8,186.09 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 24,650.01 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान में कम करके 23,116.81 (राजस्व खंड को बढ़ाकर 11,745.22 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड को कम करके 11,371.59 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय दिसंबर, 2014 तक 7509.48 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 5,309.48 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 2,200.00 करोड़ रुपए)। वर्ष 2014-15 में भी 99% निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति अवंटित की गई थी।

गत तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15 दिसंबर, 2014 तक) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में व्यय की समग्र प्रवृत्ति (करोड़ रुपए में) को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

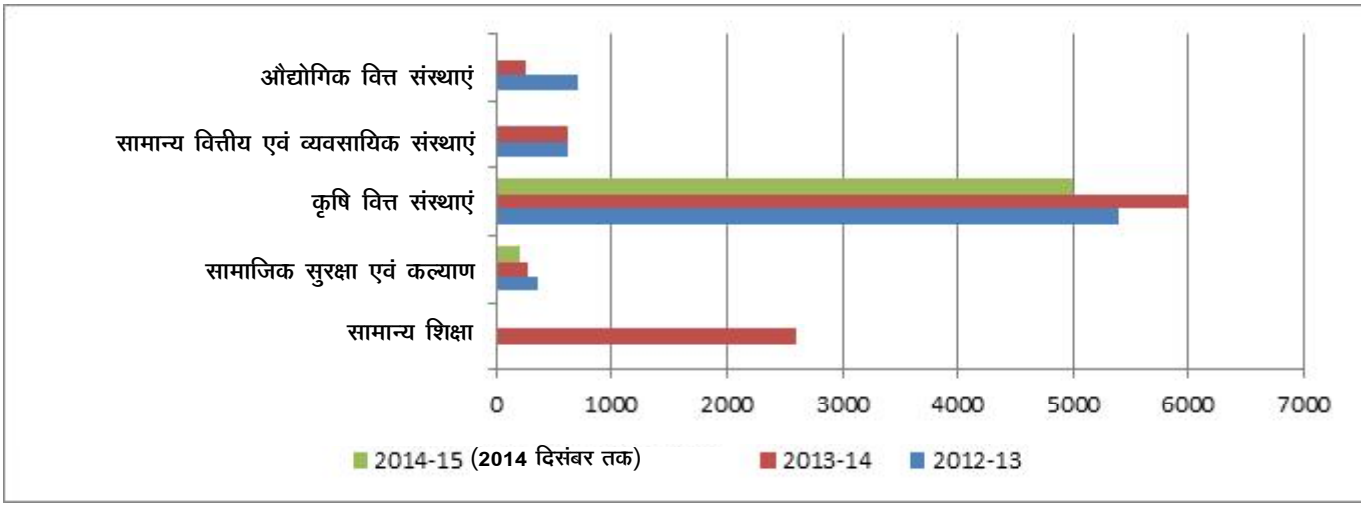

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अभ्यर्पण तथा बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, वास्तविक प्रावधान 37369.39 करोड़ रुपए था (राजस्व के अंतर्गत 7468.99 करोड़ रुपए तथा पूंजी भाग के अंतर्गत 29900.40 करोड़ रुपए) था।5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान (राजस्व के अंतर्गत 4,000.00 करोड़ रुपए तथा पूंजी भाग के अंतर्गत 1,000.00 करोड़ रुपए) प्राप्त करके इस राशि को 42369.39 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। इसके मुकाबले, 27605.45 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप 14763.94 करोड़ रुपए की निवल बचत हुई। 14763.94 करोड़ रुपए की बचत 15267.58 करोड़ रुपए की कुल बचत तथा 503.64 करोड़ रुपए की अधिक राशि का निवल प्रभाव था। प्रमुख बचतों का श्रेणीकरण (एक करोड़ से अधिक) नीचे दर्शाया गया है:-

(i) **सामान्य बचतः संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभियुक्तियां/कारण
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं - वित्तीय सेवाएं विभाग	1.36	बचत 'विदेश यात्रा व्यय', 'लघु निर्माण (रख-रखाव)', 'कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी)', 'पेशेवर सेवाएं', तथा 'किराया, दरें एवं कर' के अंतर्गत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकता के कारण थी, जिनकी अग्रिम में प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी। 1.10 करोड़ रुपए की बचत मुख्यतया डीएफएस के विद्यमान कार्यालय भवन का के. लो. नि. वि. के समन्वय से एलआईसी के साथ किराया समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी तथा 42 लाख रुपए की बचत कार्यालय परिसर के नवीकरण के कार्य को अगले वर्ष तक वस्थगित कर दिया गया है।
2	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	15.25	बचत 'घरेलू यात्रा व्यय' तथा 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकताओं के कारण थी, जिनकी अग्रिम प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी। 'कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी)' के अंतर्गत बचत ई-डीआरटी परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।
3	पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अनुदान सहायता	7.05	वर्ष 2013-14 के दौरान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए प्रावधान दो विभिन्न उद्देश्य शीर्षों यथा 'अनुदान सहायता-समन्वय' और 'अनुदान सहायता-वेतन' के अंतर्गत किया गया था। 'अनुदान-समन्वय' के अंतर्गत किया गया प्रावधान पीएफआरडीए के विभिन्न अन्य खर्चों, जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संवर्धन हेतु मीडिया अभियान तथा कार्यालय व्यय हेतु है। बचत मितव्ययिता उपायों तथा उन्हें 2012-13 में जारी अनुदान में अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा पेंशन निधि प्रबंधकों (पीएफएम) से प्राप्त वार्षिक शुल्क, उपस्थिति बिन्दुओं (पीओपी) से प्राप्त प्रसंस्करण शुल्क, जमानत जमाराशियां इत्यादि के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा आंतरिक रूप से सृजित निधियों, जिन्हें 2013-14 के दौरान खाते में भी लिया गया था, हुई थी।

(ii) **कम उपयोग/अनुपयोगः परियोजनाओं/योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन/कार्यान्वयन में देरी के कारण हुई बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभियुक्तियां/कारण
1	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए असंगठित क्षेत्र से लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु	17.10	चूंकि स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन सम्भावित स्तर से कम थे, अतः सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका, परिणामस्वरुप बचत हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्वावलंबन योजना के अंतर्गत संवर्धन और विकासात्मक गतिविधियों के लिए राशि जारी करते समय अव्ययित शेषों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया था। उपरोक्त के मद्देनजर 17.10 करोड़ रुपए की राशि का व्यय नहीं किया जा सका।
2	वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को भुगतान	18.42	वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को सब्सिडी की राशि निवेशक को 9% की प्रभावी आय हेतु अपेक्षित वास्तविक गणना पर आधारित होती है। चूंकि वास्तविक आवश्यकता कम थी इसलिए बचत हुई।

क्र. सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
3	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के गठन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदान	15.81	ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना के सहयोग से इस योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी द्वारा स्थापित महिला स्व-सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को धन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के पुनर्वित्त संबंधी संघटकों की द्विरावृत्ति हुई थी। तदनुसार, 2013-14 के दौरान इन दो संघटकों के संबंध में योजना के अंतर्गत धन न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 15.81 करोड़ रुपए की बचत हुई।
4	आवास ऋणों पर 1% ब्याज सहायता	120.00	चूंकि कुछ कारकों जैसे कि जागरूकता इत्यादि की कमी के कारण योजना वांछित स्तर तक प्रभावी नहीं हो पायी, इससे संभावित दावों पर विचार करते हुए 2013-14 बजटीय प्रावधान के संभावित अनुमान स्तर पर 80 करोड़ रुपए की हानि हुई थी जो कि पूर्णतया प्रयुक्त हो गया। इस प्रकार योजना के अंतर्गत बचत का आकलन कर लिया गया तथा उसे अग्रिम में अभ्यर्पित कर दिया गया।
5	फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	500.00	बजट भाषण 2013-14 में वित्त मंत्री ने ऋणमोचन विनियमन अधिनियम, 2011 के पारित होने के अनुसरण में भारत में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के प्राप्यों के ऋण मोचन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऋण मोचन के लिए 500 करोड़ रुपए की संचित निधि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में ऋण गारण्टी निधि स्थापित करने की घोषणा की है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तथापि, आम चुनाव 2014 के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा योजना के लिए देय अनुमोदन के अभाव में योजना के अंतर्गत समग्र निधियों का अभ्यर्पण कर दिया गया था।
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण	5.22	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में जारी की गयी राशि संबंधित राज्य सरकार एवं प्रायोजित बैंकों द्वारा आनुपातिक अंशदान के जारी करने पर आकस्मिक सहायता के रूप में थी। चूंकि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार एवं प्रायोजित बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीगत सहायता के रूप में अपने आनुपातिक अंशदान को जारी नहीं किया है, परिणामस्वरूप पुनर्पूंजीगत सहायता के रूप में केन्द्र सरकार के अंशदान को भी उक्त वर्णित क्षेत्रों में जारी नहीं किया गया है।
7	राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	14,000	सरकार की विनिवेश प्राप्तियों से राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को वित्त प्रदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया था।वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कम विनिवेश प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान के चरण में इस प्रावधान को 'शून्य' कर दिया गया था। तदनुसार, पुनर्पूंजीकरण संबंधी व्यय के वित्तपोषण के तरीके को विनिवेश आगमों से बदलकर सामान्य निधियन कर दिया गया था, इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
8	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	12.18	भारत में सूक्ष्म वित्तपोषण की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु बजट अनुमान के 12.40 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में इंटरनैशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन (आईडीए) से सिडबी को कम राशि उपलब्ध होने के कारण 0.22 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग हुआ, इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(iii) **अभ्यर्पणः अप्रचलित/समाप्त परियोजना/योजना अथवा परियोजना/योजना के पूरा हो जाने तथा निधियों की और आवश्यकता न होने के कारण बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
	---- **शून्य** ----		

नोटः *यह अनुबंध वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचत, निधियों का कम उपयोग/अनुपयोग तथा अभ्यर्पण के कारण हुई बचतों को अलग-अलग करने के बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है जैसा कि स्थायी वित्त समिति की 33वीं रिपोर्ट में अपेक्षित था।*

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), वित्तीय क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अपने अधिदेश के भाग के रूप में पीएसबी ने कृषि क्षेत्र, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, कमजोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों और सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों आदि सहित विविध क्षेत्रों और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिया है।

पीएसबी से यह अपेक्षा है कि वे विनियमित कंपनियों तथा सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में पूंजी को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखें और उनमें लोगों का विश्वास बनाए रखें। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके लिए सभी पीएसबी में पर्याप्त पूंजी हो तथा सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा करने के साथ-साथ जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में अपनी साझा इक्विटी टीयर -I को सुविधाजनक स्तर तक बनाए रखने हेतु सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान पीएसबी में 14,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगायी तथा 2014-15 में 6990 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड कृषि, लघु और कुटीर तथा ग्राम उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर एकीकृत ग्रामीण विकास को समुन्नत करता है तथा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि विकास के लिए प्रदत्त ऋण का पुनर्वित्तीयन करता है तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, मौसमी कृषि कार्यों, फसलों का विपणन, कृषि निविष्टियों का विपणन एवं वितरण, उत्पादन, एकत्रीकरण, कुटीर, ग्राम और लघु पैमाने के औद्योगिक सहकारी समितियों की बाजार गतिविधियों, प्राथमिक और उच्च बुनकर समितियों और राज्य हैंडलूम और हस्तशिल्प विकास निगमों को प्रदत्त अल्पकालिक ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को भी राज्य हथकरघा विकास निगम की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अल्पकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त पुनर्वित्त निम्न प्रकार से थाः

(करोड़ रु. में)

अभिकरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (दिनांक 26.12.2014 की स्थिति के अनुसार)	
	संस्वीकृत	अधि. बकाया	संस्वीकृत	अधि. बकाया	संस्वीकृत	अधि. बकाया	संस्वीकृत	अधि. बकाया
सहकारी बैंक	34410.15	34402.62	45079.60	44955.54	54572.68	54266.38	61791.02	41500.62
आरआरबी	14602.66	14578.66	21338.59	21139.55	26631.31	26592.93	28934.74	9715.96
कुल	49012.81	48981.28	66418.19	66095.09	81203.99	80859.31	90725.76	51216.58

उन किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि परिवर्तन ऋण भी प्रदान किए जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बैंकों को उत्पादन ऋण बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

किसानों और उद्यमियों को उत्पादन और आय में वृद्धि करने वाले कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों में निवेश के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वित्तपोषित निवेश में लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण, पौध-रोपण तथा बागवानी, भंडारण तथा बाजार परिसर, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़/बकरी/सुअर/मत्स्य पालन जैसी कृषि संबंधी गतिविधियां, ग्रामीण आवास, गैर-कृषि कार्यकलाप इत्यादि शामिल हैं। ये निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी संरचना को बढ़ावा देते हैं। बैंक द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान ऐसे उद्देश्यों के लिए पुनर्वित्त (एसएचजी वित्त पोषण सहित) प्रदान किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः-

अभिकरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)	
	संवितरण	संवितरण	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
एससीएआरडीबी	2,444.93	1,741.31	1,814.95	2600.00	2138.03
एसटीसीबी	1,192.29	2071.06	1,713.32	3500.00	2945.56
वाणिज्यिक बैंक	8,433.75	8,708.78	13,254.62	9900.00	8371.37
आरआरबी	3,086.19	4,753.66	4,303.66	8000.00	7246.29
पीयूसीबी/एडीएफसी	264.53	100.85	67.72	190.00	25.58
अन्य	0.00	298.64	331.90	800.00	367.20
कुल	**15,421.70**	**17,674.30**	**21,486.17**	**24990.00**	**21094.03**

वर्ष 2013-14 के दौरान, 7,00,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल 7,30,765.61 करोड़ (अनंतिम आंकड़े) का कृषि ऋण संवितरित किया। वर्ष 2014-15 के दौरान 8,00,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 30 सितंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 3,70,828.60 करोड़ (अनंतिम रुपए) का कृषि ऋण संवितरित किया।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

पेंशन क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत की गई है। एनपीएस की संरचना पारदर्शी और वेब सक्षम है। यह अभिदाता को उनके निवेश और विवरणियों को मॉनीटर करने की अनुमति देता है। बाद में अभिदाता न केवल अपने निवेश विकल्पों/पेंशन निधि प्रबंधकों को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं बल्कि अपनी पसंद के फंड प्रबंधक और निवेश विकल्प भी उन्हें उपलब्ध होते हैं। अंतरण की सुविधा इस प्रकार अभिकल्पित की गई है जिससे कि अभिदाता अपनी संपूर्ण बचत अवधि के दौरान एकल पेंशन खाता बनाये रख सकते हैं।

पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में सरकारी संकल्प के माध्यम से स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन किया गया था जो कि पीएफआरडीए पूरी एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में लगा है। एनपीएस को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में यह आवश्यक हो गया था कि उपस्थिति केंद्रों (पीओपी) के रूप में ऐसी 64 संस्थागत कंपनियां गठित की जाएं, जो पेंशन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगी और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगीं। इसके अलावा एनपीएस बिचौलियों, केन्द्रीकृत रिकॉर्ड कीपिंग और लेखा एजेंसी (सीआरए) तथा निवेशकों की पेंशन संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए 8 पेंशन निधि प्रबंधकों को नियुक्त करने की भी आवश्यकता थी। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप एनपीएस बिचौलियों के चयन के लिए पारदर्शी, गैर-विवेकाधीन प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हुआ।

आज की तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों ने एनपीएस को अधिसूचित किया है और सीआरए के साथ पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए एनपीएस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस को प्रारम्भ करने की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 38.01 से अधिक कर्मचारी पहले से एनपीएस का हिस्सा हैं। 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के तहत प्रबंधित की जा रही आस्तियां 65,939.75 करोड़ रुपए है।

एनपीएस के तहत, सभी नागरिकों के लिए एक अभिदाता को पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए गए 64 (पीओपी) की पंजीकृत शाखाओं (अब तक 37873 शाखाएं 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार) से किसी भी शाखा में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है। प्रस्ताव पत्र, जिसमें एनपीएस का ब्यौरा, एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र होता है, पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) और अन्य एनपीएस बिचौलियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह महत्वपूर्ण है कि भारत में पेंशन सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। वित्तीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के बावजूद निर्धारित अंशदान पेंशन योजनाओं और बाजार संबंधित निवेशों में पर्याप्त रूझान पैदा हुआ है। अपने दीर्घावधिक निवेश क्षेत्रों के साथ पेंशन निधियों में वित्तीय बाजारों के स्थिरीकरण हेतु बल प्रदान करने के लिए लाभ अन्तर्निहित होता है। यह महसूस किया गया है कि जैसे-जैसे भारत में पेंशन क्षेत्र बढ़ेगा, यह सामाजिक आर्थिक स्थिरता उपलब्ध कराने में अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियम द्वारा बीमा क्षेत्र को गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) का गठन इरडा अधिनियम, 1999 की धारा 2 के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान में आईआरडीए में अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य हैं। यह प्राधिकरण हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का नियंत्रण एवं विनियमन; और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों; सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। यह बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए, ऋण शोधनक्षमता अंतर को बनाए रखने के लिए निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं इत्यादि के लिए विनियामक ढांचे संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त है।

भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीबी) के द्वारा अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से अवसंरचनात्मक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 2006 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित आईआईएफसीएल भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसको व्यापक रूप से एसआईएफटीआई कहा गया है।

पंजीकरण के पश्चात् आईआईएफसीएल को 12% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता बनाए रखना अपेक्षित है। आरबीआई द्वारा अनुमोदित अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची के अनुसार, सिफ्टी के अंतर्गत अवसंरचना उप-क्षेत्रों को जोड़ने से आईआईएफसीएल को कारोबार क्षेत्र में व्यापक आधार बनाने में सहायता मिलेगी। पूंजी निवेश आईआईएफसीएल को व्यापक क्षेत्रों में वित्तपोषण तथा उसके परिणामस्वरूप जोखिम भारित आस्ति आधार में बढ़ोत्तरी में मददगार होगा। यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी दरों पर घरेलू तथा विदेशी बाजारों, दोनों से दीर्घावधिक संसाधन जुटाने हेतु आईआईएफसीएल द्वारा एएए रेटिंग बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, एएए रेटिंग परियोजना बॉण्डों की रेटिंग में बढ़ोतरी हेतु उसकी क्रेडिट संवरण पहल के अंतर्गत आंशिक ऋण गारंटी प्रस्तावित करने के लिए आईआईएफसीएल को सक्षम भी बनाती है। अतिरिक्त पूंजी निवेश एकल पार्टी उधारकर्ता के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं तथा आईआईएफसीएल के लिए समूह ऋण जोखिम को बढ़ाएगा। यह बड़ी कीमत वाली अवसंरचना परियोजनाओं के तीव्र वित्तीय क्लोजर में मदद करेगा। वर्ष 2014-15 के दौरान आईआईएफसीएल द्वारा 8% का लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है तथा भविष्य में भी वह बोर्ड द्वारा अनुमोदन के आधार पर भारत सरकार को लाभांश भी प्रदान कर सकता है।

यह भी नोट किया जाए कि लंदन में स्थित आईआईएफसी(यूके) आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है जिसने मार्च, 2014 तक 11496.138 मिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी संवितरण किए हैं (87.14 मिलियन अमरीकी डॉलर के बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों सहित 1583.278 मिलियन अमेरीकी डॉलर)। अब तक आईआईएफसीएल ने इस अनुषंगी में इक्विटी के तौर पर केवल 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है तथा इसलिए अब इस अनुषंगी द्वारा सृजित आस्तियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है।

वर्ष 2014-15 तक आईआईएफसीएल ने 1400 करोड़ रुपए (वर्ष 2012-13 में 400 करोड़ रुपए, वर्ष 2013-14 में 400 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2014-15 में 600 करोड़ रुपए) का पूंजी निवेश प्राप्त किया। दिसंबर, 2014 तक आईआईएफसीएल ने प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत 60,220 करोड़ रुपए की कुल संचयी राशि स्वीकृत की। तत्पश्चात् दिसंबर, 2014 तक आईआईएफसीएल ने एकल आधार पर 36,941 करोड़ रुपए (अंतर्वित्त और पुनर्वित्त के अंतर्गत शामिल) का संवितरण किया।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की स्थापना भारतीय विदेशी व्यापार को वित्तपोषण, सुविधा सेवा देने एवं संवर्धन के उद्देश्य से संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। एक्जिम बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस अर्थ में अलग है कि यह विदेशी संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है ताकि भारत के निर्यात को भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने की दिशा में वित्त प्रदान करने और परियोजना निर्यातों को सहायता दे सके। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एक्जिम बैंक ने (i) 1,772 मिलियन यूएस डालर के 24 नए ऋण (अधिकांशतः भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत) प्रदान किए। (ii) वर्ष 2012-13 के दौरान 41,919 करोड़ रुपए की तुलना में 48,264 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ऋण आस्तियां (निवल एनपीए प्रावधान) 31 मार्च, 2013 के 64,353 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार बढ़कर 74,598 करोड़ रुपए हो गया। (iii) 47 भारतीय कंपनियों को निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध सहायता मंजूर की जो 40 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए 71.18 बिलियन रुपए है (31.03.2014 तक एक्जिम बेंक ने 80 देशों में 391 कंपनियों द्वारा स्थापित 494 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है।)

वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर से) के दौरान जिसमें बारहवीं योजना के अंतर्गत बैंक ने कुल 8,000 करोड़ रुपए की पूंजी और 4,963 करोड़ रुपए की आईईएस की मांग की, बैंक ने 2759.37 करोड़ रुपए की पूंजी (559.37 करोड़ रुपए श्रेणी-I को पूंजी में बदलने सहित) और 938.4 करोड़ की आईईएस प्राप्त की।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त के लिए देश में शीर्ष वित्तीय संस्था है, जिसे संसद के अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1988 में स्थापित किया गया है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। बैंक आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करने के अलावा, देश में किफायती आवास के लिए विकासात्मक वित्त का महत्वपूर्ण प्रदाता भी है। बैंक विशेष रूप से ग्रामीण आवास एवं कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के माध्यम से देश में आवास की कमी को दूर करने के लिए संस्थागत निधियों को प्रेरित करता है। बैंक देश में आवास वित्त बाजार के सम्पूर्ण विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है।

ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ):

वर्ष 2013-14 (1 जुलाई, 2013-30 जून, 2014) के दौरान 6,000 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 3,527.31 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी थी और वर्तमान वर्ष के दौरान 2,556.31 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 (1 जुलाई-2014 से 31 दिसम्बर 2014) में इस योजना के अंतर्गत 1,999.22 करोड़ रुपए प्राप्त किये गये तथा एनएचबी ने 601.75 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

शहरी आवास निधि (यूएचएफ):

शहरी आवास निधि की स्थापना वर्ष 2013-14 के दौरान इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए की गयी थी। 6,000 करोड़ रुपए के कुल आवंटन की तुलना में बैंक को अभी तक 2,999.60 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है और 31 दिसम्बर, 2014 तक 2107.40 करोड़ रुपए संवितरित किए गए।

क. वित्त मंत्रालय की 1% ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन

देश में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की जनसंख्या के आवास के लिए ऋण की मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने 2009-10 में 10% तक की सभी व्यक्तिगत आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता शुरू की थी, बशर्ते कि घर की कीमत 20 लाख रूपये से अधिक न हो। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए इस योजना को 15 लाख रुपए तक के आवास ऋण के लिए बढ़ा दिया गया जहां घर की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक न हो। इस योजना को राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और आवास वित्तीय कम्पनियों की सहायता से कार्यान्वित किया गया था। योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एसीबी, आरआरबी और एचएचसी के लिए एनएचबी को एक सामान्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

इस योजना का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं के आवास के लिए वहनीय आवास ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करना और ऋण की अतिरिक्त मांग में वृद्धि करना है।

यह योजना 1 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान अखिल भारतीय आधार पर क्रियान्वित की गई थी।

यह योजना 31 मार्च, 2013 को बंद कर दी गई। तथापि, प्राथमिक उधारदात्री संस्थाएं जिसने योजना (1.10.2009 से 31.03.2013) के चालू रहने के दौरान योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ता को आवास ऋण स्वीकृत और संवितरित किया है, वे ब्याज सहायता के पात्र थे।

ख. एनएचबी रेसीडेक्स

एनएचबी रेसीडेक्स भारतीय आवास बैंक की एक पहल है जो भारत के सभी शहरों और बाद के समय में स्थानीय कीमत की सूची प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की आज्ञा से वर्ष 2005-06 में इस पहल की शुरूआत की और राष्ट्रीय स्तर पर सूची के निर्माण की संभावना की जांच के लिए प्रायोगिक योजना चलायी। एनएचबी भारत में स्थानीय सम्पत्तियों की कीमत तय करने के लिए जुलाई 2007 में 2001 से 2005 तक को आधार वर्ष के रूप में डाटा समाविष्ट करने के लिए रेसीडेक्स प्रारंभ किया। प्रायोगिक अध्ययन में 5 शहरों अर्थात् बंगलौर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई को शामिल किया गया। तत्पश्चात् एनएचबी रेसीडेक्स में 26 शहरों को शामिल किया गया और 2007 के आधार वर्ष के रूप में तिमाही आधार पर अद्यतन और जारी किया है। एनएचबी रेसीडेक्स को जून, 2014 (अप्रैल-जून 2014)को समाप्त तिमाही के लिए अद्यतन और जारी किया गया।

अप्रैल-जून, 2014 की तिमाही के अंतर्गत मूल्यों में बदलाव

अप्रैल-जून, 2014 की तिमाही के लिए स्थानीय सम्पत्तियों की मूल्यों में बदलाव पिछले जनवरी-मार्च,2014 की तिमाही की तुलना में 18 शहरी क्षेत्रों अर्थात् भुवनेश्वर में 0.5% से पुणे में 3.9% की बहुत ही कम वृद्धि और 6 शहरी क्षेत्रों में लखनऊ में - 0.5% से चंडीगढ़ में-4.4% की गिरावट दिखायी गयी है। 2 शहरों अर्थात् हैदराबाद और रायपुर की सूची अभी भी निष्क्रिय है। 18 शहरों में स्थानीय आवास का मूल्य पिछली समाप्त तिमाही मार्च, 2014 (जनवरी-मार्च, 2014) की तुलना में इस समाप्त तिमाही जून, 2014 (अप्रैल-जून, 2014) में वृद्धि दर्शायी गयी है। अधिकतम वृद्धि पुणे में देखी गयी उसके पश्चात् कोयम्बटूर (3.5%), इंदौर (3.3%), गुवाहाटी (3.2%), पटना (2.7%), कोलकाता (2.4%), अहमदाबाद (1.91%), विजयवाड़ा (1.88%), मुम्बई (1.75%), चेन्नई (1.72%), लुधियाना (1.4%), भोपाल

(1.3%), कोची (1.2%), जयपुर (0.99%), फरीदाबाद (0.96%), बैंगलुरू (0.93%), नागपुर (0.6%) और भुवनेश्वर (0.5%),। पिछली समाप्त तिमाही में 6 शहरों में से सबसे अधिक गिरावट चंडीगढ़ (-4.4%), दर्ज की गयी उसके पश्चात् मेरठ (-3.6%), दिल्ली (-3.0%), सूरत (-2.4%), देहरादून (-2.1%), लखनऊ (-0.5%)। 2 शहर अर्थात् हैदराबाद और रायपुर की सूची अभी भी निष्क्रिय है।

ग. निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच)

(सीआरजीएफटीएलआईएच) की स्थापना भारत सरकार ने 1 मई, 2012 को निर्धारित क्षेत्र (ईडब्ल्यूएस/एलआईजीलेनकर्ता) की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए संस्थागत ऋण के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करने उद्देश्य से किया। ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफटीएलआईएच) के तहत आवास की गारंटी के लिए ऋणदात्री संस्थाएं (1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी) 8 लाख रुपए की ऋण मंजूरी और भुगतान प्रदान करती है। इससे पूर्व पात्र व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक की राशि वाले आवास ऋण के लिए आवास सुधार/खरीद के लिए शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी में नये उधारकर्ता और वहनीय नये अथवा पुराने मकान के निर्माण/विस्तार, जो 430 वर्ग फीट (40 एसक्यू मीटर) क्षेत्र से अधिक न हो, के लिए किसी समर्थक जमानत और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं थी। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख तक की राशि वाले स्वीकृत आवास ऋण के लिए 90% और 2 लाख रुपए से अधिक राशि वाले ऋण के लिए 85% गारंटी कवर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक 54 संस्थाओं ने न्यास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, न्यास में शहरी क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों को जारी किये गये 537 ऋण खातों में कुल 12.96 करोड़ रुपए की राशि के लिए गारंटी कवर जारी किया।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय संसद के अधिनियम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा समान क्रियाकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करती है। वित्तीय सहायता (क) एमएसएमई को आगे उधार देने के लिए बैंक, राज्य वित्तीय निगम आदि जैसे पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करके, (ख) एमएसएमई, जो बैंकों की अपनी शाखाओं के माध्यम से सारणीबद्ध हैं, को प्रत्यक्ष सहायता देकर और (ग) सिडबी अधिनियम के अनुसार अन्य क्रियाकलापों का वित्त पोषण करके प्रदान की जाती है।

सिडबी की व्यवसायिक रणनीति एमएसएमई पारिस्थितिकीय तंत्र में वित्तीय और विकासात्मक अंतरों को दूर करना है। वित्तीय अंतर, जिसका सिडबी द्वारा निवारण किया जा रहा है, वे जोखिम पूंजी/इक्विटी, धारणीय वित्त (जो एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और मार्जक उत्पादन प्रौद्योगिकीयों का संवर्धन करता है), प्राप्य वित्तीयन, सेवा क्षेत्र वित्तीयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं। इस प्रकार सिडबी एमएसएमई की विभिन्न पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में बैंकों के प्रयासों में सहायता करेगा। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई संचयी वित्तीय सहायता का कुल योग लगभग 3,36,780 करोड़ रूपये रहा जिससे लगभग 3.5 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिला है।

भारत सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि (आईएमईएफ)

आईएमईएफ निधि की कुल लागत 300 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक आईएमईएफ के अंतर्गत संचयी प्रतिबद्धता 126.75 करोड़ रुपए है। आज की तारीख तक आईएमईएफ के अनुसार संचयी प्रतिबद्धता 141 करोड़ रुपए (निधि के अंतर्गत कुल लागत 300 करोड़) है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सिडबी की निर्धारित प्रतिबद्धता 165 करोड़ रुपए है। सिडबी ने अनुमान लगाया है कि 2015-16 के दौरान प्रस्तावित प्रतिबद्धता 70 करोड़ रुपए और तदनुसार 2015-16 के दौरान आईएमईएफ के अंतर्गत संचयी प्रतिबद्धता 235 करोड़ रुपए होगी।

विश्व बैंक ऋण व्यवस्था

वर्तमान में सिडबी विश्व बैंक से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (आईबीआरडी के अंतर्गत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आईडीए के अंतर्गत एसडीआर के बराबर 100 मिलियन अमेरिकी डालर) प्राप्त कर रहा है। आईडीए संघटक बजट तंत्र के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से आता है जहां आईबीआरडी संघटक की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक के द्वारा सीधे सिडबी को की जाती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक सिडबी ने समेकित रूप से 1356.54 करोड़ (आईबीआरडी के अंतर्गत 873.91 करोड़ रुपए, आईडीए के अंतर्गत 476.13 करोड़ रूपये और सिडबी का योगदान 6.90 करोड़ रूपए) उपयोग किया। 30 सितम्बर, 2014 तक सिडबी ने 256.71 मिलियन अमेरिकन डॉलर (आईबीआरडी के अंतर्गत 161.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आईडीए के अंतर्गत 95.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कुल राशि आहरित की।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार (जीओआई) (तत्कालीन लघु उद्योग (एसएसआई) मंत्रालय) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने जुलाई, 2000 में लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास नामक एक न्यास की स्थापना की थी जिसका संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म तथा लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि योजना को कार्यान्वित करने के लिए इसका नाम बदलकर "सूक्ष्म तथा लघु उद्यम ऋण गारंटी न्यास" किया गया है। वर्तमान और नई यूनिटें दोनों ही इस योजना के तहत कवर किए जाने हेतु पात्र हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान न्यास में 115 से अधिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा न्यास के सदस्य के साथ पंजीकृत होने से ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत कवरेज ने गति पकड़ ली है। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, सीजीएस के तहत लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए 14 लाख से अधिक गारंटी (जिसमें से 97% ऋण 25 लाख रुपए से कम थे) स्वीकृत की गई है।

व्यय विभाग

परिचय

संगठन और कार्य

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने के लिए नोडल विभाग है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को केन्द्रीय बजट संसाधनों का पर्याप्त अंतरण; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है।

2. व्यय विभाग वित्त सलाहकारों के साथ अपने इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है। वित्त सलाहकार विभिन्न मंत्रालयों में एकीकृत वित्त प्रभागों के प्रमुख होते हैं और वित्तीय नियमावली एवं व्यय विभाग द्वारा अधिसूचित आदेशों के दायरे में प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों को समग्र वित्तीय प्रबंधन के संबंध में परामर्श देते हैं।

3. यह विभाग वेतन, पदों के सृजन और संवर्ग समीक्षा आदि जैसे मामलों में केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करता है। महालेखा नियंत्रक और मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय व्यय विभाग के दो संबद्ध कार्यालय हैं। मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, केन्द्रीय मंत्रालयों को सार्वजनिक माल और सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के निर्धारण में सहायता करता है। महालेखा नियंत्रक मुख्यतः केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं और लेखा नियंत्रक तथा भुगतान और लेखा अधिकारियों के अपने संवर्ग के माध्यम से धनराशि जारी करने में मंत्रालय की सहायता करते हैं। भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा तथा भारतीय लागत लेखा सेवा से संबंधित सेवा मामले व्यय विभाग द्वारा देखे जाते हैं। व्यय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दो स्वायत्त संस्थान हैं: राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान तथा शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान।

4. व्यय विभाग अपना कार्य अपने स्थापना प्रभाग, प्रापण नीति प्रभाग, योजना वित्त-I एवं योजना वित्त-II प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, स्टाफ निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से करता है।

5. व्यय विभाग रक्षा मंत्रालय तथा एनटीआरओ एवं एनआईए जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित अधिक मूल्य के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मामलों की भी जांच करता है। व्यय विभाग में हाल में एक लोक प्रापण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो प्रापण नीति से संबंधित कार्य करता है।

6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए योजना आयोग में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभाग की स्थापना की गई थी। जुलाई, 2013 में यह प्रभाग व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।

7. व्यय विभाग, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की व्यय की दृष्टि से जांच करता है।

8. व्यय विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित परिणाम बजट का संकलन और प्रकाशन करता है।

प्रशासन प्रभाग

प्रशासन प्रभाग, विभाग का सचिवालयी कामकाज देखता है और इसमें वित्त मंत्री का कार्यालय, संवर्ग प्रशासन अनुभाग, लेखा एवं बजट, सामान्य तथा कार्मिक प्रशासन एवं राजभाषा अनुभाग शामिल हैं। यह व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी जिम्मेदार है।

संस्थापना प्रभाग

संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है और यह केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा-शर्तों के निर्धारण, वेतन नीति के निर्धारण, वेतनमानों के उन्नयन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के आधारभूत सिद्धांतों, मकान किराए भत्ते, यात्रा/दैनिक भत्ते, महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न अन्य प्रतिपूरक भत्तों, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, किफायत अनुदेशों आदि मामलों से संबंधित कार्य देखता है।

केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसार, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और इसे www.eprocure.gov.in पर देखा जा सकता है। इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्रों तथा सौंपी गई निविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बनाया गया है।

2. इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण को लागू किए जाने का निर्णय भी लिया गया है और सभी मंत्रालयों/विभागों को 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के लिए चरणबद्ध रूप में ई-प्रापण शुरू किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दस लाख रुपए की इस सीमा को और घटा कर 1.4.2015 से 5 लाख रुपए और 1.4.2016 से 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अवसंरचना लक्ष्यों की समीक्षा के लिए बुलायी गयी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रमुख संविदा फर्मों का डाटा बेस तैयार किया गया है। यह डाटा बेस वेबसाइट www.eprocure.gov.in के होम पृष्ठ पर 'दस्तावेज' शीर्षक के तहत 'निविदादाताओं की क्षेत्रवार सूची' उप-शीर्षक के तहत रखा गया है।

स्वच्छ भारत कोष :

'स्वच्छ भारत कोष' की स्थापना, वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के माननीय प्रधानमंत्री के 15 अगस्त, 2014 के आह्वान के प्रत्युत्तर में कॉरपोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियां और व्यक्तियों एवं लोकोपकारियों से अंशदान प्राप्त करने के लिए की गई है।

राज्य वित्त प्रभाग

(योजना वित्त-I एवं वित्त आयोग प्रभाग)

व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजना वित्त –I) प्रभाग, राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य क्षेत्र में योजना निधियां और गैर-योजना निधियां जारी किया जाना भी शामिल है। यह प्रभाग राज्य सरकार की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी करता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण के लिए अनुमति का जारी किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति पर निगरानी रखा जाना, ऋण माफी (12वें और 13वें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार) आदि शामिल हैं। यह प्रभाग, वित्त मंत्रालय की

मांग संख्या - 36 का संचालन करता है जिसमें से योजना एवं गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

योजना वित्त-I प्रभाग और वित्त आयोग प्रभाग, योजना आयोग से निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों के वित्त और योजना परिव्यय, राज्यों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है तथा राज्यों के वार्षिक ऋणों की गणना करता है और उस पर निगरानी रखता है। यह राज्यों के लिए यथा लागू वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों को कार्यान्वित करता है तथा राज्यों के लिए आपदा राहत, केन्द्र-राज्य तथा अंतर-राज्यीय वित्तीय संबंधों से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई करता है।

योजना वित्त-II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतः केन्द्रीय योजना से संबंधित मामलों से सरोकार रखता है और वित्त मंत्रालय में एक ऐसी खिड़की के रूप में कार्य करता है जहां परियोजना स्तर तथा क्षेत्रीय नीति स्तर, दोनों पर केन्द्र सरकार के विकास कार्यों के संपूर्ण परिदृश्य का सिंहावलोकन किया जाता है। बेहतर परियोजना निरूपण, परिणामों एवं सेवाओं पर विशेष बल, प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाकरण (मिशन दृष्टिकोण) एवं समाभिरूपता के माध्यम से विकास व्यय की गुणता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना ब्यूरो की सिफारिशों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना से संबंधित कार्य भी करता है। यह प्रभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की कार्यविधि तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई एंड ईबीआर के सृजन की मात्रा के निर्धारण, उत्पादन में अधिकाधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। सूक्ष्म स्तर पर, योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी और उनकी मात्रा के निर्धारण तथा हितधारकों को सहायता प्रदान करने से संबंधित मामले देखता है। सूक्ष्म स्तर पर यह प्रभाग संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ प्रभावी लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की भावी सब्सिडी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

एकीकृत वित्त एकक

यह एकक, मांग संख्या 39 - व्यय विभाग जिसमें सचिवालय सामान्य सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं तथा मांग संख्या 40 - पेंशन जिसमें विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान शामिल है, के तहत व्यय और बजट संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करता है। दो अन्य मांगों अर्थात् मांग संख्या 36 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण तथा मांग संख्या 41 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के संबंध में बजट प्राक्कलनों पर संबंधित प्रभागों द्वारा सीधे कार्रवाई की जाती है। तथापि, समग्र निगरानी एकीकृत वित्त एकक द्वारा की जाती है। यह एकक, विभाग के खर्च पर निगरानी और नियंत्रण रखने तथा विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु मितव्ययिता अनुदेशों को लागू कराने के लिए भी जिम्मेदार है।

विविध विभाग प्रभाग

यह प्रभाग राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के संबद्ध वित्त के रूप में वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है।

वेतन अनुसंधान एकक

यह एकक मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में स्टाफिंग में किफायत सुनिश्चित करने तथा निष्पादन मानदंड एवं कार्य मानक तैयार करने के उद्देश्य से कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन, कर्मचारी निरीक्षण एकक के दायरे में नहीं आते किंतु विभागाध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति जिसमें मुख्य सदस्य के रूप में कर्मचारी निरीक्षण एकक का एक प्रतिनिधि होता है, ऐसे संगठनों के स्टाफिंग अध्ययन करता है।

बदले हुए परिदृश्य में और सरकार द्वारा बेहतर शासन तथा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी को महत्व दिए जाने को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी निरीक्षण एकक की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्त संगठनों को अपनी संगठनात्मक कार्यसाधकता में सुधार करने में तथा आदर्श संगठनात्मक संरचना सुझाने, प्रक्रियाओं का पुनः निर्माण, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और न्यूनतम व्यय के साथ अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को बाह्य स्रोत से कराने की संभावना तलाशने के अतिरिक्त, होने वाले विलंब को दूर करने में सहायता के लिए कर्मचारी निरीक्षण एकक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नए अधिदेश के अनुसार, कर्मचारी निरीक्षण एकक अब पांच अलग-अलग क्षेत्रों में अर्थात् संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक-उपभोक्ता संतुष्टि तथा कर्मचारियों के सरोकारों आदि में संगठनात्मक विश्लेषण अध्ययन भी करेगा।

लागत लेखा शाखा

उत्पादन लागत का सत्यापन करने और रक्षा-खरीद सहित सभी किस्म की सरकारी खरीद का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने और प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) के तहत पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित एक स्वतंत्र एजेंसी। यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को लागत, प्रबंधन तथा सरकार में वित्तीय लेखांकन में विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान करती है।

महालेखानियंत्रक

महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक, केन्द्र सरकार के शीर्ष लेखांकन प्राधिकारी हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लेखाओं के स्वरूप के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महालेखानियंत्रक, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और लेखाओं के स्वरूप के निर्धारण, उनसे संबंधित नियम एवं मैनुअल तैयार करने और उनके पुनरीक्षण तथा संविधान के अनुच्छेद 283 के तहत एक समर्थ प्राप्ति और भुगतान प्रणाली की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक, संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के वार्षिक विनियोजन लेखे (सिविल) और केन्द्रीय वित्त लेखे एवं संक्षेप में 'लेखे एक नजर में' तैयार करते हैं। महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्री के लिए प्रत्येक माह व्यय, राजस्व, ऋण और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करते हैं। महालेखानियंत्रक, सिविल मंत्रालयों में एक मजबूत और कारगर आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करते हैं। महालेखानियंत्रक, भारतीय सिविल लेखा सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरी हैं और 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार इस संवर्ग में समूह-क के 238 अधिकारी हैं।

मॉनिटरिंग सेल

यह सेल, महालेखानियंत्रक के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एंड ए.जी.) की रिपोर्टों में निहित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने पर निगरानी रखने और उनके समन्वय एवं संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। यह लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की रिपोर्टों में शामिल पैराओं/सिफारिशों के निपटान पर भी निगरानी रखता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

यह कार्यालय "केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए प्राधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान स्कीम" का संचालन करता है। यह मुख्यतः पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करने और उसके लेखांकन; विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करने तथा बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक

मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय के भुगतान और लेखांकन व्यवस्था के समग्र प्रभारी हैं। आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और विनिवेश विभाग के पांच अनुदानों के लिए बजट से संबंधित कार्य, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय के साथ एकीकृत हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के इन पांचों विभागों के भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों पर निगरानी रखते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य लेखांकन प्राधिकारी (अर्थात् संबंधित विभाग के सचिव) और महालेखा नियंत्रक को वित्तीय सूचना देना है। पांच विभागों के मासिक लेखाओं और वार्षिक लेखाओं जिनमें वित्त मंत्रालय की 9 मांगें/विनियोजन शामिल हैं, भारत सरकार के लेखाओं में समेकन हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को भेजे जाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक विभाग के सचिव के सूचनार्थ आय और व्यय की मासिक एवं तिमाही समीक्षाएं तैयार करते हैं। सारांश विवरण भी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसके अन्य कार्यों में स्टाफ निरीक्षण इकाई का समग्र पर्यवेक्षण और अधीक्षण; नियंत्रक सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा के लिए सहायक स्टाफ प्रदान करना; अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों के तहत पेंशन प्राधिकार; श्रीलंका, सिंगापुर, यूनाइटिड किंगडम और बर्मा की ओर से भारत में रह रहे विदेशी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करना, दूसरे देशों को दिए गए ऋणों का लेखांकन और निगरानी रखना; नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा पैरा के निपटान पर निगरानी रखना; आर्थिक कार्य विभाग में 14, राजस्व विभाग में 2, व्यय विभाग और विनिवेश विभाग में एक-एक कोष के मामले में सीजीआई के लिए और से भारत के लोक खाते में निधियों का अंतरण; भारत के लोक खाते में रखी गई धनराशि के संबंध में विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण तथा एसपीएमसीआईएल के आमेलित कर्मचारियों के संयुक्त पेंशन, यथानुपात पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान, 2006-पूर्व पेंशन मामलों के संशोधन इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान शामिल है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और कोलकाता, चेन्नै, नवी मुंबई और आइजोल स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, वित्तीय प्रबंधन एवं शासकीय लेखा और वित्त की विविध विधाओं में लेखा कर्मियों और सिविल मंत्रालयों/विभागों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं। इसने वर्ष 1995 से अन्य देशों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

7वां केन्द्रीय वेतन आयोग

भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. 1/1/2013-ई.III(ए) के तहत **सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग** का गठन कर दिया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग के सदस्यों, सचिव और सहायक अधिकारियों और स्टाफ की कुल संख्या 50 होगी। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 माह की समय-सीमा दी गई है।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का मूल उद्देश्य, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच, समीक्षा, विकास और सिफारिश करना है जिनसे परिलब्धियों की संरचना, वेतन, भत्ते एवं नकद अथवा वस्तु रूप में अन्य सुविधाएं/लाभ शासित होने चाहिए; और ऐसा करते हुए इन सिफारिशों के यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के साथ-साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की विशेषीकृत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएः-

(i) केन्द्र सरकार के कर्मचारी - औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक;
(ii) अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक;
(iii) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक;
(iv) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी;
(v) संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य; और
(vi) उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विभिन्न सरकारी कल्याण स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं की प्रक्रियागत पुनर्संरचना और डिलिवरी प्रणाली में सुधार की प्रौद्यिगिकी अपनाकर प्रशासन पद्धति में परिवर्तन का प्रयास है ताकि नागरिक सार्थक रूप से व्यस्त रहें। लाभार्थियों के बैंक खातों वरीयतः आधार से जुड़े खातों में सीधे नकद/लाभ अंतरण द्वारा डिलिवरी प्रकिया के कई स्तर कम हो गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य लाभार्थियों का विशुद्ध लक्ष्य-भेद, पुनरावृत्ति से बचाव और धोखाधड़ी में कमी, डिलिवरी प्रक्रिया में दक्षता, अधिकाधिक समावेशन सुनिश्चित करना, अपव्यय से मुक्ति, चोरी रोकना है जिससे व्यय नियंत्रित किया जा सके और अधिकाधिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाई जा सके।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण उन परिवारों के लिए समेकित नकद अंतरण प्रदान करेगा जो अनेक स्रोतों से और अनेक रूपों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय समाधानों के माध्यम से निर्धनों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र, समेकित आय समर्थन कार्यक्रम की दक्षता में सुधार और सब्सिडी के स्रोतों की बहुलता को समाप्त करेगा। यह विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को भी स्वतंत्र करेगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से दीर्घावधि में कल्याण स्कीमों के व्यय से मिलने वाले लाभ अधिकतम होगें जिससे समग्र मानव विकास होगा।

व्यय प्रबंधन आयोग

सरकार ने अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय के आबंटन और प्रचालन संबंधी दक्षताओं की समीक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया है। व्यय प्रबंधन आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना और राजकोषीय अनुशासन के प्रति वचनबद्धता से समझौता किए बगैर विकास संबंधी व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय स्थल के सृजन के तरीके सुझाना; पूर्ण राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए बजट निर्माण प्रक्रिया और एफआरबीएम नियमों सहित संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करना और उनमें सुधार के सुझाव देना शामिल है।

परिव्यय और परिणाम 2015-16 का विवरण

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रुपए)			परिमेय सेवाएं/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय-सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	(i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रबंधन सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त मामले कामकाज देखने वाले अधिकारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	-	3.00	-	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 120 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में छह तिमाही कार्यक्रम हैं और प्रत्येक की अवधि 12 से 14 सप्ताह है। यह क्लासरूम शिक्षण और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्त प्रबंधन कौशल तथा वाणिज्यिक और शासकीय लेखांकन, सार्वजनिक वित्त, बजट प्रक्रिया, वित्तीय नीति निरूपण/निर्णय लेने और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2015 में इस स्कीम के अंतर्गत 120 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	दो वर्ष	राजस्व खंड के तहत 3.00 करोड़ रुपए जिसमें इस कार्यक्रम का शुल्क घटक शामिल होगा।
		(ii) केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए वित्तीय बाजार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम।	-	1.00	-	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से केंद्र/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम एक वर्ष का है। यह क्लासरूम शिक्षण और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय बाजारों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में जानकारी देगा। वर्ष 2015 में 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	एक वर्ष	शुल्क घटक के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए।

* *सीईबीआर/पूरक बजटेतर संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न इकाइयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए वचनबद्ध खर्चे।*

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

व्यय विभाग

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार के और बेहतर सुशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में 5 स्तरीय संस्थागत सुधार अर्थात् विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस शामिल हैं। इसकी प्रतिध्वनि बजट 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (एफ.पी.एस.एस.) में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहलों में देखी जा सकती थी तथा ये कार्ययोजना स्थापित करने के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए थे।

परिणाम बजट/कार्यनिष्पादन बजट के लिए दिशा-निर्देश

व्यय विभाग और योजना आयोग ने संयुक्त रूप से पहली बार वर्ष 2005-06 का परिणाम बजट तैयार किया था जिसे 25 अगस्त, 2005 को संसद में पेश किया गया था। तत्पश्चात् 'परिणाम बजट' और 'कार्य निष्पादन बजट' दस्तावेजों को एकल दस्तावेज में शामिल करने के लिए नए दिशा निर्देश (का.ज्ञा.सं. 2(1)/कार्मिक/संस्था समन्वय/ओ.बी./ 2005 दिनांक 12 दिसंबर, 2006) जारी किए गए थे। परिणाम बजट वर्ष 2005-06 से बजट प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुका है। इस संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश 29 जनवरी, 2015 को जारी किए गए थे।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना

वित्त मंत्रालय, सरकार की प्रचालन संबंधी कुशलता को सीमित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यय प्रबंधन/ मितव्ययिता उपाय एवं व्यय को युक्तिसंगत बनाने' के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। इन निर्देशों का पिछला सेट 29 अक्तूबर, 2014 के का.ज्ञा.सं. 7(1)/ई कॉर्ड/2014 के तहत जारी किया गया था। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना व्यय (ब्याज के भुगतान, ऋण अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्यों के लिए वित्त आयोग के अनुदानों को छोड़कर) में 10% की कटौती, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के आयोजनों, विदेश यात्रा पर पाबंदी, पदों के सृजन पर प्रतिबंध और राज्यों आदि को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन बरतना तथा व्यय की संतुलित गति संबंधी निर्देश शामिल हैं। वित्त सलाहकारों से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न व्यय प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान करते समय उचित किफायत बरतेंगे।

केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई संविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बना दिया गया है। 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के संबंध में ई-प्रापण के कार्यान्वयन से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

1. राज्य वित्त प्रभाग

व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजना वित्त-I) प्रभाग राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और गैर-योजना निधियां जारी किया जाना भी शामिल है। यह प्रभाग राज्य सरकार की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी करता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण के लिए अनुमति का जारी किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति पर निगरानी रखना, ऋण माफी (12वें और 13वें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार) आदि शामिल हैं। यह प्रभाग, वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 37 (पूर्व मांग सं.36) का संचालन करता है जिसमें से योजना एवं गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

2. राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदान

राज्यों की वार्षिक योजनाओं का वित्तपोषण राज्यों के अपने संसाधनों, राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता से किया जाता है। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मांग सं. 37 (पूर्व मांग सं.36) से भी प्रदान की जाती है। इसमें सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता एवं विशेष केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल है।

योजना पक्ष की स्कीमों के लिए धनराशि, योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती है। व्यय विभाग की मांग सं.36 में ब.प्रा. 2014-15 में 72322.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से दिनांक 31.01.2015 तक 50305.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

3. गैर-योजना अनुदान

वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, गैर-योजना अनुदानों के माध्यम से मांग संख्या 37 (पूर्व मांग सं.36) से राज्यों को सहायता दी जाती है। तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक है। वर्ष 2014-15, तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का पांचवां और अंतिम वर्ष है। 31.01.2015 तक गैर-योजना पक्ष में गैर-योजना राजस्व घाटा, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन, स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, न्याय प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार, जिला नवाचार कोष, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों एवं पुलों, जल क्षेत्र प्रबंधन, वन एवं राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं (वर्ष 2014-15 के लिए 64675.00 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का 51.13%) के लिए राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में 33068.76 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी की गई सहायता के अतिरिक्त 2014-15 के लिए 5055.00 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन में से दिनांक 31.01.2015 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1557.22 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

02 जनवरी, 2013 की अधिसूचना के तहत चौदहवें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिन पर भारत सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

4. ऋण

वर्ष 2010-15 के दौरान राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए ऋण सीमा की गणना की जा रही है। निर्धारित राजकोषीय मानदंडों के अनुपालन से समग्र ऋण वर्ष 2014-15 के अंत तक कम होकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.3 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 23.7 प्रतिशत (2014-15 ब.प्रा.) हो गया है।

5. **राज्यों का राजकोषीय समेकन (2010-15)**

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा तैयार की है जिसमें राज्यों को अधिकतम वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना होगा और राजकोषीय घाटे को अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना होगा। आयोग ने इसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य प्राप्त करने की भी सिफारिश की है। प्रत्येक राज्य के लिए संस्तुत राजकोषीय समेकन की रूपरेखा को समाविष्ट करने के लिए राज्यों को अपने राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधित अथवा अधिनियमित करने होंगे। सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बना लिए हैं। कुल मिलाकर, राज्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। वर्ष 2014-15 (ब.प्रा.) के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति संक्षेप में इस प्रकार हैः-

i. कुल राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का लगभग 0.4% है जो तेरहवें वित्त आयोग के शून्य राजस्व घाटे के अनुमान से अधिक है।

ii. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3% के लक्ष्य की तुलना में कुल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.6% है।

iii. जीएसडीपी के अनुपात में 27 राज्यों का कुल ऋण 23.8% है जो सभी राज्यों के लिए तेरहवें वित्त आयोग के 30.3% के लक्ष्य के अंदर ही है। [इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल नहीं हैं क्योंकि जून, 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् उनके बकाया ऋण एवं देयताएं अभी प्राप्त होनी शेष हैं]

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत

तेरहवें वित्त आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की है कि राज्यों के लिए अपने विनिर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन/संशोधन, ऋण राहत उपायों [एनएसएसएफ ऋणों की ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण और मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय से भिन्न) से लिए गए केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते डालना] और सभी राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2006-07 अनुबंधित और राज्यों के राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन/संशोधन के वर्ष के पहले के वर्ष के अंत तक बकाया राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के ऋणों पर ब्याज की दरें 9% की समान वार्षिक दर से पुनर्निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। राज्यों के राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियमों में यथा-निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों का वर्ष 2012-13 से निरंतर अनुपालन किया जाना, एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक है। तदनुसार, एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत पात्र राज्यों को दी जा रही है।

योजना वित्त-II प्रभाग

ईएफसी और पीआईबी द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति

1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 के बीच सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की 52 बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 289212.624 करोड़ रुपए के 52 योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया जिनका ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(करोड़ रुपए)

1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक की अवधि में व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	परियोजना का नाम	धनराशि
1	भूमि संसाधन विभाग	विश्व बैंक सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय जलसंभर प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबी-एनडब्ल्यूएमपी) नीरांचल	2142.30
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12वीं योजना अवधि के दौरान परिचर्या सेवाओं (स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन) के केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के तहत उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।	780.00
		राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा (एनएआरएफ) हैदराबाद (ए).	431.06
		मेट्रो ब्लड बैंक	863.30
		(i) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन; और (ii) राज्यीय औषध नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1800.00
		राष्ट्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) और भुवनेश्वर, नागपुर, चंडीगढ़, कोयम्बतूर तथा भागलपुर में पांच क्षेत्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थानों की स्थापना	1156.43
3	अल्प संख्यक कार्य	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि	1100.00
4	वाणिज्य	12वीं योजना के दौरान ईसीजीसी स्कीम को जारी रखना	800.00
		टी बोर्ड की चाय विकास संवर्धन योजना	1425.00
5	योजना आयोग	योजना आयोग की यूआईडी स्कीम का चरण-V	643.45
6	महिला एवं बाल विकास	राजीव गांधी किशोरी के सशक्तिकरण स्कीम को XIवीं योजना से XIIवीं योजना में जारी रखना (केन्द्रीय हिस्सा)	3650.39

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग	परियोजना का नाम	धनराशि
7	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	जापानी इन्सेफलाइटिस/एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित नगरपालिकाओं में राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन चरण के तहत स्वतंत्र पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं	418.00
8	विद्युत	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि. की स्थापना	81.21
		हाई पावर लेबोरेटरी, सीपीआरआई, बंगलौर की उच्च विद्युत परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि	640.00
		अतिरिक्त 2500 एमवीए की स्थापना करके उच्च विद्युत परीक्षण सुविधाएं	640.00
		छह राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	4923.32
		12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की स्थापना	980.00
		दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	43033.00
		एकीकृत विद्युत विकास स्कीम	32612.00
9	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम	मिशन मोड के थर्मल पावर संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलोजी के विकास हेतु आरडी परियोजना	1100.00
10	सड़क परिवहन और राजमार्ग	ईपीसी आधार पर एनएचडीपी चरण-III के तहत ओडिशा राज्य में रारा-23 के किमी 8.500 से किमी 14.866 सहित रारा-200 के किमी 301.89 से किमी 4127.885 तक तलचर-डुबरी-चंडीखोले खंड को 4/2 लेन का बनाना	1476.00
		एनएचडीपी चरण-II के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में ईपीसी मोड पर रारा-1ए के किमी 67.00 से किमी 89.00 तक और किमी 130.00 से किमी 151.00 तक उधमपुर-रामबन खंड को चार लेन का बनाना	1758.68
		एनएचडीपी चरण-II के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में ईपीसी मोड पर रारा-1ए (अब रारा-44) के 67.00 किमी के उधमपुर-रामबन-बनिहाल खंड को चार लेन का बनाना	1623.93
11	गृह	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की विभिन्न संस्थापनाओं में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आवास और बैरक के निर्माण के लिए मूल्यांकन	3106.21
12	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) और राष्ट्रीय समावेशी एवं सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान (एनआईआईयूडी) की स्थापना।	40.00
		भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) और राष्ट्रीय समावेशी एवं सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान (एनआईआईयूडी) की स्थापना।	25.00
13	महिला एवं बाल विकास	निर्भया केन्द्र - हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेन्टर	478.674
		XIवीं योजना में चल रही इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना स्कीम को ज्र्ज्र्वीं योजना में भी जारी रखना।	400.00
		महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	194.51
		महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण	180.00
		XIIवीं योजना के दौरान कामगार माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम के वित्तीय मानदंडों में वृद्धि।	600.00
14	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	सुदूर गांव विद्युतीकरण कार्यक्रम चरण-II	3000.00
		सौर पार्क और अति बृहद सौर विद्युत परियोजनाएं	4046.25
		नहर तटों/ऊपरी भागों पर ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी संयंत्रों का विकास	1080.00

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग	परियोजना का नाम	धनराशि
15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा हैदराबाद	352.90
16	पर्यावरण एवं वन	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त चालू एकीकृत तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन परियोजना से संबंधित संशोधित लागत प्राक्कलन	1580.10
17	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	नेशलन सुपरकंप्यूटिंग मिशन बिल्डिंग एंड केपेबिलिटी परियोजना जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना है	4500.00
18	श्रम एवं रोजगार	मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए निर्धारित वजीफे का 50% हिस्सा	346.00
19	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नजफगढ़ में राष्ट्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान और भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, नागपुर तथा भागलपुर में 5 क्षेत्रीय पराचिकित्सा विभान संस्थानों की स्थापना	1898.29
20	पेयजल और स्वच्छता	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन	111964.37
21	न्याय	ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना चरण-II	935.00
22	जनजातीय कार्य	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की सीएसएस स्कीम और जनजातीय छात्रों के लिए उच्च कक्षा शिक्षा स्कीम का विलय	428.11
23	कृषि एवं सहकारिता	वर्ष 2014-15 के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड	568.54
24	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	11वीं योजना में चल रही क्षमता विकास की योजना स्कीम को 12वीं योजना में भी जारी रखना	990.00
26	उच्चतर शिक्षा विभाग	आईआईटी मद्रास में अनुसंधान उद्यान के निर्माण हेतु लागत प्राक्कलन (चरण-I और चरण-II)	100.00
27	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संबंधी कार्यान्वयन ढ़ांचे में सुधार	10831.20
28	भारी उद्योग विभाग	भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण और तीव्रतर अंगीकरण	14308.00
29	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रस्तावित सुधारों के साथ XII योजना में जारी रखना	179.33
30	श्रम एवं रोजगार	राष्ट्रीय व्यापार परीक्षण एवं प्रमाणन बोर्ड की स्थापना	147.75
31	नीति आयोग	योजना आयोग की यूआईडी स्कीम (चरण-VI)	1953.96
32	मानव संसाधन विकास	अध्यापक एवं अध्यापन संबंधी पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन	900.00
33	जल संसाधन	नमामी गंगा-राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन/कार्यक्रम	20000.00
		जोड़	**289212.264**

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निवेश बोर्ड की पांच बैठकों में 20182.00 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं पर भी विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुशंशा की गई। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

01 अप्रैल, **2014** से **31** दिसंबर, **2014** की अवधि में हुई सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठकें			
क्र. सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**परियोजना का नाम**	**धनराशि**
1	डाक विभाग	भारतीय डाक बैंक की स्थापना	-
2	पोत परिवहन	संशोधित लागत प्राक्कलन ऑफशोर कंटेनर बर्थ और मुंबई पत्तन न्यास में कंटेनर टर्मिनल का विकास	729.00
3	शहरी विकास	नागपुर मेट्रो रेल परियोजना	8680.00
		अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण-I	10773.00
		लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-1ए	-
		जोड़	**20182.00**

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत इस समय 35 स्कीमें हैं जिनमें से 32 स्कीमें इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं और शेष 3 स्कीमें वित्त वर्ष 2015-16 से लागू की जाएंगी। इन स्कीमों में मनरेगा, छात्रवृत्तियां, महिलाएं, बच्चे, श्रम, अजा, अजजा, अपिव, पेंशन शामिल हैं जिनमें डीबीटी के तहत 2014-15 7,60,28,071 लाभार्थी थे।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत 1.1.2013 (15.1.2015 तक) से अब तक 22746.7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें से 786.2 करोड़ रुपए आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से और 2333.1 करोड़ रुपए पीएफएमएस (गैर-एबीपी) के माध्यम से अंतरित किए गए हैं। इस प्रकार, 3119.3 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए गए और 19627.4 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के माध्यम से एनईएफटी एवं अंतरण की अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधियों के माध्यम से अलग-अलग लाभार्थियों को अंतरित किए जाने थे जिनमें अकाउंट पेयी चेक, मनी ऑर्डर, डाकघर खाते और नकद शामिल है जैसा कि एनएसएपी के मामले में किया जाता है।

संशोधित डीबीटीएल स्कीम 15.11.2014 से 54 जिलों में लागू की गई है और अब यह स्कीम 1.1.2015 से 15.1.2015 तक देशभर में लागू की जा चुकी है। 15.11.2014 से अब तक किए गए लगभग 6.76 करोड़ रुपए के लेन-देनों में 2065.23 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग 8.91 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को संवितरित की गई थी। पिछले डीबीटीएल सहित कुल 7460.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी अब तक संवितरित की गई है।

राज्य द्वारा संचालित स्कीमों के लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए राज्यों द्वारा डीबीटी संरचना को अपनाए जाने के संबंध में अभी तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 47 स्कीमों की सूचना प्राप्त हुई है।

<u>प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के परिणाम:</u>

- दिनांक 12.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसारः
  - i. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को विद्यमान 27 डीबीटी स्कीमों में पिछले 121 जिलों से अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
  - ii. उच्चतर शिक्षा विभाग की 7 नई छात्रवृत्ति स्कीमें डीबीटी प्लेटफार्म में शामिल की गई हैं।
  - iii. मनरेगा स्कीम को उच्चतर आधार नामांकन वाले 300 जिलों में डीबीटी के तहत लाया गया है।
- केन्द्रीय क्षेत्र की सभी स्कीमों जहां नकद/लाभ अलग-अलग लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है, को 30.06.2015 तक डीबीटी प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।
- केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी स्कीमों जिनमें अलग-अलग लाभार्थी के लिए नकद/लाभ घटक होता है, को राज्य सरकारों के परामर्श से डीबीटी प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।
- एलपीजी सब्सिडी, संशोधित डीबीटीएल स्कीम (पहल) के तहत पूरे देश में डीबीटी प्लेटफार्म से प्रदान की जा रही है। मिट्टी के तेल और खाद्य सब्सिडी को डीबीटी के तहत लाने के लिए जांच की जाएगी।

परिव्यय 2013-14 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2013-14 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 मार्च, 2013 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.प्रा.	4(ii) सं.प्रा.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के मूलभूत तत्व शामिल हैं।	4.00 (योजना) (राजस्व -4.00) (पूंजी-शून्य)	3.00 (योजना) (राजस्व -3.00) (पूंजी-शून्य)	केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 80 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	राजस्व खंड के अंतर्गत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 57 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वास्तविक व्यय 3.00 करोड़ रुपए है।

परिव्यय 2013-14 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2013-14 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 दिसम्बर, 2014 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.प्रा.	4(ii) सं.प्रा.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं ।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के आधारभूत तत्वों को शामिल किया गया है और संस्थान अवसंरचना में वृद्धि करना।	4.00 (योजना) (राजस्व -4.00) (पूंजी-शून्य)	3.50 (योजना) (राजस्व 3.50) (पूंजी-शून्य)	केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 80 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	राजस्व खंड के अंतर्गत, एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 83 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। 31 मार्च, 2014 तक वास्तविक व्यय 2.00 करोड़ रुपए है।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

			2012-13			2013-14			2014-15		
क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक (31.12.14 तक)
1.	**सचिवालय - सामान्य सेवाएं**	**2052**	89.45	84.39	77.64	93.91	88.69	83.50	93.99	87.51	70.84
2.	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**	**2070**	45.80	40.46	38.18	46.21	44.31	41.13	61.91	57.00	31.03
	i)सिविल लेखा संगठन (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र		4.39	4.17	3.93	4.80	4.00	3.95	4.59	4.54	3.47
	ii)एन.आई.एफ.एम. सोसाइटी की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए स्कीम		5.40	4.28	4.28	5.40	4.40	4.40	5.40	4.90	3.05
	iii)अंशदान		0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	iv)नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के लिए सेवा प्रभार		36.00	32.00	29.97	36.00	32.40	32.56	39.00	34.65	17.09
	v) सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग		0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.22	11.91	10.76	7.24
	vi) व्यय प्रबंधन आयोग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.14	0.18
	जोड़		**135.25**	**124.85**	**115.82**	**140.12**	**133.00**	**124.63**	**155.90**	**144.51**	**101.87**

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के मुकाबले में मद शीर्षवार व्यय

(करोड़ रुपए में)

		2012-13			2013-14			2014-15		
क्र.सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक दिसम्बर, 2014 तक
राजस्व खंड										
1	वेतन	55.15	54.97	50.88	59.45	59.00	54.26	64.57	60.33	50.30
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.12	0.01	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.17	0.10	0.08	0.11	0.11	0.07	0.14	0.08	0.05
4	चिकित्सा उपचार	0.84	0.82	0.72	0.93	0.91	0.76	1.19	1.21	0.63
5	घरेलू यात्रा व्यय	1.60	1.49	1.22	1.76	1.58	1.26	2.06	1.89	0.88
6	विदेश यात्रा व्यय	1.08	0.97	0.87	1.18	1.11	0.77	1.26	0.96	0.38
7	कार्यालय व्यय	12.93	12.44	12.65	13.02	14.83	13.39	19.03	16.51	12.28
8	किराया, दरें एवं कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.10	0.90	6.16	3.33
9	प्रकाशन	0.33	0.30	0.29	0.39	0.41	0.32	0.44	0.48	0.34
10	अन्य प्रशासनिक खर्चे	37.20	33.10	31.09	37.46	33.99	33.96	40.62	36.55	18.23
11	विज्ञापन एवं प्रचार	2.25	0.55	0.33	1.25	1.12	0.00	1.25	0.12	0.00
12	लघु निर्माण कार्य	2.32	2.07	1.83	3.08	3.82	2.86	3.71	2.46	2.13
13	व्यावसायिक सेवाएं	3.25	2.30	1.25	2.16	1.57	1.04	4.34	2.15	0.98
14	सहायता अनुदान	5.40	4.28	4.28	5.40	4.40	4.40	5.40	4.90	3.05
15	अंशदान	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
16	सूचना प्रौद्योगिकी	12.72	11.45	10.33	13.92	9.99	11.44	10.86	10.69	9.29
	जोड़	**135.25**	**124.85**	**115.82**	**140.12**	**133.00**	**124.63**	**155.90**	**144.51**	**101.87**
पूंजी खंड										
17	प्रमुख निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	**135.25**	**124.85**	**115.82**	**140.12**	**133.00**	**124.63**	**155.90**	**144.51**	**101.87**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूरक अनुदानों सहित 140.12 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले 124.63 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई और राजस्व खंड के अंतर्गत 15.49 करोड़ रुपए का अभ्यर्पण किया गया।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

i) **सामान्य बचत:** संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	व्यय विभाग	6.02	प्रशासनिक व्यय के लिए कम आवश्यकता
2.	सिविल लेखांकन विभाग (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान) में प्रशिक्षण केन्द्र	0.85	आईटी हार्डवेयर परामर्शदाताओं की कम आवश्यकता एवं किफायत उपाय

ii) **अल्प/गैर-उपयोग:** परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन न किए जाने/ निष्पादन में विलंब के कारण बचत

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	व्यय विभाग	5.19	रिक्त पदों का नहीं भरा जाना
2.	नई पेंशन स्कीम के लिए एनएसडीएल के सेवा प्रभार	3.43	कम दावों की प्राप्ति

नोट:- वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सामान्य बचत, धनराशि के कम/गैर-उपयोग एवं अभ्यर्पण के कारण बचत के पृथक्करण के संबंध में बजट प्रभाग के 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी(एसी)/2011 के अनुपालन में यह अनुलग्नक शामिल किया गया है जैसी कि स्थायी वित्त समिति ने अपनी 33वीं रिपोर्ट में इच्छा जाहिर की थी।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थानः कार्यनिष्पादन की समीक्षा

उद्देश्य

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय (सोसाइटी) है और केन्द्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस संस्थान की स्थापना वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, लोक अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। इसे प्रतिभागी सेवाओं के समूह "क" के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं सतत् व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य भी सौंपा गया है।

कार्यनिष्पादनः

यह संस्थान जनवरी, 1994 से कार्य कर रहा है तथा निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हैः

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः

अब तक, विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के बीस बैचों को 44 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है। 05 जनवरी, 2015 से शुरू हुए परिवीक्षार्थियों के 22वें बैच में 42 परिवीक्षार्थियों ने प्रवेश लिया है।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न अवधियों के प्रबंधन विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों, विश्व बैंक आदि द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि संस्थान द्वारा संचालित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी प्रायोजित करते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रबंधन विकास कार्यक्रम का ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित हैः

(क) बजट व्यवस्था एवं लोक व्यय प्रबंधन

(ख) सरकार की लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन

(ग) माल एवं सेवाओं का प्रापण

(घ) निविदा और संविदा प्रक्रिया

(ङ) लोक वित्तीय प्रबंधन

(च) माल, कार्यों और सेवाओं के प्रापण के लिए विश्व बैंक के मानक नियम एवं प्रक्रियाएं

(छ) साइबर अपराध एवं विधि चिकित्साशास्त्र

स्नातकोत्तर प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) डिप्लोमाः

एन.आई.एफ.एम. वर्ष 2002 से स्नातकोत्तर प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) डिप्लोमा का संचालन कर रहा है। पी.जी.डी.एम.(एफ.एम.) का मौजूदा बैच मई, 2014 में शुरू हुआ है जिसमें विभिन्न केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के 72 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। पी.जी.डी.एम. (एफ.एम.) का नया बैच जून, 2015 में शुरू होगा जिसमें 120 अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

शासकीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमाः

एक वर्षीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा, संघ सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों की तकनीकी योग्यता में सुधार के लिए है। यह पाठ्यक्रम, नव नियुक्त अधिकारियों को लोक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करने में समर्थ बनाने के लिए तैयार किया गया है। डीजीए एंड आईए का नया बैच जून, 2015 से आरंभ होगा जिसमें 35 प्रतिभागियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

प्रबंधन में फेलो कार्यक्रमः

यह एक खुला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य, सक्षम शोधकर्त्ता, शिक्षक तथा परामर्शदाता तैयार करने के लिए शोध कार्य करना है। यह ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से विशेष वित्तीय विपणन कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) के सहयोग से एक वर्षीय सप्ताहांत विशेष कार्यक्रम और एक वर्षीय नियमित कार्यक्रम शुरू किया है जो नकद इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कोमोडिटीज़ तथा विदेशी मुद्रा जैसे सभी वित्तीय बाजारों को शामिल करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों, कमोडिटी एक्सचेंजों, विनियामक निकायों, बाजार मध्यस्थों, बैंकों, म्युच्युअल फंडों तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों और इसी तरह के अन्य संगठनों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करने में सक्षम प्रशिक्षित विशेषज्ञों को तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस कार्यक्रम का तीसरा बैच जुलाई, 2014 में सप्ताहांत विशेष कार्यक्रम में 24 प्रतिभागियों के साथ और नियमित कार्यक्रम में 36 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का अगला बैच मई-जून, 2015 में शुरू होगा।

परामर्शी परियोजनाएं:

वर्ष के दौरान सौंपी गई/पूरी की गई/चल रही परामर्शी परियोजनाएं इस प्रकार थीं:-

(i) भारत के अंदर और बाहर बेहिसाबी आय/संपत्ति का अध्ययन।

(ii) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में अध्ययन।

(iii) झारखंड सरकार का जल एवं स्वच्छता के संबंध में अध्ययन।

(iv) सीआरआरआई।

(v) कोंकण रेलवे।

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय का लेखा निम्न प्रकार हैः

(राशि रुपए में)

आय	**31.03.2014**	**31.03.2013**
सेवाओं से आय	**12,21,11,410**	**14,34,21,164**
अनुदान	**1,40,00,000**	**1,40,00,000**
अर्जित ब्याज	**1,18,68,541**	**1,15,37,141**
अन्य आय	**43,84,001**	**40,29,392**
जोड़ (क)	**15,23,63,952**	**17,29,87,697**
व्यय		
संस्थापना व्यय	**4,92,84,405**	**4,53,34,274**
अन्य प्रशासनिक व्यय	**9,09,65,197**	**8,82,13,241**
मूल्य ह्रास	**1,82,59,080**	**92,63,755**
जोड़ (ख)	**15,85,08,682**	**14,28,11,270**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष/घाटे की शेष राशि (क-ख)	**-61,44,730**	**3,01,76,427**
घटाएं: अवधि-पूर्व समायोजन (निवल)	**0**	**(36,470)**
जोड़ें: पूंजीगत परिसंपत्ति निधि से अंतरित राशि जो सरकारी अनुदान से प्राप्त की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (वर्ष के लिए) दर्शाती है	**97,98,871**	**26,93,038**
तुलन-पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष/घाटे की शेष राशि	**36,54,141**	**3,28,32,995**

राजस्व विभाग

परिचय

1. राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड का प्रमुख अध्यक्ष होता है जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होता है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाने व संग्रहण का कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । दोनों, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में छह सदस्य होते हैं। ये सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं ।

2. राजस्व विभाग मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-

- प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- अप्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- आर्थिक अपराधों की जॉच और आर्थिक कानून का प्रवर्तन ।
- अफीम की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के लिए नीति तैयार करना ।
- स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार का मुकाबला करना एवं रोकथाम करना ।
- फेमा का प्रवर्तन एवं कोफेपोसा के तहत नज़र बन्दी हेतु सिफारिश ।
- तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सम्पत्ति को जब्त करने से संबंधित कार्य ।
- अन्तर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना ।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
- स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से जुड़ा शेष कार्य ।

3. राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है :-

- आयकर अधिनियम, 1961;
- धनकर अधिनियम, 1958;
- व्यय कर अधिनियम, 1987;
- बेनामी कारोबार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
- अधिलाभ कर अधिनियम , 1963;
- कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964;
- अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974;
- वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय VII (प्रतिभूति, कारोबार कर लगाने से संबंधित)
- वित्त अधिनियम, 2005 का अध्याय VII (बैंकिंग, रोकड़ कारोबार कर से संबंधित)
- वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V (सेवा कर से संबंधित)
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
- तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सफेम) (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999; और
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;

* इन अधिनियमों का प्रशासन केवल उस अवधि के दौरान हुए मामलों के लिए सीमित है, जब ये लागू थे ।

4. यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

- **केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :**

  प्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

  अप्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **राज्य कर स्कन्ध :**

  बिक्री कर कानून (वैधीकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 आदि का प्रशासन ।

- **स्वापक नियंत्रण प्रभाग:**

  अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए लाइसेंस नीति तैयार करना तथा अफीम एवं क्षारोध का मूल्य निर्धारण । प्रबंध समिति के कार्य का समन्वय करना और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे ।

- **प्रबंध समिति :**

  विभागीय उपक्रमों, नामतः सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य नीमच (म0प्र0) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रशासन करता है जो निर्यात प्रयोजनों के लिए कच्ची अफीम का संसाधन और अफीम से क्षारोद निष्कर्षण का भी कार्य करते हैं, जिनका भेषज उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है ।

- **प्रशासन प्रभाग :** राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले । विभाग के भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और के0उ0शु0) (समूह-क) स्टाफ और अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों का रख-रखाव । समन्वय कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवाद संबंधी कार्य ।

- **पुनरीक्षा आवेदन एकक :** सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुकत (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षा याचिकाओ और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के समक्ष 11.10.1982 से पहले दाखिल मामलों से संबंधित कार्य ।
- **एकीकृत वित्त एकक :**

  राजस्व विभाग और सी0बी0डी0टी0 एवं सी0बी0ई0सी0 के तहत इसके संघटक एककों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना । व्यय और वित्तीय प्रस्तावों का कार्य करना । राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों के लिए व्यय बजट तैयार करना और जांच करना ।
- **सक्षम प्राधिकारी:**तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत सम्पत्ति के समपहरण और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय-5 क से संबंधित कार्य ।
- **सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण:**सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम, 1976 और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अध्याय 5 क के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित सम्पत्तियों के समपहरण के आदेशों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल अपीलों का न्याय-निर्णयन ।
- **सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण:**कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्त (अपील) के आादेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई ।
- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति:**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना।
- **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :**आवेदक द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में अनिवासियों द्वारा दाखिल आवेदन में विनिर्दिष्ट कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय देना ।
- **सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :**सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।
- **समझौता आयोग (आयकर/धन कर):**आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।
- **केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:**आसूचना एकत्रित करने की गतिविधियों, जांच-पड़ताल के प्रयासों और आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियां द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन का समन्वय करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना ।
- **प्रवर्तन निदेशालय:**विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबंदी के लिए मामलों की सिफारिश करना । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और न्याय-निर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है । धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संगत उपबंधों के तहत निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां भी दी गई हैं ।
- **वित्तीय आसूचना एकक:**धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के एकत्रण और आदान-प्रदान को समन्वित और सुदृढ़ करना । निदेशक, भारत-वित्त आसूचना एकक को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संगत उपबंधों के तहत शक्तियां दी गई हैं ।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण**

  धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अथवा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग करना । प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह असंतुष्ट पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियत अपराध अथवा धन शोधन अपराध के लिए चल रहे मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेचा न जा सके ।
- **आयकर लोकपाल** :करदाताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सात शहरों में आयकर लोकपालों को तैनात किया गया है ।
- **अप्रत्यक्ष कर लोकपाल** : सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के विरूद्ध लोक शिकायत से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए चार शहरों में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

5. प्रत्यक्ष कर :

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों अर्थात आयकर, धनकर, बैंककारी नकद संव्यवहार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य हैं तथा यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है । दिल्ली में निम्नलिखित सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके काम काज में सहायता करते हैं :

(i) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)
  - (क) आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
  - (ख) आयकर निदेशालय (वसूली)
  - (ग) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)

(ii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

(iii) आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)

(iv) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)

(v) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

(vi) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया पुननिर्माण)

(vii) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

(viii) आयकर महानिदेशालय (छूट)

(ix) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्यनिर्धारण)

पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के लिए जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं । मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की सहायता आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करते हें । यहां प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के

निपटान का कार्य करते हैं । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं ।

6. **अप्रत्यक्ष कर**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यह बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए 23 मुख्य आयुक्त के ज़ोन, सीमा शुल्क के लिए 11 मुख्य आयुक्त ज़ोन, 12 महानिदेशालय एवं 6 निदेशालय एवं एक सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के लिए एक मुख्य विभागीय प्रतिनिधि व्यवस्था शामिल है, के माध्यम से अपने कार्यों का निवर्हन करता है। इसके प्रकार्यों में निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा सहायता की जाती हैः-

(i) राजस्व आसूचना निदेशालय

(ii) संरक्षोपाय महानिदेशालय

(iii) केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय

(iv) निरीक्षण महानिदेशालय

(v) सतर्कता महानिदेशालय

(vi) सेवाकर महानिदेशालय

(vii) लेखापरीक्षा महानिदेशालय

(viii) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(ix) मूल्यांकन महानिदेशालय

(x) प्रणाली एवं डॉटा प्रबंधन महानिदेशालय

(xi) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(xii) लॉजिस्टिक्स महानिदेशालय

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियें की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार है ।

7. **राजस्व विभाग में तीन अनुदान मांगे हैं:**

मांग सं0 43 – राजस्व विभाग

मांग सं0 44- प्रत्यक्ष कर और

मांग सं0 45- अप्रत्यक्ष कर

परिव्यय के परिणामी में परिवर्तित करना

मांग सं0 43 - राजस्व विभाग

(रूपये करोड़ में)

	वास्तविक 2013-14		बजट अनुमान 2014-15		संशोधित अनुमान 2014-15		बजट अनुमान 2015-16		
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	कुल
कुल राजस्व भाग	-	**2607.11**	-	**726.90**	-	**11759.92**	-	**16081.69**	**16081.69**
प्रभारित	-	26.58	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02
दत्तमत	-	2580.53	-	726.88	-	11759.90	-	16081.67	16081.67
कुल-पूंजी भाग	-	**13.01**	-	**106.01**	--	**50.87**	-	**106.00**	**106.00**
प्रभारित	-	0	-	-	-	-	-	-	-
दत्तमत	-	13.01	-	106.01	--	50.87	-	106.00	106.00
कुल (राजस्व एवं पूंजी)	-	**2620.12**	-	**832.91**	-	**11810.79**	-	**16187.69**	**16187.69**
प्रभारित	-	26.58	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02
दत्तमत	-	2593.54	-	832.89	-	11810.77	-	16187.67	16187.67

2015-16 हेतु परिव्यय एवं परिणाम का विवरण

क्रम सं0	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रूपये में) गैर योजना	योजना	प्रमात्रात्मक प्रदाय / वास्तविक उपादान	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी / जोखिम अवयव
			4		5	6	7	8
1	2	3	4(i)	4(ii)				
1.	**मुख्य शीर्ष -2052 कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली की स्थापना, आदि** (यह बजट प्रावधान अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) को कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता अनुदान तथा अधिकार प्राप्त समिति के प्रशासनिक खर्चों के लिए हैं ।	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली के माध्यम से अन्तरराज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता रखना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य संचालन और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में वेट का कम्प्यूटरीकरण ।	0.01	...	—कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन। —अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना । —जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण	—अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से नजर रखना जिससे राजस्व के रिसाव को रोका जा सकेगा । —जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आधुनिक वैट प्रशासन	अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा कर सूचना आदान प्रदान परियोजना का कार्यान्वयन एक सुविधा प्रदाता के माध्यम से बूट माडल पर किया जा रहा है। यह परियोजना 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो गई है । —जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और इस परियोजना की प्रगति की मॉनिटरिंग अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जा रही है । अधिकार प्राप्त सीमिति ने संपूर्ण केंद्रीय भाग जारी कर दिया है ।	
2.	**मुख्य शीर्ष 2047-माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी)** (यह बजट प्रावधान माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर नेटवर्क हेतु विशेष उद्देश्य वाहक	292.00	...	माल एवं सेवा कर के निर्बाध आरंभ हेतु सामर्थकारी वातावरण तैयार करना ।	माल एवं सेवा कर नेटवर्कः विशेष उद्देश्य वाहक केंद्र एवं राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करेगा।	विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) एक गैर-सरकारी सेक्शन 25 कंपनी के रूप में कार्य कर रही है ।	
3.	**मुख्य शीर्ष - 3601/3602 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों को वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति तथा वैट संबंधी अन्य खर्चे** (यह बजट प्रावधान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को (i) वैट की क्षतिपूर्ति के लिए और (ii)	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	0.00	...	—सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वैट कार्यान्वयन	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	—सहमत फार्मूले के अनुसार वैट क्षतिपूर्ति वर्ष 2005-06 (राजस्व हानि का 100 प्रतिशत), वर्ष 2006-07 (राजस्व हानि का 75 प्रतिशत) और वर्ष 2007-08 (राजस्व हानि का 50 प्रतिशत) के लिए उपलब्ध कराई जानी	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
	अन्य वैट संबंधी व्यय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधन अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)				—राज्य कर प्रशासन का आधुनिकीकरण		थी । सभी राज्यों के दावों का निपटान पहले ही किया जा चुका है । —वाणिज्य करों के लिए मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-सीटी) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई है और राज्य अब अपने संसाधनों से इस परियोजना को जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं ।	
			9.40	...	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कराधान अध्ययन के लिये दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन		संस्थागत क्षमता निर्माण और लोक वित्त एवं नीति के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के रूप में उन्नयन हेतु सहायता के एक भाग के रूप में कराधान अध्ययन केंद्र, केरल तथा सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता को क्रमशः 14 करोड़ एवं 18 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं । जीआईएफटी, केरल को चालू वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव है ।	जीआईएफटी केरल को निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण 9.40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी ।
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) के चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति** (यह बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर (जी एस टी) के प्रारंभ को सुकर बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	15028.00	...	—सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन। -केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करना।	केन्द्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध समापन का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन ।	केन्द्रीय बिक्री कर को 1-4-2007 से तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना थी । केन्द्रीय बिक्री कर की दर को वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत और वर्ष 2008-09 में 2 प्रतिशत किया गया । सहमत फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति 2009-10 तक प्रदान की जानी थी । 2010-11 के लिए भी केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति, वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने से राज्यों को हुए राजस्व लाभ की राशि को घटाकर अदा कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, जीएसटी	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
							के कार्यान्वयन में विलंब को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय बिक्रीकर क्षतिपूर्ति (2010-11 के लिए 100 प्रतिशत, 2011-12 के लिए 75 प्रतिशत और 2012-13 के लिए 50 प्रतिशत) देने के लिए सहमति दे दी है। राज्यों को इस संबंध में अपने अद्यतन दावे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। चालू वर्ष के दौरान राज्यों को वर्ष 2010-11 की सीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि के रूप में 11000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का प्रस्ताव है ।	
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य**	गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां दो विभागीय उपक्रम हैं जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । इनमें से प्रत्येक उपक्रम की दो अलग-अलग इकाइयां, अर्थात अफीम फैक्टरी एवं क्षारोध संयंत्र हैं । अफीम फैक्टरियां अफीम की मांग को पूरा करने के कार्य में लगी हैं और खेती से प्राप्त कच्ची अफीम का एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता	350.17	...	326 मीट्रिक टन कच्चे अफीम की अधिप्राप्ति 20 मीट्रिक टन कोडीन फॉस्फेट का आयात, अफीम का निर्यात (316 मी0टन) तथा क्षारोद की बिक्री(67.13 मी0 टन)	400.43 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली	राजस्व वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जाएगी ।	राजस्व वसूली एवं व्यय अनेक कारणों जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग, विदेशी मुद्रा की दर में उतार चढ़ाव, क्षारोध का उत्पादन, अफीम की खरीद की मात्रा, कोडीन का आयात आदि पर निर्भर करता है ।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहल

मूल्यवर्धित कर (वैट) योजना का कार्यान्वयन

1. राज्य स्तर पर राज्य वैट को लागू करना हाल के समय का एक अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है । राज्य वैट को कार्यान्वित करने का निर्णय 18-6-2004 को हुई राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया था, जिसमें वैट को 1-4-2005 से लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई थी । तदनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर, जहां राज्य कर/ वैट नहीं है सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट को लागू कर दिया गया है, तथा वैट लागू करने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2005-08 के लिए 19002.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना

यह राज्य वैट कार्यान्वयन का एक प्राकृतिक उप परिणाम है । केन्द्रीय बिक्री कर गैर छूट प्राप्त स्रोत-आधारित कर होने के कारण वैट के अनुरूप नहीं है तथा इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 01.04.2010 से लागू करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के स्तर पर राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान राज्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाए । केन्द्रीय बिक्री कर को 3 वर्षों अर्थात प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत घटाकर समाप्त करने के लिए राज्यों के साथ एक व्यापक सहमति हुई थी ताकि 31-3-2010 तक इसे समाप्त किया जा सके । इसी क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1-6-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया था ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति पैकेज देने पर भी पारस्परिक रूप से सहमति हुई थी। इस पैकेज के तहत राज्यों को राजस्व वृद्धि हेतु उपायों और बजटीय सहायता के संयोजन से क्षतिपूर्ति की गई है । राजस्व वृद्धि के उपायों के रूप में और इस प्रकार राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए 01.04.2007 से सरकारी विभागों द्वारा फार्म 'डी' पर रियायती सीएसटी दर पर अंतर राज्यीय खरीद की सुविधा को वापिस ले लिया गया । इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए ऐसे प्रावधान बनाए गए जिससे कि वे राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय करों के किसी भी भाग को बिना तंबाकू और तंबाकू के उत्पादों पर वैट लगाने के लिए सक्षम हो सके । इसके बाद भी होने वाली उन्हें शेष हानि के लिए केंद्रीय सरकार ने संघ शासित क्षेत्रों को अब तक 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दावा वर्षों के लिए सीएसटी की दर घटाने से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 32860.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-10 से संबंधित बकायों के लिए हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश को 1940.51 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2013-14 में जारी की गई है । सरकार राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार 2010-11, 2011-12 व 2012-13 की अवधि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सीएसटी की क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है । तद्नुसार, संशोधित अनुमान 2014-15 में 11000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है । इस प्रकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 2010-11 के लिए सीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान आवश्यक अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के अंतर्गत राजस्व विभाग "वाणिज्यिक करों" पर एक मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) का समन्वय कर रहा है जो कि राज्य करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ई- प्रशासन पहल है। इसी का अनुसरण करते हुए सरकार ने एन ई जी पी के तहत राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी थी । 1133 करोड़ रूपये की कुल लागत वाली इस परियोजना से राज्यों को उनके वाणिज्यिक कर प्रशासनों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास तथा उन्नयन में सहायता मिलेगी । इस परियोजना का उद्देश्य एक ओर डीलरों को बहेतर सेवाएं उपलब्ध करना है तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों की दक्षता में सुधार लाना है । इस परियोजना के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों को लगभग 70:30 के अनुपात में निधि की भागीदारी करनी होगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष वर्ग स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए यह अनुपात 90:10 (केन्द्रीय भागःराज्य सरकार का भाग) पर निर्धारित किया गया है जबकि बिना विधायिका के केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि जारी की जाएगी।

राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार प्राप्त समिति(पी ई सी) का गठन किया गया । पी ई सी ने सभी 33 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है, जिनकी कुल लागत 1030 करोड़ रूपए है । 31 मार्च, 2014 तक इन राज्यों को केन्द्रीय भाग के रूप में 626.22 करोड़ रूपए की राशि को जारी कर दिया गया है ।

कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टीआईएनएक्सवाईएसवाईएस)

अन्तर्राज्यीय संव्यवहार को सुसाध्य बनाने के लिए एक कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) बनाई गई है ताकि राज्यों को फार्म-ग के निर्गम तथा अन्य अन्तर्राज्यीय बिक्री से संबंधित जानकारी मिल सके । इस परियोजना में केन्द्र सरकार परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि लगा रही है जबकि राज्य शेष हिस्से को सामूहिक रूप से वहन करेंगे । अधिकार प्राप्त समिति को अब तक 23.83 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है ।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

एक राष्ट्रीय स्तर के माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में पहली बार प्रस्तुत किया था । तब से इस विषय पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से विस्तार से विचार-विमर्श व बात-चीत की गई है । माल एवं सेवा कर को लागू करने के लिए 115वां संविधान संशोधन विधेयक, 2011 पहली बार लोक सभा में मार्च, 2011 में प्रस्तुत किया गया था । तथापि, पंद्रहवी लोक सभा भंग होने के साथ-साथ यह विधेयक भी समाप्त हो गया । इसके पश्चात केंद्र सरकार और राज्यों के बीच माल एवं सेवा कर प्रारंभ करने के संबंध में बकाया विवादास्पद मामलों के समाधान के लिए कई बैठकें हुई हैं । पिछली कुछ बैठकों में हुए व्यापक सहमति के अनुसार सरकार ने 19.12.2014 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 संसद में पुरःस्थापित किया है ताकि देश में माल एवं सेवा कर को 01 अप्रैल, 2016 से लागू करने के लिए भारतीय संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सके ।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष उद्देश्य वाहक की स्थापना

माल एवं सेवा कर अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ऐसे गंतव्य आधारित उपभोग कर के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें कम से कम विकृतियां हैं। भारत में माल एवं सेवा कर लागू करने का प्रमुख उद्देश्य इसमें अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शामिल करके कर आधार को बढ़ाना तथा छूटों में कमी लाना, प्रपाती और दोहरे कराधान को कम करना तथा माल एवं सेवाओं पर समग्र कर भार को कम करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है । प्रच्छन्न या अंतः स्थापित करों को हटाने से आयात की तुलना में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी । यह सुधार लाने से माल एवं सेवाओं के लिए एक आम राष्ट्रीय बाजार का विकास भी होगा ।

माल एवं सेवा कर की सफलता एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर भी निर्भर करेगी । माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए सरकार ने एक विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) (जी एस टी एनः एस पी वी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है जिससे माल एवं सेवा कर को सुचारु रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार हो सकेगा । जी एस टी एनः एस पी वी केंद्र तथा राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

जी एस टी एनः एस पी वी को धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है जिसका रणनीतिक नियंत्रण सरकार के पास रहेगा । इसकी 10 करोड़ रुपए की ईक्विटी पूंजी होगी जिसमें केंद्र और राज्यों प्रत्येक की 24.5 प्रतिशत की बराबर साझेदारी होगी । गैर-सरकारी संस्थानों की 51 प्रतिशत ईक्विटी होगी । कोई भी अकेला संस्थान 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारित नहीं कर सकेगा ।

जी एस टी एनः एस पी वी का एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल होगा जो कर दाताओं तथा इसकी सेवाओं का लाभ उठाने वाले कर प्राधिकरणों पर उपभोक्ता प्रभार लगाएगा । यद्यपि एस पी वी की सेवाएं निकट भविष्य में जी एस टी के वास्तविक प्रारंभ के समय महत्वपूर्ण होगीं, यह भी आशा की जा रही है कि यह जी एस टी लागू करने से पहले केंद्र/राज्य कर प्रशासनों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करेगा ।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के उन्नयन हेतु सहायता

सरकार ने कराधान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए तथा पूर्वी भारत में इसी प्रकार का एक नया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था ।

कराधान अध्ययन केन्द्र का गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन हेतु 33.13 करोड़ रूपये की कुल लागत का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । राजस्व विभाग ने इसमें से 23.63 करोड़ रूपये तक का सहायता अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति दे दी है । केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा संस्थान को मदद के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 18 करोड़ रूपये की राशि 31मार्च, 2014 तक जारी कर दी गई है । उपर्युक्त त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात केरल सरकार ने नई इमारत की निर्माण लागत हेतु केंद्रीय भाग के शेष 5.64 करोड़ रुपए तथा परियोजना लागत में वृद्धि के कारण इमारत की अतिरिक्त लागत हेतु 9.40 करोड़ रुपए (लगभग) जारी करने का अनुरोध किया है । वित्त मंत्री ने संस्थान की नई इमारत की नीव 1 जनवरी, 2011 में रखी थी । जीआईएफटी की नई इमारत के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है तथा इसका निकट भविष्य के उद्घाटन होने की संभावना है । अतिरिक्त निधि हेतु केरल सरकार के अनुरोध पर सरकार विचार कर रही है ।

सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन केन्द्र (सी एस एस एस), कोलकाता को कार्पस सृजित करने तथा पहचान किए गए क्रियाकलापों को चलाने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है । इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार तथा निदेशक, सी एस एस एस, कोलकाता के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा मार्च, 2014 तक पश्चिम बंगाल की सरकार को 14 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है ।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां

गाजीपुर(उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन, अफीम क्षारोद के विनिर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों को अपने गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित दोनों कारखानों के द्वारा पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं । सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) द्वारा किये गये कुछ प्रमुख सुधार एवं पहल निम्न प्रकार से हैं:-

(क) अफीम पोस्त की अधिक पैदावार वाली किस्म के विकास व मौसम नियंत्रित कक्ष की स्थापना के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना आंरभ की जा रही है । इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि अफीम पोस्त की उन क़िस्मों की वाणिज्यिक तौर पर विकास एवं खेती की जाए जिनमें उच्च एल्कालायड की मात्रा हो ताकि एल्कालायड का उच्च मात्रा में उत्पादन हो सके । इससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी तथा आयात पर निर्भरता भी कम होगी । इससे अफीम खेतिहरों को अधिक आय होगी / मुआवजे में वृद्धि होगी ।

परिणामी बजट की निगरानी व्यवस्था

परिणामी बजट के अंतर्गत प्रशासनिक एवं समन्वयकारी यूनिटों द्वारा अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की एक प्रणाली आरंभ की गई है । परिणामी बजट के अंतर्गत व्यय के रूझानों व प्रगति की मासिक व त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना संबंधी मदों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनीटरिग / कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जा रहे व्यापक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के उद्यमों के संबंध में समन्वित प्रयासों एवं शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

2013-14 हेतु परिव्यय के परिणामों की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2013 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन**	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना	0.18	0.18	पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं मेघालय में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण।	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है ।	इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को और बढ़ाने के लिए एवं वैट संबंधी अन्य व्यय के लिए प्रावधान किया गया है । परियोजना 31.3.2011 को समाप्त हुई और इसके पश्चात इन राज्यों को एमएमपी-सीटी स्कीम के माध्यम से निधियां प्रदान की गई थी। एमएमपी-सीटी परियोजना भी 31.3.2014 को समाप्त हो गई ।
2.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस) की स्थापना ।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण।	15.61	6.00	अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात की लागत भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित किया गया था । इस परियोजना का अंतिम विस्तार 31-3-2013 को समाप्त हो गया है,इसके बाद कोई विस्तार नहीं दिया गया है । अतः 2013-14 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी ।
						जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजनाः 25.33 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 40.49 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है। अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी।	राज्यों ने अपने डीलरों के लिए ई-पंजीकरण, ई-विवरणी, ई-भुगतान, ई-मालसूची सुविधाएं पहले ही प्रारंभ कर दी है । 31.3.2014 तक 17.99 करोड़ रुपए (2013-14 में जारी 6 करोड़ की राशि सहित) की राशि जारी की गई थी ।
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	132.00	74.00	सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है।	इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए जारी किया जाता है । अब

1	2	3	4	5	6	7
				को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य खर्च को पूरा करने के लिए ।		तक इन्हें 19002.82 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है। राज्यों के सभी दावों को निपटा दिया गया है ।
					राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण हेतु वाणिज्यिक कराधान संबंधी मिशन मोड परियोजना (एम एम पी-सी टी) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही 1133 करोड़ रूपये की समग्र लागत के साथ अनुमोदित कर दिया गया था, जिसमें से केन्द्रीय भाग तकरीबन 725 करोड़ रूपये था । केंद्रीय भाग के रूप में 622.22 करोड़ रूपये की राशि (2009-10 में 145 करोड़ रुपए, 2010-11 में 206.32 करोड़ रुपए, 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपए, 2012-13 में 98.07 करोड़ रुपए और 2013-14 में 70 करोड़ रुपए) जारी की गई है । परियोजना 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई है और अब इसे राज्य सरकार द्वारा अपने ही स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है।
					राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन करना	23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के अंदर कराधान अध्ययन केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा संस्थान को तीन किश्तों में 18 करोड़ रुपए (2013-14 में जारी 4 करोड़ रुपए की राशि सहित) की राशि जारी कर दी गई है । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के एक और प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई थी और सी एस एस एस को अंतरित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

1	2	3	4		5	6	7
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	9300.00	1940.51	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति करना।		इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान राशि जारी की गयी है। मार्च, 2014 तक राज्य सरकारों को 30860.42 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है जिसमें 2008-09से 2009-10 तक के लिए सीएसटी क्षतिपूर्ति के बकायों के भुगतान के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को 2013-14 के दौरान जारी की गई 1940.51 करोड़ रुपए की राशि शामिल है ।
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	260.14	343.41	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (299 मीट्रिक टन) 20 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (310 मी0 टन) और क्षारोद की बिक्री (56.90 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 316.47 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी।	व्यय की तुलना में राजस्व की वसूली की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी ।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले 2013-14 में 282 मीट्रिक टन अफीम और 19.975 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई थी । 310 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले में 340.491 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई थी । 56.90 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 61 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई थी । पूर्वानुमानित स्तर पर 316.47 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति के अनुमान के मुकाबले में 2013-14 में राजस्व प्राप्ति 347.72 करोड़ रूपये थी । मार्च, 2014 तक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय 319.98 करोड़ रूपये था ।

2014-15 के लिए परिव्ययो के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2014 की स्थिति (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना ।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण।	8.00	6.34	-अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना को 2009-10 के दौरान पूरा किया जाना था परंतु इसे 31.3.2013 तक बढ़ाया गया । इस तारीख से आगे, कोई विस्तार नहीं दिया गया है और परियोजना को अब राज्यों द्वारा अपने ही स्रोत से आगे बढ़ाया जाना है ।	चूँकि इस परियोजना को 31-3-2013 से आगे नहीं बढाया गया है, अतः 2013-14 के बाद कोई राशि जारी नहीं की गई है ।
						हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण : 40.49 करोड़ रुपए की कुल लागत की परियोजना को मंजूरी दी गई थी जिसमें केंद्रीय हिस्सा 25.33 करोड़ रुपए है । अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी।	परियोजना संबंधी क्रियाकलापों की नियमित अंतराल में समीक्षा की जा रही है । 31.3.2014 तक 15.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में 6.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।
2.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि तथा वैट संबंधी अन्य खर्चों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों कोप्रतिपूर्ति**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	1.00	0.00	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करना और साथ ही राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए ।	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है।	चूँकि वैट लागू करने के कारण होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में सभी राज्यों के दावों का निपटान कर दिया गया है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई है ।
						राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	इसी तरह राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्यिक कराधान हेतु मिशन मोड परियोजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में कोई राशि जारी नहीं की गई थी, क्योंकि परियोजना 31.3.2014 को समाप्त हो गई है ।

1	2	3	4		5	6	7
			0.02	4.00		राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन	कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा अनुदान की 4 करोड़ रूपये, 10 करोड़ रुपए तथा 4 करोड़ रुपए की तीन किश्तें संस्थान को जारी कर दी गई हैं । संस्थान ने सहायता के केंद्रीय हिस्से के शेष में से 5.63 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जो सरकार के विचाराधीन है । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। सी एस एस एस को अंतरण के लिए पश्चिम बंगाल को 14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति ।**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	0.01	11000.00	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति करना ।	सहमत फार्मूले के अनुसार सीएसटी की प्रतिपूर्ति वर्ष 2009-10 तक राज्यों को प्रदानकिए जाने की जरूरत होगी। बाद में राज्यों के अनुरोध और जीएसटीपरबातचीत को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार ईसी की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए राज्यों को सीएसटी के भुगतानके लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई थी ।	वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए प्रतिपूर्ति हेतु हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को चालू वर्ष के दौरान जारी 1940.51 करोड़रुपए की राशि सहित मार्च, 2014 तक राज्य सरकारों को 32800.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 2010-11 के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावों को निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
4.	**मुख्य शीर्ष 2047 माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष प्रयोजन वाहन**	माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना	100.00	100.00	जीएसटी को निर्बाध लागू करने के लिए समर्थनकारी परिवेश का सृजन करने के लिए । जीएसटीएन : एसपीवी आईटी अवसंरचना और केंद्र तथा राज्यों सहित विभिन्न हितधारकों को सेवाएं प्रदान करेगा ।	मंत्रिमंडल ने निगमन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के लिए जीएसटीएन की प्रारंभिक स्थापना और कार्यकरण के लिए व्यय के प्रति 315 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया है ।	जीएसटीएन को वर्ष 2012-13 में 1.00 करोड़ रुपए और वर्ष 2013-14 में 2.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । चालू वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपए की और राशि जारी की गई है ।

1	2	3	4		5	6	7
5.	**मुख्य शीर्ष 2875** **सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	267.52	301.99	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (299 मीट्रिक टन) 17 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (214 मी0 टन) क्षारोद की बिक्री (56.20 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 338.97 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति होगी ।	राजस्व की वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले वर्ष 2014-15 में 255 मीट्रिक टन अफीम और 15.491 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई है । 214 मीट्रिक टन अफीम के निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले 148 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई है । वर्ष के दौरान क्षारोद की बिक्री हेतु 56.20 मैट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 44.661 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई है । संशोधित अनुमान स्तर पर 287.82 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के मुकाबले दिसंबर, 2014 तक 208.80 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। सरकारी अफीम एवं क्षरोद कार्य पर दिसमबर, 2014 तक व्यय 118.76 करोड़ रूपये (अनंतिम) है ।

वित्तीय समीक्षा – बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052	161.76	145.05	134.3	178.97	148.04	139.44	175.55	174.64	108.11
कुल	**2052**	**161.76**	**145.05**	**134.3**	**178.97**	**148.04**	**139.44**	**175.55**	**174.64**	**108.11**
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
प्रवर्तन निदेशालय	2047	53.80	49.50	45.32	70.86	59.34	60.57	81.01	85.20	56.19
राष्ट्रीय लोक वित्त एवंनीति संस्थान	2047	8.50	18.65	18.65	10.03	8.38	8.16	10.99	8.39	5.39
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2047	0.78	1.00	0.95	1.01	1.17	1.07	1.17	1.17	0.99
अन्य व्यय (ए टी एफपी/सीस्टेट)	2047	19.16	18.85	19.07	20.69	21.72	21.55	27.38	29.27	18.35
जी एस टी एनःएस पी वी	2047	0.00	1.00	1.00	100.00	58.84	2.78	100.00	100.00	
कुल	2047	82.24	89.00	84.99	202.59	149.45	94.13	220.55	224.03	80.92
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
स्वापक नियंत्रण	2070	37.92	36.62	31.66	39.35	37.08	32.51	40.66	40.82	31.64
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इत्यादि	2070	3.54	2.94	2.30	2.74	6.13	5.69	6.10	6.11	1.90
नशीले पदार्थ के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि का अंतरण	2070	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
कर प्रशासन सुधार आयोग	2070	0	0	0	0	2.58	0.61	5.16	3.11	0.93
विशेष जांच दल	2070	0	0	0	0	0	0	8.93	4.92	0.92
कुल	**2070**	**42.46**	**40.56**	**33.96**	**43.09**	**45.79**	**38.81**	**61.85**	**54.96**	**34.47**
अफीम और क्षारोद फैक्टरी										
राजस्व व्यय	2875	379.63	460.01	440.55	259.59	341.71	319.33	266.92	301.38	136.49
मुख्य नियंत्रक सरकारी अफीम और क्षारोद फैक्टरी	2875	0.56	0.55	0.49	0.55	0.56	0.65	0.60	0.61	0.44
कुल	2875	380.19	460.56	441.04	260.14	342.27	319.98	267.52	301.99	136.93

(रुपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
आय पर कर संग्रहण एवं व्यय										
अन्य प्रभार	2020	0.40	0.36	0.16	0.40	0.30	0.24	0.40	0.30	0.18
कुल	**2020**	**0.40**	**0.36**	**0.16**	**0.40**	**0.30**	**0.24**	**0.40**	**0.30**	**0.18**
राज्यों को सहायता अनुदान (वैट)	3601	195.00	106.71	98.07	131.00	70.00	70.00	1.01	4.00	0.00
के0शा0 रा0 को सहायता अनुदान (वैट)	3602	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
राज्यों को सहायता अनुदान (सी एस टी)	3601	300.00	10.00	0.00	9300.00	1940.51	1940.51	0.01	10758.43	0.00
के0शा0 रा0 को सहायता अनुदान (सी एस टी)	3602	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	0.00	241.57	0.00
कुल		**500.00**	**119.71**	**101.07**	**9432.00**	**2014.51**	**2014.51**	**1.03**	**11004.00**	**0.00**
सहायता सामग्री एवं उपस्कर	**3606**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल (राजस्व भाग)		**1167.05**	**855.24**	**795.52**	**10117.19**	**2700.36**	**2607.11**	**726.90**	**11759.92**	**360.61**
पूंजी भाग										
जी एस टी एनः एस पी वी हेतु पूंजीगत परिव्यय	**4047**	**0.00**	**2.45**	**2.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
जी ओ ए डब्ल्यू पर पूंजीगत व्यय	**4875**	**1.53**	**0.30**	**0.02**	**0.70**	**0.50**	**0.00**	**6.00**	**0.86**	**0.00**
बने बनाए आवास की खरीद										
आवासीय भवन	**4216**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.00**
लो0नि0कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	**4059**	**10.00**	**6.16**	**4.39**	**100.00**	**13.00**	**13.00**	**100.00**	**50.00**	**0.00**
कुल (पूंजी भाग)		**11.54**	**8.91**	**6.86**	**100.71**	**13.51**	**13.01**	**106.01**	**50.87**	**0.00**
महायोग		**1178.59**	**864.15**	**802.38**	**10217.90**	**2713.87**	**2620.12**	**832.91**	**11810.79**	**360.61**
घटा										
(i) राजस्व प्राप्तियां		366.73	440.03	312.24	347.73	316.47	347.55	338.97	287.82	208.80
(ii) वसूलियां		42.22	52.34	46.32	52.09	52.26	0.00	56.04	77.37	1.07
निवल		**769.64**	**371.78**	**443.82**	**9818.08**	**2345.14**	**2272.57**	**437.90**	**11445.60**	**150.74**

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण - वस्तु शीर्षवार

(रूपये करोड़ो में)

शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
राजस्व भाग									
वेतन	187.58	177.29	167.18	202.52	182.13	181.36	221.92	217.00	168.21
मजदूरी	1.12	0.48	0.30	1.12	0.40	0.13	0.98	0.08	0.05
समयोपरि भत्ता	1.75	1.57	1.40	1.67	1.40	1.29	1.53	2.28	1.28
पेंशन प्रभार	0.99	0.96	1.00	0.87	0.93	0.90	0.91	0.90	0.00
पुरस्कार	0.32	0.07	0.01	0.13	0.12	0.02	0.12	0.10	0.00
चिकित्सा उपचार	3.42	3.09	2.50	3.24	3.17	2.74	4.01	4.45	2.04
घरेलू यात्रा व्यय	6.81	6.81	6.96	8.67	8.19	7.69	11.43	12.29	6.98
विदेश यात्रा व्यय	7.27	5.06	4.17	6.27	5.19	4.11	6.41	5.69	1.33
कार्यालय व्यय	28.85	25.91	25.50	33.85	30.34	30.49	38.83	50.36	34.99
किराया, दर एवं कर	16.78	16.95	14.47	24.54	24.08	20.62	34.15	31.75	16.21
प्रकाशन	0.60	0.60	0.35	0.69	0.59	0.44	0.69	0.75	0.34
बैंक संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.62	3.16	2.95	3.42	3.50	3.38	4.96	4.41	3.30
आपूर्ति और सामग्री (दत्तमत)	285.39	355.68	335.83	157.28	208.70	170.64	152.95	159.27	82.98
आपूर्ति और सामग्री (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	26.45	0.00	0.00	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार	0.38	0.29	0.15	0.34	0.29	0.14	0.38	0.33	0.08
गौण निर्माण कार्य	1.24	1.45	0.95	1.63	1.25	1.18	1.61	1.67	0.64
पेशेवर सेवाएं	16.55	18.70	16.28	19.03	20.17	18.57	23.34	22.44	11.77
अन्य संविदागत सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सहायता अनुदान सामान्य	514.70	140.63	120.41	9522.10	2076.30	2024.67	83.18	11084.49	19.99
पूंजीगतसम्पदा के सृजन हेतु अनुदान	0.00	0.50	0.50	30.00	7.04	0.00	30.00	30.00	0.63
वेतन सहायता अनुदान	6.92	7.21	7.21	8.19	6.54	8.16	8.99	6.39	5.39
अन्तरराष्ट्रीय योगदान	4.32	3.95	3.25	3.76	7.30	6.76	7.34	7.34	2.05

(रूपये करोड़ो में)

	2012-13			2013-14			2014-15		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय (अनंतिम)**
गुप्त सेवा व्यय	4.01	2.16	1.94	4.30	2.26	2.27	2.16	2.19	2.01
पूंजी पर ब्याज	12.75	10.20	15.70	9.20	12.11	12.11	9.87	16.58	0.00
अन्य प्रभार									
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	1.22	0.88	0.56	1.06	1.01	0.91	1.42	1.35	0.33
मशीनरी एवं उपस्कर	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्तर खाता अन्तरण	43.04	53.13	47.75	52.90	52.69	66.75	57.31	77.52	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	18.36	18.45	18.16	20.34	18.10	15.33	22.39	20.27	0.00
कुल-राजस्व भाग	**1167.05**	**855.24**	**795.52**	**10117.19**	**2700.36**	**2607.11**	**726.90**	**11759.92**	**360.60**
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	26.52	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	1167.03	855.22	795.52	10117.17	2673.84	2607.11	726.88	11759.90	360.60
पूंजी भाग									
मशीनरी एवं उपस्कर	1.12	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	5.58	0.60	0.00
मुख्य कार्य	10.41	6.46	4.41	100.45	13.40	13.01	100.43	50.27	0.01
निवेश	0.01	2.45	2.45	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल-पूंजी भाग	**11.54**	**8.91**	**6.86**	**100.71**	**13.51**	**13.01**	**106.01**	**50.87**	**0.01**
महायोग	**1178.59**	**864.15**	**802.38**	**10217.90**	**2713.87**	**2620.12**	**832.91**	**11810.79**	**360.61**
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	26.58	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	1178.57	864.13	802.38	10217.88	2713.85	2593.54	832.89	11810.77	360.61

वित्तीय समीक्षा- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

मांग सं0 41 के संबंध में तीन वर्षों में व्यय की स्थिति - संक्षेप में राजस्व विभाग निम्नानुसार हैः-

(रूपये करोड़ों में)

	2012-13			2013-14			2014-15		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
वैट* - मुख्य शीर्ष 2052	10.70	6.52	6.51	15.80	6.18	6.13	0.03	0	0
वैट/सी एस टी ** - 3601/3602	500.00	119.71	101.07	9432.00	2014.51	2014.51	1.03	11004.00	0
गैर-वैट/सी एस टी	667.89	737.92	694.80	770.10	693.18	599.48	831.85	806.79	360.61
कुल	1178.59	864.15	802.38	10217.90	2713.87	2620.12	832.91	11810.79	360.61
गैर-वैट/सी एस टी	667.89	737.92	694.80	770.10	693.18	599.48	831.85	806.79	360.61
सी सी एफ (स0अ0क्षा0का0)									
2875	380.19	460.56	441.03	260.14	342.27	319.98	267.52	301.99	136.93
4875	1.53	0.30	0.03	0.70	0.50	0.00	6.00	0.86	0
अन्य *** - गैर-वैट/सी एस टी और गैर स0अ0क्षा0का0	286.17	277.06	253.74	509.26	350.41	319.98	558.33	503.94	223.68
कुल वेतन	187.58	177.29	167.18	202.52	182.13	181.20	221.92	217.00	168.21
गैर वेतन	991.01	686.86	635.20	10015.38	2531.74	2438.92	610.99	11593.79	192.40

* मूल्यवर्धित कर स्कीम और टिनेक्स (टी आई एन एस एक्स वाई एस) परियोजना कार्यान्वयन और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति को इसके स्थापना व्यय हेतु अनुदानों के लिए बजट प्रावधान है ।

** ये बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति एवं वैट संबंधी व्यय के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है ।

*** केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सहित विभाग के विभिन्न संघटकों पर व्यय संबंधी स्थापना के लिए बजट प्रावधान है।

व्यय में रूझान

वेतन व्यय 2013-14 में 2012-13 की तुलना में 8.39 प्रतिशत अधिक हुआ क्योंकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, वेतन वृद्धियों का भुगतान, नये पदों का सृजन किया गया आदि, जबकि गैर वेतन व्यय इसी अवधि के दौरान 283.96 प्रतिशत बढ़ा जो कि मुख्यतः हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को 1940.51 करोड़ रूपये की सीएसटी की प्रतिपूर्ति के भुगतान के कारण है। सीएसटी की प्रतिपूर्ति और वैट से संबंधित व्यय पर 2014.51 करोड़ रूपये का व्यय, व्यय का बड़ा हिस्सा अर्थात अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग के तहत कुल व्यय का 76.89 प्रतिशत है जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में 12.60 प्रतिशत का व्यय हुआ था।

वर्ष 2013-14 में बजट अनुमान की तुलना सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए रखे गए 9300 करोड़ रूपए की तुलना में वास्तविक व्यय में पर्याप्त कमी हुई थी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के लंबित दावों को निपटान के लिए केवल 1940.51 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग किया जा सका और शेष राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया था क्योंकि वर्ष 2010-11 से आगे राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में अत्यधिक वृद्धि हुई क्योंकि सरकार ने वर्ष 2010-11 के राज्यों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है और जिसके लिए संशोधित अनुमान 2014-15 में 11000 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है।

अब तक, राज्य सरकारों को 19002.82 करोड़ रू0 की कुल वैट प्रतिपूर्ति और 32,800.93 करोड़ रू0 की सीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है।

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान समग्र वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रूपये करोड़ो में)

	2012-13			2013-14			2014-15		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक (अनंतिम)**
वैट योजना का कार्यान्वयन	0.19	0.14	0.13	0.19	0.18	0.13	0.03	0	0
कर सूचना विनिमय प्रणाली की स्थापना इत्यादि	10.51	6.38	6.38	15.61	6.00	6.00	8.00	6.34	0
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि और अन्य वैट संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति	200.00	109.71	101.07	132.00	74.00	74.00	1.02	4.00	0
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सी एस टी को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानियों के लिए प्रतिपूर्ति	300.00	10.00	0	9300.00	1940.51	1940.51	0.01	11000.00	0
जीएसटीएनःएसपीवी	0	1.00	1.00	100.00	58.84	2.84	100.00	100.00	20.00
कुल	**510.70**	**127.23**	**108.58**	**9547.80**	**2079.53**	**2023.48**	**109.06**	**11110.34**	**20.00**

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य :

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में सकल व्यय और राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय की स्थिति निम्नानुसार हैः

(रूपये करोड़ो में)

	व्यय			प्राप्तियां		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**
2012-13	380.19	460.56	441.03	366.73	440.03	312.24
2013-14	260.14	342.27	319.98	347.73	316.47	347.55
2014-15	267.52	301.99	136.93 (अनंतिम)	338.97	287.82	208.80 (अनंतिम)

वर्ष 2013-14 में सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्यों पर व्यय कुल व्यय का 12.21 प्रतिशत है । वर्ष 2013-14 में संशोधित अनुमानों की अवस्था में वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार को खरीद कर के भुगतान और कोडीन फास्फेट के आयात के कारण थी। संशोधित अनुमानों की अवस्था में वर्ष 2013-14 के लिए 316.47 करोड़ रूपए की अनुमानित राजस्व प्राप्ति की तुलना में 347.55 करोड़ रूपए का राजस्व एकत्रित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्तियों के लगभग 287.82 करोड़ रुपए होने की आशा है।

वर्ष 2012-13 , 2013-14 और 2014-15 के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय का विवरण

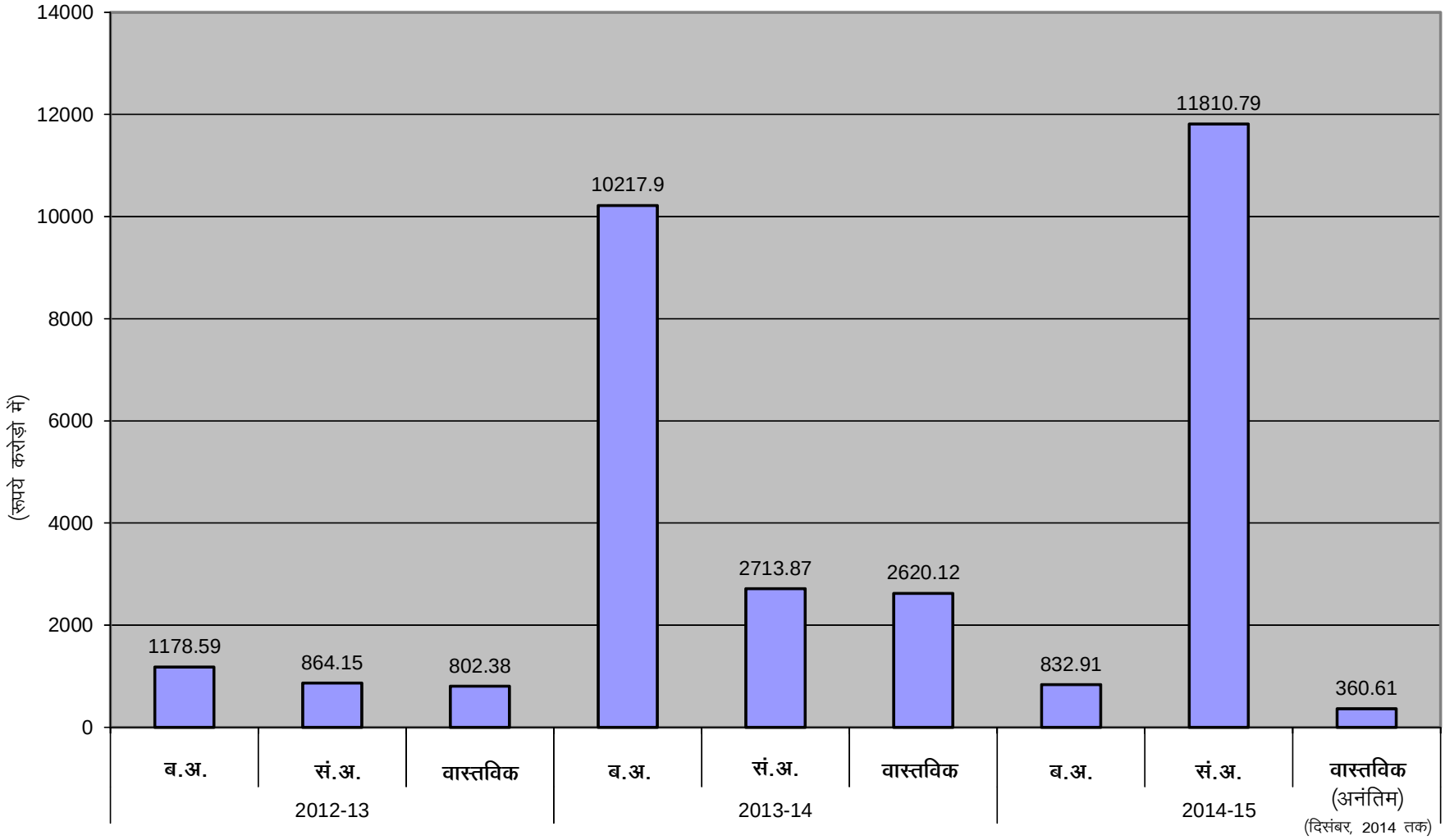

वास्तविक आंकड़े 2013-14 (रुपए करोड़ में)

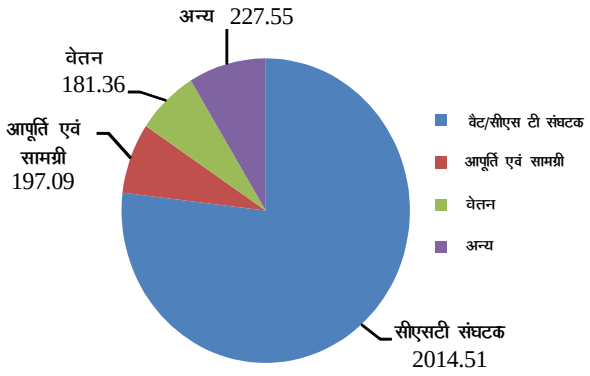

संशोधित अनुमान 2013-14 (रुपए करोड़ में)

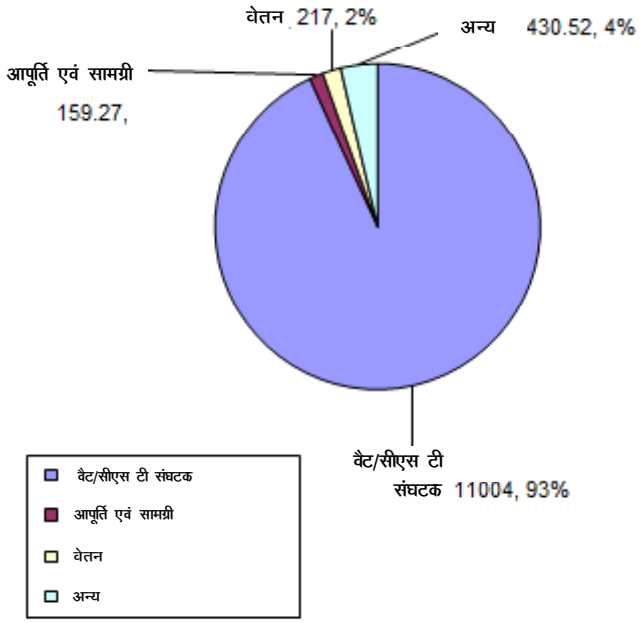

वर्ष 2013-14 में अनुदान के तहत वास्तविक व्यय 2620.12 करोड़ रूपये है। वैट को लागू करने और वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को दी गई प्रतिपूर्ति की राशि 2014.51 करोड़ रूपये है जो व्यय का 76.89 प्रतिशत है । आपूर्ति और सामग्री पर 197.09 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था जो कुल व्यय का 7.52 प्रतिशत है । यह व्यय मुख्यतः अफीम की खरीद और कोडीन फास्फेट के आयात के कारण हुआ है । वेतन पर व्यय कुल व्यय का 6.92 प्रतिशत है जबकि अन्य मदों पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 8.68 प्रतिशत है ।

संशोधित अनुमान 2014-15 में केन्द्रीय बिक्रीकर और वैट संबंधित व्यय 11004 करोड़ रूपये रखा गया था जो कुल व्यय का 93.17 प्रतिशत है। अगला मुख्य संघटक वेतन है जिसमें 217 करोड़ रूपये की राशि है तथा कुल व्यय का 1.84 प्रतिशत है। आपूर्ति एवं सामग्री पर व्यय की राशि 159.27 करोड़ रूपये है जो कि कुल व्यय का 1.35 प्रतिशत है तथा अन्य मदों पर व्यय कुल व्यय का 3.65 प्रतिशत है ।

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सांविधिक और स्वायतशासी निकायों के कामकाज की समीक्षा

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, बहुत सी मुख्य राज्य सरकारों, विशिष्ट विद्याविदों एवं स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संयुक्त पहल से वर्ष 1976 में एक स्वतंत्र और गैर-लाभ वाले संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह एक स्वतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन है। यह मैक्रो-अर्थशास्त्र, राजकोषीय नीति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों दोनों पर अंतर-सरकारी वित्त में अनुसंधान, सलाह और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के विभिन्न स्रोतों से अनुदान/आय और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं0	निधि का स्रोत	अनुदान/आय (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
1.	वित्त मंत्रालय	7.22	7.22
2.	अन्य स्रोत	8.14	8.04
3.	**कुल**	**15.36**	**15.26**

वर्ष 2009-10 से वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान का ब्यौरा -

	(रुपए करोड़ में)
2009-10	10.17
2010-11	7.10
2011-12	7.66
2012-13	18.65*
2013-14	9.83
2014-15 के लिए बजट अनुमान	10.99
2014-15 के लिए संशोधित अनुमान	8.39

* दस करोड़ रू0 का कार्पस अनुदान सहित

अनुदान के संघटक और उसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(क) संस्थान ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 2 मई, 2012 को एक नया समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी वेतन संशोधन या महंगाई भत्ते की किश्त के अवमुक्त किए जाने के फलस्वरूप संस्थान के मूल स्टाफ के वेतन में संशोधन या अन्य किसी भत्ते या वाहन भत्ते या महंगाई भत्ते, मकान किराया जैसे वेतन भत्ते पर होने वाले 90 प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए वेतन अनुदान प्रदान किया जाता है। इस आवर्ती अनुदान से पूरा होने वाले वेतन का 90 प्रतिशत परिकलन वेतन एवं भत्ते के कुल व्यय पर निर्भर करेगा, जिसकी अनुलग्नक I से IV में यथा इंगित मूल स्टाफ से संबद्ध वेतनमान के मध्य बिन्दु पर गणना की जाएगी और यह संस्थान की भिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के कार्य प्रभारित मूल स्टाफ के वेतन व भत्तों का बिना हवाला देते हुए किया जाएगा ।

(ग) वित्त वर्ष के अंत में, वास्तविक वेतन व्यय के 90 प्रतिशत से अधिक के वेतन अनुदान की किसी अतिशयता/कमी को आगामी वित्तीय वर्षों की अनुदान में समायोजित किया जा सकता है।

(घ) जो संस्थान के गैर-वेतन व्यय पूरा को करने के लिए पैरा 3 (क) में यथा आकलित किए गए वेतन अनुदान के 20 प्रतिशत के बराबर मूल अनुदान है।

(ड.) वित्त मंत्रालय से प्रतिवर्ष 20.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 9 जून, 2005 से संस्थान में एक कर अनुसंधान एकक (टी आर सी) स्थापित किया गया है ।

संस्थान में कुछ पूर्ण/चल रहे अध्ययन / आधार पत्र इस प्रकार हैं-

पूर्ण किए गए अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम(2013-14)

1. देश के अन्दर और बाहर बेहिसाब आय/धन पर अध्ययन
2. हिमाचल प्रदेश की राजस्व संभावना : सुधार के लिए निर्धारण और सुझाव
3. राज्य स्तर पर राजस्व की अनिश्चित दर का अनुमान लगाना
4. आधार कटाव और लाभ में बदलाव पर कार्रवाई योजना : भारतीय परिप्रेक्ष्य
5. मूल्य निर्धारण और प्रमाणीकरण तथा ईकेवाई सी सेवाओं पर एनआईपीएफपी-यूआईडीएआई अध्ययन
6. पूंजी खाते के खुलेपन के गहराने की प्रक्रिया में नीति विशलेषण
   (क) भारतीय चक्रीय के पक्ष में पूंजी प्रवाह क्यों ?
   (ख) भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में ढांचे को लक्षित करने वाली मुद्रास्फीति में मौद्रिक विशलेषण :भारत का मामला
7. एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम
8. मैक्रो-आर्थिक नीति विश्लेषण और राजकोषीय नीति और पूर्वानुमान पर डीईए-एनआईपीएफपी कार्यक्रम
   (क) भारतके लिए राजकोषीय गुणक
   (ख) भारत के जीडीपी विकास और मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए स्वचालित अग्रणी निर्देशक दृष्टिकोण
9. 12वी योजना अवधि के लिए मैक्रो-आर्थिक नीति माडलिंग
10. बाह्य क्षेत्र और मौद्रिक ब्लॉक माडलिंग पर एनआईपीएफपी-आरबीआई सहयोग
11. सिक्किम के एफआरबीएम अधिनियम, 2013-14 के तहत मध्यावधि राजकोषीय योजना
12. सिक्किम, एफआरबीएम अधिनियम, 2011-12 के लिए अनुपालन की समीक्षा
13. राज्य स्तर पर एनआरएचएम व्यय के चयनित पहलू : राजस्थान और कर्नाटक पर संकेंद्रण

जारी अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम (2013-14)

1. दक्षिण एशिया में कर नीति और उद्यम विकास
2. करदाताओं के आधार को व्यापक बनाने के लिए विश्लेषक माडल के विकास पर अध्ययन
3. एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम (चौथा)
4. व्यवसाय चक्र पर अनुसंधान
5. भारतीय फर्मों द्वारा विदेशी उधार : विकास और मैक्रो-आर्थिक स्थिरता के लिए उलझने
6. क्या क्यूई ने मौद्रिक सुनामी खोली? विनिमय बाजार दबाव दृष्टिकोण
7. 12वीं योजना अवधि के लिए मैक्रो-आर्थिक नीति माडलिंग
8. 14वें वित्त आयोग के लिए मैक्रो इकनोमैट्रिक माडलिंग

9. जी-20 के देशों में अवसंरचना निवेश के लिए वित्तपोषण
10. भारतीय राज्यों में अधिशासन की गुणवत्ता क्या है, और इससे कोई अंतर होता है?
11. विभाग में अनुसंधान और क्षमता विकास को सुदृढ़ बनाना
12 पांच उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अंतर-सरकारी वित्त
13. प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में खर्च न किए गए ऊंचे शेषों और राशि प्रवाह तंत्र को समझना
14. हवाई पत्तन क्षेत्र की जोखिमतकता का निर्धारण और इक्विटी पर उचित प्रतिफल (आर ओ ई) की दर का अनुमान लगाने से संबंधित कार्य को देना
15. ओडिशा एफआरबीएम अधिनियम के लिए अनुपालन की स्वतंत्र समीक्षा
16. क्या नए सृजित भारतीय राज्यों ने समावेशी विकास का संवर्धन किया है ? झारखंड और छत्तीसगढ़ की तुलना
17. लगातार नामांकन, अद्यतन बनाने और यूआईडीएआई द्वारा प्रस्तुत अन्य सेवा/ प्रस्तुत की जाने वाली सेवा के लिए व्यवसाय योजना के विभिन्न माडलों को विकसित करने के लिए एनआईपीएफपी-यूआईडीएआई परामर्श परियोजना
18. मध्य प्रदेश राज्य एमडीजी रिपोर्ट,2014-15 के लिए लघु उद्योग निधियन करार के दस्तावेजों को साझा करने पर अध्ययन
19. 5वीं बिहार राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन

आधार पत्र श्रृंखला

1. राजकोषीय सुधार, राजकोषीय नियम और विकास खर्च : भारतीय राज्यों ने कैसे निष्पादन किया है? (आधार पत्र सं0 122, अप्रैल, 2013)।
2. भारत में लोक वित्तीय प्रबंध में सुधार करना :आगे बढ़ने के अवसर (आधार पत्र सं0 123, अप्रैल, 2013)
3. उभरते बाजार में विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की निवेश प्रौद्योगिकी (आधार पत्र सं0 124, जून, 2013)
4. भारत के लिए राजकोषीय गुणक (आधार पत्र सं0 125, सितम्बर, 2013)
5. भारतीय सरकारी बांड बाजार में विदेशी निवेश (आधार पत्र सं0 126, सितम्बर, 2013)
6. लोक नीति में एकीकृत समय : महिला निदान और बजट बनाने से कोई साक्ष्य (आधार पत्र सं0 127, अक्तूबर, 2013)
7. राजकोषीय नवीनता के रूप में महिला अनुक्रियाशील बजट बनाना : ÎÌप्रोसेसोंÒ पर भारत से साक्षय (आधार पत्र सं0 128, जनवरी, 2014)
8. भारत में खनन क्षेत्र का पुनरूद्धार : विधानों और रायल्टी तंत्र का विश्लेषण करना (आधार पत्र सं0 129, जनवरी,2014)
9. विनियम दर तंत्र और मुद्रास्फीति : भारत के साक्ष्य (आधार पत्र सं0 130, फरवरी,2014)
10. उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ढांचे को लक्षित करने वाली मुद्रास्फीति मे मौद्रिक नीतिक विश्लेषण : भारत का मामला (आधार पत्र सं0 131, फरवरी,2014)
11. फार्मिंग में जीवाश्म ईंधनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयोग : ईंधन की लागत-भारतीय कृषि के लिए मूल्य वृद्धि (आधार पत्र सं0 132, फरवरी,2014)
12. आधार कटाव और लाभ बदलाव पर कार्रवाई योजना : एक भारतीय परिप्रेक्ष्य (आधार पत्र सं0 133, मार्च,2014)
13. भारत में पहाड़ी राज्यों के लिए विकास डिसएबिलिटी सूचकांक (आधार पत्र सं0 134, अप्रैल,2014)
14. शिखर पर स्थान : विकासशील एशिया में राजकोषीय स्थान, राजकोषीय नीति और समावेशी विकास का सिंहावलोकन (आधार पत्र सं0 135, अप्रैल,2014)
15. भारत में प्रस्तावित माल और सेवा कर (जीएसटी) तंत्र के तहत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत को शामिल करने के लिए नीति संबंधी विकल्पों की तलाश करना (आधार पत्र सं0 136, मई,2014)
16. केन्द्रीय अंतरणों पर राज्यों की निर्भरता : राज्य-वार विश्लेषण (आधार पत्र सं0 137, मई,2014)
17. भारत के बाह्य क्षेत्र की माडलिंग : समीक्षा और कुछ अनुभववादी (आधार पत्र सं0 138, मई,2014)
18. भारतीय राज्यों में मानव विकास के तीन दशक :समावेशी विकास या शाश्वत विभिन्नताएं (आधार पत्र सं0 139, जून,2014)
19. पंजाब में भूमिगत जल सिंचाई : कुछ मुद्दे और आगे का रास्ता (आधार पत्र सं0 140, अगस्त,2014)
20. भारत के वित्त आयोग के मूल्यांकन : आशाओं और परिणामों के बीच एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधी विवाद (आधार पत्र सं0 141, सितंबर,2014)

प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशालाएं (मार्च, 2014 तक)

1. एनआईपीएफपी, फरवरी 20-22,2014, जवाहर लाल विश्वविद्यालय और कागवा विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित आर्थिक सिद्धांत और नीति पर तीन दिवसीय सम्मेलन
2. विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के लिए लोक अर्थशास्त्र और नीति में लोक वित्त में 9वां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और 20 मई से 14 जून, 2013 के दौरान दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुनश्चर्या
3. 24-28 जून, 2013 के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति
4. 5-9 अगस्त, 2013 के दौरान भारतीय सिविल लेखा के अधिकारियों के लिए राजकोषीय नीति और व्यय प्रबंध पर पेशा-मध्य कार्यक्रम
5. 19-23 अगस्त, 2013 के दौरान एनआईपीएफपी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के लिए राजकोषीय नीति और मैक्रो आर्थिक प्रबंध
6. 26-30 अगस्त, 2013 के दौरान महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के लिए यशादा में राजकोषीय नीति और व्यय प्रबंध पर पेशा-मध्य कार्यक्रम
7. 3-14 फरवरी, 2014 के दौरान भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए लोक वित्त
8. 12-16 मई, 2014 भारतीय आर्थिक सेवा के परीवीक्षकों के लिए लोक वित्त
9. 16-20 जून, 2014 भारतीय सांख्यिकी सेवा के परीवीक्षकों के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति
10. 16-20 जून, 2014- आईएएस अधिकारियों के लिए राजकोषीय नीति और मैक्रो-आर्थिक प्रबंध
11. 29-30 सितंबर, 2014- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों के लिए लोक ऋण प्रबंध में प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम
12. 15 अक्तूबर, 2014- दक्षिण एशिया में कर नीति और उद्यम विकास पर नीति विनियोजन कार्यशाला
13. प्रभावी काउन्टर- चक्रीय नीति डिलीवर करने के लिए अगली पीढ़ी के राजकोषीय सुधार ढांचों पर एनआईपीएफपी-डीईए सम्मेलनः 12-13 दिसंबर, 2014-गोवा में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभव

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण-पत्र

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अनुपूरक अनुदानों सहित 10217.93 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान के मुकाबले में 2620.12 करोड़ रूपए का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 7597.81 करोड़ रूपये की बचत और अभ्यर्पण हुआ। ये बचतें अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भाग के विभिन्न उप-शीर्षो के तहत 7661.55 करोड़ रूपये की कुल बचत और 63.74 करोड़ रूपए के कुल आधिक्य का निवल प्रभाव है।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग किया गया है:-

(i) संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के कारण हुई सामान्य बचतें

वर्ष के दौरान, कुल 2.87 करोड़ रूपए की बचत हुई, जोकि संसाधनों के बेहतर और सक्षम रूप से उपयोग और प्रशासनिक खर्चों की कम आवश्यकता के कारण हुई। इस श्रेणी में कुछ योजनाएं/कार्यक्रम हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान	1.87	पहले के अनुदानों से खर्च न किए गए शेष के समायोजन के कारण
2.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि को अंतरित	1.00	चूंकि एनएफसीडीए के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध थीं, इसलिए आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

(ii) परियोजनाओं/योजनाओं के निष्पादन में गैर-कार्यान्वयन/विलंब के कारण बचतें

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन/कार्यान्वयन में विलंब हुआ था, जिसके कारण 7602.45 करोड़ रूपए की बचत हुई। उनमें से कुछ योजनाएं जिनमें से बचतें हुई उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	सीएसटी को समाप्त करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति	7359.45	वर्ष 2010-11 से आगे सीएसटी की प्रतिपूर्ति न प्रदान करने के सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कारण।
2.	माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन वाहन	97.22	जीएसटीएन के पूर्ण कार्यकरण में देरी के कारण।
3.	राजस्व भवन का निर्माण	87.00	कार्य की धीमी गति के कारण निधियों की आवश्यकता कम थी।
4.	आयकर समुद्रपारीय यूनिट	19.54	रिक्त पदों को न भरना और आईटीओयू की स्थापना में देरी।
5.	प्रवर्तन निदेशालय	10.29	नए स्वीकृत पदों को न भरने और नए जोनल/सब-जोनल कार्यालयों की स्थापना के कारण
6.	राजस्व विभाग सचिवालय	13.61	31.3.2013 से आगे टीआईएनएक्सएसवाईएस परियोजना को न बढ़ाने, रिक्त पदों को न भरने और किफायती उपायों के कारण।
7.	वित्तीय आसूचना एकक	4.53	फिननेट परियोजना के लिए निधियों की कम आवश्यकता और किफायती उपायों के कारण
8.	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो	5.47	प्रशासनिक खर्चों हेतु कम आवश्यकता
9.	नीमच क्षारोद कार्य-अन्य व्यय	5.30	अफीम के लिए कम प्रभार लेने और प्रभारित अफीम की दर में कटौती के कारण

(iii) परियोजना/योजना के पुराने/निष्क्रिय हो जाने के कारण अथवा परियोजना/योजना के पूरे होने के कारण अभ्यर्पण/बचतें

कुछ मामलों में धन को वापस करने की आवश्यकता थी, जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंब हुआ था अथवा योजना पूर्ण होने के कगार पर थी, जिसके कारण राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों की मांग कम की गई। 61 करोड़ रूपए की समग्र राशि को वापस लौटाया गया। इन योजनाओं को संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति	51.00	निधियां अभ्यर्पित की गईं थी क्योंकि ई-स्टाम्पिंग और ई-पंजीकरण स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
2.	वैट से संबंधित व्यय के लिए राज्यों को अनुदान	10.00	एमएमपी-सीटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्वानुमान निधियों की अपेक्षा से कम होने के कारण

टिप्पणी: *यह अनुबंध वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचत, निधियों का कम अनुपयोग तथा अभ्यर्पण के कारण हुई बचतों को अलग-अलग करने के बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है, जैसा कि स्थायी वित्त समिति की 33वीं रिपोर्ट में अपेक्षित था।*

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन में लगा शीर्ष निकाय है । इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य हैं । यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है । इसमें 75092 की स्वीकृत संख्या की तुलना में 42,069 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं जिसमें से तकरीबन 21.68 प्रतिशत क एवं ख श्रेणियों के राजपत्रित अधिकारी हैं तथा शेष समूह ख एवं ग श्रेणियों के अराजपत्रित कर्मचारी हैं ।

1.2.1 सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित निदेशालय उसकी सहायता करते हैं :

(i) आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशासन)
(क) आयकर निदेशालय (सार्वजनिक संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
(ख) आयकर निदेशालय (वसूली)
(ग) आयकर निदेशालय (आयकर)
(घ) आयकर निदेशालय (टीडीएस)
(ड.) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)
(ii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रणाली)
(iii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (संभार तन्त्र)
(क) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)
(ख) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
(iv) आयकर प्रधान महानिदेशालय (कानून एवं अनुसंधान)
(v) आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशिक्षण)
(vi) आयकर प्रधान महानिदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(क) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(ख) आयकर निदेशालय (ओएंडएमएस)
(vii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (सतर्कता)
(viii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (जोखिम प्रबंधन)

1.3 देश भर में स्थित विभिन्न प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं और करदाता सेवाओं को प्रदान करते हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) जांच मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं जिसका उद्देश्य कर अपवंचन पर रोक लगाना एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करना है। आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) आसूचना संग्रहण और आयकर संबंधित अपराध मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं। मुख्य आयुक्त आय कर (छूट) छूट और गैर लाभ सेक्टर के कार्य और प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) अन्तर्राष्ट्रीय कर और अंतरण मूल्य के क्षेत्र में कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। प्रधान मुख्य आयुक्तों की सहायता के लिए उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त तथा आयुक्त आयकर होते हैं तथा प्रधान महानिदेशकों/आयकर महानिदेशकों की सहायता के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रधान निदेशक, आयकर निदेशक होते हैं। आयुक्त आयकर (अपील) के रूप में तैनात आयकर आयुक्त करदाताओं और कर-निर्धारण अधिकारियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करते हुए अपीलीय कार्यों को निष्पादित करते हैं। आयकर विभाग की करीब 4.70 करोड़ करदाता के साथ भारत भर में 530 शहरों और नगरों में उपस्थिति है।

1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नागपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है ।

1.5 क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी राजस्व संग्रहण के लेखाकरण के लिए तथा विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है ।

2015-16 के परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ वास्तविक उत्पादन	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**525.00 (संभावित)**	-				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	कर दायरा			देश भर में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क		सतत प्रक्रिया	34.08 करोड़ रू.के अनुमानित व्यय के साथ 31.12.2015 तक संविदा विस्तारित की गई। नए विक्रेता का चयन प्रक्रिया के तहत है
		2003-09 अवधि के पैन फार्म का वास्तविक भंडारण और स्कैन आंकड़ों का ई-स्टोरेज				मौलिक पैन फार्मों का अभिलेख		वित्त वर्ष . 2014-15 और 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 23.25 करोड़ रूपए है
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)						जारी है	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय करीब 9.1 करोड़ रूपए है
III.	कर दाता सेवाएं	आयकर सम्पर्क केन्द्र			काल सेंटर सेवाएं	सूचना का आसान और सुविधाजनक प्रचार	जारी है	पांच करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय ।
IV.	प्रतिदाय बैंकर	प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित त्वरित एवं पारदर्शी बनाना			• आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन निर्गमन प्रेषण एवं क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी. • वेव आधारित स्थिति का पता लगाने की सुविधा	• प्रतिदाय बैंकर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निर्दिष्ट	जारी है	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय करीब 33 करोड़ रूपए (लगभग) है ।
V.	केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) टीडीएस	केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (स्रोत पर कर कटौती) पर परिवर्तन			सीपीसी (टीडीएस) प्रत्येक करदाता (पैनधारक) के लिए फार्म 26कध,फार्म	• कर क्रेडिट का सही मिलान	जारी परियोजना	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस परियोजना पर परिकल्पित

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
		शुरुआत अभियान प्रौद्योगिकी है ।			16/16क में टीडीएस प्रमाणपत्रों के लिए वार्षिक कर क्रेडिट को सृजित करने हेतु अधिकांश टीडीएस विवरणों को प्रोसेस करता है और अल्प भुगतान, अल्प कटौती, ब्याज इत्यादि की टीडीएस चूकें ज्ञात करता है।	• चूककर्ता लेखाशास्त्र और सुधार		व्यय 70 करोड़ रूपए होगा।
VI.	केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर	कागजी एवं इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल आयकर विवरणियां (आईटीआर) का केन्द्रीयकृत संसाधन			3.30 करोड़ से अधिक विवरणियों को प्रोसेस करने के लिए सीपीसी की क्षमता को बेहतर किया गया	• बेहतर करदाता सेवांए तथा शिकायतों में कमी		वित्त वर्ष 2015-16 के लिए विवरणियों को संसाधित करने की परिकल्पित मात्रा 195 करोड़ रूपए के अनुमानित व्यय के साथ करीब 3.2 करोड़ है। .
VII.	डाटा वेयर हाउस और कारबार आसूचना परियोजना	स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करने, गैर अनुपालना को रोकने और विश्वास प्रदान करने कि सभी पात्र व्यक्ति उपयुक्त कर का भुगतान करें, के लिए सूचना के प्रभावी उपयोग हेतु व्यापक प्लेटफार्म तैयार करना।			कार्यान्वयन एजेंसी को चयन करने के लिए आरएफपी में आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	(i) कर आधार को व्यापक और गहन बनाना। (ii) कर कानूनों के साथ अनुपालना बेहतर करना (iii) राजस्व के छल कपट और रिसाव का पता लगाना (iv) जांच समर्थित करना (v) कर संग्रहण की प्रभाव कारिता में वृद्धि करना (vi) उच्च जोखिम कार्यों को मॉनीटर करना	चयनित सेवा प्रदायक संविदा पर हस्ताक्षर करने के 30 माह के भीतर परियोजना को कार्यान्वित करेंगे।	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए परिकल्पित व्यय परामर्शदाता को भुगतान के रूप में करीब 50 लाख रूपए है ।
VIII.	विवरणियों और फार्म की ई-फालिंग और वेब समर्थित सेवाएं	करदाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी को बेहतर बनाना			क. करदाता सेवाओं की ई-डिलीवरी के लिए एकक अंतरापृष्ठ ख. सभी प्रत्यक्ष कर फार्मों को ई-समर्थित करना ग. फार्मों को पूर्व दायर करना और इन्हें वैयक्तिक बनाना	सभी फार्मों को ई-समर्थित करना	टीडीएस फार्मों के अलावा, यथा अनुमोदित और अधिसूचित सभी फार्मों को ई-समर्थित किया गया है।	वित्त वर्ष . 2015-16, के दौरान करीब 4.2 करोड़ रूपए के आईटी आरएस/फार्मों को ई-फाइल किया जाना अनुमानित है और परिकल्पित बहिर्गमन 44.27 करोड़ रूपए है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
IX.	नई आईटीडी एप्लीकेशन	नए हार्डवयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ नए आईटीडी अनुप्रयोग को पुनः तैयार करना और साथ ही पुराने अनुप्रयोग का रखरखाव करना			नया आईटीडी अनुप्रयोग सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए विभाग के विभिन्न कार्यों को शामिल करेगा।	1. पुराने अनुप्रयोग का प्रचालन और रखरखाव. 2. नईआईटीबीए एप्लीकेशन की अंतिम परीक्षण स्वीकृति 3. आईटीबीए एप्लीकेशन की गो-लिव 4. नए अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण 5. नए अनुप्रयोग का प्रचालन और रखरखाव		नया आईटीडी अनुप्रयोग परियोजना के परीक्षण और सत्यापन सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इस सम्बंध में कोई भी विलम्ब समय सीमा को प्रभावित कर सकता है। अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 37 करोड़ रूपए होगा।
1.	राजस्व लेखांकन प्रबंधन साफ्टवेयर	राजस्व खातों का संकलन एनआईसी, हैदराबाद में केन्द्रीकृत डाटाबेस सर्वर को डाटा का हस्तांतरण एवं 28 नई सृजित जेडएओ में विभिन्न एमआईएस उत्पन्न करने हेतु बीआईअनुप्रयोग को प्रचालनीय बनाना	**0.7**	-	बीआई अनुप्रयोग को प्राप्त कर लिया गया है और परिक्षण के तहत है।	प्रत्यक्ष करों के राजस्व ए/सी पर विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों को सृजित करना और पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना	एक वर्ष	बीआई अनुप्रयोग के कार्यान्व्यन का परिणाम राजस्व संग्रहण की विभिन्न रिपोर्टों और विभिन्न अन्य प्रथागत रिपोर्टों का सृजन होगा।
2.	पहले चरण में 20 जेडएओ की आन लाइन एकीकृत वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यान्वयन (प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5 जेडएओ ।	जेडएओ के साथ प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए का आनलाइन अन्तः सम्पर्क किया जाना	**0.5**	-	वास्तविक बैठक का परिहार हो		एक वर्ष (विभिन्न जेडएओ में चरणवार)	
3.	बहुप्रोटोकाल स्तरीय स्विचिंग वर्चूएल प्राइवेट नेटवर्क का संचालन ।	आयकर विभाग के लिए राजस्व और व्यय के ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम को कार्यान्वित करना	**0.6**	-				सभी 24 पुराने जेडएओ को मुख्यालय से वीपीएन के द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डाटा के संचारण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। करीब 60 लाख रुपए के भुगतान को बीएसएनएल को इसके लिए अदा किया गया है।

सुधार संबंधी उपाय और नीतिगत पहलें

आयकर विभाग में सुधार संबंधी पहलें

विभाग में काम-काज का प्रणाली संचालित वातावरण पैदा करने में समर्थ होने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विगत कुछ वर्षों के दौरान कई नई पहलें शुरु की गई हैं। इन उपायों से करदाता सेवाओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हुआ है और निष्पक्षता भी आई है जिससे करदाता और विभाग के बीच इन्टरफेस में कमी आई है और इससे शिकायतों में भी कमी हुई है।

1. परियोजना का नामः आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग करना

ई-फाइलिंग परियोजना एक उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस है और करदाताओं को वेब-आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग द्वारा ई-डिलीवरी उपाए शुरु किया गया है जिसे पहली बार वर्ष 2006-07 में शुरु किया गया था।

आयकर विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो वित्तीय वर्ष 2006-07 में लगभग 4 लाख थी, वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढ़कर 296.81 लाख हो गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 दिसम्बर, 2014 तक लगभग 243.31 लाख विवरणियां प्राप्त हुई थीं जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में इसी अवधि के दौरान 212.75 लाख विवरणियां प्राप्त हुई थीं, यह लगभग 14.2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान (31 दिसम्बर, 2014 तक) 30 लाख ई-फार्म ई-फाइल किए गए थे।

2. परियोजना का नामः आयकर विवरणियों के लिए केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)

सीपीसी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं:

क. सीपीसी ने इसके कार्य शुरू करने की तारीख से केवल 35 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करते हुए 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 8.87 करोड़ विवरणियां प्रोसेस की हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक सीपीसी ने 2.65 करोड़ ई-फाइल्ड विवरणियां प्रोसेस की हैं।

ख. सीपीसी के पास प्रतिदिन 3.8 लाख विवरणियों को या प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ विवरणियों को प्रोसेस करने की क्षमता है।

ग. सीपीसी को स्थापित किए जाने से पूर्व लगभग 12 माह की औसत प्रोसेंसिंग अवधि को कम करके सीपीसी में विवरणी प्राप्त होने से लगभग 65 दिन कर दिया गया है।

घ. सीपीसी ने इसके कार्य आरंभ करने की तारीख से करदाताओं को बिना किसी इन्टरफेस के 74,448 करोड़ रूपये से अधिक का प्रतिदाय लगभग 4.92 प्रतिशत के औसतन ब्याज की अदायगी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया है। इस प्रकार पहले हाथ द्वारा (मैनुअल रूप में) प्रोसेस किए जाने की तुलना में सरकार को 6,732 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।

ड. 60 कॉल सेंटर एजेंट प्रतिदिन तीन भाषाओं में लगभग 4000 कॉल सुनते हैं, इस प्रकार इनके कार्य आरंभ करने की तारीख से 31 मार्च, 2014 तक लगभग कुल 28 लाख कॉल प्राप्त हुई हैं।

च. सीपीसी द्वारा 22 करोड़ से अधिक ई-मेल सूचनाएं और 15.8 करोड़ एसएमएस अलर्ट भेजे गए हैं।

छ. सीपीसी को 2010-11 में कारबार प्रोसेस रिइंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय ''स्वर्ण'' ई- गवर्नेन्स पुरस्कार दिया गया है। सीपीसी को ब्रिटिश स्टैन्डर्स इन्स्ट्रिशन (बीएसआई) द्वारा ''आईएसओ 15489-1: 2001'' सर्टिफिकेट (रिकार्ड मैनेजमेंट स्टेन्डर्ड) प्रदान किया गया था। इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने वाला विश्व में यह पहला संस्थान है।

3. रिटर्न दाखिल न करने (नॉन फाइलर्स) संबंधी मानीटरिंग प्रणाली(एनएमएस) प्रायोगिक परियोजना

नॉन फाइलर्स मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) परियोजना डाटा वेयरहाऊस एंड बिजनस इन्टेलिजेन्स (डी डब्ल्यू एंड बी आई) परियोजना के एक भाग के रूप में अधिक करदेयता वाले करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल न करने पर सुनिश्चित (फोक्सड) कार्रवाई करने हेतु कार्यान्वित की गई थी। इस पहल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

क. ऐसे पैन धारियों की पहचान करने के लिए डाटा विश्लेषण किया गया था जिन्होंने एआईआर, सीआईबी डाटा और टीडीएस/टीसीएस रिटर्नों में सूचित किए गए अनुसार अधिक मूल्य के संव्यवहार करने के बावजूद आयकर विवरणी दाखिल नहीं की थी। विवरणी दाखिल न करने वाले ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने हेतु जिन्होंने अधिक मूल्य के नकदी रुप में संव्यवहार किए थे वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू) के साथ बल्क डाटा मेचिंग कार्रवाई (एक्सरसाइज) की गई थी।

ख. यह सुनिश्चित करने हेतु कि विवरणी दाखिल न करने वालों से संबंधित सूचना का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कारगर उपयोग किया जाए ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणाली शुरू की गई थी।

ग. प्रायोगिक परियोजना के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं, लगभग 8,57,218 विवरणियां दाखिल की गईं। 2,031.76 करोड़ रूपये का स्वयं निर्धारण कर और 1,536.43 करोड़ रुपये का अग्रिम कर भी अदा किया गया है।

4. आयकर विभाग के कामकाज संबंधी प्रक्रिया के लिए नया प्रयोग (न्यू एप्लिकेशन)

आयकर से संबंधित कार्यों के लिए नया प्रयोग (आईटीबीए) पूर्वदर्शित भविष्य में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने हेतु विभाग की एक मुख्य परियोजना है। इस परियोजना में मौजूदा अनुप्रयोग को पुनः तैयार करना, ऐसी प्रक्रिया को लागू करना जिन्हें अभी शुरु नहीं किया गया है और विभाग के मानव संसाधन संबंधित पहलुओं को स्वचालित बनाना शामिल हैं। यह योजना एक अलग स्वरुप की है क्योंकि हार्डवेयर एप्लिकेशन के लिए और इसके कार्य निष्पादन के लिए केवल एक ही वेन्डर जिम्मेवार है और कार्य निष्पादन को सुनिश्चित सेवा स्तर करारों के द्वारा निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के 2015 के मध्य में शुरु किए जाने की संभावना है परंतु 2014-15 में उससे संबंधित में प्रारंभिक कार्य के रूप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:-

1. पुरानी प्रणाली से डाटा सेंटर में नए अत्याधुनिक हार्डवेयर आकार को डाटा अंतरित करना;
2. नए ई मेल सोल्युशन को शुरु करना;
3. संवर्ग पुनर्संरचना के परिणामस्वरुप प्रयोक्ताओं का स्थानांतरण
4. प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र के एक भाग के रूप में विकास

5. परियोजना का नामः सूक्ष्मदृष्टि परियोजना (प्रोजेक्ट इनसाइट

आयकर विभाग ने कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अनुपालन में सुधार लाने और सूचना के कारगर उपयोग के लिए गैर-हस्तक्षेपी सूचना आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने हेतु डाटा वेयर हाऊस एंड बिजनिस इंटेलिजेंस (डी डब्ल्यू एंड बी आई) प्लेटफार्म के संबंध में सूक्ष्मदृष्टि परियोजना **(प्रोजेक्ट इनसाइट)** आरंभ की है। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैंः-

i. स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और अपालन को रोकना;

ii. यह विश्वास दिलाना कि सभी पात्र व्यक्ति समुचित कर अदा करते हैं;

iii. उचित और न्यायसंगत कर प्रशासन को बढ़ाना देना;

यह परियोजना इन्टरप्राइज डाटा वेयरहाऊस, डाटा माइनिंग, वेब माइनिंग, भविष्यसूचक मॉडलिंग, डाटा आदान-प्रदान, मास्टर डाटा प्रबंधन, केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताओं के कार्य को समेकित करेगी। संसाधन गहन आवृत्तीय कार्यों के प्रबंधन और सभी उच्च कौशल संबंधी कार्यों के लिए आईटीडी के भीतर अधिकतम संसाधन जुटाने को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना के तहत एक अनुपालन प्रबंधन केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीएमसीपीसी) भी स्थापित किया जाएगा। परियोजना में विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए), एक समान रिर्पोटिंग मानक (सीआरएस) और सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के संबंध में अपेक्षाओं को पूरा करने की भी परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना के 2015 में आरंभ किए जाने की संभावना है और 2017 तक परिचालन में आएगी।

6. केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग कक्ष टीडीएस (सीपीसी/टीडीएस)

यह टीडीएस रिटनों को प्रोसेस करता है ताकि अदा किए गए कर और दावा किए गए कर क्रेडिट के बीच आपस में मिलान किया जा सके। सीपीसी/टीडीएस, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरणों को सीपीसी-टीडीएस प्रणाली में इनके प्राप्त होने की तारीख से 4 दिन की औसत अवधि के भीतर प्रोसेस करता है। टीडीएस-बेमेलता को दाखिल की गई कर विवरणियों के 3 प्रतिशत से कम लाया गया है। सीपीसी-टीडीएस परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंः-

क. विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सीपीसी-टीडीएस पोर्टल पर 13.6 लाख कटौतीकर्ताओं को पंजीकृत किया गया है।

ख. विगत दो वित्तीय वर्षों में आज की तारीख तक 2 करोड़ टीडीएस विवरणों जिनमें 120 करोड़ की संख्या में संव्यवहार शामिल हैं, को प्रोसेस किया गया है और कटौतीकर्ताओं को 90 लाख से अधिक सूचनाएं जारी की गई हैं।

ग. 1 लाख से अधिक ऑनलाइन संशोधन विवरणों को 24 घंटे की अवधि के भीतर प्रोसेस किया गया है।

घ. कटौतीकर्ताओं द्वारा 20 करोड़ से अधिक टीडीएस सर्टिफिकेट डाऊनलोड किए गए हैं।

7. **आयकर सेवा केन्द्र (एएसके)** डाक की केन्द्रीकृत प्राप्ति और वितरण के लिए एकल खिड़की कम्प्यूटरीकृत सेवा तंत्र के रुप में सर्वोत्तम के अंतर्गत आयकर सेवा केन्द्र स्थापित किए गए थे। 189 से अधिक एएसके प्रचालन में हैं। 35 एएसके को बीआईएस द्वारा आईएसः15700:2005 के साथ प्रत्यायित किया गया है।

8. आयकर सम्पर्क केन्द्रः कर संबंधी प्रश्नों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक एक राष्ट्रीय कॉल सेन्टर और 4 क्षेत्रीय कॉल सेंटर कार्यरत रहते हैं।

9. ओएलटीएएस (ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) ओएलटीएएस के जरिए व्यवस्थित कर अदायगी चालानों की संख्या और राशि क्रमशः 3.08 करोड़ और 5,42,532.25 करोड़ रुपये से अधिक थी।

10. प्रतिदाय बैंकर स्कीम

प्रतिदाय बैंकर स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि करदाता अपना प्रतिदाय सीधे ही बैंक खाते में प्राप्त करता है। इस योजना के तहत अब विभाग के साथ किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई के बिना करदाता द्वारा 99 प्रतिशत प्रतिदाय (इन काउंट) प्राप्त किया जाता है।

11. परियोजना का नामः -ई अदायगी

करों की ई-अदायगी को नेट बैंकिंग और एटीएम के जरिए सुविधाजनक बनाया गया है और 80 प्रतिशत से अधिक कर इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसमें किसी बैंक शाखा में जाए बिना ही घर/कार्यालय से किसी भी समय पर कर अदायगी की जा सकती है।

निष्कर्ष

1. आयकर विभाग करदाता सेवाओं में सुधार लाने, अनुपालन लागत को कम करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए करदाता सेवाओं को उच्चतर स्तर पर मुहैया कराने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने में सक्षम है।

2. विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को सुग्राही भी बना रहा है ताकि वे कर संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते समय सुविधाकारक के रूप में अपनी भूमिका की पूर्णतः जानकारी रखते हों। सभी पहलों में ई समर्थता इस उद्देश्य के साथ मुख्य विषय वस्तु बनी रहती है कि एक प्रणाली आधारित कारबार वातावरण उपलब्ध हो जिसमें विवेकाधिकार का अधिकार कम से कम हो, शिकायतों को कम करने के लिए करदाता और विभाग के बीच इंटरफेस में कमी रहे ताकि करदाता के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण प्रशासन उपलब्ध हो सके।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), सीबीडीटी के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें:

1. आरएएमएस परियोजनाः एक कम्प्यूटरीकृत राजस्व सेवा प्रणाली जिसे आरएएमएस (राजस्व लेखाकरण प्रबंधन साफ्टवेयर) कहा जाता है, एनआईसी की सहायता से विकसित की गयी है। बैंक इस कार्यालय के पोर्टल पर चालान अपलोड करते हैं जिसे चालान फाइल प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) कहा जाता है, जहां से इसे जोनल लेखा अधिकारियों (जैड ए ओ) द्वारा डाऊन लोड किया जाता है और इन फाइलों को दैनिक आधार पर आरएएमएस में समाविष्ट करता है और प्रत्यक्ष करों के लिए विस्तृत राजस्व लेखे को लेखा महानियंत्रक के ई-लेखा पोर्टलपर अपलोड करता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना (पुट थ्रू) को भी स्वचालित किया गया है। अब केन्द्रीकृत डाटा सर्वर में डाटा को समेकित करने के लिए और कार-बार आसूचना साधनों का प्रयोग करने के लिए एक परियोजना चल रही हैं ताकि विभिन्न एमआईएस स्वतः आधार पर सृजित हो सके। इसके अलावा, सघन (कम्पैक्ट) ई-पेंशन, एमपीएलएस वीपीएन, ई-पेमेंट आदि जैसी अन्य स्वचालित लेखाकरण पैकेज प्रचालन में हैं। प्राप्ति लेखाकरण प्रबंधन साफ्टवेयर को 52 जोनल लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है।

प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली (डीटीआईएस):

एक ऐसी प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है जहां पर सभी जोनल लेखा कार्यालयों का समेकित डाटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध होगा। प्रोटोटाइप का परीक्षण प्रचालन चल रहा है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंः-

- जैडएओ समेकित डाटा आधार से प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली डाटा आधार को डाटा अन्तरित करने की प्रक्रिया;
- विभिन्न विश्लेषण क्षेत्रों के संबंध में यथा अपेक्षित ग्राफ/रिपोर्ट/डैशबोर्डों को विकसित करना;
- ऐसी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रत्यक्ष कर सूचना सर्वर को नया डाटा प्राप्त हो सके।

2. ई-अदायगी परियोजनाः ई-अदायगी प्रणाली का कार्यान्वयन वित्त मंत्री के अधिदेश के अनुसार प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), सीबीडीटी और इसके 52 जोनल लेखा कार्यालयों में आरंभ किया गया था। ई-अदायगी प्रणाली के परिणाम स्वरुप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदायगी का कार्यान्वयन आरंभ हुआ इसके परिणामस्वरुप बैंकों को सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं जारी करना आरंभ किया गया है और चेक जारी करने की मौजूदा प्रणाली काफी हद तक समाप्त हो गयी है।

3. एकीकृत कान्फेरेन्सिंग प्रणालीः प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी के कार्यालय में एकीकृत कान्फेरेन्सिंग प्रणाली उपलब्ध करायी जाएगी जिसके द्वारा अधिकारी अखिल भारत स्तर पर स्थित इसके 52 जोनल लेखा कार्यालयों के साथ वेब आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग करके आपस में बात-चीत कर सकेंगे। इस प्रणाली से अधिकारी अपने कम्प्यूटर से लॉग करने में और वीडियों कान्फेरेन्स की तरह आपस में बातचीत करने में समर्थ होंगे। इसके अलावा निम्निलिखित विशेषताएं भी इस प्रणाली में एक भाग के रुप में शामिल होंगीः-

(क) एकीकृत ऑडियो पीएसटीएन, वेब एंड वीडियों कान्फरेन्सिंग,

(ख) बैठकों की कार्रवाई रिकार्ड की जा सकती है और बैठक समाप्त होने पर पुनः देखा जा सकता है।

(ग) ऑनलाइन प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग।

(घ) संसाधनों को पहले अपलोड किया जा सकता है और किसी भी मशीन द्वारा साझा (शेयर) किया जा सकता है।

2013-14 के परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रु. में)	मात्रात्मक प्रदेय	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
			5				
2		3	4		6	7	8
			गैर योजना बजट ब.अ. स.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**						
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण-3 के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ प्रणाली समाकलन ।		देश भर के आयकर कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से संभवित कार्यभार को संभालने के लिए संगणन क्षमता ।	जारी है।		वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 35.09 करोड़ रूपये का व्यय हुआ।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन		देश भर के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क।	जारी है।		खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नए एमएसपी के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मौजूदा एमएसपी को 38.65 रु. करोड़ के कुल व्यय का भुगतान किया गया।
		ग) बीसीपी एवं डीआर साइटों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।		उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति।	जारी है।		वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कुल व्यय 6.95 करोड़ रु. था
		घ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन फार्मों का वास्तविक भण्डारण ङ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन फार्मों की ई-भण्डारण सहित स्कैनिंग		अवधि के वास्तविक रूप के आर्काइवल की स्कैनिंग और ई-भण्डारण ।			
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	सूचना के आधान के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा पोषित किया जा रहा है:		• विवरणी न जमा करने वालों/बंद करने वालों तथा अल्प कटौतियों के मामलों की पहचान करने पर सुविधा मुहैया कराना।	जारी है।		वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान टिन सेवाओं पर कुल व्यय 10 करोड़ रुपये (लगभग) का हुआ ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			गैर योजना बजट					
			ब.अ.	स.अ.				
					• प्रभावी निगरानी हेतु डैशबोर्ड की सुविधाएं।			
III.	करदाता सेवाएं	- हेल्पलाइन आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताओं के साथ सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल बातचीत करना।			आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में सहायता के लिए देशव्यापी सुविधाएं ।		जारी है ।	विभाग ने गुड़गांव में एक सुदृढ़ राष्ट्रीय कॉल सेंटर और जम्मू, शिलांग, जंगीपुर एवं कोच्चि में चार क्षेत्रीय कॉल सेंटरों की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कॉल सेंटर की सेवाओं हेतु 5.78 करोड़ रू. का भुगतान किया गया।
IV.	प्रतिदाय बैंकर	एक शीघ्रतर प्रतिवर्तन काल' हासिल करने हेतु आयकर प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गम, सुपुर्दगी, क्रेडिट की प्रक्रिया को स्वचालित बनाना और उनकी सुरक्षित सुपुर्दगी करना।			• कम्प्यूटर- आधारित प्रक्रिया जिसमें प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने हेतु प्रतिदायों को वास्तविक रूप से जारी या जमा करने के लिए तीसरी पार्टी को लाया गया है। • प्रतिदायों की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा।		जारी	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान बैंकर सेवाओं पर 34 करोड़ रूपये (लगभग) का कुल व्यय हुआ है।
V.	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सी पी सी) टीडीएस	कटौतीकर्ताओं/समाहर्ताओं को टीडीएस/टीसीएस संशोधन विवरण सरलता से दाखिल करने में समर्थ बनाने हेतु स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी) आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है।			एनएसडीएल द्वारा पूर्व में प्रबंधित निम्नलिखित कार्यों को सीपीसी टीडीएस में प्रचालनीय बनाया गया: क) कटौतीकर्ता के मामले में- • फार्म 16/16क डाउनलोड करना • समेकित फाइल डाउनलोड करना • वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्रामाणिकता रिपोर्ट डाउनलोड करना। ख) जिनकी कटौती की गई है, उनके मामले में- • फार्म 26कध देखना और डाउनलोड करना		परियोजना का प्रथम चरण 19 नवम्बर, 2012 को जीवंत हुआ। परियोजना का दूसरा चरण वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूरा होगा।	वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान मैसर्स इन्फोसिस लि.को (10.35 करोड़ रु. और मैसर्स भारती एयरटेल लि.को 33.24 लाख रू.) कुल **10.68** करोड़ रू. का भुगतान किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
			गैर योजना बजट				
			ब.अ.	स.अ.			
VI.	केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी), बंगलौर	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रानिक रूप में दाखिल आयकर विवरणियो (आईटीआर) का केन्द्रीकृत प्रसंस्करण। (ख) यह विभाग को अधिक दक्ष प्रक्रियाएं लाने और पूरे विश्व में बेहतरीन कर प्रशासनों द्वारा पेश की जा रही आधुनिक नागरिक सेवाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।				सीपीसी सितम्बर 2009 में जीवंत हुआ और उसने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक 3.2 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियां प्रसंस्कृत की। वित्त वर्ष 13-14 के लिए विवरणियों के प्रसंस्करण की अनुमानित मात्रा लगभग 2 करोड़ है।	65.07 करोड़ रू. का कुल भुगतान किया गया जिसमें 64.62 करोड़ रूपये प्रसंस्करण एवं अन्य 45 लाख रू. एस टी क्यू सी को दिया गया ।
VII.	डाटा भण्डार एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बीआई) समाधान	आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग निम्नलिखित के लिए करना: क) कर आधार को विस्तृत और गहरा करने के लिए ख) कर कानूनों के अनुपालन का बढ़ाना ग) विभागीय कार्य-निष्पादन की निगरानी घ) नीतियां बनाने के लिए निविष्टियां उपलब्ध करना		प्रदेयों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे: i) सलाहकार के लिए कार्य दस्तावेज का क्षेत्र ii) प्रस्तावित समाधान का नमूना iii) समाधान प्रदाता के चयन के लिए आरएफपी iv) डाटा भण्डार तैयार करना v) व्यवसाय आसूचना टूल का एकीकरण vi) कार्यान्वयन और रोल आउट	विशिष्ट उपलब्धियों को परियोजना प्लान के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।	वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान8.80 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।
VIII.	नया आईटीडी अनुप्रयोग	नए हार्डवेयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन एवं पुराने अनुप्रयोग का भी अनुरक्षण।		1. नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन, पुराने अनुप्रयोग का अनुरक्षण, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र का विकास, परीक्षण परिवेश का विकास 20,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण, एचआरएमएस माड्यूल का विकास, साफॅअवेयर का विकास, एनएसडीएल/सीपीसी, बंगलुरू आदि के साथ इंटरफेस का विकास।	परियोजना के 2015 में शुरू होने की संभावना है तथा 2020 तक यह प्रचालन योग्य हो जाएगी।	परामर्शदाता को 1.13 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			गैर योजना बजट					
			ब.अ.	स.अ.				
IX	विवरणियों और प्रपत्रों की ई-फाइलिंग तथा वेब-समर्थित सेवाएं	क. आयकर विवरणियों के अलावा आयकर अधिनियम में सभी प्रपत्रों की ई-फाईलिंग को अनुमत करना कर दाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी में सुधार लाना			क विवरणियां दाखिल करने के व्यस्ततम महीनों के दौरान लगभग 100 प्रतिशत अपटाईम। ख. कर दाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी हेतु एकल इंटरफेस ग. प्रत्यक्ष कर के सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित बनाना घ. प्रपत्रों की पूर्व-फाइलिंग एवं व्यक्तिकरण बहु इंटरफेस लोक आई/पी मोबाईल/वीपीएन	टीडीस प्रपत्रों को छोड़कर अन्य सभी प्रपत्रों को यथा अनुमोदन और यथा अधिसूचना ई-समर्थित बनाया गया है	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कुल भुगतान 27.02 रू. हुआ (26.02 करोड़ रू. तथा अन्य एवं 1 करोड़ रु. एस टी क्यू सी)।	

2014-15 के परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ वास्तिवक उत्पादन	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
2		3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर का संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**448.54**	**448.54**				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	क) साफ्टवेयर खरीद के साथ प्रणाली समाकलन।			देशभर के आयकर कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यभार को संभालने की संगणन क्षमता ।	डेटा केन्द्रों का अनुरक्षण।	जारी है ।	एस आई करार का ठेका 1.06.2014 तक दे दिया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 में अब तक कुल 18 करोड़ रू. का भुगतान कर दिया गया है।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन।				515 शहरों में स्थित कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने काम-काज के निष्पादन हेतु केन्द्रीय डेटा केन्द्र में "टेक्स नेट" पर जा सकते हैं।	जारी है ।	वेंडर के साथ संविदा 31.12.2014 तक थी। इस परियोजना पर वित्त वर्ष 2014-15 हेतु अनुमानित व्यय 31.8 करोड़ रू. है।
		ग) प्राथमिक, बी सी पी एवं डी आर साइटों हेतु डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना ।			• उद्योग के मानदण्डों को पूरा करते हुए डेटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति।	विभिन्न प्रबंधन नियंत्रण के लिए सुरक्षित डेटा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होगा।	जारी है ।	तीनों डेटा केन्द्र पी डी सी, बी सी पी और डी आर क्रियाशील हैं। वित्त वर्ष 2014-15 (आज की तिथि तक) के दौरान इन तीन डेटा केन्द्रों को चलाने पर कुल व्यय 2.95 करोड़ रू. का हुआ है।
		घ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन प्रपत्रों का वास्तविक भण्डारण ।				2003-09 अवधि के वास्तविक प्रपत्रों का आरकाईवल, स्कैनिंग एवं ई-भण्डारण ।		2003-09 की अवधि के पैन प्रपत्रों के वास्तविक भण्डारण हेतु मंजूर किया गया व्यय 9.09 करोड़ रू. था। (31.03.2012 की अवधि तक) जिसका भुगतान 13.03.2015 तक होने की सम्भावना है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
		ड़) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन प्रपत्रों के ई-भण्डारण के साथ स्कैनिंग।						
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	सूचना के आधान के रूप में नेशनल सेक्योरिटी डिपोजिट्री लिमिटेड (एन एस डी एल) द्वारा पोषित किया जा रहा है।			• विवरणी न दाखिल करने वाले/ दाखिल करना बन्द कर चुके व्यक्तियों/ कम कटौती के मामलों की पहचान करने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। • प्रभावी निगरानी हेतु डैश बोर्ड सुविधाएं।	जांच के लिए कम्प्यूटर आधारित चयन मामलों (सीएएसएस) को सुगम बनाने हेतु एआईआर से व्यवसाय आसूचना डाटाबेस।	जारी है ।	• नए सेवा प्रदाता की पहचान एवं चयन की प्रक्रिया चल रही है। • वित्त वर्ष 2014-15 हेतु अनुमानित व्यय 8.3 करोड़ रू. है।
III.	प्रतिदाय बैंकर	प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना ।			• आयकर प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गम, प्रेषण, जमा और सुरक्षि सुपुर्दगी। • वेब समर्थित स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा ।	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को प्रतिदाय बैंकर के रूप में मनोनीत किया गया है।		वित्त वर्ष 2014-15 हेतु प्रतिदायों की संख्या लगभग 1.55 करोड़ रु. अनुमानित की गई है। इस परियोजना हेतु वित्त वर्ष 2014-15 में अनुमानित व्यय लगभग 30.84 करोड़ रू. है।
IV.	केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती हेतु केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सी पी सी) कटौती कर्ताओं/ समाहर्ताओं द्वारा टी डी एस/ टी सी एस शुद्धि विवरणों को आसानी से दाखिल करने के योग्य बनाता है।			पहले चरण में पूर्व में एन एस डी एल द्वारा किया जा रहा काम-काज अब सी पी सी टी डी एस द्वारा किया जा रहा है।	विभिन्न माध्यमों द्वारा कर जमा का स्टीक मेल खाना, चूकर्ताओं का लेखाकरण और शुद्धि ।	जारी है ।	चालू वित्त वर्ष में आज की तिथि तक कुल 29.87 करोड़ रू. का भुगतान कर दिया गया है तथा लगभग 50 करोड़ रू. के इनवाइस लम्बित है जिसका भुगतान 31.03.2015 तक होने की सम्भावना है।
V.	केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी) बेंगलुरु	दोनों कागजी एवं ई- फाईल्ड आयकर विवरणियों (आईटीआर) आदि का केन्द्रीकृत प्रसंस्करण।				कर दाताओं हेतु बेहतर सेवाएं, कमतर अनुपालन लागत तथा तीव्र प्रसंस्करण जिससे प्रशासनिक लागत में कमी आई है।		वित्त वर्ष 2014-15 हेतु विवरणियों के प्रसंस्करण की सम्भावित मात्रा लगभग 3.4 करोड़ रु. है। पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों तथा वर्तमान चालू वर्ष की अनुमानित विवरणियों हेतु

1	2	3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
								मंत्रिमंडल की मंजूरी के आधार पर वर्ष हेतु अनुमानित व्यय 232.57 करोड़ रू. है।
VI.	डेटा भण्डारण एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एण्ड बी आई) परियोजना	स्वैच्छिक अनुपालना, को बढ़ावा देने तथा अननुपालना से बचने हेतु व्यापक मंच का विकास करना।			कार्यान्वयन ऐंजसी के चयन हेतु आर एफ पी पर अन्तिम निर्णय लेना ।	कर आधार ऐजेंसी को और गहन एवं व्यापक बनाना ।	परामर्शदाता द्वारा सौंपी गई विस्तृत पद योजना रिर्पाट एवं आर एफ पी की जांच की जा रही है।	परियोजना प्रदेयों के सौंपे जाने पर परामर्शदाता को भुगतान के रूप में अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2014-15 हेतु लगभग 70 लाख रू. है।
VII.	विवरणियों एवं प्रपत्रों की ई-फाईलिंग तथा वेब समर्थित सेवाएं	आई टी आर के अतिरिक्त आय कर अधिनियम सभी प्रपत्रों की ई-फाईलिंग को अनुमत करना।			बहु इंटरफेस लोक आई पी/ मोबाईल/ वी पी एन के माध्यम से परियोजना के मात्रात्मक प्रदेय।	सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित बनाना।	जारी है।	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कम से कम 4 करोड़ आई टी आर/ प्रपत्र ई-फाइल किए जाएंगे तथा सम्भावित बर्हिगमन 44.27 करोड़ रू. का है।
VIII.	नया आई टी डी अनुप्रयोग	पुराने अनुप्रयोग के अनुरक्षण के साथ-साथ नए आई टी डी अनुप्रयोग को नए हार्डवेयर तथा नवीनतम प्रोद्योगिकी के साथ री-राईटिंग।			नए आई टी डी अनुप्रयोग के दायरे में विभाग के विभिन्न कार्यकलाप आएंगे।	सभी प्रकार के उपभोक्ताओं हेतु तथा विभाग के विभिन्न कार्यकलाप को दायरे में लेने वाला नया आईटीडी अनुप्रयोग।	पुराने विरासती अनुप्रयोग का प्रचालन एवं अनुरक्षण, नए वेंडरों द्वारा डेटा केन्द्रों पर कब्जा करना डेटा डिजिटलीकरण और माईग्रेशन, नई आई टी बी ए अनुप्रयोग का विकास एवं परीक्षण, उपभोक्ता स्वीकृति परीक्षण एवं नई आई टी बी ए अनुप्रयोग की अंतिम रूप से स्वीकृति एवं परीक्षण तथा अनुप्रयोग को प्रायोगिक रूप से इस्तेमाल में लाना।	मैसर्स पी सी एस ने चालू वित्त वर्ष में 9.68 करोड़ रू. का बिल प्रस्तुत किया है। मैसर्स भारतीय को 3.50 लाख रू. का भुगतान तथा पी डी सी में ब्रॉड बैण्ड कनेक्टविटी हेतु करों का भुगतान।

1	2	3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
I.	राजस्व लेखाकरण प्रबंधन साफ्टवेयर का कार्यान्वयन एवं प्रचालन	दैनंदिन आधार पर राजस्व लेखाकरण का समेकन	**0.7**		बीआई अनुप्रयोग को खरीद लिया गया है तथा परीक्षण किया जा रहा है।		1 वर्ष	नए सृजित 28 जेड ए ओ में हार्डवेयर का क्रय एवं इनस्टोलेशन हो चुका है। 52 जेड ए ओ में रैम्स साफ्टवेयर का आशोधन/उन्नयन/ क्सटोमाइजेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है ।
II.	वित्त मंत्री के आदेशानुसार सभी 52 जेड ए ओ में ई-भुगतान का कार्यान्वयन	सभी 52 जेड ए ओ में ई-भुगतान का कार्यान्वियन किया जाना।	**1.00**		वास्तविक रूप से बैठक कराने से बचा जा सकता है।		1 वर्ष	52 जेड ए ओ में ई-भुगतान साफ्टवेयर का आशोधन/उन्नयन/ कस्टोमाइजेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		2012-13			2013-14			2014-15		
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2014 तक वास्तविक
राजस्व भाग										
आय एवं व्यय पर करों का संग्रहण	**2020**	2994.40	3218.97	3203.47	3677.61	3563.18	3544.23	4234.32	4074.48	3169.40
सम्पदा शुल्क, धन एवं उपहार कर पर करों का संग्रहण	**2031**	76.78	82.54	82.09	94.30	91.36	91.04	108.57	104.49	0.00
कुल राजस्व भाग		**3071.18**	**3301.51**	**3285.56**	**3771.91**	**3654.54**	**3635.27**	**4342.89**	**4178.97**	**3169.40**
पूंजीगत भाग										
तैयार निर्मित कार्यालय भवन का क्रय	**4059**	777.48	426.20	421.00	546.98	500.00	430.25	700.00	98.50	24.91
तैयार निर्मित आवासीय भवन का क्रय	**4216**	30.00	6.00	2.46	41.00	23.00	14.65	50.00	50.00	0.85
आयकर अधिनियम के तहत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	**4075**	1.80	1.80	1.05	2.00	2.00	1.10	2.00	1.50	0.49
कुल पूंजीगत भाग		**809.28**	**434.00**	**424.51**	**589.98**	**525.00**	**446.00**	**752.00**	**150.00**	**26.25**
कुल योग		**3880.46**	**3735.51**	**3710.07**	**4361.89**	**4179.54**	**4081.27**	**5094.89**	**4328.97**	**3195.65**

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के मुकाबले में लक्ष्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13			2013-14			2014-15		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
राजस्व भाग									
वेतन	1923.67	2002.09	1998.65	2162.25	2178.57	2187.63	2600.00	2520.99	2035.09
मजदूरी	18.36	18.15	18.15	19.61	21.00	20.85	21.00	25.00	17.42
समयोपरि भत्ता	0.80	0.50	0.43	0.50	0.45	0.43	0.50	0.50	0.29
चिकित्सा उपचार	22.00	21.00	21.92	28.00	24.00	24.12	28.00	28.00	16.80
देशीय यात्रा व्यय	40.00	44.00	43.46	55.00	55.00	48.31	70.00	56.00	33.13
विदेश यात्रा व्यय	2.10	1.80	1.69	2.50	1.00	0.77	2.00	1.00	0.43
कार्यालय व्यय (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय (स्वीकृत)	514.00	516.30	513.97	686.00	613.80	653.84	750.00	710.74	467.55
किराया, दरें एवं कर	160.00	130.00	128.60	150.00	149.77	153.56	162.00	172.00	120.62
प्रकाशन	2.80	2.52	2.24	3.00	2.70	2.35	2.70	2.35	0.84
बैंककारी नकद संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	34.15	34.37	31.99	61.42	48.42	44.88	62.45	55.45	45.84
विज्ञापन एवं प्रचार	80.00	79.00	78.40	110.00	90.00	88.46	110.00	83.00	48.13
लघु निर्माण कार्य	8.00	8.00	6.81	13.23	13.23	12.57	15.00	15.00	5.49
व्यावसायिक सेवाएं	26.00	30.96	31.50	40.00	40.00	39.02	51.30	46.00	24.80
अंशदान	0.40	0.40	0.37	1.40	1.00	0.96	1.40	0.40	0.05
गुप्त सेवा व्यय	9.40	8.46	8.04	14.00	12.00	12.53	14.00	12.00	5.64
अन्य प्रभार	4.50	3.96	2.17	4.00	3.60	3.14	4.00	2.00	0.63
सूचना प्रौद्योगिकी	225.00	400.00	397.17	421.00	400.00	341.85	448.54	448.54	346.64
कुल राजस्व भाग	**3071.18**	**3301.51**	**3285.56**	**3771.91**	**3654.54**	**3635.27**	**4342.89**	**4178.97**	**3169.40**

परिणाम बजट 2015-16 के अंतर्गत योजनाओं की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13			2013-14			2014-15		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
पूंजीगत भाग									
एम एच - 4059									
एमएच-4059 तैयार निर्मित									
कार्यालय भवन का क्रय	777.48	426.20	421.00	546.98	500.00	430.25	700.00	98.50	24.91
एमएच-4216 तैयार निर्मित आवासीय									
भवन का क्रय	30.00	6.00	2.46	41.00	23.00	14.65	50.00	50.00	0.85
एमएच-4075 आयकर अधिनियम के तहत									
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	1.80	1.80	1.04	2.00	2.00	1.10	2.00	1.50	0.49
कुल पूंजीगत भाग	**809.28**	**434.00**	**424.50**	**589.98**	**525.00**	**446.00**	**752.00**	**150.00**	**26.25**
कुल योग	**3880.46**	**3735.51**	**3710.07**	**4361.89**	**4179.54**	**4081.27**	**5094.89**	**4328.97**	**3195.65**

अनुदान संख्या 43 - प्रत्यक्ष कर में व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण

वर्ष 2014-15 के दौरान 31 दिसम्बर, 2014 तक किया गया कुल व्यय 3195.65 करोड़ रूपये है जो कुल बजट अनुमान प्रावधान 2014-15 का 62.72 प्रतिशत बैठता है। इसमें से, राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय 3169.40 करोड़ रूपये है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान 2014-15 का 72.98 प्रतिशत है। 'वेतन' के लिए प्रावधान 2600.00 करोड़ रूपए है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर तक व्यय 2035.10 करोड़ रूपए है। राजस्व खंड के अन्तर्गत व्यय का अन्य मुख्य घटक 750.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान प्रावधान के साथ 'कार्यालय व्यय' है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर 2014 तक किया गया व्यय 467.55 करोड़ रूपए है। 'सूचना प्रौद्योगिकी' (ओ.ई.) अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसके लिए बजट अनुमान में 448.54 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर, 2014 तक व्यय 346.63 करोड़ रूपए है। 'पूंजीगत खंड' के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक व्यय 26.25 करोड़ रूपए है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान का 3.49 प्रतिशत बैठता है। बजट अनुमान 2014-15 के मुख्य घटकों को नीचे दिए गए अनुसार सारणीबद्ध किया गया है और पाईग्राफ किया गया है:-

ब्यौरा	बजट अनुमान 2014-15	प्रतिशतता (%)
पूंजी	752.00	14.76
वेतन एवं मजदूरी	2621.00	51.45
कार्यालय व्यय	*750.00*	14.72
किराया, दरें एवं कर	162.00	3.18
सूचना प्रौद्योगिकी	448.54	8.80
अन्य	361.35	7.09
कुल	**5094.89**	**100**

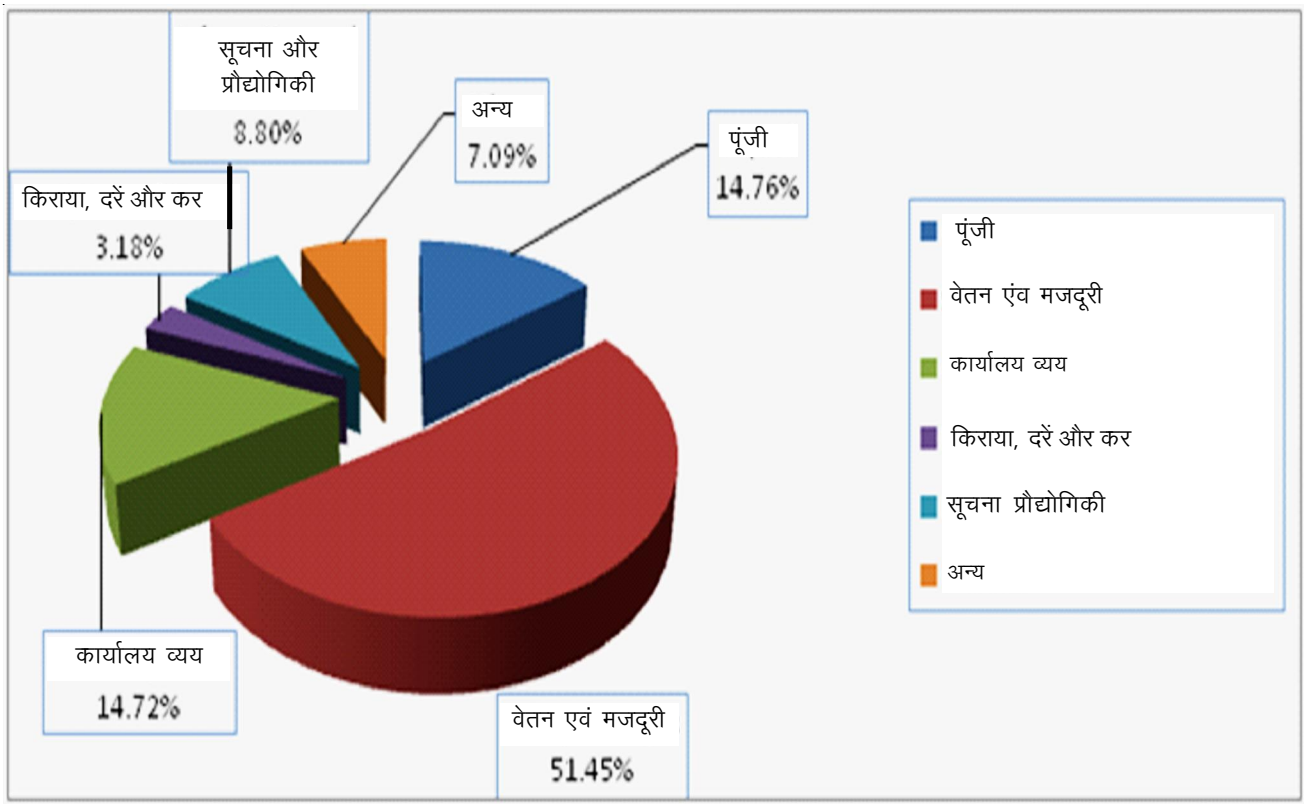

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अभ्यर्पण और बचतों के संबंध में विवरण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, अनुपूरक अनुदान सहित 4361.91 करोड़ रु. के बजट प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान 4081.27 का व्यय किया गया जिसके परिणाम स्वरुप 280.64 करोड़ रुपए की बचत हुई। ये बचतें निवल प्रभाव हैं और अनुदान के राजस्व एवं पूंजीगत खण्ड के विभिन्न उपशीर्षों के तहत अधिक व्यय नहीं हुआ है।

मुख्य बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग किया गया है:-

i) सामान्य बचतें : संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतें

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचतें	अभ्युक्तियां/कारण
1	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन	23.97	प्रशासनिक व्यय की कम आवश्यकता 23.45 करोड़ रुपए की राशि को अन्य शीर्षों को विनियोजित किया गया।
2.	संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं	97.93	प्रशासनिक व्यय की कम आवश्यकता 96.29 करोड़ रुपए की राशि को अन्य शीर्षों को विनियोजित किया गया।
3	आयुक्त तथा उनके कार्यालय	17.98	प्रशासनिक व्यय की कम आवश्यकता 6.73 करोड़ रुपए की राशि को अन्य शीर्षों को विनियोजित किया गया।

(ii) कम उपयोग/उपयोग न करना: परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन न होने/कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण बचतें

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचतें	टिप्पणियां/कारण
1	लोक निर्माण कार्यों (कार्यालय भवनों) पर पूंजीगत परिव्यय	116.75	श्रीनगर और लखनऊ में कार्यालय-सह-आवासीय भवन, पुणे में कार्यालय भवन और मोहाली में डीटीआरटीआई भवन स्थापित करने जैसे प्रस्तावों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने/अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कुछेक परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया।
2.	गृह निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	26.35	बचत पुणे में गृह निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने और जम्मू में गृह निर्माण परियोजना में न्यायालय मामला आरंभ होने के कारण हुई थी।

(iii) अभ्यर्पण : बचतें अप्रचलित/पुरानी हो चुकी परियोजना/योजना के कारण अथवा परियोजना/योजना पूरी होने के कारण हुईं और इन के लिए निधियों की आगे आवश्यकता नहीं है : शून्य

टिप्पणी:- *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थाई समिति द्वारा अपनी 33वीं रिपोर्ट द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचतें, कम/प्रयोग न करने तथा निधियों के अभ्यर्पण करने के कारण बचतों के अलग करने के संबंध में बजट प्रभाग के का.ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 दिनांक 23 मार्च, 2012 के अनुपालन में शामिल किया गया है।*

अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

यह मांग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से संबंधित है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के सूत्रपात के लिए तथा तस्करी एवं शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह आबंटित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 156 आयुक्तालयों, सीमा शुल्क के 60 आयुक्तालयों तथा सेवा कर के 30 आयुक्तालयों की सहायता से किया जाता है। आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने के अर्धन्यायिक कार्य निष्पादन के लिए अपीलीय एवं कर वसूली की मशीनरी है। कामकाज में बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय कार्य करते हैं:-

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना निदेशालय

(iii) निरीक्षण निदेशालय

(iv) मानव संसाधन विकास निदेशालय

(v) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी

(vi) सर्तकता निदेशालय

(vii) प्रणाली निदेशालय

(viii) आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय

(ix) लेखा-परीक्षा निदेशालय

(x) रक्षोपाय निदेशालय

(xi) निर्यात संवर्धन निदेशालय

(xii) सेवा कर निदेशालय

(xiii) मूल्यांकन निदेशालय

(xiv) प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

(xv) संभारतंत्र निदेशालय

(xvi) विधायी कार्य निदेशालय

(xvii) मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय

(xviii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्व संग्रहण एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

इस मांग में 89,878 अधिकारियों और स्टाफ के कार्यबल के प्रावधान सम्मिलित हैं जिसमें से 32.37% राजपत्रित तथा शेष गैर-राज पत्रित अधिकारी होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 का परिव्यय एवं परिणाम दर्शाने वाले गतिविधियों को आगामी विवरण में दिया गया है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	परिलक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
1	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 - सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स के लिए आईटी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	245.00	शून्य	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	1. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क परियोजना का रख-रखाव तथा सहायक सेवाएं का कार्यान्वयन।2स्टैंड अलोन क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का कार्यान्वयन 3. संवर्ग पुनर्संरचना के अन्तर्गत नए स्थलों पर कनेक्टिविटी प्रदान 4. 20 संवेदनशील स्थानों पर वैकल्पिक व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए रिकरिग चार्ज 5. वैकल्पिक व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क कंकटविटी के लिए अतिरिक्त सीमा शुलक स्थलों का कार्यान्वय 6. डीटी तथा डीआर के बीच ईएलएल 200 एमबीपीएस कंकटिविटी हेतु रिकरिग चार्ज		
					प्रणाली एकीकरणः केन्द्रीय सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	सुविधा प्रबंधन और प्रणाली एकीकरण सेवाओं के अपने सभी प्रमुख व्यवसायिक अप्लिकेशनों के लिए केन्द्रीय डाटा केन्द्रों से सीबीईसी की आईटी सेवाओं हेतु		40000 हजार पंजीकृत उपभोगताओं तथा 30 लाख बाह्य पंजीकृत उपभोगाताओं के

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर आदि में बुनियादी ढांचे के पुराना होने तथा नई सेवाओं की मांग के मद्देनजर बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं (प्रणाली एकीकरण सहित) को बेहतर बनाने हेतु व्यापक प्रस्ताव महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा साफ्टवेयर लाइसेंस के लिए डाटा केन्द्र उपस्करों के प्रोपण हेतु ओईएम व्यवसायिक सेवाएं तथा वार्षिक रख-रखाव तथा स्पार्ट चार्ज		लिए सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर सीबीईसी सूचना प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना । सीबीईसी की अपनी ई-मेल http:// webmail.icegate, gov. in 20 हजार उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु सक्षम बनान।
					सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करना।	1. वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान एलएएन परियोजना के अन्तर्गत रखरखाव तथा समर्थन सेवाएं। 2. संवर्ग पुनर्संरचना के अन्तर्गत नए स्थानों के लिए महत्वपूर्ण एलएएन आईटी बुनियादी ढांचे का प्रापण 3. परिवर्तन आदेशों का कार्यान्वयन		
					डेटा वेयर हाऊस की स्थापना	दिल्ली (डीसी तथा बीसीपी) तथा चेन्नई (डीआर) में सीबीईसी के डाटा केन्द्रों के लिए स्थान तथा बिजली का प्रावधान		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (एसीईएस) परियोजनाओं का स्वचालन	यह परियोजना तकनीकी समर्थन और रख-रखाव के अध्यधीन है इसकी वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है धनराशि की वापसी को ई-भुगतान के माध्यम से करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्य करने के नए तरीके अर्थात विवाद निपटान और निवारण माड्यूल, अनंतिम मूल्यांकन माड्यूल, धनराशि के वापसी के दावों को ऑनलाइन भरा जाना, तथा निर्यात सम्बद्ध चुनिन्दा दस्तावेजों का ऑनलाइन रूप से भरा जाना शुरू किया गया है। विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट, जिसमें पंजीकरण भी शामिल हो, विवरणी, लेखापरीक्षा और धनराशि की वापसी इत्यादि अतिरिक्त कार्यों की योजना बनाई गई है।	सभी व्यापारिक प्रक्रियाओं के आटोमेटिड कार्य प्रवाह के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के साथ पारदर्शिता बढ़ाना और इन्टरफेस को कम करना।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी 104 आयुक्तालयों में ए सी ई एस लागू कर दिए गए हैं तथा इन का रख-रखाव तथा समर्थकारी चरण चल रहा है।
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना	आईस-गेट सीमा शुल्क ईवीआई प्रणाली के साथ सभी व्यापार भागीदारों तथा संस्थागत भागीदारों के साथ इन्टरफेश का प्रावधान करता है। यह 19 प्रकार की संस्थागत व्यक्तिगत पणधारी	आईसीईएस के आईसीईजीएटीई 1.5 का उन्नयन वर्जन, 120 सीमा शुल्क केन्द्रों पर है। व्यापार के विभिन्न साझेदारों और सरकारी विभागों के साथ संदेश के आदान-प्रदान को 127 से अधिक किस्मों संदेश	इस परियोजना का समर्थनकारी और रख-रखाव चरण चल रहा है। डीबीके मोनोट्रिंग प्रणाली, आरबीआई के साथ विदेशी मुद्रा आंकड़ो का विनिमय, लाइसेंस ट्रांसमिशन

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						तथा अन्य सरकारी अभिकरणों जैसे की बंदरगाह प्राधिकारी, कस्टोडियन, बैंक, एयरलाइन, शीपिंग लाइन, आयातकर्ता/ निर्यातकर्ता, सीएचए, प्रधान सीसीए, डीजीएफटी, इस्पात मंत्रालय, आरबीआई, डीजीओवी, डीजीसीआईएनएस, कोनकोर, क्रिष आदि के साथ 138 ईडीआई संदेशों के अधिक के माध्यम से भारी भरकम व्यापार आंकड़ों का आदान प्रदान करता है। यह दस्तावेजों की फाइलनिंग तथा ट्रेकिंग प्रणाली के संबंध में इनसभी व्यापार/संस्थागत भागीदारों को उनके दरवाजे पर ही सेवा मुहैया नहीं करता बल्कि अनापत्ति अथवा डीबीके अनुमोदन के लिए दस्तावेजों की प्रोसेसिंग के समय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए अपनी परिसर से ही सेवाएं मुहैया करता है।इसनेआयातकर्ता/ निर्यातकर्ताओं के सोधों की लागत में और उत्पादन लाइनों /आपूर्तिकर्ताओं की इन्वेंग्री लागत भारी कटौती	विनिमय की मदद से यह आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा को सांझा करता है।	तथा प्रोसेसिंग अध्याय-3, आयात रिपोर्ट (एलएलसीएस) का आर ई एस माड्यूल, ईओडीसी डाटा ट्रांसमिशन आदि जैसे नए कार्याकारणी विकसित की जा रही है तथा परिक्षण शीघ्र किए जाना संभावित है। कुछ अन्य मौड्यूल जैसे आईसीईएस-एसीईसी इन्टीग्रेशन, आईसीईएस-एस ई जेड इंटीग्रेशन आदि पर चर्चा चल रही है। पिछले काग्रो आयात माड्यूल को प्रारंभ कर दिया गया है तथा निर्यात के अन्तर्गत आरएमएस को भी आरंभ कर दिया गया है जो लगभग इस समय 129 प्रमुख सीमाशुल्क स्थलों को कवर करता है ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						की है। यह एक सिंगल विन्डो के माध्य से सभी सेवाएं प्रदान करता है।		
					जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को व्यापार सुविधा प्रदान करना और उनकी जांच करना है और अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले, सीमा शुल्क के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस 3.1) का एक नया संस्करण जो कि आई सी ई एस 1.5 को कार्यान्वित किया गया है। वष 2014-15 की बकाया अवधि के दौरान आरएमएस (आयात) को 15 अतिरिक्त स्थानों पर और आरएमएस निर्यात अतिरिक्त 25 स्थानों पर निष्पादित किया जाना है।	वर्ष 2015-16 के दौरान आयात में तथा निर्यात में आरएम को बकाया आईसीईएस स्थलों, जहां बीई/ एसबी भारी संख्या में दायर की जाती हैं, पर निष्पादित किए जाने की योजना है।
					आईसीईएस आईसीईएस 1.0 तथा 1.5 संस्करण का विकास/ अनुरक्षण	निर्यात तथा आयात निकासी संबंधित स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली हेतु भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का डिजाईन, विकास, परीक्षण तथा अनुरक्षण।	124 सीमा शुल्क कार्य स्थलों पर आईसीईएस 1.5 लागू किया गया है। इसमें अटारी, रक्सोल तथा जोगबानी आदि जैसे भू सीमाशुल्क स्टेशनों पर ईडीआई लगाना शामिल है।	आईसीईएस 1.5 में इलैक्ट्रानिकी, बैंक, रियरलाइजेशन प्रमाणपत्र, नए सीएचए पंजीयन माड्यूल तथा ड्यूटी कैल्कूलेटर आदि जैसे नए माड्यूल जोड़े गए हैं ताकि नीतियों में परिवर्तन की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और उन्हें सतत रूप से विकसित किया जाता रहे।एयर-टू एयर/ आईसीडी ट्रान्सपमेंट

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
								, आईसीईएस तथा एसईजेड का एकीकरण, ऑनलाइन परियोजना कार्यान्वित की गई और सीआरसीएल माड्यूल को शीघ्र ही निष्पादित किया जाएगा।
					वित्त वर्ष 2015-16 में चालान की प्रोसेसिंग के लिए ईएएसआईईएसटी	इसका उद्देश्य राजस्व तथा करदाता लेखा हेतु बैंकों से सही-सही कर भुगतान आंकड़े उपलब्ध कराना है। ई-भुगतान सहित सभी तरह के संबंधित आंकड़े बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में रखे जाते हैं तथा इलैक्ट्रोनिकी तरीके से अपलोड करके विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं।ई-भुगतान पोर्टल को डेटा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकसित किया गया है।	वित्त वर्ष, 2014-15, दिसम्बर 2014 तक के दौरान 57.87 लाख चालान की प्रोसेसिंग की गई, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 99 प्रतिशत राजस्व तथा सेवा कर का 93 प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान द्वारा प्राप्त हुआ। निधि के निपटान तथा बैंकों द्वारा अपलोड किए गए चालानों का पता लगाया जा सकता है।99 प्रतिशत चालान ईएएसईएसटी की वेबसाइट पर लोड कर दिए गए हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के साथ निधि के निपटान की तुलना में बैंकों द्वारा एनएसडीएल साइट पर 100 प्रतिशत चालान अपलोड करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इससे समुचित राजस्व लेखा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
					ईएएसआईईएसटी सिनेविट क्रेडिट सत्यापन प्रणाली	बोर्ड ने महानिदेशकों को ईएएसआईईएसटी परियोजना के अंश के रूप में सिनेविट क्रेडिट सत्यापन प्रक्रिया को शामिल करने का निदेश दिया है जिससे की सभी प्रकार के भुगतान	अनुबंध अपलोड करने की परिविष्टियों के संबंध में 100 करोड़ रूपए की राशि आधारित अनुमान	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						(रोपड़ तथा सीनेविट क्रेडिट उपयोग) को भी ईएएसआईईएसटी रखा जा सके और इन आंकड़ों को कर निर्धारिती द्वारा अपनी आय विवरणी में दी गई भुगतान सूचना के साथ एसीईएस के साथ समायोजित करने हेतु ट्रांसमिट किया जा सके। इससे विभागीय अधिकारियों को भुगतानों और राजस्व की चोरी की मोनिटरिंग करने के लिए एक सिंगल विंडों सेवा मुहैया होगी। इस उपाय से राजस्व में बढ़ोतरी तथा वास्तविक करदाता को जो बाजार बनाम कर अपवंचनकर्ताओं जो अवैध रूप से धन लाभ उठाते हैं, जैसे सिनेवेट क्रेडिट सुविधा के दुरूपयोग करने वालों से कढ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में वास्तविक करदाता को समान अवसर मुहैया होंगे। ईएएसआईईएसटी परियोजना की बढ़ी हुई परिधि के कारण रोकड़ तथा सिनेवेट भुगतान के साथ-साथ मानिटरिंग करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली मुहैया होगी जो कर निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई ड्यूटी/ कर के समग्र परिदृष्य को पेश करेगी।		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 — निवारक कार्य-जहाजों एवं बेड़ो की अधिप्राप्ति**	यानों के समुचित रखरखाव हेतु अतिरिक्त कल-पुर्जे	8.00	शून्य		राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कुशल समुन्द्री पेट्रोलिंग के लिए चानों के समुचित रखरखाव हेतु कैट-। तथा कैट-।। हेतु अतिरिक्त कलपुर्जों के संबंध में भुगतान	निदेशालय द्वारा प्राप्त कए जाने वाले कलपुर्जों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा या-विनिर्माता की सहमति से प्राप्त किए जाएगें।	
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपस्करों का अधिग्रहण**	कार्गो क्लीयरेंस, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नान-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	255.61	शून्य	4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर का लगाया जाना।	कंटेनरों की नॉन-इंट्रूसिव स्कैनिंग तुतीकोरीन, चेन्नई, कांडला, मुम्बई बंदरगाहों पर आरंभ होगी। स्कैनिंग प्रणाली से अनियमितताओं के अधिकाधिक मामलों का पता चलेगा इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी तथा कार्गो की अनापत्ति यथाशीघ्र हो सकेगी।	मैसर्स ईसीआईएल द्वारा मार्च, 2014 में एक मोबाइल स्कैनर तूतीकोरिन में शुरू हो गया है एक एम जी सी एस एस जून,, 2014 में चेन्नई में लगा दिया गया है और कांडला में मार्च, 2015 तक शुरू होने की संभावना है और मैसर्स बीईएल, बंगलौर द्वारा जून, 2015 तक फिक्सड् एक्सरे स्कैनर लगाए जाने की संभावना है।	इस परियोजना की निगरानी परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा की जा रही है।
	ड्राइव थ्रू स्कैनर (रोड़) (संख्या 3)	कार्गो क्लीयरेंस, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नान-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार			3 ड्राइव थ्रो कंटेनर स्केनर (रोड) का लगाया जाना	जेएनपीटी, कोचिन तथा मुंद्र पोर्ट पर कंटेनरों की नॉन ट्रूसिव स्कैनिंग । ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर (रोड़) की स्कैनिंग गति तीव्र होती है जिससे अनियमितताओं के मामलों की भारी संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी और कार्गो की तीव्र अनापत्ति आदि हो सकेगी।	3 ड्राइव थ्रो कंटेनर स्केनर (रोड) का जेएनपीटी, कोचिन तथा मुंद्रा पर लगाया जाना प्रस्तावित है और सीएनई ने अनुमोदित कर दिया है। जेएनपीटी, कोचित तथा मुंद्रा के लिए स्कैनरों के प्रापण हेतु वैश्विक संविदा जारी कर दी गई है तथा टीईसी द्वारा इसका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
	कंटेनर स्कैनर (फिक्सड/ मुबाईल)	पहले ही लगाए जा चुके मौजूदा स्कैनरों के लिए भूमि			चेन्नई, तुतीकोरीन, कांडला तथा मुम्बई बंदरगाहों पर कंटेनर स्कैनर लगाने हेतु लैंड लीज़ किराए के लिए पोट ट्रस्ट प्राधिकरण को लीज़ रेंटल शुल्क प्रभार का भुगतान किया जाना है।		ये वार्षिक लैंड लीज रेंटल हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष भरा जाना अपेक्षित होता है।	
	पर्सनल रेडियेशन डिटेक्टर तथा रेडिया न्यूक्लाइड आईडेंटिफिकेशन डिवाइज	विकरण सामग्री की तस्करी की रोकथाम			130 पर्सनल रेडियेशन डिटेक्टर तथा 26 रेडिया न्यूक्लाइड आईडेंटिफिकेशन डिवाइज का लगाया जाना। प्रत्येक पर्सनल रेडियेशन डिटेक्टर की लागत लगभग 25 लाख रूपए है तथा रेडिया न्यूक्लाइड आईडेंटिफिकेशन डिवाइज की लागत 30 लाख रूपए है।	पर्सनल रेडियेशन डिटेक्टर तथा रेडिया न्यूक्लाइड आईडेंटिफिकेशन डिवाइज से बंदरगाहों पर विकिरण गतिविधियों का मुख्य प्रवेश/ निकास द्वारों पर तैनात सीमाशुल्क लगा सकेंगे। इससे बंदरगाहों की सुरक्षा सुद्ढ़ बन सकेगी और बंदरगाहों पर मानवीय सुरक्षा भी बेहतर हो सकेगी।	इनका क्रय 2015-16 में किया जाना संभावित है।	
	एक्सबीआईएस (76 न.)	इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा सामान की तीव्र निकासी को सुनिश्चित करता है।			76 नं. एक्सबीआईएस	एक्सबीआईएस यात्रियों के हवाई अड्डों पर सामान, एयरकार्गो आदि की शीघ्र जांच में मददगार होगा और ऐसे स्थलों पर सीमाशुल्क की निषे क्षमता को सुद्ढ़ करेगा।	76 एक्सबीआईएस की खरीद की निविदा को पहले ही शुरू कर दिया गया है। 76 एक्बीआईएस की आपूर्ति और स्थापन 2015-16 में पूरा किए जाने की संभावना है।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
	वीडियोस्कोप्स (90 नं.)	वाहनों और अन्य कार्गा ट्रकों के गैर- घुसपैठ को प्रत्यक्ष जांच के स्थान पर पूरा किया जाएगा।			90 नं. विडियोस्कोप्स 20.0 लाख लगभग प्रति विडियोस्कोप्स की दर से।	विडियोस्कोप्स पहुंचरहित क्षेत्रों जिनहें अन्यथा मात्र आंखों से नहीं देखा जा सकता, के मद्देनजर सीमाशुल्क अधिकारियों को समर्थ बनाएगा। यह सीमाशुल्क, डीआरआई आदि की तस्करी विरोधी इकाइयों की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाएगा।	सीबीईसी के क्षेत्रीय अधिकारियों हेतु 90 वीडियोस्कोप्स की खरीद का एक एक्शन योजना को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह खरीद 2015-16 में किए जाने की संभावना है।	
	मेल स्कैनर्स (10 नं.)	एफपीओज मेल्स के संवर्धित वॉल्यूम में स्कैनर्स पार्सलों के माध्यम से तरस्कर की जा रही विनिषिद्ध वस्तुओं को पहचानने में अधिकारियों को मदद देगा।					निविदा अनुमोदित की गई है और प्राप्ति की प्रक्रिया जारी है।	
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय गृह का अधिग्रहण**	नए कार्यालय परिसर का अर्जन।	350.00	शून्य	नए कार्यालय परिसर का अधिग्रहण कार्यालय स्थान की अपेक्षा में कमी को दूर करेगा।	विभाग की दक्षता में बढ़ोत्तरी होगी।	बंगलौर में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक ब्यूरो (एनएसीईएन) की राष्ट्रीय अकादमी हेतु एक नए कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु। हैदराबाद में एनएसीईएन परिसर का निर्माण। एनएसीईएन हिन्दपुर में भवन का निर्माण। नांगला राय, नई दिल्ली में दिल्ली-II आयुक्तालय हेतु कार्यालय परिसर का निर्माण। तिरूपति में कार्यालय का निर्माण। हापुड़, मेरठ में कार्यालय का निर्माण। आरटीआई, चेन्नई का निर्माण। गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद। एनबीसीसी, ओखला, नई दिल्ली में तैयार निर्मित	विभिन्न संबद्ध प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के साथ विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर ऐसे मामलों में अदायगी।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
							कार्यालय स्थल की खरीद। चंडीगढ़-I में कार्यालय परिसर हेतु भूमि की खरीद। रंगा रेड्डी, हैदराबाद में भूमि की खरीद। डीआरआई, कोलकाता जोनल इकाई हेतु भूमि की खरीद। डीआरआई अहमदाबाद जोनल इकाई हेतु भूमि की खरीद। राऊरकेला, भुवनेश्वर में कार्यालय और आवास हेतु भूमि की खरीद। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालय, नई दिल्ल हेतु भूमि की खरीद। देवनहल्ली, बंगलौर आयुकतालय में सीमाशुल्क भवन कार्यालय हेतु भूमि की खरीद। नोयडा में तैयार निर्मित कार्यालय स्थल की खरीद। यूटीआई, मुम्बई से भवन की खरीद। एनबीसीसी प्लाजा साकेत, नई दिल्ली में तैयार भवन कार्यालय स्थल की खरीद। एक बारगी मरम्मत की अदायगी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, चर्च गेट, मुम्बई का उन्नयन।	
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों का अधिग्रहण**	नए आवासीय परिसर का अधिग्रहण	50.00	शून्य	आवासीय परिसर की खरीद अपेक्षा में सेतु का काम करेगा।	आवासीय परिसर की उपलब्धता उच्चतर स्टाफ संतुष्टी को प्रशस्त होगा जो अभिप्रेरक और उत्पादकता को बढ़ाने में परिणत होगा।	विजयवाड़ा नगर निगम से विजयवाड़ा में तैयार निर्मित परिसर की खरीद। देवनहल्ली, बंगलौर आयुक्तालय में निवास हेतु भूमि की खरीद। चेन्नई में टीएनएचबी से तैयार निर्मित आवास की खरीद। द्वारका, दिल्ली-I आयुक्तालय में आवासीय फ्लैट्स का निर्माण।	

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत कदम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कम्प्यूटरीकरण और आटोमेशन के क्षेत्र में उठाये गये कदम

598.97 करोड़ रूपए की कुल लागत पर कम्प्यूटरीकरण की एक भावी और महत्वाकांक्षी परियोजना 2007-08 में शुरु की गई है जिससे की सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सेवाओं को समेकित किया जा सके, सभी प्रणाली को एक ही नेटवर्क/फ्लेटफार्म पर लाया जा सके और डाटा वेयर हाउस तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को स्थापित किया जा सके। इस प्रौजेक्ट को लागू कर दिया गया है तथा यह समर्थन/रख-रखाव के चरण में है। सेवाओं की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से 170 करोड़ रूपए के व्यय से संबंधित आईटी आधारभूत संरचना के साथ इस प्रौजेक्ट को मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।

विभाग और क्लाइन्ट्स दोनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किये गये उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आंकलन कार्य में और शुल्क के संग्रहण में सहायता पहुंचाना है और निम्नलिखित तरीके से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि करना है यथाः-

(क) कार्गो के क्लियरेन्स में तेजी लाना
(ख) प्रक्रिया के चरणों की सं. संव्यवहार के समय और खर्च में कमी लाना
(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग आन लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरेंस प्रक्रिया
(घ) कोर बैंकिंग समाधान के तहत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-भुगतान
(ड.) बैंक में प्रति अदायगी की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट
(च) टेली इन्क्वायरी, टच स्क्रीन कियोस्क, एस एम एस आदि जैसे इन्टेरेक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम्स
(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना
(ज) प्रक्रिया का सरलीकरण
(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती प्रक्रिया
(ञ) पारदर्शिता
(ट) मैन्युअल इन्टरफेस को न्यूनतम करना

ड्यूटी के बड़े कर अपवंचकों/ तस्करों की पहचान करने और अनुपालना को सुकर बनाने के लिए एक जोखिम मूल्यांकन/ प्रबंधन साफ्टवेयर विकसित किया गया है इस क्षेत्र में केन्द्रीकृत और विशेष ध्यान देने के लिए एक जोखिम प्रबंधन प्रभाग गठित किया गया है।

<u>कंटेनर स्कैनर्स</u>

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड तथा देश के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित, इसके विभिन्न कार्यालयों के लिए यह अधिदेश है कि वे वस्तुओं के उचित मूल्यांकन और जांच-पड़ताल के पश्चात सांविधिक ड्यूटी का संग्रहण करें तथा निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वहन करें। वैश्विक व्यापार के बढने से कंटेनर वाले कार्गो की संख्या काफी अधिक बढ़ी है। अतः अब कंटेनर वाले कार्गो की प्रत्यक्ष रूप से जांच-पड़ताल करना कठिन हो गया है तथा बिना किसी विलम्ब के कार्गो को निकासी देने की भी आवश्यकता है। कंटेनर स्कैनर एक महत्वपूर्ण टूल है जो कार्गो को बिना खोले उसकी जांच-पड़ताल करने में सहायता करता है तथा पोर्ट में कंटेनरों की निकासी को शीघ्र बनाता है। इससे पोर्ट पर सामान रखने की अवधि कम होती है तथा आयतकों/ निर्यातकों की लागत में कमी आती है तथा पोर्ट पर सामान की भीड़-भाड़ कम होती है तथा यह सुरक्षा कारणों से भी प्रभावी है।

- इस समय कंटेनरों के चार स्कैनर आप्रेशन में है। नेवा शेवा पर दो कंटेनर स्कैनर अर्थात एक मोबाइल गामा-रे-स्कैनर और एक फिकस्ड 9MeV एक्सरे स्कैनर 2004 और 2005 में लगाए गए थे। तूतीकोरीन सीमा शुल्क केन्द्र पर दो मोबाइल गामा-रे कंटेनर स्कैनर मार्च, 2014 में शुरू हो गए तथा चेन्नई सीमाशुल्क पर जून, 2014 में।

- कांडला में लगाए जाने के लिए एक मोबाइल गामा रे-स्कैनर साइट पर पहुंच गया है तथा मार्च, 2015 तक लगा दिया जाएगा।

- मुम्बई, चेन्नई, तूतीकोरीन और कांडला में चार फिक्स्ड एक्स-रे की, स्कैनर, मैसर्स बीईएल, बंगलौर द्वारा आपूर्ति की जा रही है। हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार स्कैनरों को सितम्बर, 2013 तक लगा दिया जाना चाहिए था। लेकिन पर्याप्त जनशक्ति सामग्री और मशीनरी के अभाव के कारण विलम्ब हुआ है। अब सभी फिकस्ड एक्स-रे कंटेनर स्कैनर जून, 2015 तक लगा दिए जाएगे।

- इसी बीच कंटेनर स्कैनरों की प्रोद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है तथा कंटेनर स्कैनर में एक ड्राइव होती है जो कि ड्राइव थ्रू मोड में एक घण्टे में लगभग 100 कंटेनरों को स्कैन कर सकती है। मंत्रालय ने मुन्द्रा, जेएनपीटी और कोचीन में ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर (रोड) लगाने का निर्णय लिया है तथा सीएनई ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए अनुसार कोचीन, मुन्द्रा और जेएनपीटी में ड्राइव-थ्रू कंटेनर स्कैनर (रोड) की खरीद और इन्हें लगाए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। सभी 3 ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनरों (रोड) को, 2015-16 में लगा दिए जाने की संभावना है।

- दिनांक 18.10.2010 में आयोजित सचिवों की बैठके में यह निर्णय लिया गया था कि विकरण संसूचना प्रणाली को प्रवेश के उन 26 प्राधिकृत बंदरगाहों पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां साबुत उसी रूप में धात्विक अवशिष्ट तथा स्क्रैप को वर्तमान आवाजाही की अनुमति प्रदान की जा रही है। 130 पीआरडी तथा 26आरआईडी की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है।

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 76 एक्सबीआईएस की अधिप्राप्ति के लिए यह विभाग कार्य कर रहा है। ये एक्सबिस मल्टी एनर्जी ड्यूअल व्यू की होती है और इनकी चार श्रेणियां होती हैं जिनका निर्माण एक्स-रे जनरेटरों द्वारा होता है तथा

कम्प्यूटरयुक्त रंगीन एक्स-रे बैंगेग निरीक्षण प्रणाली में ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखी जाती है।

प्रणाली कानून प्रवर्तन के साथ-साथ निरीक्षण/जांच में शीघ्रता सुनिश्चिता करने के लिए देश में कतिपय स्थानों पर विडियोस्कोप अधिप्राप्ति तथा लगाने का सुझाव है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क अधिकारी नंगी आंखों से अगम्य क्षेत्रों को देखने में सक्षम हो सकेंगे। बोर्ड ने तीन वर्ष में 224 विडियोस्कोप लगाने की कार्य योजना को अनुमति दे दी है जिसमें 90 विडियोस्कोप लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

- **समुंद्री बेड़ा**

सीमाशुल्क अधिनियम के आयात/निर्यात प्रावधानों के प्रवर्तन तथा देश के समुंद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए विभाग की एक निरोधक टुकड़ी के रूप में तट के साथ सीमाशुल्क समुंद्री बेड़े, विशेषकर स्वापक पदार्थों, आंतकवादी तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए हथियारों तथा गोला बारूद के तस्करी के खतरों को ध्यान में रखते हुए, को पूण अभिस्वीकृति प्रदान की गई है। तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेनातथा तटरक्षकों की संयुक्त निगरानी के साथ भी विभाग का समुंद्री विंग जुड़ा हुआ है। विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अलग-अलग वर्गों के 109 आधुनिक पोतों को परिनियोजित तथा अधिप्राप्ति की है:-

यानों का संवर्गउ	उद्देश्य
संवर्ग-I (24 यान)	तटीय गश्ती और निगरानी
संवर्ग-II (22 यान)	संदिग्ध यानों में तत्कालिक हस्तक्षेप तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना तथा तटरक्षकों की संयुक्त निगरानी
संवर्ग-IIIक (30यान)	
संवर्ग-IIIख (33यान)	छिछले पानी, क्रीक और बंदरगाहों में उपयो। तटीय सुरक्षा के लिए नौसेना तथा तटरक्षकों की संयुक्त निगरानी

1% राजस्व वृद्धि का उपयोग प्रोत्साहन प्रावधान के रूप में करना

व्यय प्रबंधन के बारे में व्यय विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में, जिनसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों को यह अनुमति मिलती है कि वे ऐसी योजना तैयार कर सकें जिससे कि 1% राजस्व वृद्धि का उपयोग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देने में हो सके जिनसे राजस्व का संकलन अधिकाधिक हो, संगठनात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हो सके, सी बी ई सी ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 31.03.2014 तक 191.42 करोड़ रू. संस्वीकृत/ आबंटित किया गय हैं अर्थात्:-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दायरों में क्षमता- सृजन/ अवसंरचना सुधार
- एनएसीईएन में प्रशिक्षण सुविधाओं में क्षमता-सृजन
- पी ए ओ में क्षमता- संवर्द्धन
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लैपटाप की व्यवस्था जिससे कि वे कर संग्रहण, जांच और आसूचना कार्य की मानीटरिंग में सुधार ला सकें ।
- संगठनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाने और बाहर की निवारक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वाहनों को किराये पर लेना ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के व्यय बजट में इसके लिए 50.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

पिछले काम काज की समीक्षा
परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2013-14

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2014 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	152.00	147.00	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	वाइड एरिया नेटवर्क को 528 स्थानों पर चालू किया गया है। शेष 16 स्थानों पर यह कार्य प्रगति पर है। वाइड एरिया नेटवर्क से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पडेक्स व्यवस्था की गई है।		
					प्रणाली एकीकरणः (एसआई) केन्द्रीय सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	• तीन राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र 99 प्रतिशत से अधिक सिस्टम अपटाइम के साथ कार्य कर रहे हैं। 24*7*365 के आधार पर केन्द्रीकृत सुरक्षा तथा मॉनीटरिंग। • भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई व्यवस्था (ICES) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर एप्लीकेशन (ACES), इन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस (EDW), मुद्रा घोषणा पत्र फार्म (सीडीएफ) तथा इन्ट्राक्टिव टैरिफ इत्यादि		• यह योजना समर्थन तथा रख-रखाव चरण में है • इस परियोजना को जुलाई, 2011 एस टी क्यू सी के द्वारा आई एस ओ 270001 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है तथा दिसम्बर, 2012 में भारत की आंकड़ा सरक्षण परिषद (डीएससीआई) ने 'ई-शासन में सुरक्षा' के लिए पुरस्कार दिया।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						जैसी सभी केन्द्रीकृत व्यवसायिक सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशनों को इन डाटा केन्द्रों में डाला जाता है। • cbec.gov.in, icegate.gov.in तथा aces.gov.in जैसी वेबसाइटें इन केन्द्रीय संरचनाओं से चल रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के मेल को भी सपोर्ट करती हैं।webmail.icegate.gov.in के लिए 20.000 से अधिक आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मेल संदेश की सुविधा • एक 24* 7* 365 को अंतकम उपभोक्ता की समस्या के सामधान के लिए चालू किया गया है। एप्लीकेशन यूजर्स की मदद करने तथा अवसंरचनाओं कार्योनमुख मानीटरिंग करने के लिए एक नेटवर्क एंड आईटी आपरेशन सेंटर चालू किया गया है। • वर्तमान अवसंरचनाओं में आईसीईसी के तीन		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						नए माड्यूल तैयार किए गए हैं। ➢ सागर से सागर स्थानांतरण मॉड्यूल ➢ कंटेनर्स चयन मॉड्यूल		
					सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करना।	सभी विभाग प्रयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का प्रावधान	थिन क्लाइटंस, नेटवर्क प्रिंटर्स, प्रिंट सरवर्स, स्कैनर्स इत्यादि जैसे आवश्यक आईटी हार्डवेयर के साथ 1177 इमारतों में सीबीईसी प्रयोगकर्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क क्नेक्टिविटी प्रदान की गई है।	एलएएन को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा यह सहायता तथा रख-रखाव के चरण में हैं। एलएएन के प्रयोग से संबंधित समस्या के समाधान के लिए प्रयोगकर्ताओं के लिए 24*7*365। हैल्प डैस्क की सुविधा उपलब्ध है।
					डाटा वेयर हाऊस की स्थापना	डाटा वेयरहाउस, सभी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर डाटा का केन्द्रीकृत संग्रह है। यह सभी प्रयोगकर्ता समूहों के लिए एमपीएलएस नेटवर्क (सीबीईसी डब्ल्यूएएन) पर उपलब्ध होगा और इसमें विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग जिसमें डाटा माइनिंग भी सम्मिलित है के लिए अनुकूल इन्टरफेस की	योजना को समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर पर कतिपय विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है तथा बिजनेस इन्टेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए ई डी डब्ल्यू पर इसके प्रारंभ किया गया है।	डाटा वेयरहाउस सहायता तथा रख-रखाव के चरण में है।.

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						सुविधा भी उपलब्ध होगी।		
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर परियोजनाओं का आटोमेशन (एसीईसी)	सभी कार्य व्यवहारों में स्वचालित कार्य संवहन के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के लिए व्यापक सीमा तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंटरफेस को कम करना।	104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों में एसीईएस सुविधा चालू हो गई है।	● केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर पर ई-फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। ● माननीय वित्त मंत्री के निर्देशों के अनुसार धनवापसी को ई- पेमेंट के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया चालू है।
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना	सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फिइलिंग के लिए एकल नेटवर्क रिमोट प्रणाली के माध्यम से कस्टम व्यापार साझेदारों और अन्य सरकारी अभिकरणों को जोड़ना इस परियोजना का उद्देश्य है। इसमें दस्तावेज ट्रैकिंग और जांच-पड़ताल प्रणाली, दैनिक रिपोर्ट और डी.टी.आर. व्यापारिक समुदाय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के बीच डेटा का आदान-प्रदान प्रयोकर्ताओं के साथ फाइल करने और मूल्यांकन करने संबंधी आंकड़ों को सांझा करना,	आईसीईजीएटीई का उन्नत संस्करण 1.5 सीमा शुल्क के 115 केन्द्रों पर है।	इस परियोजना का समर्थनकारी और रख-रखाव चरण चल रहा है। कुछ नए कार्यों में शामिल हैं- सेवाकर की ऑन लाइन वापसी, डी.एफ..आई. ए. लाइसेंस का ऑन लाइन पंजीकरण, केन्द्रीय बांड प्रबंधन तथा सीमा शुल्क का ई- भुगतान/ इस समय आईसीईई गेट के माध्यम से सीमा शुल्क और इसके व्यापारिक साझेदारों के बीच 127 संदेशों का आदान-प्रदान होता है। नए-ई-भुगतान गेटवे के अन्तर्गत, अनिवार्य ई-भुगतान

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						ई-भुगतान गेट-वे के माध्यम से ऑनलाइन सीमा शुल्क भुगतान, निर्यात प्रोत्साहन वितरण और 24x7 सहायता केन्द्र सुविधा ये सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जाती है।		बहुचालन सुविधा शुरू की गई है। ई-पीएओ के साथ डेटा आदान-प्रदान शुरू किया गया है।
					जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को व्यापार सुविधा प्रदान करना और उनकी जांच करना है और अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले, सीमा शुल्क के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस 3.1) का एक नया संस्करण जो कि आई सी ई एस 1.5 संस्करण के अनुरुप है, 89 पहचान किए गए सीमा शुल्क केन्द्रों में काम कर रहा है। निर्यात कारगो के लिए आर.एम.एस, आई.ई.सी.डी. पटपड़गंज और आई.ई.सी.डी. मुलुंद केन्द्रों पर शुरू किया गया है तथा इसे 88 सीमा शुल्क केन्द्रों पर शुरु किया गया है।	यह योजना है कि आरएमएस को अतिरिक्त स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा और व्यापार को सुकर बनाने संबंधी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा
					जीएसटी के लिए एक समान पोर्टलके गठित किए जाने के संबंध में अवधारणा/पायलेट प्रणाली का सीमित आशय सबूत	सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों सीटीडी और केन्द्र की मौजूदा आई टी आधारभूत संरचना और प्रक्रियाओं की जहां पर है वहां पर अध्ययन, पायलेट पोर्टल के पंजीकरण विवरणी और भुगतान माड्यूल का विकास,	पायलेट पोर्टल के माड्यूलों का विकासात्मक चरण समाप्त हो गया है तथा जहां पर हैं उसकी डिलीवरी रिपोर्टें और विकासात्मक चरण के माड्यूल प्रस्तुत कर दिये गए हैं तथा केन्द्र और राज्यों के विभिन्न मंचों पर इनकी चर्या की जा चुकी है।	पायलेट चरण 31/3/2013 को समाप्त हो गया।

1	2	3	4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	5	6	7	8
						जीएसटी रोल आउट के लिए डीपीआर तैयारी और विकसित एप्लीकेशनों के लिए छः महा गा रख रखाव चरण		
					आईसीईएस आईसीईएस 1.0 तथा 1.5 संस्करण को विकास/ अनुरक्षण	निर्यात तथा आयात निकासी संबंधित स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली हेतु भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का डिजाईन, विकास, परीक्षण तथा अनुरक्षण।	अतिरिक्त माड्यूलों के विकास के साथ साथ यह प्रोजेक्ट रख रखाव के चरण में है। कीमती कर्गो आयातमाड्यूल का सबचालन जनवरी 14 में चालू किया गया है।	आईसीईएस 1.5 रख-रखाव के चरण में है। नीतियों में परिवर्तन हेतु सतत् रूप से नए मॉड्यूल विकसित किए जाते हैं तथा आईसीईएस 1.5 में जोड़े जाते हैं।
					ईएएसआईईएसटी	इसका उद्देश्य राजस्व तथा करदाता लेखा हेतु बैंकों से सही-सही कर भुगतान आंकड़े उपलब्ध कराना है। ई-भुगतान सहित सभी तरह के संबंधित आंकड़े बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में रखे जाते हैं तथा इलैक्ट्रोनिकी तरीके से अपलोड करके विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। ई-भुगतान पोर्टल को डेटा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकसित किया गया है।	वर्ष 2012-13 के दौरान 59.89 लाख चालान अपलोड कर दिए गए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 98 प्रतिशत राजस्व तथा सेवा कर का 87 प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान द्वारा प्राप्त हुआ।	बैंकों द्वारा एनएसडीएल साइट पर 100 प्रतिशत चालान अपलोड करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इससे समुचित राजस्व लेखा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 – निवारक कार्य-जहाजों और बेड़ों की अधिप्राप्ति**	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	17.95	7.00	सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को 109 आधुनिक फास्ट यान मुहैया कराना।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सुदृढ़	सभी 109 यान प्राप्त हो गए है तथा उन्हें तैनात कर दिया गया है। वित्त वर्ष2013-14 के संबंध	——

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	में दिसम्बर 2013 में 4.00 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।	
3.	मुख्य शीर्ष 4047 - तस्करी रोधी उपस्करों का अधिग्रहण	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	82.00	50.65	मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा तूतीकोरिन, चेन्नई और कांडला पोर्ट पर 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, मैसर्स बीईएल, बैंगलोर द्वारा सिविल निर्माण सहित 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर का, तूतीकोरिन, मुम्बई, चेन्नई और कोडला में 172.94 करोड़ की प्रोजैक्ट योजना और 18.61 करोड़ प्रति वर्ष आवर्ती खर्च के आधार पर लगाया जाना।	स्कैनिंग से अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी तथा सुरक्षा के सरोकारों का निवारण होगा।	मैसर्स टीसीआईएल हैदराबाद और मैसर्स बीईएल बैंगलोर द्वारा जनशक्ति, सामग्री और संयत्र की अप्रयाप्त तैनाती के कारण इन प्रोजेक्टों को आरंभ किए जाने में अत्याधिक विलम्ब हुआ है। इस मामले को सचिव (प्रमाणुऊर्जा) और सचिव (रक्षा उत्पादन) के ध्यान में ला दिया गया है ।	**गाम रे स्केनर** गामा रे स्केनर फरवरी, 2013 तक लगा दिये जाने के। तथापि जनशक्ति, संयंत्र और सामग्री की अप्रयाप्त तैनाती के कारण इस प्रोजेक्ट में विलंब हुआ है। तुती कोरन का प्रोजेक्ट, मार्च, 2016 में 16 माह के विलम्ब के पश्चात शुरु किया जा सका। **फिक्स एक्सरे स्कैनर** जनशक्ति संयंत्र और उपस्करों की अपर्याप्त तैनाती के कारण होने वाले विलम्ब से फिक्स स्क्रैनर कटेनर विभिन्न चरणों में जून, 2014 तक लगा दिए जाएंगे।
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 -- कार्यालय आवास की खरीद**	कार्यालय के लिए नए आवास की खरीद।	47.91	21.70	कार्यालय के लिए जगह की खरीद से कार्यालय के आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी।	कार्यालय के पास अपने प्रयोग के लिए पर्याप्त स्थान होने से विभाग की कार्य क्षमता में	ऐसे मामलों में भुगतान औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित	बंगलौर में एनएसीईएन हेतु एक नए कार्यालय कॅम्प्लैक्स का निर्माण ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						बढ़ोतरी होगी।	अधिकारियों से परामर्श करना होता है।	हैदराबाद में एनएसीईएन का निर्माण, नागलराया, नई दिल्ली में दिल्ली-II आयुक्तालय हेतु कार्यालय परिसर का निर्माण। आरटीआइर, चेन्नई हेतु भूमि की खरीद, एनएसीईएन, हिन्दुपुर हेतु भूमि की खरीद।यूटीआई, मुम्बई से भवन की खरीद, तिरूपति में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, हापुड़ में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, शिलांग में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, दिल्ली-II आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण, हैदराबाद में एनएसीईएन परिसर का निर्माण, एनबीसीसी प्लाजा के संबंध में भुगतान, तथा गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद। एनबीसीसी, ओखला,

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								नई दिल्ली में तैयार निर्मित कार्यालय स्थल की खरीद, एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, नई दिल्ली में तेयार निर्मित कार्यालय स्थल की खरीद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, चर्चगेट, मुम्बई की एक बारगी मरम्मत और अपग्रेडिंग की अदायगी और अन्य छोटे प्रस्तावों को किए जाने की संभावना हेतु।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों की खरीद**	नए रिहायशी आवास की खरीद	1.34	3.36	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी।	आवासों की उपलब्धता से कर्मचारियों में काफी सन्तोष पैदा होगा तथा उनमें कार्य करने की प्रेरणा बढ़ेगी तथा परिणाम अच्छे आएंगे।		सामान्य वित्त नियमों में निर्धारित समुचित प्रक्रिया पालन करने के पश्चात इस प्रस्ताव के अंतर्गतसीपीडब्ल्यूडी शहरी विकास मंत्रालय, एसएफसी इत्यादी से निकासी लिए जाना अपेक्षित है।

2014-15 के परिव्यय के सन्दर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2015 की स्थिति (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 -सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेस के लिए आई टी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	221.31	187.00	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	1. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क परियोजना का रख-रखाव तथा परिवर्तित आदेशों का कार्यान्वयन। 2. 399 साइट्स और 3 डाटा केन्द्रों पर बैंडविड्थ की शुरूआत। 3. डाटा केन्द्रों पर इंटरनेट बैडविद्थ की शुरूआत। 4. 100 अतिरिक्त साइट्स पर विस्तारित वैन। 5. 20 संवेदनशील स्थलों पर वैकल्पिक वैन सहसम्बद्धता। 6. आईपीवी 6 का कार्यन्वयन		व्यापक क्षेत्र नेटवर्क 528 साइट्स पर कार्यान्वित किया गया है। नेटवर्क वैडविड्थ 350 से अधिक साइट्स पर प्रावधान किया गया है इनमें से 528 को बढ़े हुए कार्यभार के निवर्हन हेतु शुरू किया गया है।
					<u>प्रणाली एकीकरण</u>: केन्द्रीय सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	प्रसुविधा प्रबंधन और प्रणाली एकीकरण सेवाओं की वार्षिक देख-रेख हेतु समर्थन और डाटा सेंटर उपकरणों के लिए समर्थन प्रभार। महत्वपूर्ण अवसंरचना और साफ्टवेयर लाइसेंसों की प्राप्ति।		सीबीईसी ने हाल ही में अपना डाटा सेंटर नेटवर्क अपग्रेड किया है और अप्रचालित अवसंरचना जो सहयोग नहीं कर रहा है को बदलने की प्रक्रिया जारी है। चल रही देख-रेख और समर्थन सेवाएं

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								प्रसुविधा प्रबंधन सेवाएं, प्रौद्योगिकी अवयवों हेतु ए एम सी, वार्षिक तकनीकी समर्थन सेवाएं, ओईएमएस द्वारा प्रबंधित सेवाएं।
					सभी विभागीय प्रयोक्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान।	1. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान एलएएन परियोजना की देख-रेख। 2. प्रिंटर्स, स्विचेज, डिंट सर्वर्स आदि जैसे एलएएन उपकरणों की प्राप्ति/ प्रतिस्थापना। 3. सभी साइट्स पर अतिरिक्त 1300 एलएएन नोड्स के गठन और बदलाव के आदेशों का कार्यान्वयन।		लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) 1177 साइट्स पर लागू किया गया है। 24*7 हेल्पडेस्क को एलएएन मुद्दों पर प्रयोक्ता शिकायतों को दूर किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है।
					डाटा वेयर हाऊस का गठन।	1. विद्यमान टूल्स की देखरेख, समर्थन और शुरूआत। 2. मोबाइल प्लेटफार्म पर शुरू किए जाने हेतु ईडब्ल्यूडी रिपोर्ट और मोबाइल सोल्यूशन पर अंतिम प्रयोक्ता को प्रशिक्षण। 3. मेमोरी में कम्प्यूटरिंग और एडवान्स एनालिटिक्स।		परियोजना मरम्मत के चरण में है। विद्यमान एप्लीकेशन का स्टाक ब्रिड एडवांस्ड दृश्य विश्लेषणों और छदम फ्रेमवर्क टूल्स के साथ बढ़ाया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर परियोजनाओं का आटोमेशन	यह परियोजना तकनीकी समर्थन और रख-रखाव के अध्यधीन है इसकी वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है धनराशि की वापसी को ई-भुगतान के माध्यम से करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्य करने के नए तरीके अर्थात विवाद निपटान और निवारण माड्यूल, अनंतिम मूल्यांकन माड्यूल, धनराशि के वापसी के दावों को ऑनलाइन भरा जाना, तथा निर्यात सम्बद्ध चुनिन्दा दस्तावेजों का ऑनलाइन रूप से भरा जाना शुरूकिया गया है। विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट, जिसमें पंजीकरण भी शामिल हो, विवरणी, लेखापरीक्षा और धनराशि की वापसी इत्यादि अतिरिक्त कार्यों की योजना बनाई गई है।	सभी व्यापारिक प्रक्रियाओं के आटोमेटिड कार्य प्रवाह के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के साथ पारदर्शिता बढ़ाना और इन्टरफेस को कम करना।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी 104 आयुक्तालयों में ए सी ई एस लागू कर दिए गए हैं तथा इन का रख-रखाव तथा समर्थकारी चरण चल रहा है।
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना	सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फिइलिंग के लिए एकल नेटवर्क रिमोट प्रणाली के माध्यम से कस्टम व्यापार साझेदारों और अन्य सरकारी अभिकरणों को जोड़ना इस परियोजना का उद्देश्य है।	आईसीईएस के आईसीईजीएटीई का उन्नयन वर्जन 1.5, 120 सीमा शुल्क केन्द्रों पर है। व्यापार के विभिन्न साझेदारों और सरकारी विभागों के साथ संदेश के आदान-प्रदान को 127 से अधिक किस्मों की	यह प्रोजेक्ट रख रखाव के चरण में है इस अप्लीकेशन के मौजूदा क्षमता को सर्वोत्तम एडवांस विजुअल एनालिटीक और फरार्ड फ्रेम वर्क टूल के साथ

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						इसमें दस्तावेज ट्रैकिंग और जांच-पड़ताल प्रणाली, दैनिक रिपोर्ट और डी.टी.आर. व्यापारिक समुदाय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के बीच डेटा का आदान-प्रदान प्रयोकर्ताओं के साथ फाइल करने और मूल्यांकन करने संबंधी आंकड़ों को सांझा करना, ई-भुगतान गेट-वे के माध्यम से ऑनलाइन सीमा शुल्क भुगतान, निर्यात प्रोत्साहन वितरण और 24x7 सहायता केन्द्र सुविधा ये सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जाती है।	मदद से यह आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा को सांझा करता है।	बढ़ा दिया गया है। एसीईएस को सभी 104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालयों में लागू कर दिया गया है और यह रख-रखाव और समर्थनकारी चरण में है। विवाद निवारण और संकल्प माडयूल, अनंतिम मूल्यांकन माडयूल, रिफंड दावों को ऑन लाइन भरा जाना तथा चुनिंदा निर्यात संबद्ध दस्तावेजों का आनलाइन भरा जाना जैसे नये प्रकार्य शुरु किये गये है।
					जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को व्यापार सुविधा प्रदान करना और उनकी जांच करना है और अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले, सीमा शुल्क के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस 3.1) का एक नया संस्करण जो कि आई सी ई एस 1.5 संस्करण के अनुरुप है, 89 पहचान किए गए सीमा शुल्क केन्द्रों में काम कर रहा है। निर्यात कारगो के लिए 55 सीमा शुल्क केन्द्रों पर आरएमएस शुरू किया गया है तथा इसे उन सभी आईसीईएस स्थानों पर लगाने की योजना है तथा आयात आरएमएस लागू	2014-15 की शेष अवधि के दौरान आरएमएस (आयात) 15 अतिरिक्त स्थलों पर फर्क किए जाने हेतु अनुसूचित है और आरएमए 25 अतिरिक्त स्थलों पर फर्क किए जाने हेतु अनुसूचित है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
							किया गया है	
					आईसीईएस आईसीईएस 1.0 तथा 1.5 संस्करण को विकास/ अनुरक्षण	निर्यात तथा आयात निकासी संबंधित स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली हेतु भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का डिजाईन, विकास, परीक्षण तथा अनुरक्षण।	116 सीमा शुल्क कार्य स्थलों पर आईसीईएस 1.5 लागू किया गया है।	आईसीईएस 1.5 रख-रखाव के चरण में है। नीतियों में परिवर्तन हेतु सतत् रूप से नए मॉड्यूल विकसित किए जाते हैं तथा आईसीईएस 1.5 में जोड़े जाते हैं।
					ईएएसआईईएसटी	इसका उद्देश्य राजस्व तथा करदाता लेखा हेतु बैंकों से सही-सही कर भुगतान आंकड़े उपलब्ध कराना है। ई-भुगतान सहित सभी तरह के संबंधित आंकड़े बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में रखे जाते हैं तथा इलैक्ट्रोनिकी तरीके से अपलोड करके विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। ई-भुगतान पोर्टल को डेटा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकसित किया गया है।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 98 प्रतिशत राजस्व तथा सेवा कर का 87 प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान द्वारा प्राप्त हुआ। निधि के निपटान तथा बैंकों द्वारा अपलोड किए गए चालानों का पता लगाया जा सकता है। 94 प्रतिशत चालान ईएएसईएसटी की वेबसाइट पर लोड कर दिए गए हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के साथ निधि के निपटान की तुलना में बैंकों द्वारा एनएसडीएल साइट पर 100 प्रतिशत चालान अपलोड करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इससे समुचित राजस्व लेखा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2.	मुख्य शीर्ष 4047 निवारक कार्य- जहाजों और बड़ों की अधिप्राप्ति	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	20.00	11.00	सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को 109 आधुनिक फास्ट यान मुहैया कराना।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सुदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की	सभी 109 यान प्राप्त हो गए है तथा उन्हें तैनात कर दिया गया है। कार-I और कैट-II यानों के कल-पुर्जों की, इस वित्त वर्ष में खरीद किए जाने	कार-1 और कैट-2 वैसल के कल पूर्जो की वित्त वर्ष 2015-16 में खरीद किये जाने का प्रस्ताव है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	का प्रस्ताव है।	
3.	**मुख्य शीर्ष 4047- तस्करी रोधी उपकरणों का प्रापण**	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नॉन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	112.72	19.00	मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा तूतीकोरिन, चेन्नई और कांडला पोर्ट पर 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, मैसर्स बीईएल, बैंगलोर द्वारा सिविल निर्माण सहित 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर का, तूतीकोरिन, मुम्बई, चेन्नई और कोडला में 172.94 करोड़ की प्रोजैक्ट योजना और 18.61 करोड़ प्रति वर्ष आवर्ती खर्च के आधार पर लगाया जाना।	स्कैनिंग से अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी तथा सुरक्षा के सरोकारों का निवारण होगा।	इस परियोजना की निगरानी, सदस्य (सीमा शुल्क), सीबीईसी, नई दिल्ली की अध्यक्षता वाली प्रोजेक्ट कार्यान्वयन समिति द्वारा तथा सचिव (रक्षा उत्पादन) द्वारा भी निगरानी की जा रही है।	**मोबाइल गामा रे स्कैनर** एक मोबाइल स्कैनर तूतीकोरिन में शुरू हो गया है एक स्कैनर अप्रैल, 2014 में चेन्नई में लगा दिया गया है। कांडला में स्कैनर की मार्च, 2015 तक शुरू होने की संभावना है। **4 फिक्सड एक्स रे स्कैनर** परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है, जो कि जून, 2015 तक पूरी हो जानी थी। यह विलम्ब, जनशक्ति, मशीनरी तथा सामग्री के अपर्याप्त रूप से लगाए जाने के कारण हुआ है।
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय आवास की खरीद	कार्यालय के लिए नए आवास खरीदना	133.59	115.00	कार्यालय के लिए जगह की खरीद से कार्यालय के आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी। रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो आयेगी।	कार्यालय के पास अपने प्रयोग के लिए पर्याप्त स्थान होने से विभाग की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी।	ऐसे मामलों में भुगतान औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित अधिकारियों से परामर्श करना होता है।	बंगलौर में एनएसीईएन हेतु एक नए कार्यालय कॅम्प्लैक्स का निर्माण । हैदराबाद में एनएसीईएन का निर्माण, नागलराया, नई दिल्ली में दिल्ली-II

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								आयुक्तालय हेतु कार्यालय परिसर का निर्माण। आरटीआइर, चेन्नई हेतु भूमि की खरीद, एनएसीईएन, हिन्दुपुर हेतु भूमि की खरीदायूटीआई, मुम्बई से भवन की खरीद, तिरूपति में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, हापुड़ में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, शिलांग में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, दिल्ली-।। आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण, हैदराबाद में एनएसीईएन परिसर का निर्माण, एनबीसीसी प्लाजा के संबंध में भुगतान, तथा गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद। एनबीसीसी, ओखला, नई दिल्ली में तैयार निर्मित कार्यालय स्थल की खरीद, एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, नई दिल्ली में

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								तेयार निर्मित कार्यालय स्थल की खरीद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, चर्चगेट, मुम्बई की एक बारगी मरम्मत और अपग्रेडिंग की अदायगी और अन्य छोटे प्रस्तावों को किए जाने की संभावना हेतु।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 - रिहायशी आवासों की खरीद**	नए रिहायशी आवास खरीदना	4.50	5.00	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो आयेगी।	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से अधिक कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए जा सकेंगे और इससे प्रेरणा और उत्पादकता में बढोत्तरी होगी।	नए रिहायशी आवास की खरीद के लिए एक मुश्त प्रावधान किया गया है।	

समग्र निष्पादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2013-14 में कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व 4,91,205 करोड़ रू. था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण 34.34% (1,68,702 करोड़ रू.), सीमा शुल्कः 35.01% (1,71,962 करोड़ रू.) एवं सेवाकर, 30.65% (1,50,541 करोड़ रू.) था ।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2003-04 के 1,47,294 करोड़ रूपए से 233.49 बढ़कर 2013-14 में 4,91,205 करोड़ रू. हो गया।
- पिछले वर्ष के मुकाबले 2013-14 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क संग्रहण में 4.32% और सीमा शुल्क संग्रहण में 3.74% बढ़ोत्तरी आई है।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सेवाकर संग्रहण में 2013-14 में 15.01% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सेवाकर के संग्रहण में 2003-04 (7,891 करोड़ रू.) के मुकाबले 2013-14 (1,50,541 करोड़ रू.) में सेवाकर संग्रहण में 1807.76% की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर में सेवाकर का हिस्सा 1995-96 के 1% से बढ़कर 2013-14 में 30.65% हो गया है।
- वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण 3,39,302 करोड़ रू. था जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1,01,281 करोड़ रू., सीमा शुल्क 1,35,559 करोड़ रू. और सेवाकर 1,02,462 करोड़ रू. था।
- दिसम्बर, 2014 तक संग्रहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक अवधि में 41.43% वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण में क्रमशः 26.44%, 22.79% और 26.44% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2005-06 के बाद से अप्रत्यक्ष कर संग्रहण की लागत निम्न तालिका में दी है:-

संग्रहण की लागत

शुल्क का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सीमा शुल्क	0.51%	0.72%	1.09%	0.67%	0.67%	0.63%	0.64%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	0.64%	0.98%	1.32%	1.00%	0.96%	0.83%	0.83%

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2004-05 की जी डी पी में 5.3% की तुलना में कम होकर 2012-13 की जी डी पी में 4.70% हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों का प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर व्यय और औसत राजस्व संग्रहण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर एवं भत्तों पर औसत व्यय (लाख रू.में)	प्रति कर्मचारी औसत राजस्व संग्रहण (करोड़ रू. में)
2011-12	5.68	7.31
2012-13	5.10	8.83
2013-14	5.41	9.19

ई-गर्वेनसः

प्रणाली महानिदेालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के क्रियान्वयन का काम पूरा कर लिया है। इस समेकित परियोजना के भाग के रूप में क्रियाचित की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को नीचे दिया गया है:-

(i) . वाईड एरिया नेटववर्क(डब्लू ए एन)- 528 सीबीईसी स्थलों को इसके तीन डाटा सेंटर अर्थात् प्राइमरी डाटा सेंटर और दिल्ली में बिज़नेस कम्यूनिटी प्लानिंग साइट और चेन्नै में डिजासटर रिकवरी साइट के साथ जोड़ने वाला एक ऑल इंडिया वाईड एरिया नेटवर्क तैयार किया गया है । केन्द्रीयकृत रूप में आईटी अवसंरचना तैनाती की मेजबानी वाले तीन डाटा सेन्टर प्रसुविधाओं हेतु स्थान और शक्ति का इस परियोजना के माध्यम से भी प्रावधान किया गया है । हेल्पडेस्क की व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि उपयोगकर्त्ताओं की डब्लूएएन और एलएएन मुद्दों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन 528 साइट्स में से 350 पर किए गए नेटवर्क बैंडविड्थ का प्रावधान बढ़े हुए बिजनेस लोड के संवर्धन को पूरा करना भी है ।

प्राइमरी वाईड ऐरिया नेटवर्क के गठन के अलावा, एक भिन्न सेवा प्रदाता द्वारा एक वैकल्पिक वैन को देशभर में 20 महत्वपूर्ण सीबीईसी स्थलों पर बिना रूकावट की संयोजकता के सुनिश्चय हेतु भी स्थापित किया गया है।

पीडीसी और डीआर के बीच एक ईथरनेट लीज्ड लाइन लिंक को इन दो स्थलों के बलच डाटा के तीव्र पुनरावृत्ति हेतु इसका प्रावधान भी किया गया है जो सुनिश्चित करता है कि डीआर साइट पर अद्यतन डाटा बैकअप हमेशा उपलब्ध है ।

(ii) सेस्टम इन्टीग्रेशन- तीन राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों यथा दिल्ली में प्राथमिक डाटा केन्द्र और बिजनेस कान्टीन्यूटी साइट और दिल्ली में डाटा रिकवरी साइट स्थापित किये गये हैं। इस परियोजना ने सर्वर्स, स्टोरेज, डाटा सेंटर नेटवर्क, डाटा बेसेज और इसके 3 राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों में सुरक्षा और 99 प्रतिशत से अधिक की एक प्रणाली उपरिकाल की देखरेख जैसे इसके सभी आईटी अवसंरचना के समेकन हेतु सीबीईसी को समर्थ बनाया है । केन्द्रीयकृत निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन को केन्द्रीकृत निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन को 24*7*365 आधार पर समर्थ बनाया गया है जिसने इसकी शुरूआत से इस प्रणाली के उल्लंघन को रोकने में सफलता पाई है । यह

प्रणाली 2011 में एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001:2005 हेतु प्रमाणित की गई थी और सीबीईसी अब संशोधित आईएसओ 27001:2013 मानक हेतु एसटीक्यूसी द्वारा पुनःप्रमाणन चाहती है ।

यह प्रणाली सभी सीबीईसी के सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अर्थात एसीईएस, आईसीईजएटीई, एंटरप्राइज़ डाटा वेयरहाऊस, वेबसाईट्स और ईमेल डोमेन webmail.icegate.gov.in में बिजनेस एप्लीकेशन्स की मेजबानी करता है ।द कॉपोरेट वेबसाइट (cbec.gov.in), ई-कॉमर्स पोर्टल (icegate.gov.in) और एसीईएस वेबसाइट (aces.gov.in) इस केन्द्रीय अवसंरचना से चल रही हैं और चालू वित्त वर्ष 2014-15 में 31.12.2014 तक 314 करोड़ से अधिक हिट्स प्राप्त किए । केन्द्रीय प्रणाली लगभग 37000 आंतरिक प्रयोक्ताओं को समर्थन देता है और इसके लगभग 30 लाख पंजीकृत बाहरी प्रयोक्ता(करतदाता) हैं ।

अवसंरचना मुद्दों हेतु और अंतिम प्रयोक्ता समस्याओं के समाधान के लिए एक 24*7*365 एसआई हेल्पडेस्क प्रचलन में है ।चालू वित्त वर्ष 2014-15 में कुल टिकटों में 33221 दिसम्बर, 2014 तक एसआई हेल्पडेस्क पर लॉग किए गए थे जिसमें से समाधान प्रतिशतता 97 प्रतिशत है ।

एप्लीकेशन प्रयोक्ताओं और अवसंरचना की सक्रीय मॉनीटरिंग को समर्थन प्रदान किए जाने हेतु एक नेटवर्क एंड आईटी ऑपरेशन सेन्टर की स्थापना की गई है ।सीबीईसी ने हाल ही में अपने डाटा सेनटर नेटवर्क का अद्यतन किया है और पुरानी अवसंरचना प्रतिस्थापन जो सहयोग नहीं करता है की प्रक्रिया जारी है । सभी सीबीईसी के सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सकवा कर (iCES,ACES,RMS और ICEGATE) और प्रयोक्ता पहचान प्रबंधन में प्रोडक्शन डाटा बेसेज को बिना किसी प्रचालन रूकावट के प्राइमरी और डीआर साइटस पर सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया था ।

(iii) लोकल एरिया नेटवर्क्स(एलएएन) द्व इस परियोजना के अंतर्गत, लोकल एरिया नेटवर्क्स के साथ लोकल आईटी अवसंरचना जैसे कि थिन क्लाइन्टस, नेटवर्क प्रिंटर्स, प्रिंट सर्वर्स और स्कैनर्स आदि को 3000 कार्यालयों को आविष्ट करने वाली 1177 भवनों में स्थापित किया गया है । शेष 33 साइट्स पर एलएएन का कार्यान्वयन लम्बित है जो इन साइट्स पर तकनीकी तौर पर सम्भव नहीं था ।अब, इन साइट्स की अद्यतन सूची को एलएए सेवा प्रदाता के साथ शेयर किया गया है और एलएएन कार्यान्वयन प्रकियाधीन है । एलएएन का प्रयोग करते हुए, सीबीईसी कार्यालय केन्द्रीय संगणन प्रसुविधा से सुरक्षात्मक जुडा/पहुंच हेतु समर्थ होगा ।272 अभियन्ताओं को प्रयोक्ता मुद्दों को पूरा किए जाने हेतु बृहत्त् स्थलों पर तैनात किया गया है ।ऐसी साइट्स जहां समर्पित अभियन्ताओं को तैनात नहीं किया गया है हेतु, एक 24x7 एलएएन हेल्पडेस्क का स्थलों पर सामना किए जा रहे मुद्दों को सम्बोधित किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं को इन साइट्स पर प्रबंधित लोकल आईटी उपकरण के प्रयोग और देख रेख पर विभागीय प्रयोक्ताओं को भी प्रशिक्षित किया गया है।

सीमाशुल्क

(i) . आईसीईजीएटीईः- आईसीईजीएटीई एक अवसंरचना परियोजना है जो विभाग के ईसी/ईडीआई और डाटा संसूचना अपेक्षाओं को पूरा करता है। आईसीईजीएटीई पोर्टल व्यापारियों और कार्गो करियर और सीमाशुल्क विभाग के अन्य क्लाइन्ट्स को ई- फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रसुविधा के माध्यम से, विभाग प्रविष्टि बिल (आयात सामान उद्घोषणा) की ऑन-लाइन, इलैक्ट्रानिक फाइलिंग सहित पोत परिवहन बिल (निर्यात सामान उद्घोषणा) और सीमाशुल्क और व्यापार भागीदारों के बीच संबद्ध इलैक्ट्रानिक संदेश, दस्तावेज अनुकरण, ई-अदायगी, आईपीआर का ऑनलाइन पंजीकरण और संसूचना प्रसुविधाओं (ई-मेल, वेब-अपलोड और एफटीपी) का प्रयोग करते हुए, इंटरनेट पर आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले संसूचना प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों से लिंग सेवाओं की मेजबानी का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, डाटा सीमाशुल्क और विभिन्न नियामक और लाइसेंसिंग अभिकरणों जैसे कि डीजीएफटी, आरबीआई और आईसीईजीएटीई के माध्यम से डीजीसीआईएस के बीच परस्पर विनिमय किए जाते हैं। आईसीईजीएटीई द्वारा देखे जा रहे सभी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज/ संदेशों को आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन द्वारा सीमाशुल्क की ओर से प्रसंस्कृत किया जाता है।

(ii) आईसीईएसः आईसीईएस 1.5 अब 129 सीमाशुल्क स्थलों पर प्रचालित है। नए कार्यकरण जैसे डीबीके मॉनीटरिंग प्रणालियों, आरबीआई के साथ एफई डाटा विनिमय, अध्याय-3 लाइसेंस संचरण और प्रसंस्करण, आयात रिपोर्ट का आरईएस मॉड्यूल (एलसीएस), ई ओडीसी डाटा संचरण आदि विकास और टेस्टिंग के तहत है और शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है। कुछ अन्य माड्यूल जैसे आईसीईएस-एसीईएस इंटीग्रेशन, आईसीईएस-एसईजेड इंटीग्रेशन आदि कार्यान्वयन के तहत हैं। नए मॉड्यूल जैसे कि केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) पायलट, कीमती कार्गो अनापत्ति प्रणाली (डीपीसीसी) आदि को भी इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को अपग्रेड कर डाटा सेंटर में केन्द्रीय संगणन प्रसुविधा पर पोर्ट किया गया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का उद्देश्य व्यापार प्रसुविधा और प्रवर्तन के बीच एक यथोचित संतुलन स्ट्राइक किए जाने हेतु भारतीय सीमाशुल्क प्रशासन को समर्थ बनाना है।आरएमएस के अन्तर्गत, भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा फाइल किए गए प्रविष्टि बिल जोखिम हेतु प्रसंस्कृत किए जाते हैं और अनेक समनुदेशनों को आयातकों के स्व-मूल्यांकन के आधार पर बिना जांच-पड़ताल के अनापत्ति स्वीकृत की जाती है। अन्य समुनुदेशन आरएमएस द्वारा जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित आंकलन अथवा जांच-पड़ताल अथवा दोनों हेतु जाते हैं।आरएमएस में अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले और सीमाशुल्क द्वारा पहचाने गए विशिष्ट मापदंड को पूरा करने वाले विशिष्ट क्लाइन्टस के लिए सुनिश्चित सीमा शुल्क अनापत्ति प्रक्रिया का प्रावधान भी है। आरएमएस का कार्यान्वयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अति विशिष्ट पहलों में से एक है। आईसीईएस 1.5 के साथ संगतता वाले आरएमएस 3.1 का नया संस्करण कार्यान्वित किया गया है। नया संस्करण 89 सीमाशुल्क स्थलों में संचालित है। 2014-15 की शेष अवधि के दौरान, आरएमएस (आयात) 15 पर भूमिका अदा किए जाने हेतु अनुसूचित है।

वर्ष 2014-15 की शेष अवधि के दौरान आरएमएस (आयात), 15 अतिरिक्त केद्रों पर किया जाना है और आरएमएस (निर्यात) 25 अतिरिक्त केन्द्रों पर किया जना है।अतः 31.03.2015 तक आरएमएस (आयात) 104 सीमाशुल्क केन्द्रों पर कार्यात्मक होगा तथा आरएमएस (निर्यात) 114 सीमाशुल्क केन्द्रों पर कार्यात्मक होगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

(i) एससीईएसः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) एक केन्द्रीय प्रायोजित, वेब आधारित और कार्यभार आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग

है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित सभी कार्य प्रक्रियाओं का स्वचालन है जिनमें आनलाइन पंजीकरण, रिटर्न की आनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग, दावों, सूचनाओं और अनुमतियों की आनलाइन फाइलिंग और उत्पाद शुल्क से संबंधित निर्यात रिपोर्टों, विवाद समाधान और लेखा परीक्षा आदि की आन लाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों और निर्धारिती को एसीईएस एप्लीकेशन के ज्ञान और जानकारी के आन-लाइन लर्निंग माड्यूल को उपलब्ध करवाया गया है। एसीईएस केन्द्र उत्पादक शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों के 104 केन्द्रों में शुरू किया गया है। एसीईएस प्रमाणित सुविधा केन्द को कार्यात्मक बनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को सेवाएं प्रदान करना है जिनके पास अपेक्षित आईटी आधारभूत संख्या संसाधन नहीं है ताकि वे एसीईएस का प्रयोग कर सके। एसीईएस वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है। रिफंड के ई-भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए प्रकार्य जैसे विवाद निपटान माड्यूल अनंतिम मूल्यांकन माड्यूल, रिफंड के दावों का आन लाइन भरा जाना तथा चुनिंदा निर्यात सम्बद्ध दस्तावेजों का आनलाइन भरा जाना शुरू किया गया है। अतिरिक्त प्रकार्य जैसे पंजीकरण, विवरणी, लेखा परीक्षा और रिफंड सहित विस्तृत रिपोर्ट की भी योजना बनाई गई है।

(ii) **डेटा वेयरहाऊस**

प्रणाली निदेशालय ने ईडीडब्ल्यू स्मार्ट व्यू 'सीबीईसी डेटा वेयर हाऊस, जो कि वेब आधारित विश्लेषण निर्णय समर्थित प्रणाली को लागू करता है तथा यह अद्यतन डेटा वेयर हाऊसिंग प्रौद्योगिक का प्रयोग करते हुए फास्ट क्वेरी और विश्लेषण क्षमता के लिए विकसित किया गया है। उद्यम आंकड़े वेयर हाऊस, राष्ट्रवार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आंकड़ों की केन्दीकृत रिपोजटरी है। इंटरप्राइज डेटावेयर हाऊस के गठन का उद्देश्य था, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के एकल डेटा रिपोसिटरी तक पहुंचे, ताकि सीबीईसी के आंतरिक बाह्य बिजनेस प्रयोगकर्ताओं को समर्थ बनाया जा सके जिससे वे अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार तदर्थ क्वेरी और रिपोर्टिंग कार्य कर सके। चालू स्रोत प्रणाली जिसे आंकड़ों को ईडीडब्ल्यू में रखा गया है, वे सीमा शुल्क आंकड़ों के लिए आईसीईएस 1.5 है जो कि भारत में आयात और निर्यात की निकासी की आनलाइन कार्य प्रवाह एप्लीकेशन है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर का एसीईएस जो निर्धारिती के पंजीकरण और विवरणी और इलैक्ट्रानिक लेखा प्रणाली को उत्पाद शुल्क और सेवाकर के उस एप्लीकेशन में कैप्चर करता है जो कि राजस्व और करदाता लेखा प्रणाली के लिए सही कर भुगतान आंकड़े उपलब्ध करवाता है। डेटावेयर हाऊसिंग में एनएसडीएल गेटवे के माध्यम में ईजीएस्ट डेटा प्राप्त होता है।

नीतिगत कार्यों/निर्णय लेने को समर्थन देने में आंकड़े प्रदान करने के क्रम में इन्टरप्राइज डेटावेयर हाऊस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईडीडब्ल्यू स्मार्ट व्यू में आंकड़ों की रिपोर्टिंग और विश्लेषण, पूर्व परिभाषित रिपोर्टों डेशबोर्ड, तदर्थ क्वेरी और क्यूब के रूप में किया गया है। अधिसूचना वार ड्यूटी परित्याग, एफटीए उपयोगिता, सोने के बड़े आयातकों का प्रोफाइल, सोने के आयात के लिए निर्यात संवर्धन योजना का प्रयोग, पैन इंडिया स्तर पर सूक्ष्म और वृहत स्तर पर वस्तुआयात विश्लेषण जैसे क्षेत्रों से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट, इंटरप्राइज डेटावेयर हाऊस से मुहैया करवाई जा रही है।

डेटा वेयरहाऊस टूल्स की सांख्यिकीय क्षमताएं, कर अनुसंधान एकक, राजस्व आसूचना महा निदेशालय, मूल्यांकन निदेशालय, जोखिम पबंधन प्रणाली इत्यादि जैसे अभिकरणों की, नीति निर्माण, आसूचना, जोखिम प्रबंधन, प्रवर्तन और राजस्व संग्रहण की निगरानी जैसे उद्देश्यों के लिए उनकी सांख्यिकीय और बहु आयामी विश्लेषणात्मक और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूरा करती है। बोर्ड, फील्ड कार्यालयों और अन्य मंत्रालयों, आरटीआईसीएंडएजी और संसद में आंकड़ों के अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों की रिपोसिटरी में बिजनेस पार्टीज, संव्यवहार की मदों, मूल देश जैसे विभिन्न आयामों पर आधारित प्रत्येक आयात/ निर्यात के जोखिम प्रोफाइल को समर्थ बनाया है। अतः जोखिम प्रबंधन प्रभाग, व्यापार की अनुपालना को सुकर बना रहा है, उच्च जोखिम के प्रवर्तन और राजस्व संग्रहण को अधिकतम बनाने में सहयोग कर रहा है।

आवेदनों की मौजूदा संख्या बेस्ट आफ ब्रीड एडवान्सड विजुअल एनालिस्टिक्स और धोखाधड़ी प्रबंधन टूल्स के माध्यम से बढ़ गई है।एडवान्सज विजुअल विश्लेषण तकनीक, प्रयोगकर्ता को विभिन्न डोमेन से डेटा का विजुअल रूप से विश्लेषण करने में समर्थ बनाएगी। इसके अलावा, विशेषीकृत धोखाधड़ी प्रबंधन टूल्स के कार्यान्वयन से सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा अन्य डेटा स्रोत पर संगठन और लेन-देन स्तर पर अवसरवादी और व्यवसायिक धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने में मदद मिलेगी।

सीबीईसी ने डेटावेयर हाऊस प्रोजैक्ट के विस्तार के रूप में टैक्स 360 प्रौजेक्ट क्रियान्वित किया है। यह चुनिंदा राज्यों में सीबीईसी, सीबीडीटी और बिक्री कर प्रशासनों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान को सुकर बनाता है तथा आयकर, सेवाकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और राज्यों के वैट के संबंध में करदाता को स्पष्ट (360 डिग्री का) दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

स्कैनर्स का प्रापण

इलेक्ट्रोनिक स्कैनर्स का प्रापण, आयात और निर्यात कार्गो कन्टेनरो की स्कैनिग जो कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आते है जिससे कि औषधि, अस्त्र एवं शस्त्र एवं अन्य अघोषित कार्गो का पता लगाने के लिए किया जाता है यह एक पायलेट परियोजना है, जिसमें एक मोबाईल गामा रेस्कैनर एवं एक पुनस्थापित एक्स रे स्कैनर जवाहर लाल नेहरु पोर्ट न्हावा शेवा पर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गयी थी और जून, 2005 तक इसे पूरा किया गया। पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से एक मुख्य कदम कार्गो निकासी कंटेनर यातायात के बढ़े हुए परिमाण एवं गैर हस्तक्षेप परीक्षा के द्वारा सुधरा हुआ सीमा शुल्क नियंत्रण को प्रभावी रुप से प्राप्त किया गया है।

- जेएनपीटी पर लगाए गए दोनों तरह के स्कैनर संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। पिछले तीन वर्ष में स्कैन किए गए कंटेनरों, दर्ज किए गए मामलों और वसूली गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	स्कैन किए गए कंटेनरों की संख्या		दर्ज किए गए मामलों की संख्या	वस्तुओं का मूल्य	ड्यूटी आरएफ+ पीपी+ ओआईएनटी
	चल	अचल			
2011-12	50169	66374	122	36,23,08,499/-	6,17,87,517/-
2012-13	82625	81369	152	45,37,24,257/-	8,82,65,219/-
2013-14	64801	82312	192	50,03,65,361/-	10,20,68,882/-

- उत्साहपूर्वक परिणामों को देखते हुए, तूतीकोरिन, चैन्नई, कांडला में 3 मोबाइल स्कैनरों को मुम्बई, कांडला, चेन्नै एवं तूतीकोरन में 4 फिक्सड स्कैनरों को स्थापित करने के लिए अधिग्रहण हेतु निविदा आमंत्रित करने की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है।
- तूतीकोरीन, चेन्नई और कांडला पोर्ट में 3 मोबाइल स्कैनर की आपूर्ति और इन्हें लगाए जाने के लिए मैसस ईसीआईएल के साथ फरवरी, 2012 में हस्ताक्षर किए गए है। मैसर्स रैपिस्कैन सिस्टम, यूएसए, मूल उपस्कर निर्माता है। ये स्कैनर विभिन्न चरणों में फरवरी, 2013 तक चालू हो जाने थे। तथापि, इन्हें लगाने में कुछ विलम्ब हुआ है।
- तूतीकोरीन में मोबाइल स्कैनर लगा दिया गया है तथा मार्च, 2014 में इसने काम करना शुरू कर दिया तथा चेन्नई पोर्ट पर मोबाइल स्कैनर 19.09.2014 को लगा दिया गया तथा इसने काम करना शुरू कर दिया। शेष एक मोबाइल स्कैनर कांडला पोर्ट पहुंच गया है तथा इसे मार्च, 2015 तक लगा दिया जाएगा।
- चेन्नई, तूतीकोरीन, मुम्बई और कांडला पोर्ट पर 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर टर्न आधार पर लगाए जाने का करार, सितम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान मैसर्स बीईएल से किया गया। मैसर्स स्मिथ डिटैक्शन सिस्टम, यूएसए मूल उपस्कर निर्माता है। ये स्कैनर विभिन्न चरणों में दिसम्बर, 2012 से सितम्बर, 2013 के दौरान आप्रेशनल होने थे। तथापि, इन स्कैनरों को लगाए जाने में विलम्ब हुआ है। मुमब्ई और तुतीकोरीन में कार्य प्रगत अवस्था में है था कुछ उपस्कर, मुम्बई और तुतीकोरीन में पहले ही पहुंच चुके हैं। यह प्रौजेक्ट जून, 2015 तक विभिन्न चरणों में पूरा हो जाएगा।

समुद्री जलयानों का प्रांपण

वर्ष 2008 से, समुन्द्र में तस्करी निरोधी क्रियाकलापों के लिए विभाग ने 109 स्टेट आफ आर्ट आधुनिक जलयान खरीदे है। इन्हें संवेदनशीलता तथा खतरे के मद्देनजर समुद्र किनारे विभिन्न केन्द्रों पर तैनात किया गया है। जनशक्ति की कमी, रख-रखाव के मुद्दे के बावजूद इन जलयानों का इष्टतम कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया गया है।

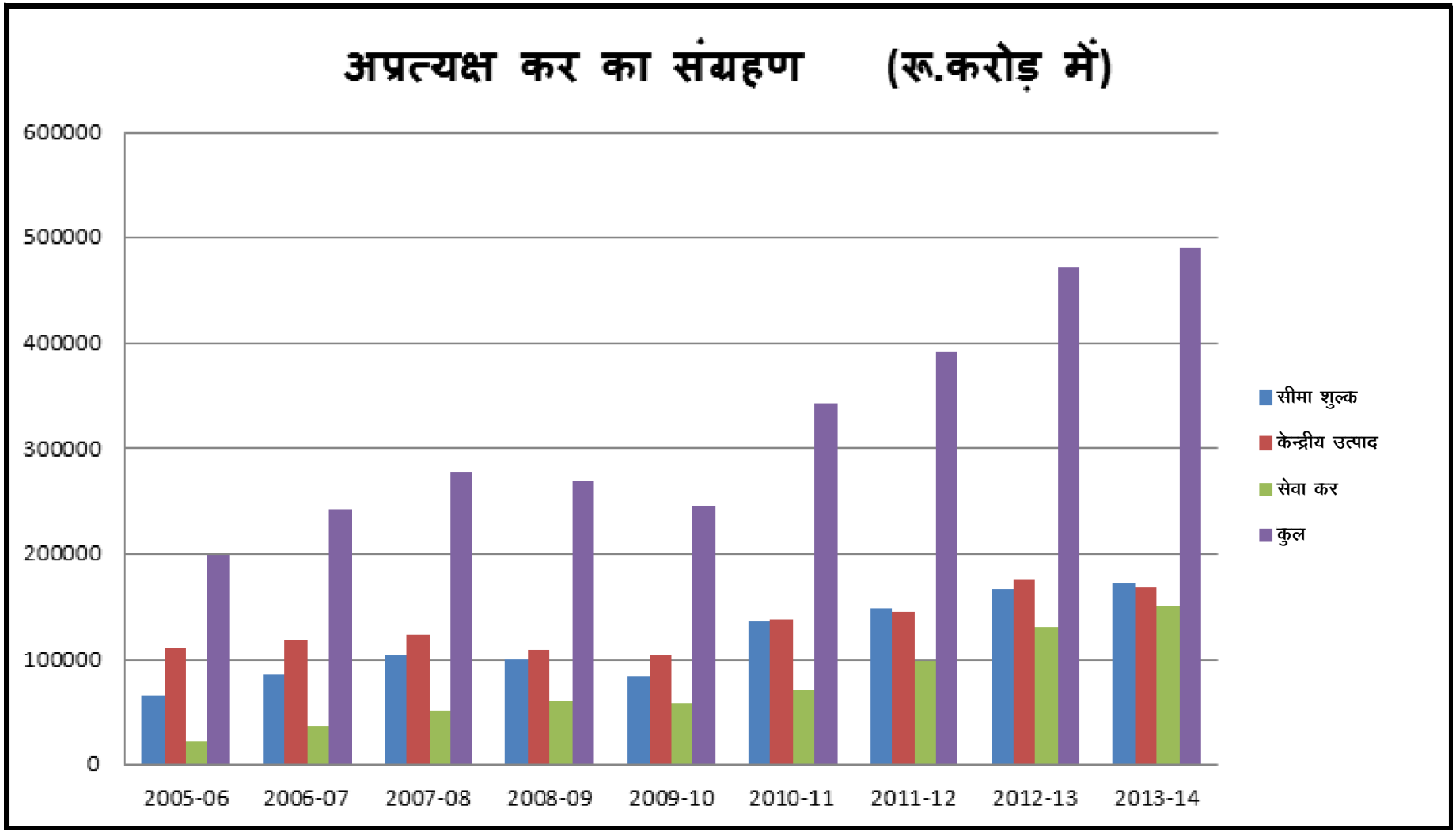
अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण (रू.करोड़ में)
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
सीमा शुल्क
केन्द्रीय उत्पाद
सेवा कर
कुल

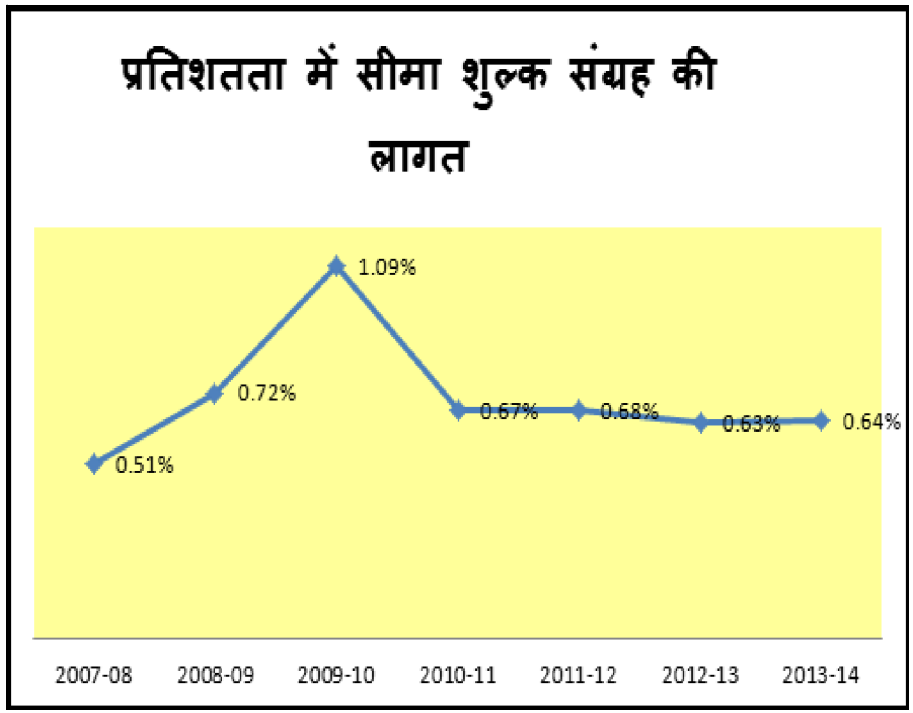
प्रतिशतता में सीमा शुल्क संग्रह की लागत
0.51%
0.72%
1.09%
0.67%
0.68%
0.63%
0.64%
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

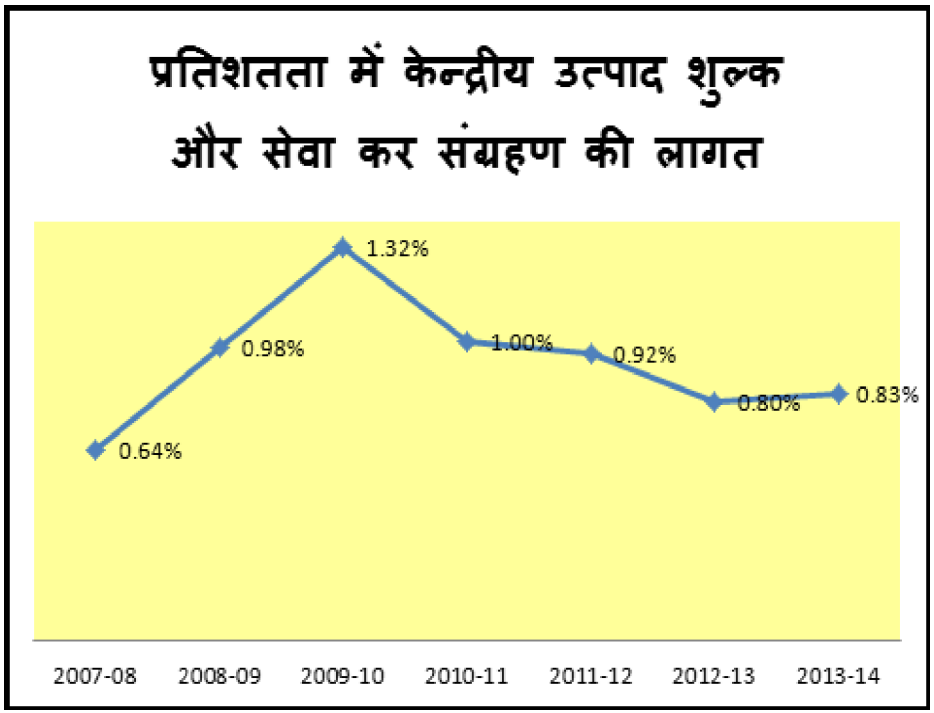
प्रतिशतता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संग्रहण की लागत
0.64%
0.98%
1.32%
1.00%
0.92%
0.80%
0.83%
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

बजट निष्पादन 2014-15 के अंतर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम	2013-14			2014-15			2015-16
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम) (दि.14)	ब.अ.
1.	ई- गवर्नेंस की आईटी क्षमता का सुदृढीकरण	152.00	147.00	137.56	221.31	187.00	62.29	245.00
2.	जहाज और बेड़ों की अधिप्राप्ति	17.95	7.00	4.01	20.00	11.00	0.00	8.00
3.	कंटेनर स्कैनरों की अधिप्राप्ति	82.00	50.65	10.79	112.72	19.00	6.04	255.61
4.	कार्यालय भवन की अधिप्राप्ति	47.91	21.70	4.30	133.59	115.00	26.56	350.00
5.	आवासीय भवनों की अधिप्राप्ति	1.34	3.36	3.20	4.50	5.00	0.01	50.00
	योग	**301.20**	**229.71**	**159.86**	**492.12**	**337.00**	**94.90**	**908.61**
	संशोधित अनुमान के हिसाब से प्रतिशत			*69.59%*			*28.16%*	

वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के योजना-वार वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2013-14			2014-15		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम) दि.14
	राजस्व खंड										
1.	**एम एच-2037 (सीमा शुल्क)**										
	सीमा शुल्क का संग्रहण	2037	1047.03	1051.21	1026.52	1148.47	1129.19	1093.42	1390.58	1282.42	922.97
	सीमा शुल्क कल्याण कोष	2037	6.20	5.58	5.58	6.20	5.58	0.00	17.50	17.50	0.00
	विदेश मिशन	2037	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.15	2.42	2.42	0.09
2	**MH-2038 (Union Excise Duties)**										
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण	2038	2103.84	2126.49	2118.41	2325.63	2318.67	2267.76	3008.12	2563.19	2064.02
	बेन्डरोल्स इत्यादि का मुद्रण	2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निरीक्षण निदेशालय	2038	37.12	38.71	35.77	39.38	42.98	37.20	45.99	50.09	32.09
	व्यवस्था तथा सांख्यिकी प्रबंधन	2038	138.00	165.49	155.76	143.75	139.55	128.52	206.01	185.15	61.72
	सर्तकता	2038	13.10	12.73	11.43	13.78	14.13	13.46	15.14	16.64	11.79
	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मादक पदार्थ अकादमी	2038	44.31	44.60	39.27	59.15	66.55	57.34	79.99	81.40	47.39
	Narcotics										
	प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय	2038	35.44	33.48	33.07	35.37	75.34	74.27	49.82	51.06	17.31
	सीमाशुल्क निदेशालय	2038	33.91	36.66	33.04	37.21	47.96	42.57	48.19	49.85	29.75
	आसूचना										
	अन्य कार्यालय	2038	13.63	13.53	12.48	14.01	14.53	13.94	15.76	16.28	12.36
3	**एमएच 2216 (हाउसिंग)**										
	आवास रखरखाव एवं मरम्मत	2216	7.00	5.00	2.80	5.00	4.50	1.94	5.00	5.00	1.33
4	**एमएच 3606 (सहायक उपस्कर)**										
	सहायता सामग्री एवं उपस्कर	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल- राजस्व खंड		**3481.88**	**3535.78**	**3476.43**	**3830.25**	**3861.28**	**3731.57**	**4884.52**	**4321.00**	**3200.82**
	पूंजी खंड										
5	**एमएच 4047 (सीमाशुल्क)**										
	मेरीन पोत का अधिग्रहण	4047	10.18	20.00	5.45	17.95	7.00	4.01	20.00	11.00	0.00
	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	4047	76.97	10.17	0.00	82.00	50.65	10.79	112.72	19.00	6.04
	मुख्य कार्य 4047	0.05	0.25	0.00	0.05	0.07	0.00	0.50	0.00	0.00	
6	**एचएव 4059 (कार्यालय आवास)**										
	कार्यालय भवनों का अधिग्रहण	4059	28.00	4.31	4.50	47.91	21.70	4.30	133.59	115.00	26.56
7	**एमएच 4216 (आवासीय भवन)**										
	तैयार निर्मित आवासीय भवनों का अधिग्रहण भवन	4216	4.00	0.10	0.00	1.34	3.36	3.20	4.50	5.00	0.01
	कुल-पूंजी खण्ड		**119.20**	**34.83**	**9.95**	**149.25**	**82.78**	**22.30**	**271.31**	**150.00**	**32.61**
	महायोग		**3601.08**	**3570.61**	**3486.38**	**3979.50**	**3944.06**	**3753.87**	**5155.83**	**4471.00**	**3233.43**
	वसूली		-0.50	-0.50	-0.41	-0.50	-0.50	-0.65	-0.50	-0.50	-1.69
	निवल		**3600.58**	**3570.11**	**3485.97**	**3979.00**	**3943.56**	**3753.22**	**5155.33**	**4470.50**	**3231.74**

वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के शीर्षवार वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2011-13			2013-14			2014-15		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम) दि.14 तक
	राजस्व खण्ड									
1	वेतन	2700.00	2760.00	2728.02	2981.00	2981.00	2894.04	3749.29	3317.00	2637.75
2	मजदूरी	14.00	15.65	15.78	16.91	16.91	16.75	18.43	18.00	12.13
3	समयोपरी भत्ता	11.00	9.89	6.60	11.00	6.60	5.80	6.93	5.10	3.62
4	इनाम	20.50	20.50	20.19	25.00	40.00	36.91	55.00	49.00	21.50
5	चिकित्सा उपचार	26.00	25.45	24.17	28.00	28.00	25.45	34.00	28.00	17.11
6	घरेलू यात्रा खर्चे	59.50	60.60	57.83	66.00	60.00	56.73	66.00	62.00	41.90
7	विदेश यात्रा खर्चे	1.75	1.58	1.51	2.00	1.10	0.70	3.00	2.99	0.35
8	कार्यालय खर्चे	273.00	246.00	257.59	284.01	284.01	282.13	388.45	339.60	240.09
9	किराया, दर एवं कर	119.00	124.00	121.63	130.00	134.00	133.05	198.00	165.00	112.73
10	प्रकाशन	1.20	1.40	1.18	1.40	1.27	1.27	1.73	2.28	0.85
11	बैंक नकद संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य प्रशासनिक खर्चे	3.00	2.70	2.47	25.00	25.00	22.34	33.25	32.25	19.00
13	विज्ञापन एवं प्रचार	31.00	28.00	27.28	36.00	70.42	69.28	45.00	45.00	12.73
14	लघु कार्य	17.00	12.30	7.84	17.00	15.30	8.26	17.60	17.60	3.80
15	व्यावस्यायिक सेवाएं	17.00	15.30	15.11	17.00	18.25	19.04	17.85	21.50	10.14
16	अन्य संविदाकरी सेवाएं	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	सामान्य अनुदान मांगे	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.01
18	गुप्त सेवा खर्च	6.20	5.58	5.65	6.20	5.58	5.86	7.57	7.57	4.59
19	अन्य प्रभार									
	(भारित)	0.50	0.50	0.09	0.50	0.50	0.19	0.50	0.50	0.00
	(स्वीकृत)	2.94	2.87	2.76	2.94	2.88	1.58	3.02	3.02	0.23
20	मशीनरी एवं उपस्कर	22.00	19.80	13.53	22.00	17.80	14.55	0.00	0.00	0.00
21	अंतर खाता स्थानांतरण	6.20	5.58	5.58	6.20	5.58	0.00	17.50	17.50	0.00
22	सूचना प्रौद्योगिकी	150.00	178.00	161.55	152.00	147.00	137.56	221.31	187.00	62.29
	कुल-राजस्व खंड	3481.88	3535.78	3476.43	3830.25	3861.28	3731.57	4884.52	4321.00	3200.82
	पूंजी खंड									
	I. मुख्य शीर्ष '4047'									
23	शिप एवं बेड़े का अधिग्रहण	10.18	20.00	5.45	17.95	7.00	4.01	20.00	11.00	0.00
24	तस्करी रोधी उपकरण का अधिग्रहण	76.97	10.17	0.00	82.00	50.65	10.79	112.72	19.00	6.04
25	मुख्य कार्य	0.05	0.25	0.00	0.05	0.07	0.00	0.50	0.00	0.00
	कुल - मुख्य शीर्ष '4047'	87.20	30.42	5.45	100.00	57.72	14.80	133.22	30.00	6.04
	II. मुख्य शीर्ष '4059'									
26	कार्यालयी आवास की खरीद	28.00	4.31	4.50	47.91	21.70	4.30	133.59	115.00	26.56
	III. मुख्य शीर्ष '4216'									
27	तैयार निर्मित रिहायशी आवास की खरीद	4.00	0.10	0.00	1.34	3.36	3.20	4.50	5.00	0.01
	कुल- पूंजी खंड	119.20	34.83	9.95	149.25	82.78	22.30	271.31	150.00	32.61
	महायोग	**3601.08**	**3570.61**	**3486.38**	**3979.50**	**3944.06**	**3753.87**	**5155.83**	**4471.00**	**3233.43**
	वसूली	0.50	0.50	0.41	0.50	0.50	0.65	0.50	0.50	1.69
	निवल	**3600.58**	**3570.11**	**3485.97**	**3979.00**	**3943.56**	**3753.22**	**5155.33**	**4470.50**	**3231.74**

वित्तीय समीक्षा-
व्यय में प्रवृत्ति का विश्लेषण

2013-14 के दौरान, 3753.22 करोड़ रूपये का कुल व्यय 2012-13 में उपगत 3485.97 करोड़ रूपये के व्यय की तुलना में 7.67 प्रतिशत अधिक है। राजस्व अनुमान में, 7.33 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से वेतन और भत्तों पर अधिक व्यय के कारण है।

पूंजी अनुभाग के अंतर्गत, 2012-13 में व्यय की तुलना में 2013-14 में 124.22 प्रतिशत अधिक है। यह मुख्यतः तस्करी रोधी उपकरण के साथ-साथ तैयार आवासीय आवास के अधिग्रहण के अर्जन के प्रति अधिक व्यय के कारण है।

2013-14 में 'विज्ञापन और प्रचार-प्रसार' के अंतर्गत व्यय 69.28 करोड़ रू. है जो 2012-13 में 27.28 करोड़ रू. की तुलना में 153.96 प्रतिशत अधिक है। यह 2013-14 के दौरान स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (वीसीईएस) के प्रति अधिक व्यय के कारण बाहरी तथा विविध मीडिया के माध्यम से प्रचार के बृहत्तर अधिमानों के कारण है।

2013-14 के दौरान 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत व्यय 137.56 करोड़ रू. है जो 2013-14 के दौरान कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के संघटन के अधिकांश अवयवों के कार्यान्वयन के प्रति कम व्यय के कारण 2012-13 में उपगत 161.55 करोड़ रू. के व्यय से 14.85 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2011-12 में समुद्री यानों/ यानों तथा नावों के प्रांपण पर होने वाला 28.27 करोड के बजट अनुमान की तुलना में 3.23 करोड़ रूपए था। वर्ष 2012-13 में 20.0 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 5.45 करोड़ रूपए का व्यय हुआ; क्योंकि यानों की आपूर्ति करने वालों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले यानों की तकनीकी कमियों को दूर करने से संबंधित कार्य पूरा नहीं किया गया तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त कल-पुर्जों की आपूर्ति नहीं की गई। वर्ष 2013-14 में 17.95 करोड़ रूपए के अनुमोदित बजट तथा 7.0 करोड रूपए के संशोधित बजट की तुलना में वास्तविक व्यय 4.0 करोड़ रूपए हुआ। वर्ष 2015-16 में 8.00 करोड़ रूपए के अनुमोदित बजट के व्यय होने की संभावना है।

वर्ष 2014-15 में, वर्ष 2014-15 के 112.72 करोड़ की समेकित अनुमोदित मांग की तुलना में, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार एक्स बी आई एस के प्रांपण सहित तस्करी निरोधी उपकरणों के प्रांपण तथा 2 मोबाईल स्कैनरों और ड्राईव थ्रू कन्टेनर स्कैनर (रोड) हेतु जमीन के प्रोपण पर 30 करोड़ रूपए के व्यय की संभावना है। वर्ष 2015-16 में, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, तस्करी निरोधी उपकरणों के प्रांपण में जिसमें 76 एक्सबीआईएस, पीआरडी (130 संख्या) और 26 आरआईडी शामिल है के साथ-साथ 4 फिक्स्ड स्कैनरों और 3 ड्राईव थ्रू कंटेनर स्कैनरों पर 255.61 करोड रूपए के व्यय की संभावना है।

कार्यालय परिसर के अधिग्रहण हेतु, 2013-14 के दौरान उपगत व्यय 2012-13 के दौरान उपगत 4.50 करोड़ रूपये के व्यय के प्रति 4.31 करोड़ रू. है जो बैंगलोर स्थित एनएसीईएन के नए कार्यालय परिसर और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के प्रति अपेक्षकृत कम व्यय के कारण 4.22 प्रतिशत है।

निवासी आवासों के अधिग्रहण हेतु, 2013-14 के दौरान व्यय 3.20 करोड़ रू. है। जबकि 2012-13 के दौरान व्यय शून्य था

प्रतिशतता में 2015-16 बजट अनुमान में अप्रत्यक्ष करों के अनुदान के अंतर्गत व्यय के मुख्य संघटक

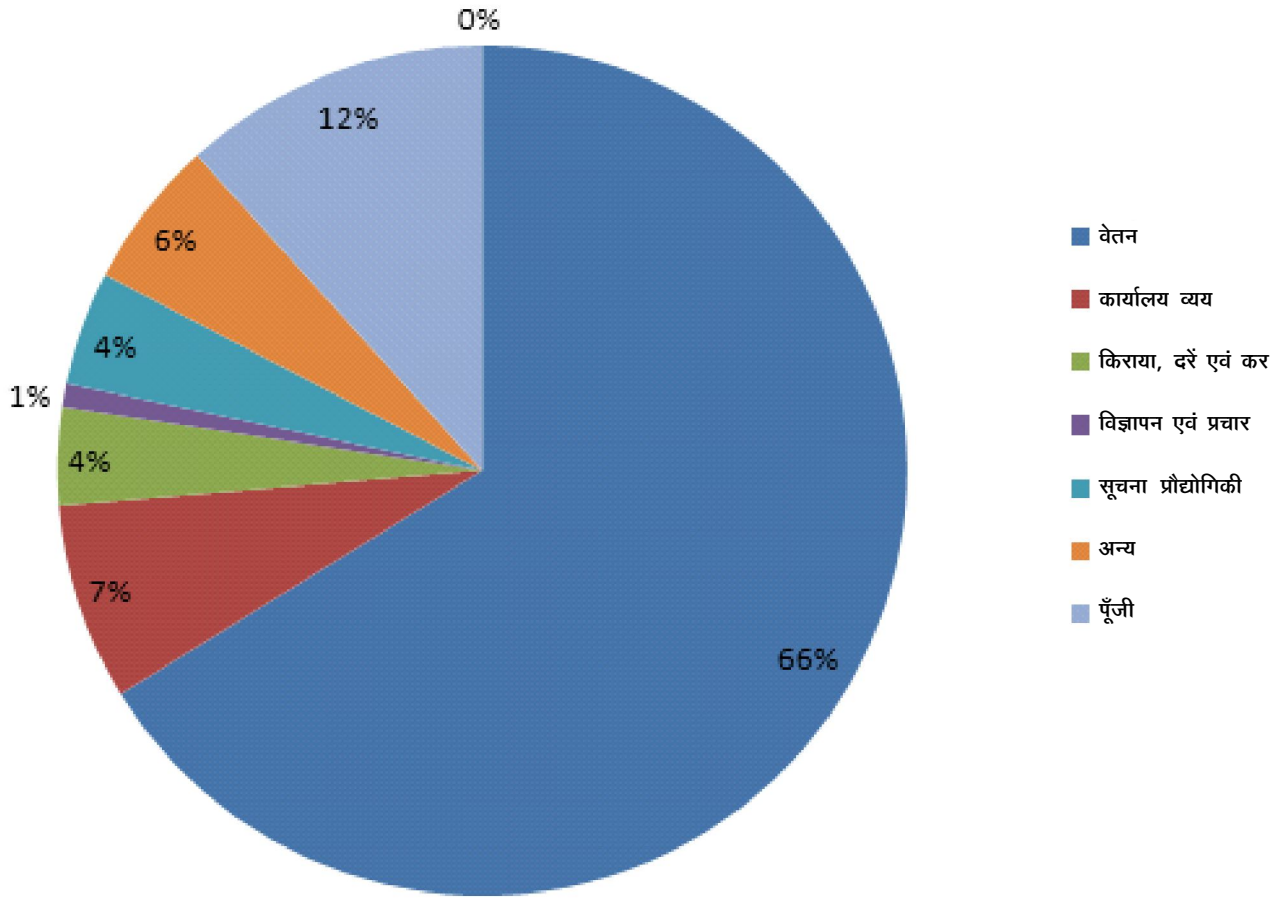

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अभ्यर्पित राशियां तथा बचत का विवरण

वित्त वर्ष 2013-14 में 4010.54 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें पूरक अनुदान भी शामिल था और इस वर्ष 3753.82 करोड़ रूपए का व्यय हुआ था जिसके कारण 256.72 करोड़ रूपए की राशि बच कई थी और उसको वापस कर दिया गया था। यह बचत राजस्व के विभिन्न उपशीर्षों और अनुदान के पूंजीगत खंड के अन्तर्गत हुए कुल 324.80 करोड़ रूपए की बचत तथा 68.08 करोड़ रूपए की कुल अधिक राशि के कारण हुई थी।

इन बचतों को निम्नलिखित वर्गों में अलग-अलग दर्शाया गया है:-

(i) संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचत: शून्य

(ii) योजनाओं/ परियोजनाओं के विलम्ब होने निष्पादन न होने के कारण बचत:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जिन योजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
1.	राजस्व-सह-आयात/ निर्यात व्यापार नियंत्रण प्रकार्य-आयुक्तालय	57.55	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, कार्यालय से संबंधित वस्तुओं की खरीद से कम करने के कारण, तथा किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराया संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई है।
2.	केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला	2.96	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, तथा कार्यालय से संबंधित वस्तुओं, प्रयोगशाला उपकरणों, कम्प्यूटर और संबंधित उपस्करों की खरीद के लिए धन की कम जरूरत होने कारण हुई है।
3.	संभार तंत्र निदेशालय	10.41	यह बचत मुख्य रूप से कार्यालय के भवन को किराए पर लिए जाने से संबंधित किराया संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण तथा कार्यालय से संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए कम धन की जरूरत होने के कारण और बाहर से ली गई सेवाओं, अधिकारियों और सूचना देने वालों को पुरस्कार देने के कम मामले के कारण हुई है।
4.	लोजिस्टिक निदेशालय	3.57	यह बचत मशीनरी और उपस्कर की देखभाल के लिए धन की कम जरूरत होने के कारण हुई है।
5.	विभागीय कैंटीन	8.23	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई है।
6.	आरक्षित कोष का अ्रंतरण तथा सीमाशुल्क कल्याण कोष का जमा लेखा अंतरण	6.20	सीमाशुल्क कल्याण कोष और विशेष उपकरण कोष में धन का अंतरण न किए जाने के कारण सम्पूर्ण आबंटित राशि बची रह गई है।
7.	अन्य विभाग को अन्य व्यय भुगतान	1.15	इस विभाग द्वारा दिए गए प्राधिकार के एवज में विदेश मंत्रालय द्वारा खर्च कम किए जाने के कारण यह बचत की है।
8.	निरीक्षण	4.18	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण तथा किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई है।
9.	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी (एनएसीईएन)	7.47	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण और विदेशी दौरों पर धन की कम जरूरत के कारण हुई है।
10.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय	3.59	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण और अधिकारियों/ मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाने के कम मामले होने के कारण हुई है।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
11.	प्रणालियां और डाटा प्रबंधन	15.22	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, और सेवा प्रदाताओं के द्वारा लक्ष्य को पूरा न किए जाने के कारण 'सूचना प्रौद्योगिकी' पर कम खर्च की जरूरत होने के कारण की है।
12.	संग्रह प्रभार आयुक्तालय (एचक्यू)	15.22	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, चिकित्सा दावों, घरेलु/ देशी दौरों विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर कम खर्च होने के कारण तथा प्रशिक्षण कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई है।
13.	वेतन और लेखा-कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क- प्रधान मुख्य लेख-नियंत्रक)	1.83	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, बाहर पर ली गई सेवाओं तथा कम्प्यूटर पर ली गई सेवाओं के कम खर्च पर हुई है।
14.	लैंड सीमा शुल्क संग्रह	9.91	यह बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराए में संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, मशीनरी तथा उपकरण की देख रेख पर तथा पुरस्कार के मामलों पर खर्च कम किए जाने के कारण हुई है।
15.	अन्य मदें-लघु कार्य	4.27	यह बचत भवनों की मरम्मत की देख रेख पर धन की कम जरूरत के कारण हुई है।
16.	मुख्य शीर्ष- 2216 (हाउसिंग)	3.05	यह बचत सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत और देखभाल पर कम खर्च की जरूरत के कारण हुई है।
17.	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी भवन, बंगलौर	13.42	यह बचत मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कम्पनी को वर्तमान परिसर के खाली कब्जे को देने में हुए विलम्ब के कारण हुई है।
18.	बने बनाए कार्यालय भवन की अधिप्राप्ति	30.18	यह बचत गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण और पट्टे के भूमि को फ्री होल्ड में बदलने और पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से संबंधित मुद्दों के निपटान न किए जाने के कारण हुई है।

(iii) अप्रचालित/निष्क्रिय प्रोजेक्ट/ योजना के कारण या प्रोजेक्टों के समापन के कारण, अभ्यर्पित राशि या/बचतः शून्य

टिप्पणी: *वित्त संबंधी स्थाई समिति की तेंतीसवीं रिपोर्ट में यथावांछित वित्त वर्ष 2011-12 के संबंध में सामान्य बचत, निधियों के कम प्रयोग/ प्रयोग नहीं किए जाने और वापस किए जाने के कारण बचत को अलग-अलग करने के संबंध में बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 7(1)-बी(ए.सी.) 2011 के अनुपालन में यह अनुबंध शामिल किया गया है ।*

विनिवेश विभाग

प्रस्तावना

विनिवेश विभाग को निम्नलिखित कार्य के लिए अधिकृत किया गया है:-

(1) (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले;

(ख) बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(2) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना;

(3) सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों का कार्यान्वयन;

(4) विनिवेश आयोग (नवम्बर 2014 से समाप्त);

(5) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम; और

(6) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

विभाग के मुखिया सचिव (विनिवेश) हैं, जिनका सहयोग चार संयुक्त सचिवों और एक सलाहकार द्वारा किया जाता है।

परिव्यय तथा परिणाम का विवरण 2015-16

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वर्ष 2015-16 का व्यय (करोड़ रुपए में)			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	सरकार के लिए संसाधन जुटाना तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना।	44	...	...	₹51,925 करोड़ (बजट अनुमान 2014-15)	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व के व्यापक वितरण का लक्ष्य हासिल करना। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के जन-स्वामित्व में वृद्धि करना। सरकार के लिए संसाधन जुटाना। निगमित नियंत्रण में सुधार करना। सीपीएसईस की लाभप्रदता और दक्षता में सुधार।	विनिवेश, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसी विनियामक एजेन्सियों के अनुमोदन और विनिवेश के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तैयारी पर निर्भर करता है। कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, विभाग द्वारा एक रोडमैप तैयार किया जाता है जिस पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।	सीपीएसईस के बोर्डों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटक होती है जिसके बिना सार्वजनिक पेशकश के लिए सेबी द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता। स्टॉक मार्केट में उतार-चढाव एक अन्य घटक है जो सार्वजनिक पेशकश के समय को प्रभावित करता है।

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

मांग संख्या 46- विनिवेश विभाग

- **सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई-ईटीएफ):** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के शेयरों को मिलाकर एक सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरूआत मार्च, 2014 में की गई थी। सीपीएसई - ईटीएफ के माध्यम से सरकार ने विनिवेश प्राप्ति के रूप में 3,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है।
- **विनिवेश कार्यक्रम को और अधिक संयोजनशील बनानाः** स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) में पहले खुदरा निवेशकों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता था। तथापि, 08 अगस्त, 2014 को सेबी ने यह अधिदेशित किया है कि ओएफएस में पेशकश के आकार में से न्यूनतम 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया जाएगा और उनके लिए कुछ छूट भी स्वीकृत की गई है। ओएफएस संबंधी दिशा-निर्देशों में इस संशोधन के उपरांत सरकार ने खुदरा निवेशकों के लिए पेशकश के आकार में से 20% तक हिस्से के आरक्षण और उनको छूट पर शेयरों के आबंटन का अनुमोदन किया है। इससे विनिवेश कार्यक्रम में जनता की भागीदारी में सुधार होने की संभावना है।
- **न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी मापदंडः** अगस्त, 2014 में, सेबी ने प्रत्येक सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी मापदंडों को संशोधित किया है, जिसके तहत प्रत्येक सूचीबद्ध सीपीएसई को अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को 03 वर्ष की अवधि के अंदर न्यूनतम 25% तक बढ़ाना होगा। इससे सीपीएसईस के विनिवेश पर और लाभकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, पेशेवर सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। विभाग के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान 63.24 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमान 30 करोड़ रुपए था और वास्तविक व्यय 24.98 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 50 करोड़ रुपये था और वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 44 करोड़ रुपये है।

I. (i) वर्ष 2013-14 के दौरान संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

(क) **एमएमटीसी लि. (एमएमटीसी)** - सरकार ने एमएमटीसी में 99.33% सरकारी शेयरधारिता में से 9.33% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 571.71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)** - सरकार ने एचसीएल में 99.59% सरकारी शेयरधारिता में से 9.59% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया था। एचसीएल में 5.58% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश की पहली खेप वर्ष 2012 में संपन्न की गई थी। एचसीएल में ओएफएस के माध्यम से 4.01% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश की दूसरी खेप जुलाई, 2013 में संपन्न की गई थी। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 259.56 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ग) **नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)** -सरकार ने एनएफएल में 97.64% सरकारी शेयरधारिता में से 7.64% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का ओएफएस के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को 101.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(घ) **भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)** - सरकार ने आईटीडीसी में 92.11% सरकारी शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का ओएफएस के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 30.17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ङ) **भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एसटीसी)** - सरकार ने एसटीसी में 91.02% सरकारी शेयरधारिता में से 1.02% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का ओएफएस के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 4.54 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(च) **नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एनएलसी)** - सरकार ने एनएलसी में 93.56% सरकारी शेयरधारिता में से 3.56%प्रदत्त इक्विटी पूंजी का ओएफएस के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। तदुपरांत, तामिलनाडु सरकार के अनुरोध्र पर विनिवेश प्रक्रिया को ओएफएस से बदल कर संस्थागत व्यवस्थापन कार्यक्रम अईपीपी पद्धति कर दिया गया था जिसमें आबंटन में तमिलनाडु सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तरजीह दी जा सकती थी। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 358.21 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(छ) **एनएचपीसी लि. (एनएचपीसी)** - एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी की सीमा तक अपने शेयरों की निविदा मार्ग के माध्यम से 19.25 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर वापस खरीद का अनुमोदन किया था। मंत्रियों के शक्तिसंपन्न समूह ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि विद्युत मंत्रालय एनएचपीसी लि. का प्रवर्तक होने के नाते और भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्रवाई करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित प्रति शेयर मूल्य पर कंपनी द्वारा प्रस्तावित वापस खरीद के आकार तक शेयरों की पेशकश करे। कंपनी द्वारा खरीदे गए शेयरों के बदले प्रतिफल के रूप में सरकार को 2131.28 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(ज) **पावर ग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)**- सरकार ने कंपनी की 13% निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी के साथ पीजीसीआईएल में सरकार की 69.42% शेयरधारिता में से 4% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में ओएफएस के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। इससे सरकार को 1,637.32 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(झ) **इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल)** -सरकार ने इंजीनियर्स इण्डिया लि. (ईआईएल) में सरकार की 80.40% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में एक प्रॉस्पेक्टस आधारित अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकारको विनिवेश प्राप्ति के रूप में 497.32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ञ) **भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)** - सरकार ने बीएचईएल में 67.72% सरकारी शेयरधारिता में से 4.66% इक्विटी का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ब्लॉक डील के जरिए विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 1,886.77 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ट) **इंडियन ऑयल कारर्पोरेशन लि. (आईओसीएल)**- सरकार ने आईओसीएल में 78.92% सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का ओएफएस के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को एक गैर-बाजार सौदे से विनिवेश प्राप्ति के रूप में 5,341.49 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ठ) **सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)**- सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के शेयरों को मिलाकर एक सीपीएसई - ईटीएफ के सृजन का अनुमोदन किया था। इस बास्केट का हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक सीपीएसई के लिए अधिकतम 3% सरकारी शेयरधारिता का अनुमोदन किया गया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 3,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

वर्ष 2014-15 के दौरान संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) - सरकार ने सेल में 85.82% सरकारी शेयरधारिता में से 10.82% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया था। 10.82% में से 5.82% शेयरधारिता का विनिवेश मार्च, 2013 में संपन्न किया गया था। सरकार को विनिवेश से 1,514.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। सेल की शेष 5% प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश की दूसरी खेप दिसंबर, 2014 में संपन्न की गई थी। सेल के विनिवेश की दूसरी खेप से सरकार को 1,719.54 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

I. (iii) अन्य अनुमोदित तथा कार्यान्वयन हेतु लंबित सौदे

(क) **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)** - सरकार ने आरआईएनएल में 10% प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश का अनुमोदन किया था। नया ड्राफ्ट रैड़ हैरिंग प्रोस्पैक्टस (ड़ीआरएचपी) 19.09.2014 को सेबी के पास दायर किया गया था। तथापि, 'हुदहुद' तुफान के कारण आरआईएनएल के विशाखापत्तनम स्थित संयंत्र को कुछ नुकसान पंहुचा है। आरआईएनएल का प्रबंधन नुकसान का मूल्यांकन कर रहा है और उसके बाद आरआईएनएल की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) का समय निर्धारित किया जाएगा।

(ख) **कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 89.65% सरकारी शेयरधारिता में से ओएफएस के माध्यम से 10% प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश का अनुमोदन किया है। इस निर्गम के लिए मर्चेंट बैंकरों और विधिक सलाहकार की पहले ही नियुक्ति कर ली गई है। सीआईएल में विनिवेश संपन्न करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)** - सरकार ने एचएएल में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का आईपीओ के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। इस निर्गम के लिए बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों, विधिक सलाहकारों तथा पंजीयक की नियुक्ति कर ली गई है। डीआरएचपी तैयार किया जा रहा है।

(घ) **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निर्देश दिया है कि अवशिष्ट इक्विटी यानि कि 29.54% इक्विटी की खुले बाजार में बिक्री कर दी जाए। मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर ली गई है। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ङ) **बालको** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निर्णय लिया है कि बालको में भारत सरकार की शेष बची 49% शेयरधारिता की बिक्री उस उपर्युक्त पद्धति के माध्यम से की जाए, जो विनिवेश विभाग द्वारा निर्धारित की जाए। मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर ली गई है। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(च) **नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने एनएचपीसी लि. में भारत सरकार की 85.96% शेयरधारिता में से 11.36% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया है। एनएचपीसी की ओएफएस के लिए सभी मध्यस्थों की नियुक्ति कर ली गई है। विनिवेश की तैयारी की जा रही है।

(छ) **पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने पीएफसी में भारत सरकार की 72.80% शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया है। पीएफसी की ओएफएस के लिए सभी मध्यस्थों की नियुक्ति कर ली गई है।

(ज) **ग्रामीण विद्युतीकरण लि. (आरईसी)** -आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने आरईसी में भारत सरकार की 65.64% शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया है। आरईसी की ओएफएस के लिए सभी मध्यस्थों की नियुक्ति कर ली गई है।

(झ) **तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी)** - आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने ओएनजीसी में भारत सरकार की 68.94% शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया है। ओएनजीसी की ओएफएस को चालू वित्त वर्ष के दौरान संपन्न किए जाने का अस्थायी कार्यक्रम है।

II. वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्ति के बजटीय लक्ष्य और संशोधित अनुमान तथा विनिवेश के माध्यम से प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	बजटीय लक्ष्य (करोड़ रुपए)	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए)	विनिवेश से प्राप्ति (करोड़ रुपए)	अभ्युक्तियां	(करोड़ रुपए)
2013-14	40,000	16,027	15,819.45	एमएमटीसी लि0 :	571.71
				हिन्दुस्तान कॉपर लि0 :	259.56
				नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 :	101.08
				भारतीय पर्यटन विकास निगमः	30.17
				राज्य व्यापार निगम :	4.54
				नेवेली लिग्नाइट कार्पो. :	358.21
				एनएचपीसी लि0 :	2131.28
				पावर ग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया लि0 :	1637.32
				इंजीनियर्स इंडिया लि0 :	497.32
				भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि0 :	1886.77
				इंडियन ऑयल कार्पो. लि0 :	5341.49
				सीपीएसई ईटीएफ :	3000.00
2014-15	51,925 (गैर-सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से 15,000 करोड़ रुपये सहित)	जैसा कि बजट 2015-16 में उल्लेख किया गया है।	1,719.54	सेल :	1719.54

मांग संख्या - 45 विनिवेश विभाग

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक 30.11.2014 तक	बजट अनुमान 2015-16
राजस्व भाग											
1	वेतन	3.60	3.46	3.51	3.73	3.73	4.11	4.50	5.48	3.45	6.41
2	मजदूरी	0.025	0.020	0.00	0.025	0.025	...	0.025	0.025	...	0.025
3	समयोपरि भत्ता	0.02	0.01	0.047	0.01	0.01	0.041	0.01	5.0	3.5	0.01
4	चिकित्सा उपचार	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.675	0.373	0.725
5	देशीय यात्रा व्यय	0.40	0.20	0.1692	0.40	0.40	0.34	0.40	0.40	0.011	0.40
6	विदेश यात्रा व्यय	3.00	1.00	0.87	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.52	3.00
7	कार्यालय व्यय	1.00	1.00	0.99	1.00	1.20	1.20	1.50	1.50	0.080	1.50
8	प्रकाशन	0.01	0.085	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	5.0	0	0.01
9	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.03	0.027	0.029	0.03	0.045	0.035	0.045	0.045	0.017	0.045
10	विज्ञापन तथा प्रचार	...	...	...	...	6.00	4.63	21.00	0.12	0.1178	12.50
11	पेशेवर सेवाएं	55.09	20.04	12.09	54.97	15.51	11.55	19.445	19.445	12.39	20.00
12	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	0.05	0.045	0.045	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.043	0.05
	कुल राजस्व भाग	**63.24**	**25.83**	**17.77**	**63.24**	**30.00**	**24.98**	**50.00**	**40.00**	**18.51**	**44.00**
	पूंजीगत भाग	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	सकल योग	**63.24**	**25.83**	**17.77**	**63.24**	**30.00**	**24.98**	**50.00**	**40.00**	**18.51**	**44.00**

व्यय में समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण

इस अनुदान के तहत समग्र राजस्व व्यय, वर्ष 2012-13 में 17.77 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2013-14 में 24.98 करोड़ रूपए और (30 नवंबर, 2014 तक)18.51 करोड़ रुपये था।यह व्यय मुख्यतः विभाग के सचिवालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लौटाई गई निधियों तथा बचत का विवरण

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सचिवालय आर्थिक सेवा के लिए 63.24 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में 24.98 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरुप 38.26 करोड़ रुपए की बचत हुई।

इस बचत को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग दर्शाया गया है :-

(i) सामान्य बचतः संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरुप बचत

38.26 करोड़ रुपए (सार्वजनिक पेशकशों के संपन्न न होने के कारण)

(ii) कम उपयोग/उपयोग न किया जानाः परियोजनाओं/स्कीमों के गैर-कार्यान्वयन/निष्पादन में विलंब के कारण बचत।

लागू नहीं

(iii) निधियों की वापसी (सरेंडर): अप्रचलित/पुरानी परियोजनाओं/स्कीमों के कारण या ऐसी परियोजना/स्कीम के सम्पन्न होने के कारण बचत जिसके लिए निधियों की और अधिक आवश्यकता न हो।

लागू नहीं

टिप्पणी: *यह अनुबंध वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचत, निधियों का कम/अनुपयोग तथा अभ्यर्पण के कारण हुई बचतों को अलग-अलग करने के बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है, जैसा कि स्थायी वित्त समिति की 33वीं रिपोर्ट में अपेक्षित था।*